खण्ड-466, अंक-3
सोमवार, 14 कार्तिक, शक संवत् 1929
(5 नवम्बर, 2007 ई0)

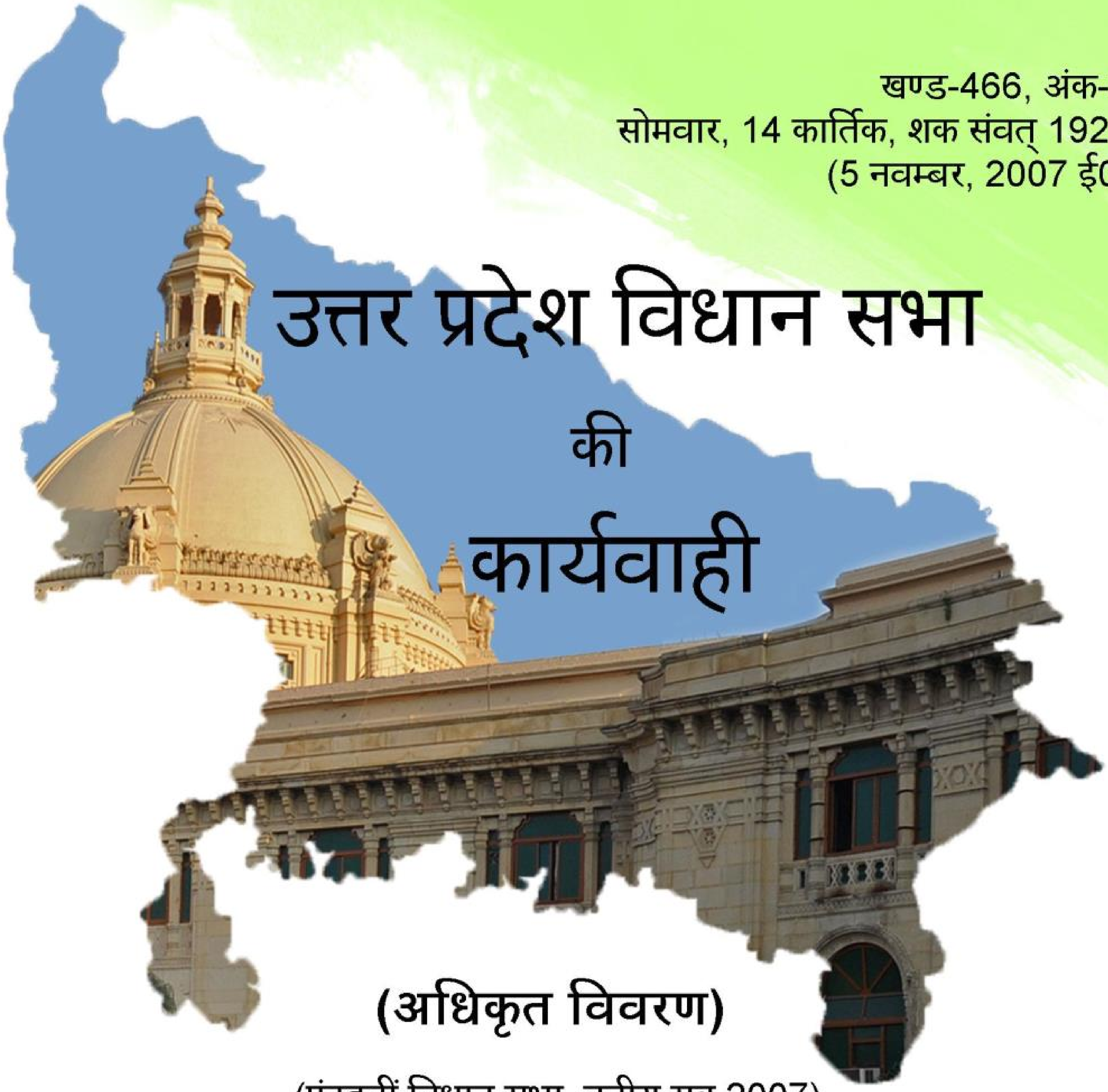

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(पंद्रहवीं विधान सभा, तृतीय सत्र 2007)

खण्ड 466 में 7 अंक है
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2007

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-च
पेरियार की "सच्ची रामायण" नामक पुस्तक में भगवान राम और सीता की निन्दा विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (जारी)	1-4
प्रश्नोत्तर	4-98
पेरियार की "सच्ची रामायण" नामक पुस्तक में भगवान राम और सीता की निन्दा विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग	99-101
विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य, श्री भोलादत्त सकलानी, श्री सूरवीर सिंह, श्री द्वारिका नाथ धवन, श्री गुलाब सिंह, श्री राम जन्म सिंह, श्री त्रिभुवन प्रसाद, श्री करन सिंह, श्री सरजू प्रसाद सरोज, श्री भगवन्त प्रसाद, श्री पंचानन राय, श्रीमती उमा त्रिपाठी तथा श्री जयराज गौतम के निधन पर शोकोद्गार	101-105
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें	105-106
जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106
फैजाबाद नगर में रकाबगंज हनुमानगढ़ी से चौक होते हुए गरीडगंज चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	106-107
निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण बकाये का भुगतान एकमुश्त करने की दशा में बिल में सरचार्ज की धनराशि माफ करने हेतु वाराणसी जल संस्थान को निर्देशित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107
जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत टमसा नदी (टांस) पर ग्राम भदुली के पास बने पुल का टोल टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	107-108
श्री पंकज पुत्र ब्रह्मदेव गोण्डा निवासी-गौरा मदनपुरा, बलिया की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप मुख्य मंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	108

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर में छोटी गंडक नदी की बाढ़ के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	108-109
देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत पथरहट ग्राम सभा स्थित विद्युत उपकेन्द्र की जर्जर फीडर, विद्युत तार एवं जर्जर ट्रांसफार्मर को अविलम्ब ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
आगरा के विकास खण्ड समशाबाद के गांव कुर्रा चित्तरपुर में विद्युत सब-स्टेशन के अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	109
बदायूं नगर में सोत नदी के ऊपर नवीन पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना... ...	109-110
महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर की नगरीय बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त कर पुनः भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	110
जनपद खीरी के कोतवाली गोला में विधायक पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने के दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में ए0पी0 तटबन्ध के टूटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु तत्काल सरकारी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111
जनपद चन्दौली के मुगलसराय में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
गोण्डा के मनकापुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं महिला प्रसूति गृह को सी0ओ0 मनकापुर के अधिकृत कब्जे से खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना...	112
गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में क्षतिग्रस्त गढ़-स्याना बुलन्दशहर मार्ग का पुनर्निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	112-113
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	113
वित्तीय वर्ष 2007-2008 में पारित बजट के जिलांश के व्यय के लिए मा0 विधायकों से सुझाव न मांगे जाने से पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड का विकास न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न... ...	113-114

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	114-115
माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	116-117
मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य को पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, हरित प्रदेश में बांटकर पृथक राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117
उच्च सदन द्वारा बिना पारित विधेयकों को वापस किये जाने पर सदन में पुनः चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	117-118
श्री अम्बिका चौधरी के बिना सत्यापन के प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा स्पष्टीकरण पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश विधान सभा की आचार समिति से सम्बन्धित नियम-269 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	119-126
"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (संशोधन हेतु पुनः विचार के लिए विधान मण्डल को राज्यपाल के संदेश सहित वापस)	126
उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	127
उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	127
उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	127
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1804/सोलह-1-2006-14(6)/2006, दिनांक 27 जुलाई, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)..	127
प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 का आदेश संख्या-800/सोलह- 1- 2007-14 (16)/2006, दिनांक 29 मार्च, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	127-128
उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	128

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2005, दिनांक 04 मार्च, 2005 (सदन के पटल पर रखी गयी)	128
श्रीमती राकेश कुमारी राजपूत, औषधि निरीक्षक के विरुद्ध किये गये श्री के0डी0 शर्मा आगरा के परिवाद से सम्बन्धित मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन (सदन के पटल पर रखा गया)	128
उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ द्वारा श्री विजेन्द्र पाल सिंह, भू0पू0 परिचालक, मेरठ डिपो को सवेतन सेवा में बहाल किये जाने के सम्बन्ध में सुनवाई के उपरान्त की गयी संस्तुति का अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी आख्या (सदन के पटल पर रखी गयी)	128-129
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन और शर्तें) नियमावली, 2006, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	129
उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए निबन्धन और शर्तें) नियमावली, 2006, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)	129
कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4(1)/200-2-का-2(1)-2007, दिनांक 4 जुलाई, 2007 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	129
कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4(1)/200-2-का-2(1)-2007, दिनांक 4 जुलाई, 2007 (सदन के पटल पर रखी गयी) ...	129-130
उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 23 फरवरी, 2006 (सदन के पटल पर रखी गयी)... ...	130
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां (सदन के पटल पर रखी गयी)	130-131
उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 (दिनांक 27 जून, 2007 से 17 जुलाई, 2007) में नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	131
उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (सदन के पटल पर रखा गया)	131

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या

उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना) 131

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर पुनर्विचार (पारित)... 131-135

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) 135-137

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित)... 137

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) 138

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) 138

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) 138-139

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) 139

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) 139-140

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 (पुरःस्थापित) .. 140

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं 140-163

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 (पारित) ... 163-213

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जेल से रिहाई की सूचना ... 214

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखा गया)... 214

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 (विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखा गया) ... 214

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ... 214-218

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित) ... 218-223

उत्तर प्रदेश विधान सभा

विषय	पृष्ठ संख्या
छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एवं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	223-227
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	228-231
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित) ...	231-234
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	234-239
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	239-243
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (संकल्प अस्वीकृत तथा विधेयक पारित)	243-248
उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 (पारित)	248
उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा, एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य के गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' आदि द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत दिये गये प्रस्ताव पर आधे घंटे की चर्चा (जारी)	248-249
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें..	249-250

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद झांसी स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल की बन्दी तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं वेतन आदि अन्य बकायों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वस्त्रोद्योग मंत्री का वक्तव्य....	250-252
जनपद आजमगढ़ के फूलपुर स्थित राजबहा माइनर में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य....	252-253
जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर निवासी दुर्गा कुमारी श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जाति के नाम पर जमीन का बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य	253-254
जनपद चन्दौली स्थित स्पंज आयरन फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य	254-255
जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बी0पी0एल0 सर्वे सूची में की गयी व्यापक धांधली के सम्बन्ध में श्री शिव शंकर चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	255-256
जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा एवं मंगरौरा विकास खण्डों में नियुक्त आवश्यक वस्तुओं के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण न किये जाने तथा विभाग द्वारा वितरण की स्थिति का सत्यापन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य...	256-257
जनपद उन्नाव में कार्यरत कार्यदायी संस्था जल निगम के अनैतिक कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य ...	257-258
जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौंरा कला स्थित स्व0 कृष्णपाल के परिवार को सुरक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य ...	258

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद शाहजहांपुर नगर में गरीबों व असेवित बस्तियों में विद्युतीकरण का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य ...	259
लखनऊ के कालीदास मार्ग पर स्थित राजीव चौक में स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति को केन्द्र में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	260-261
जनपद संत कबीरनगर अन्तर्गत परिषदीय माध्यमिक विद्यालय, बभनौली में बुनियादी सुविधायें एवं इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य	261-262
गोरखपुर नगर निगम में निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच मा0 मुख्य मंत्री के निर्देशों के बावजूद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	262-263
जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के निकट तरबगंज पर टेढ़ी नदी पर 10 करोड़ रुपये का अनियमित टेण्डर किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य ...	263-264
जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री के केवल वक्तव्य का स्थगन	264
नत्थिया	265-267

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 05 नवम्बर, 2007

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री सुखदेव राजभर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई)

उपस्थित सदस्य-359

अंगद यादव, श्री — आजमगढ़
अकबर हुसैन, श्री — मुरादाबाद
अकीलुर्रहमान खां, श्री — मुरादाबाद
अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री — गोण्डा
अजय यादव, श्री — एटा
अजय सिंह, श्री — जालौन
अनन्त मिश्रा, श्री — फर्रुखाबाद
अनिल कुमार, श्री — कन्नौज
अनिल कुमार, श्री — बुलन्दशहर
अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
अनिल कुमार अहिरवार, श्री — महोबा
अनिल कुमार मौर्य, श्री — मिर्जापुर
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री — एटा
अनिल चौधरी, डा0 — हाथरस (महामायानगर)
अनीस अहमद खां उर्फ फूलबाबू, श्री — पीलीभीत
अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
अब्दुल मन्नान, श्री — हरदोई
अब्दुल वारिस खाँ, श्री — मुजफ्फरनगर
अब्दुल समद अंसारी हाजी, श्री — वाराणसी
अमरेश कुमार शुक्ल, श्री — बाराबंकी
अमीता सिंह, श्रीमती — सुल्तानपुर
अम्बिका चौधरी, श्री — बलिया
अम्बिका सिंह, श्री — गोरखपुर
अमेरिका प्रधान, श्री — गाजीपुर

अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिंह उर्फ गोप, श्री — बाराबंकी
अरविन्द गिरि, श्री — लखीमपुर खीरी
अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
अरशद खान, श्री — पीलीभीत
अरुण कुमार यादव, श्री — आजमगढ़
अरुणा तोमर, श्रीमती — कानपुर नगर
अर्चना सरोज, श्रीमती — सन्तरविदास नगर (भदोही)
अलाउद्दीन, श्री — बलरामपुर
अलीम हाजी, श्री — बुलन्दशहर
अवध पाल सिंह यादव, श्री — एटा
अवधेश कुमार वर्मा, श्री — शाहजहांपुर
अवनीन्द्र नाथ द्विवेदी उर्फ महन्त दूबे, श्री — महराजगंज
अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
अशोक कुमार दोहरे, श्री — औरैया
अशोक कुमार कंसल, श्री — मुजफ्फरनगर
अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
अशोक कुमार सिंह चन्देल, श्री — हमीरपुर
अशोक सिंह चौहान, श्री — मैनपुरी
आदित्य पाण्डेय, श्री — फतेहपुर
आनन्द कुमार उर्फ कलेक्टर पाण्डेय, श्री — इलाहाबाद
आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
आर0 ए0 उस्मानी, श्री — लखीमपुर खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री — लखनऊ
आर0 के0 शर्मा पंडित, श्री — बरेली

आरिफ अनवर हाशमी, श्री	गोण्डा
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आसिफ, श्री	हरदोई
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इमरान मसूद, श्री	सहारनपुर
इरफान सोलंकी, श्री	कानपुर नगर
ईश्वर चन्द्र शुक्ल, श्री	सिद्धार्थनगर
उदयभान करवरिया, श्री	इलाहाबाद
उदयराज, श्री	उन्नाव
उदयलाल मौर्य, श्री	वाराणसी
उमेश पाण्डेय, श्री	मऊ
उस्मानुल हक, श्री	मुरादाबाद
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओमवती देवी, श्रीमती	बिजनौर
कमलेश चन्द्र दिवाकर, श्री	कानपुर देहात
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब	रामपुर
कादिर राणा, श्री	मुजफ्फरनगर
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
कुवेर सिंह, श्री	एटा
कुलदीप सिंह गंगवार, श्री	फर्रूखाबाद
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृपा शंकर सिंह, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार, श्री	बहराइच
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
कृष्ण गोपाल पटेल, श्री	लखीमपुर खीरी
कृष्णाराज, श्रीमती	लखीमपुर खीरी
केदार नाथ वर्मा, श्री	बलिया
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कैलाश सिंह राजपूत, श्री	कन्नौज
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, डा0	लखीमपुर खीरी
कौशलेन्द्र नाथ योगी, महंत	बलरामपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	बुलन्दशहर
गिरीश चन्द्र, श्री	मुरादाबाद
गुटियारी लाल दुबेश, श्री	आगरा
गुरू प्रसाद मौर्य, श्री	इलाहाबाद
गुलाम मोहम्मद खान, श्री	बहराइच
गेंदा लाल चौधरी, श्री	हाथरस (महामायानगर)
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	लखनऊ
घूराराम, श्री	बलिया
चन्द्रदेव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चौधरी रविन्द्र प्रताप, श्री	सिद्धार्थनगर
छत्रपाल सिंह, श्री	बरेली
छोटे सिंह, श्री	जालौन
जगदीश नारायण, श्री	जौनपुर
जगन प्रसाद गर्ग, श्री	आगरा
जगपाल, श्री	सहारनपुर
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	महराजगंज
जमीरउल्ला, श्री	अलीगढ़
जमुना निषाद, श्री	गोरखपुर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जसवन्त सिंह उर्फ अतुल, श्री	कुशीनगर
जावेद अंसारी, श्री	जौनपुर
जितेन्द्र कुमार एडवोकेट, श्री	चन्दौली
जितेन्द्र कुमार, श्री	बस्ती
जितेन्द्र कुमार बब्लू भइया, श्री	फैजाबाद
जुल्फिकार अहमद भुट्टो, श्री	आगरा
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्योत्सना श्रीवास्तव, डा0	वाराणसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ताहिर हुसैन सिद्दीकी, श्री	फर्रुखाबाद
तौफीक अहमद, श्री	सिद्धार्थनगर
त्रिभुवन दत्त, श्री	अम्बेडकरनगर
दद्दन मिश्रा, श्री	श्रावस्ती
दद्दू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दयाराम, श्री	कौशाम्बी
दाउद अहमद, श्री	हरदोई
दिनेश प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ पाण्डेय, श्री	वाराणसी
दीपक कुमार, श्री	उन्नाव
दीप नारायण सिंह दीपक यादव, श्री	झांसी
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधराम, श्री	बस्ती
धनंजय सिंह, श्री	जौनपुर
धनीराम वर्मा, श्री	औरैया
धर्मपाल, श्री	गाजियाबाद
धर्मपाल सिंह, डा0	आगरा
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
धीरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	बलरामपुर
धू राम लोधी चौधरी, श्री	हमीरपुर
नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री	इलाहाबाद
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नरेन्द्र सिंह, श्री	सीतापुर
नसीरुद्दीन, श्री	फिरोजाबाद
नाथू राम कुशवाहा 'इंजीनियर', श्री	ललितपुर
नारायण सिंह, श्री	आगरा
निर्मल वर्मा, श्री	सीतापुर
नीरज कुशवाहा, श्री	शाहजहाँपुर
पंकज कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
पशुपति, श्री	गाजीपुर
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पुरुषोत्तम नरेश द्विवेदी, श्री	बाँदा
पूजा पाल, श्रीमती	इलाहाबाद
पूरन प्रकाश, श्री	मथुरा
प्रजापालन, श्री	एटा
प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती	कानपुर देहात
प्रदीप कुमार उर्फ गुड्डू, श्री	बदायूं
प्रदीप जैन 'आदित्य', श्री	झाँसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रमोद तिवारी, श्री	प्रतापगढ़
प्रमोद सिंह, श्री	देवरिया
प्रवीण पटेल, श्री	इलाहाबाद
प्रेमलता कटियार, श्रीमती	कानपुर नगर
फतेह बहादुर, श्री	महराजगंज
फरहत हसन, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फागू, श्री	मऊ
बजरंग बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
बलबीर, श्री	मुजफ्फरनगर
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बिरजू राम, श्री	जौनपुर
बृजेश सौरभ, श्री	प्रतापगढ़
बैजनाथ दूबे, श्री	गोण्डा
ब्रम्हाशंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवती प्रसाद सागर, श्री	झांसी
भगवान दास, श्री	सन्तकबीरनगर
भगवान सिंह कुशवाहा, श्री	आगरा
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भीमराव अम्बेडकर एडवोकेट, श्री	इटावा
भोला, श्री	आजमगढ़
मंजू, श्रीमती	बलिया
मदन भैया, श्री	बागपत
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मधुसूदन शर्मा, श्री	आगरा
मनोज चौधरी, श्री	सहारनपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

ममतेश शाक्य, श्री	एटा
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महिपाल सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश चन्द्र, श्री	कानपुर देहात
महेश चन्द्र गुप्ता, श्री	बदायूं
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
माधव पासवान, श्री	गोरखपुर
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहाँपुर
मिथलेश कटियार, श्रीमती	कानपुर देहात
मीता गौतम, कु0	बाराबंकी
मुख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मुरलीधर, श्री	फतेहपुर
मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
मुस्लिम खां, श्री	बदायूं
मोहम्मद इकबाल, श्री	बिजनौर
मोहम्मद इरशाद खान, श्री	लखनऊ
मोहम्मद गाजी, श्री	बिजनौर
मोहम्मद जलील खान, श्री	गोण्डा
मोहम्मद जासमीर अंसारी, श्री	सीतापुर
मोहम्मद ताबीश खां, श्री	सन्तकबीरनगर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
यशपाल सिंह, श्री	बिजनौर
यशपाल सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
योगराज सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
योगेन्द्र सागर, श्री	बदायूँ
योगेश वर्मा, श्री	मेरठ
रंगनाथ मिश्र, श्री	सन्तरविदास नगर (भदोही)
रघुनाथ प्रसाद संखवार, डा0	कानपुर देहात
रघुराज प्रताप सिंह "राजा भइया" कुंवर, श्री	प्रतापगढ़
रतनलाल अहिरवार, श्री	झांसी
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश गौतम, श्री	गोण्डा
रमेश चन्द्र विन्द, डा0	मिर्जापुर
रविन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	जौनपुर
रवीन्द्र कुमार (मोल्हू), श्री	सहारनपुर
राकेश कुमार गोस्वामी, श्री	महोबा
राकेश धर त्रिपाठी, डा0	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजकुमार सिंह गौतम, डा0	गाजीपुर
राजकुमार रावत, श्री	मथुरा
राजपाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
राजबली जैसल, श्री	इलाहाबाद
राजाराम त्यागी, श्री	रायबरेली
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजीव चन्ना, श्री	मुरादाबाद
राजेन्द्र कुमार, श्री	मऊ
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राजेन्द्र सिंह, डा0	आगरा
राजेन्द्र सिंह उर्फ पहलवान सिंह, श्री	गोरखपुर
राजेश अग्रवाल, श्री	बरेली
राजेश कुमार, श्री	लखीमपुर खीरी
राजेश त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर
राजेश यादव, श्री	शाहजहांपुर
राजेश्वरी, श्रीमती	हरदोई
राधे लाल रावत, श्री	उन्नाव
राधे श्याम गुप्ता, श्री	फतेहपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कुमार तिवारी, पण्डित	ललितपुर
रामपाल राजवंशी, श्री	सीतापुर
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम प्रकाश कुशवाहा, श्री	कानपुर नगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रकाश यादव, श्री	फिरोजाबाद
राम प्रसाद चौधरी, श्री	बस्ती
राम प्रसाद जायसवाल, श्री	देवरिया
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम सागर अकेला, श्री	श्रावस्ती
राम सिंह, डा0	अलीगढ़
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम सेवक सिंह पटेल, श्री	बदायूं
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रिजवान अहमद खाँ, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रोशन लाल वर्मा, श्री	शाहजहाँपुर
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लखीराम नागर, श्री	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकरनगर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वाचस्पति, श्री	कौशाम्बी
वारिस अली, श्री	बहराइच
वासुदेव सिंह "बाबा", श्री	बुलन्दशहर
विजय कुमार, श्री	गाजीपुर
विजय कुमार उर्फ विजय यादव, श्री	मुरादाबाद
विजय पाल सिंह, श्री	बरेली
विजय बहादुर यादव, श्री	गोरखपुर
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्यासागर गुप्त, श्री	लखनऊ
विनोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
विनोद सिंह, श्री	सुल्तानपुर
विनोद चतुर्वेदी, श्री	जालौन
विवेक कुमार सिंह, श्री	बांदा
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विशम्भर सिंह यादव, श्री	बांदा
विश्वनाथ, श्री	कुशीनगर
वीरेन्द्र कुमार, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र सिंह सिरोही, श्री	बुलन्दशहर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शम्भू चौधरी, श्री	कुशीनगर
शहजिल इस्लाम अंसारी, श्री	बरेली
शारदा प्रसाद, श्री	चन्दौली
शहनवाज, श्री	बिजनौर
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव गणेश, श्री	रायबरेली
शिवपाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिवबालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवशंकर, श्री	बलिया
शीशराम, श्री	बिजनौर
शेखर तिवारी, श्री	औरैया
शेर बहादुर, श्री	अम्बेडकरनगर
शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री	जौनपुर
श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री	वाराणसी
श्याम नरायण यादव, श्री	आजमगढ़
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्रीपति आजाद, श्री	महराजगंज
श्रीभगवान पाठक, श्री	बलिया
संग्राम सिंह, श्री	बाराबंकी
संजय कुमार त्रिपाठी, श्री	प्रतापगढ़
संजय कपूर, श्री	रामपुर
संजीव दरियाबादी, श्री	कानपुर नगर
संध्या, कुमारी	मैनपुरी
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्य नारायण जैसल, श्री	सोनभद्र
सत्यपाल सिंह, चौ0	अलीगढ़
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सत्यवीर सिंह गुर्जर, श्री	गौतमबुद्धनगर
सत्येन्द्र सोलंकी, चौ0	बागपत
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सनातन पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सर्वेश कुमार सिंह सीपू, श्री	आजमगढ़	सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सलिल विश्नोई, श्री	कानपुर नगर	सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सिनोद कुमार शाक्य, श्री	बदायूं	सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच
सिवगतुल्लाह अंसारी, श्री	गाजीपुर	सुल्तान बेग, श्री	बरेली
सी0 एम0 प्रसाद, श्री	सोनभद्र	सुशील कुमार, श्री	चन्दौली
सीमा द्विवेदी, श्रीमती	जौनपुर	सूरजपाल ठाकुर, श्री	आगरा
सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री	फतेहपुर	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़	सूर्यभान, श्री	मिर्जापुर
सुखलाल, श्री	पीलीभीत	सैयूयदा शादाब फातिमा, श्रीमती	गाजीपुर
सुधीर कुमार, श्री	उन्नाव	सोबरन सिंह, श्री	मैनपुरी
सुनील शर्मा, श्री	गाजियाबाद	हरगोविन्द भार्गव, डा0	सीतापुर
सुन्दर लाल लोधी, श्री	उन्नाव	हरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर	हरिओम, श्री	जालौन
सुभाष, श्री	बलिया	हसरत उल्ला, श्री	एटा
सुरेन्द्र प्रसाद मिश्र, श्री	आजमगढ़	हुकुम सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी	होराम सिंह, श्री	गौतमबुद्धनगर
सुरेश तिवारी, श्री	देवरिया		

नोट :- लोक निर्माण, सिंचाई, आबकारी, आवास तथा गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी) तथा भूतत्व एवं खनिकर्म तथा पंचायती राज मंत्री (श्री बाबू सिंह कुशवाहा) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पेरियार की "सच्ची रामायण" नामक पुस्तक में भगवान राम और सीता की निन्दा विषयक नियम-311 के अन्तर्गत सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग

श्री ओम प्रकाश सिंह-

नियम-311 में हमने दिया है। हिन्दू की आस्था पर आघात पहुंचाया है। इससे ज्वलन्त प्रश्न मान्यवर, और कोई नहीं हो सकता है। राम की जिस तरह से निन्दा की गई है शायद किसी भी पुस्तक में इतनी निन्दा नहीं की गई होगी। यह आस्था पर आघात है संस्कृति को खंडित करने का प्रयास है मान्यवर, प्रदेश की जनता इससे आहत है इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा प्राथमिक और महत्वपूर्ण विषय और कोई हो ही नहीं सकता है।

श्री अध्यक्ष-

नियम-311 में हमें न कोई प्रस्ताव आया है न कोई सामग्री आई है।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अध्यक्ष महोदय, यह केवल ओम प्रकाश जी का ही प्रश्न नहीं है। हमारे देश और प्रदेश की संस्कृति और सभ्यता का सवाल है। हमारे संविधान में भी है कि किसी के धर्म या किसी की आस्था पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है। तो इस तरह से जो हमारी संस्कृति और सभ्यता पर जो टिप्पणी हुई जिसके अनुसार समाजवादी आन्दोलन के सभी लोग यह मानते हैं और आप भी मानते रहे हैं इसलिए हम सुझाव देना चाहते हैं इस तरह से किसी का देश या प्रदेश पर अधिकार नहीं है न ही इनके नाम दर्ज हो गया है उत्तर प्रदेश, या सभ्यता संस्कृति। यही सब कुछ नहीं जानते हैं। हम लोग तो यहां तक कहते हैं कि भारत में शिवजी का मस्तिष्क, राम की मर्यादा और कृष्ण का कर्म होगा तभी हम इस देश का कल्याण कर सकते हैं। नास्तिक होते हुए राम मनोहर लोहिया जी ने हमारी सभ्यता और संस्कृति पर जो कुछ लिखा है....

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी...

श्री मुलायम सिंह यादव-

वह चाहे राम पर हो चाहे कृष्ण पर हो, चाहे सीता, सावित्री, चाहे द्रौपदी पर, लेकिन अगर यह सब कार्यक्रम होंगे तो इनको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है इस प्रकार से सीता जी के चरित्र पर या राम पर आप जिसको चाहें कह दें....

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी...

श्री मुलायम सिंह यादव-

आप अपने आंगन में प्रतिमा लगा लें अपने आंगन में सब लिख लें लेकिन आपको इस तरह से कोई अधिकार नहीं है इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती है इससे ज्यादा देश में गिरावट की कोई बात नहीं हो सकती है....

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष 311 में सूचना दिए हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ऐसे लोग जो हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति को मानने वाले नहीं हैं जिस पर यह देश टिका हुआ है ऐसे लोग कलंक हैं इसकी निन्दा करनी चाहिए। निन्दा यहां नहीं होगी जनता के बीच जाएं ....

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी 311 और 56 में यह सूचना हैं जब यह विषय आएगा तो देखा जाएगा। तब विचार करें।

श्री मुलायम सिंह यादव-

जनता के बीच में कहें अगर हिम्मत हो तो। हम कहना चाहते हैं इसको तत्काल निकालिए देश के सामने इनको माफी मांगनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

311 और 56 में सूचना हैं जब यह विषय आएगा तब कहिएगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

ऐसा मत कहिए मैं बहुत ही मर्यादित हूं। इसमें समझौता कर लेंगे क्या ? हम समझौता नहीं कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैं भी सम्मान कर रहा हूं। लेकिन नियम, नियमावली के हिसाब से हम चलेंगे।

(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे जिससे व्यवधान हो गया)

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आएगा, तब देखेंगे। आपने नियम-56 में नोटिस दिया है, जब नियम-56 आयेगा तब देखेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, में विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं, उस पुस्तक में जो कहा गया है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद-25 का उल्लंघन है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब दिखाइयेगा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मा0 अध्यक्ष जी, क्या आप सबको इस प्रकार से बोलने की इजाजत देंगे, चाहे जो बोलने के लिए खड़ा हो जाए ? नेता प्रतिपक्ष को विशेषाधिकार है लेकिन प्रमोद तिवारी भी खड़े हो गए, यह उचित नहीं है। मान्यवर, यह विषय हमारा नहीं है और न हम चरित्र हनन कर रहे हैं, न सरकार किसी मर्यादा पुरुष को चरित्रहीन कर रही है, यह सरकार का कोई विषय नहीं है और आपने अभी स्वीकार नहीं किया है, जब अवसर आयेगा तब सुनिएगा।

श्री अध्यक्ष-

मा0 प्रमोद तिवारी जी, आप बैठ जायें। जब हम नियम-56 लायेंगे, उस मद पर आयेंगे, तब सुना जायेगा।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता भारतीय जनता पार्टी, नेता समाजवादी पार्टी, नेता कांग्रेस, सब इस बात की मांग कर रहे हैं कि यह आप पर आघात है और इससे बड़ा और महत्वपूर्ण प्रश्न कोई नहीं हो सकता।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह आघात कब हुआ, कहां पर हुआ, कितने वर्ष पहले हुआ, अब तक ये लोग कहां सोते रहे ? जब जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया, तब गड़े मुर्दे उखाड़ने आ गये। अब तक यह कहां थे, यह कहां लिखा गया, कब लिखा गया, उत्तर प्रदेश को इससे क्या मतलब मान्यवर, और जब इस स्थिति में जनता ने इनको पूरी तरह नकार दिया, तब ये गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे हैं।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब देखा जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम बताते हैं, कब लिखा गया ?

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब देखेंगे चलिए, सब लोग राम भक्त हैं। नत्थी-क, मा0 ऊर्जा मंत्री जी, मा0 सतीश महाना जी।

(श्री अम्बिका चौधरी के खड़े हो जाने पर)

श्री लालजी वर्मा-

आपकी सूचना कहां है ?

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना जब आयेगी, तब आपकी भी देखेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, सम्पूर्ण विपक्ष ने एक राय होकर बात उठाई है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी जी, आपकी इस पर कोई सूचना नहीं है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारी सूचना नहीं है लेकिन जिस विषय पर मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बात रखी है, मा0 ओम प्रकाश जी ने और मा0 प्रमोद तिवारी जी ने अपनी बात रखी है, सम्पूर्ण विपक्ष का यह मत है.. (व्यवधान)

(नेता प्रतिपक्ष के खड़े होने पर)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष, मैंने कहा कि जब नियम-56 में आयेगा, तब लिया जायेगा, उसको सुना जायेगा।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह कैसी बात है, क्यों नहीं सुना जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

हम 56 में देखेंगे। चलिए,

प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष-

अब आगे चलिए, नत्थी 'क' मा0 ऊर्जा मंत्री जी।

(मा0 ऊर्जा मंत्री ने उत्तर पढ़ना शुरू किया जिस पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में अनियमित विद्युत आपूर्ति के निराकरण हेतु विद्युत उत्पादन बढ़ाने की नई योजना

**1-श्री सतीश महाना-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में हो रही अनियमित विद्युत आपूर्ति के निराकरण हेतु क्या सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन बढ़ाने की कोई नई योजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा एवं ग्रामीण समग्र विकास मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

जी हां।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी एवं स्थापित क्षमता से उत्पादन में गुणात्मक सुधार लाने हेतु कई योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इनमें मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं :-

(क) नई उत्पादन इकाइयां लगाकर विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रयास :-

(1) 2x210 मे0वा0 पारीछा तापीय विद्युत परियोजना

इस परियोजना के अन्तर्गत 210 मे0 वा0 की दो इकाइयां स्थापित की जा रही हैं। इनमें से 210 मे0वा0 की एक इकाई दिनांक 24 नवम्बर, 2006 को कामर्शियल भार पर आ चुकी है। इसकी दूसरी इकाई दिसम्बर, 2006 में सिन्कोनाइज की जा चुकी है तथा ट्रायल पर चल रही है।

(2) 2x250 मे0वा0 पारीछा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाईन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्शन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्य हेतु बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परियोजना की जीरो डेट दिनांक 04-08-06 है। लेटर आफ एक्सप्टेन्स के अनुसार प्रथम इकाई जुलाई, 2009 में पूर्ण की जानी है तथा द्वितीय इकाई नवम्बर, 2009 में पूर्ण की जानी है।

नोट :-उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

मे0बी0एच0ई0एल0 द्वारा यूनिट संख्या-5 की नींव हेतु पाइलिंग कार्य प्रगति पर है। बैलेन्स आफ प्लान्ट का कार्य खुली निविदाओं के आधार पर मेसर्स रिलायन्स इनर्जी लि0 को दिनांक 29-01-07 को आवन्टित किया जा चुका है एवं चिमनी का कार्य दिनांक 1-06-07 को मेसर्स एन0बी0सी0सी0 को एवार्ड किया जा चुका है जबकि स्विच यार्ड के कार्य को एवार्ड किये जाने हेतु प्रक्रिया प्रगति पर है।

(3) 2x250 मे0वा0 हरदुआगंज विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर टरबाइन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्शन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्य हेतु बी0एच0ई0एल0 को आदेश निर्गत किया जा चुका है। इस परियोजना की जीरो डेट दिनांक 07-09-06 है तथा पहली इकाई एवं दूसरी इकाई को क्रमशः दिनांक 06 अक्टूबर, 2008 तथा दिनांक 06 फरवरी, 2010 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। चिमनी का कार्य दिनांक 01-06-07 को मेसर्स एन0बी0बी0सी0 को एवार्ड किया जा चुका है। शेष कार्य हेतु प्रक्रिया प्रगति में है।

(4) 2x500 मे0वा0 अनपरा 'डी' तापीय विद्युत परियोजना

इस परियोजना के लिए उ0प्र0रा0वि0 उत्पादन निगम लि0 की अनपरा परियोजना से सटकर भूमि उपलब्ध है तथा यह निगम के अधिग्रहण में है। इस परियोजना की स्थापना हेतु ब्वायलर, टरबाईन एवं जनरेटर की आपूर्ति इरेक्शन, टेस्टिंग एवं कमीशनिंग तथा सम्बन्धित सिविल कार्य हेतु मेसर्स बी0एच0ई0एल0 से प्राप्त कामर्शियल आफर पर निगोशिएशन के उपरान्त इस कार्य हेतु रु0 3390.00 करोड़ के मूल्य पर (कर तथा ड्यूटी सहित) पर सहमति हो चुकी है। परियोजना हेतु उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्राप्त हो जाने के उपरान्त पर्यावरणीय क्लीयरेन्स के लिए एम0ओ0ई0एफ0, भारत सरकार के समक्ष दिनांक 13-06-07 को केस का प्रस्तुतीकरण किया जा चुका है तथा वांछित क्लीयरेन्स शीघ्र प्राप्त होने की आशा है।

(5) 2x500 मे0वा0 ओबरा विस्तार तापीय विद्युत परियोजना

इस प्रस्तावित परियोजना हेतु भूमि क्लीयरेन्स हेतु आवश्यक कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है। परियोजना हेतु डी0पी0आर0 बनाने का कार्य बी0एच0ई0एल0 द्वारा करवाया जा रहा है। कोयला एवं खनन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा छेदीपाडा कोल ब्लाक का आवंटन कर दिया गया है।

(ख) ताप विद्युत गृहों की रिफर्बिशमेन्ट एवं आर0 एण्ड एम0 योजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन क्षमता में वृद्धि के प्रयास :-

1-ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की 5x50 मे0वा0 इकाइयों की रिफर्बिशमेन्ट योजना

इस कार्य हेतु मे0 टेक्नोपाम एक्सपोर्ट (टी0पी0ई0) रूस द्वारा इकाई संख्या-1 व 2 का रिफर्बिशमेन्ट कार्य किया जा रहा है। इकाई संख्या-2 दिनांक 09-08-07 को सिन्कोनाइज की जा चुकी है। इकाई संख्या-2 की कमीशनिंग शीघ्र हो जाने की आशा है एवं इकाई संख्या-1 भी शीघ्र ही चालू होने की आशा है। इकाई संख्या-1 व 2 चालू होने से 100 मे0वा0 की अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता प्राप्त हो सकेगी।

2-ओबरा 'ब' ताप विद्युत गृह की 5x200 मे0वा0 इकाइयों की रिफर्बिशमेन्ट योजना

रु0 1835.00 करोड़ की लागत वाली रिफर्बिशमेन्ट योजना के अन्तर्गत 5x200 मे0वा0 अधिष्ठापित क्षमता की जीर्ण इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट कार्य को मे0 बी0एच0ई0एल0 द्वारा कराया जाना है। मे0 एन0टी0पी0सी0 को रिफर्बिशमेंन्ट कार्यों के निरीक्षण हेतु कन्सलटेन्ट नियुक्त किया गया है। योजना की जीरो डेट दिनांक 20-06-06 से योजना का कार्य 30 माह में पूर्ण होना है एवं योजना पूर्ण होने के पश्चात इकाईयों का औसत पी0एल0एफ0 80 प्रतिशत हो जाने की आशा है।

आर0 एण्ड एम0 (नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण) योजनाएं

1-हरदुआगंज ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-5 (60 मे0वा0) एवं 7 (110 मे0वा0) पर ए0जी0 एण्ड एस0पी0 (एक्सीलिरेटेड जनरेशन एण्ड सप्लाई प्रोग्राम) के अन्तर्गत रु0 55.34 करोड़ की लागत वाली आर0एण्ड एम0 स्कीम का कार्य प्रगति पर है। इस स्कीम के अन्तर्गत इकाई संख्या-7 पर कार्य पूर्ण करके इसे चालू कर लिया गया है तथा इकाई संख्या-5 के दिनांक 31-12-07 तक चालू हो जाने की आशा है।

2-अनपरा 'अ' ताप विद्युत गृह की 3x210 मे0वा0 इकाईयों हेतु नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण की द्वितीय योजना का क्रियान्वयन प्रगति पर है। योजना का कार्य दिनांक 31-3-2008 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा इसके पूर्ण होने पर इकाई का पी0एल0एफ0 79 प्रतिशत स्तर पर बनाये रखने की आशा है।

3-ओबरा 'अ' ताप विद्युत गृह की इकाई संख्या-6 (100 मे0वा0) के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु रुपया 52.47 करोड़ लागत की आर0एण्ड एम0 स्कीम के क्रियान्वयन के अन्तर्गत मे0 पी0एफ0सी0 द्वारा रु0 42 करोड़ का ऋण स्वीकृत हो गया है। पी0एफ0सी0 से ऋण अनुबन्ध हो चुका है। यह कार्य दिनांक 31-12-07 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है। स्कीम पूर्ण होने पर इकाई का पी0एल0एफ0 35 प्रतिशत से बढ़कर 80 प्रतिशत होने की आशा है। स्कीम का क्रियान्वयन प्रगति पर है।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से सम्बन्धित

निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न प्रमुख परियोजनाएं निम्नवत् हैं :-

(अ) तापीय एवं जल विद्युत परियोजनाएं

क्र0सं0	परियोजना का नाम	विकासकर्ता का नाम	क्षमता (मे0वा0 में)
1	श्रीनगर जल विद्युत परियोजना	मेसर्स अलकनन्दा हाइड्रो पावर कं0	330 मे0वा0 (4x82.5 मे0वा0)
2	विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना	मेसर्स जयप्रकाश पावर बैन्चर्स लि0	400 मे0वा0 (4x100 मे0वा0)
3	रोजा ताप विद्युत परियोजना	मेसर्स रोजा पावर सप्लाई कं0	600 मे0वा0 (2x300 मे0वा0)

(ब) प्रतिस्पर्धात्मक बीडिंग के आधार पर ऊर्जा क्रय हेतु निजी क्षेत्र में लगने वाली विभिन्न तापीय परियोजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

अनपरा 'सी' तापीय विद्युत परियोजना (2x500 मे0वा0) (निजी क्षेत्र में)

1-इस परियोजना हेतु निजी क्षेत्र के निवेशक मे0 लेन्को कोन्डा पल्ली, पावर प्रा0लि0 का चयन लेवलाइज टेरिफ पर आधारित विडिंग के अनुसार किया गया है। जून, 2007 में लैंड लीज संपादित की जा चुकी है। यूनिट संख्या-1 तथा यूनिट संख्या-2 की प्रस्तावित कामर्शियल आपरेशन डेट क्रमशः मार्च, 2011 तथा सितम्बर, 2011 है।

2-बारा (इलाहाबाद तापीय विद्युत परियोजना)	1980 मे0वा0 (3x660 मे0वा0)
3-करछना (इलाहाबाद) तापीय विद्युत परियोजना	1320 मे0वा0 (2x660 मे0वा0)

(स) एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम

एन0टी0पी0सी0 के साथ संयुक्त उपक्रम में 2x660 मे0 वा0 की तापीय विद्युत परियोजना मेजा, जिला इलाहाबाद में प्रस्तावित है। इसके लिये एन0टी0पी0सी0 द्वारा ड्राफ्ट एम0ओ0यू0 भेजा गया था, जिसे परीक्षणोपरान्त संशोधन हेतु एन0टी0पी0सी0 को भेज दिया गया है।

(द) सहउत्पादन परियोजनाएं

कुल अनुबन्धित क्षमता	924.66 मे0वा0
चालू इकाईयां	404.36 मे0वा0
निर्माणाधीन	520.30 मे0वा0

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सभी विषयों में समान शिक्षा शुल्क का निर्धारण करने की मांग

**2-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के विश्वविद्यालयों में सभी विषयों में समान शिक्षा शुल्क निर्धारित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेशधर त्रिपाठी)-

जी हां, प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शुल्क ढांचें, शुल्क निर्धारण एवं शुल्क में वृद्धि आदि के सम्बन्ध में एकरूपता स्थापित करने के उद्देश्य से एक उच्च स्तरीय समिति गठित किये जाने के आदेश उच्च शिक्षा अनुभाग-4 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1848/70-4-2007-64 ए0 क्यू0 (3)/2007, दिनांक 10-9-2007 द्वारा जारी किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शामली स्थित गांव सिम्भालका में स्वच्छ जल की आपूर्ति किये जाने की मांग

*1-श्री हुकुम सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शामली में स्थित सिम्भालका में हैण्डपम्पों से निकलने वाला जल दूषित हो चुका है, जिसके कारण कैंसर का रोग महामारी की तरह फैल रहा है तथा एक दर्जन से अधिक लोग लीवर कैंसर के कारण मर चुके हैं ? यदि हां, तो क्या प्रदूषित जल की आपूर्ति रोककर सरकार स्वच्छ जल आपूर्ति करने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री दद्दू प्रसाद)-

जनपद-मुजफ्फरनगर के विकास खण्ड शामली में स्थित ग्राम ताजपुर सिम्भालका में अधिष्ठापित 81 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों में से 06 हैण्डपम्प के जल में रासायनिक अशुद्धि (नाइट्रेट) की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक है।

मुख्य चिकित्साधिकारी, मुजफ्फरनगर की आख्या के अनुसार ग्राम सिम्भालका में चिकित्सीय अभिलेखों के अनुसार यद्यपि तीन रोगियों की कैंसर से मृत्यु हुई है तथा वर्तमान में दो रोगी कैंसर से पीड़ित हैं, किन्तु रोग का सुनिश्चित कारण अज्ञात है।

जी हां। जिन हैण्डपम्पों के जल में रासायनिक अशुद्धि (नाइट्रेट) की मात्रा अधिक पाई गई उसे बन्द कर दिया गया है।

प्रश्नगत ग्राम में पाइप पेयजल योजना से स्वच्छ पेयजल आपूर्ति करने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

भारत सरकार द्वारा निर्धारित 40 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अर्थात 250 आबादी पर एक हैण्डपम्प के मानक के अनुसार आवश्यक 27 हैण्डपम्पों के सापेक्ष प्रश्नगत ग्राम में 75 हैण्डपम्पों से मानक के अनुसार पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध है।

प्रश्न नहीं उठता।

तारांकित प्रश्न

*1-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[कई विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद वाराणसी नगर निगम में ठेकेदारों द्वारा कराये जाने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण पर विचार

*2-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आगणन दर से 30-35 प्रतिशत कम दर पर ठेका प्राप्त करने वाले ठेकेदारों द्वारा वाराणसी नगर निगम में कराये जाने वाले विकास कार्यों में गुणवत्ता और मानक की घोर अनदेखी की जा रही है ? क्या सरकार गुणवत्ता नियंत्रण एवं निविदा दाताओं पर नियंत्रण हेतु नियमों में परिवर्तन करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री नकुल दुबे)-

नगर निगम, वाराणसी में सिविल कार्य हेतु 30-35 प्रतिशत न्यूनतम दर पर कुछ कार्यों की निविदाएं प्राप्त हुई हैं परन्तु कार्यों की गुणवत्ता और मानक की घोर अनदेखी नहीं की गयी है।

जी हां, सम्प्रति गुणवत्ता नियंत्रण एवं निविदा दाताओं पर नियंत्रण हेतु शासनादेश दिनांक 26 फरवरी, 2007 द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु कड़े निर्देश जारी किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग

*3-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विगत एक माह (13 मई, 2007 से 13 जून, 2007) के अन्तर्गत हत्या, लूट, बलात्कार, चेन स्नेचिंग तथा चोरी की कितनी घटनायें घटी हैं ? सरकार अपराधों की रोकथाम के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (कु0 मायावती)-

समस्त पुलिस महानिदेशक जोन एवं राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 13 मई से 13 जून, 2007 तक की अवधि में प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार, चेन स्नेचिंग तथा चोरी की घटनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

हत्या	462
लूट	163
बलात्कार	137
चेन स्नेचिंग	81
चोरी	1865

अपराधों की रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही की गयी है, इस सम्बन्ध में समय-समय पर शासन, पुलिस महानिदेशक तथा अपर पुलिस महानिदेशक (अपराध एवं कानून व्यवस्था) की ओर से सम्बन्धित अधिकारियों को अपराधों की रोकथाम एवं प्रभावी नियंत्रण हेतु दिशा-निर्देश एवं आदेश, निर्देश निर्गत किये जाते हैं तथा प्रत्येक स्तर पर समीक्षा करके अनुश्रवण की भी कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों के लिये चार वर्ष की विनियमित सेवा पर अनुमन्य वेतनमान की शर्तों में से चार वर्ष की सेवा तथा विनियमितीकरण के प्रतिबन्धों को हटाया जाना

*4-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों का वेतनमान रुपये 6500-10500 उच्चीकृत किये जाने के फलस्वरूप सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों और समीक्षा अधिकारियों के वेतनमान एक समान हो गये हैं और विसंगति उत्पन्न हो गयी है तथा अनुभाग अधिकारियों में असन्तोष व्याप्त है ? यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या मुख्य मंत्री जी अनुभाग अधिकारियो के लिए चार वर्ष की विनियमित सेवा पर अनुमन्य रुपये 8000-13500 के वेतनमान की स्वीकृति की शर्तों में से चार वर्ष की सेवा तथा विनियमितीकरण के प्रतिबन्धों को हटाने की कृपा करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी के पदों के वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय के क्रमशः अनुभाग अधिकारी व सहायक के पद से स्थापित समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये हैं। केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारी व सहायक के पद के वेतनमान रु0-6,500-10,500 निर्धारित है। तद्नुसार उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारी व समीक्षा अधिकारी के पदों पर रु0-6,500-10,500 का वेतनमान अनुमन्य है।

उ0 प्र0 सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों को 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा पूर्ण कर लेने पर रु0-8,000-13,500 का नान फंक्शनल वेतनमान केन्द्रीय सचिवालय के अनुभाग अधिकारियों की समकक्षता के आधार पर अनुमन्य किया गया है। चूंकि केन्द्रीय सचिवालय में अनुभाग अधिकारियों को नान फंक्शनल वेतनमान की अनुमन्यता के लिए 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा की शर्त लागू है अतः उ0 प्र0 सचिवालय में नान फंक्शनल वेतनमान की अनुमन्यता हेतु निर्धारित 04 वर्ष की नियमित संतोषजनक सेवा की शर्त को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

प्रदेश में निजी मेडिकल/डेन्टल कालेजों में शिक्षा के उच्च स्तर को निर्धारित करने हेतु मानक का निर्धारण किया जाना

*5-श्री हुकुम सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में निजी मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों में शिक्षा के उच्च स्तर को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो वे मानक क्या हैं ? क्या प्रदेश में स्थापित सभी मेडिकल एवं डेन्टल कालेज सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का पालन कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो पालन न करने वाले ऐसे संस्थानों के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

संसदीय कार्य, चिकित्सा शिक्षा एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

जी नहीं। प्रदेश में निजी मेडिकल/डेन्टल कालेजों में शिक्षा के उच्च स्तर को स्थापित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित नहीं किये गये हैं, अपितु इस सम्बन्ध में मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया/डेन्टल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा मानक निर्धारित किये गये हैं।

उक्त मानक मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया तथा डेन्टल काउंसिल आफ इण्डिया के निम्नांकित रेग्युलेशन्स में विहित किये गये हैं :-

1-मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया अण्डरग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेग्युलेशन-1997

2-मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेग्युलेशन-2000

3-डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया बी0डी0एस0 रेग्युलेशन-1983

4-डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया एम0डी0एस0 रेग्युलेशन-1983

निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व डेन्टल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा प्रत्येक वर्ष मेडिकल/डेन्टल कालेजों का निरीक्षण कराया जाता है तथा उनके द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के उपरान्त ही पाठ्यक्रम संचालित करने तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है।

निर्धारित मानकों के अनुपालन हेतु मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया व डेण्टल काउंसिल आफ इण्डिया द्वारा प्रत्येक वर्ष मेडिकल/डेन्टल कालेजों का निरीक्षण कराया जाता है तथा उनके द्वारा निर्धारित मानकों की पूर्ति के उपरान्त ही पाठ्यक्रम संचालित करने तथा पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। निर्धारित मानकों का अनुपालन न करने वाले मेडिकल/डेन्टल कालेजों के खिलाफ यथोचित कार्यवाही मेडिकल कांउसिल आफ इण्डिया व डेन्टल काउंसिल आफ इण्डिया तथा भारत सरकार द्वारा की जाती है।

उ0 प्र0 पुलिस की कार्य-प्रणाली में प्रस्तावित परिवर्तन की जानकारी

*6-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस की कार्य प्रणाली में पूर्णरूपेण परिवर्तन करने की कोई कार्य योजना है ? यदि हां, तो वर्तमान समय में किन-किन बिन्दुओं पर परिवर्तन होना प्रस्तावित है ? क्या मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस पर अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

कु0 मायावती-

जी नहीं। उ0 प्र0 पुलिस व्यवस्था के विविध पहलुओं का अध्ययन कर उसमें सुधार के सुझाव देने हेतु उ0 प्र0 राज्य पुलिस सुधार आयोग का गठन किया गया है।

उ0 प्र0 राज्य पुलिस सुधार आयोग का कार्यकाल दिनांक 31-12-2007 तक निर्धारित है।

थाने में कार्यरत चौकीदारों का पारिश्रमिक बढ़ाये जाने की मांग

*7-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि न्यूनतम मजदूरी बढ़ने के बाद सरकार थाने में कार्यरत चौकीदारों का मानदेय भी बढ़ाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश संख्या-3063पी/छः-पु-6-06-1860/81, दिनांक 5 जनवरी, 2007 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त ग्राम चौकीदारों के पारिश्रमिक को रु0 500/-से बढ़ाकर रु0 1000/-प्रति माह किये जाने सम्बन्धी आदेश पूर्व में ही जारी किये जा चुके हैं।

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर के उचित उपयोग हेतु कार्यान्वित योजनाओं की जानकारी

*8-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गिरते हुए भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए जल के उचित उपयोग हेतु सरकार द्वारा कोई योजना बनाई गयी है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश में गिरते भू-जल स्तर को ध्यान में रखते हुए जल के उचित उपयोग हेतु कार्यान्वित की जा रही पेयजल योजनाओं में निम्न व्यवस्था की गयी है :-

(1) भूजल स्रोत के स्थान पर सतही जल स्रोत का प्राथमिकता पर उपयोग करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

(2) पेयजल आपूर्ति की मानक दर (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) में कमी लायी गयी है।

(3) प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में गहरे नलकूप पर आधारित पाइप पेयजल योजनाओं के सापेक्ष इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों की स्थापना को प्राथमिकता दी जा रही है जिससे भूजल का न्यूनतम उपयोग होता है एवं दुरुपयोग की सम्भावना भी क्षीण होती हैं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

उ0 प्र0 पुलिस उप निरीक्षक पद पर भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात पुनः परीक्षा कराये जाने की मांग

*9-श्री उदयभान करवरिया-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 पुलिस उप निरीक्षक पद पर भर्ती हेतु 2001 की परीक्षा की चयन प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पुनः मुख्य परीक्षा कराने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

कु0 मायावती-

उप निरीक्षक पद की भर्ती हेतु वर्ष 2001 में प्रारम्भ की गयी परीक्षा की चयन प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है।

चयन प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के पश्चात् पुनः परीक्षा कराने का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गोरखपुर महानगर में बम विस्फोटों की जांच

*10-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 22 मई, 2007 को गोरखपुर महानगर में हुये बम विस्फोट की जांच कराई गयी ? यदि हां, तो उक्त जांच के परिणाम क्या हैं ?

कु0 मायावती-

जी हां।

दिनांक 22 मई, 2007 को जनपद गोरखपुर के गोलघर बाजार में तीन बम विस्फोट हुए जिसमें अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पेयजल समस्या के समाधान व पानी में फ्लोराइड की मात्रा नियंत्रित किये जाने की योजना

*11-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पेयजल समस्या के समाधान तथा पानी में फ्लोराइड की मात्रा नियंत्रित करने के लिये कोई योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रतापगढ़ जनपद के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पेयजल समस्या के समाधान हेतु योजना प्रस्तावित है।

उक्त क्षेत्र के पानी में फ्लोराइड की मात्रा मानक के अनुसार निर्धारित मात्रा से अधिक न पाये जाने के कारण वर्तमान में फ्लोराइड नियंत्रित करने की कोई योजना प्रस्तावित नहीं है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-08 में प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के असेवित बस्तियों में हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन तथा गुणता प्रभावित बस्तियों में पाइप पेयजल की व्यवस्था किया जाएगा।

प्रश्न नहीं उठता।

आयुर्वेद के विकास की कार्य योजना

*12-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आयुर्वेद के विकास की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

पृथक से कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी है। पूर्व से चली आ रही विभाग की योजनाओं से आयुर्वेद का विकास किया जा रहा है।

पृथक से कोई कार्य योजना बनाने की आवश्यकता महसूस नहीं की गयी।

गंगा नदी के जल के प्रदूषण को रोकने के लिये प्रभावी उपाय

*13-श्री संजीव दरियाबादी तथा चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंगा नदी के जल के प्रदूषण को रोकने के लिये सरकार क्या प्रभावी उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। गंगा नदी जल प्रदूषण के दो प्रमुख स्रोत हैं। प्रथम औद्योगिक व दूसरा घरेलू जल, मल। उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम हेतु उद्योगों की निरन्तर मॉनीटरिंग करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाती है तथा बोर्ड द्वारा गंगा नदी की जल गुणता के अनुश्रवण का कार्य प्रतिमाह 13 बिन्दुओं पर नियमित रूप से किया जाता है।

घरेलू जल मल के शुद्धीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को प्रदूषण से बचाने के लिए गंगा एक्शन प्लान के तहत कार्यवाही की जाती है। प्रदेश स्तर पर बनाई गई कार्य योजना का क्रियान्वयन नगर विकास विभाग द्वारा उ0 प्र0 जल निगम के माध्यम से कराया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुन्देलखण्ड अंचल में वर्षा न होने के कारण ग्रामीणों के पलायन को रोकने हेतु कार्य योजना

*14-श्री दीप नारायण सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि बुन्देलखण्ड अंचल में विगत चार वर्षों से वर्षा नहीं हुई है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि रोजगार की तलाश में बहुत बड़ी संख्या में ग्रामीणों का पलायन महानगरों की ओर हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस पलायन को रोकने के लिए कोई कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रश्न विस्तीर्ण है। सूचना एकत्र की जा रही है।

प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी व्यक्तियों को इन्दिरा आवास दिये जाने की मांग

*15-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी व्यक्तियों को इन्दिरा आवास देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

इन्दिरा आवास योजना भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है, जिसका क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निदेर्शों के अनुसार किया जाता है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवास विहीन परिवारों को स्थायी पात्रता सूची से इन्दिरा आवास देने की व्यवस्था हैं तद्नुसार योजना में उपलब्ध बजट के सापेक्ष आवास उपलब्ध कराये जाते हैं।

जनपद जौनपुर में गोमती और सई नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने हेतु योजना

*16-श्री जावेद अंसारी-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-जौनपुर में गोमती नदी तथा सई नदी का पानी काला, विषाक्त होने के कारण वन्य जीव तथा पशु मर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गोमती और सई नदियों के जल को प्रदूषित होने से बचाने की कोई योजना बनायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

सई नदी जनपद-जौनपुर के राजेपुर त्रिमुहानी पर गोमती नदी में मिलती है। गोमती एवं सई नदी की मानीटरिंग, क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी स्तर से दिनांक 15-10-2007 को की गयी। गोमती नदी के जल में अपस्ट्रीम व डाउन स्ट्रीम में घुलित आक्सीजन की मात्रा 8.7 मि0ग्रा0/ली0 व 8.3 मि0ग्रा0/ली0 बी0ओ0डी0 की मात्रा 3.7 व 4.2 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी तथा सई नदी के जल में घुलित आक्सीजन एवं बी0ओ0डी0 8.0 मि0ग्रा0/ली0 व 3.8 मि0ग्रा0/ली0 पायी गयी जो सिंचाई के प्रयोग एवं वन्य जीवों हेतु उपयुक्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में मंदाकिनी नदी में सीवर का प्रदूषित पानी गिरने से मंदाकिनी नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने की योजना

*17-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चित्रकूट मंदाकिनी नदी में सीवर का प्रदूषित पानी गिरने से मंदाकिनी नदी में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है ? क्या यह सत्य है कि जल निगम की 16वीं शाखा को 40 लाख रुपया मंदाकिनी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अवमुक्त किया गया था ? परन्तु अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

मंदाकिनी नदी के रामघाट स्थित नाले को वर्ष 1986 में ही नाले पर वियर तथा सम्पवैल बनाकर टेपिंग कर दी गयी थी। नदी में बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए वर्ष 1997-98 में उ0 प्र0 जल निगम को क्रमशः रु0 40.22 लाख, रु0 40.22 लाख, रु0 15.90 लाख, कुल रु0 96.34 लाख चित्रकूट सीवरेज योजना हेतु अवमुक्त की जा चुकी है तथा धनराशि उक्त योजना में व्यय की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव में प्रमुख आवासीय योजना प्रियदर्शिनी नगर में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की मांग

*18-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव में प्रमुख आवासीय योजना प्रियदर्शिनी नगर में उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण द्वारा शुद्ध पेयजल हेतु करोड़ों रुपये से निर्मित की गयी पानी की टंकी का हस्तान्तरण विगत वर्ष नगर पालिका उन्नाव को हुआ था ? यदि हां, तो उक्त टंकी का संचालन प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं।

पानी की टंकी को भरने हेतु लगे नलकूपों से राइजिंग मेन लाइन का सिस्टम सही न होने एवं दो नलकूपों पर विद्युत सप्लाई न होने के कारण पानी की टंकी नहीं भर पाती है। पेयजल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये पालिका परिषद् उन्नाव द्वारा एक नलकूप से सीधे पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रदेश में वैट व्यवस्था लागू किये जाने की योजना

*19-श्री अनूप कुमार गुप्ता-

क्या कर एवं निबन्धन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के व्यापारियों पर सरकार द्वारा वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) लागू किये जाने की कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसे कब से लागू किया जायेगा ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, प्रदेश में वैट (वैल्यू ऐडेड टैक्स) व्यवस्था लागू किया जाना विचाराधीन है।

यह व्यवस्था दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 से लागू किया जाना सम्भावित है।

प्रदेश के महानगरों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु बनायी गयी कार्य योजना

*20-श्री राम विशुन आजाद-

क्या पर्यावरण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के महानगरों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु सरकार ने कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रदेश के महानगरों में वाहनों से जनित प्रदूषण की रोकथाम हेतु एक कार्य योजना बनाई गई है, जिसके प्रमुख बिन्दु क्रमशः सी0एन0जी0 ईंधन पर आधारित वाहनों का संचालन, लो सल्फर डीजल/पेट्रोल की आपूति, 2-टी आयल की खुली बिक्री पर प्रतिबन्ध, आटोमेटिक सिग्नलिंग व्यवस्था, पुराने व्यावसायिक वाहनों के शहर सीमा में संचालित होने पर रोक लगाया जाना, सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण एवं फ्लाई ओवर इत्यादि का निर्माण कराया जाना प्रमुख है।

प्रदेश के महानगरों लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में कार्य योजना के अनुरूप कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी है। लखनऊ, कानपुर तथा आगरा में अप्रैल, 2006 से सी0एन0जी0 गैस की आपूर्ति प्रारम्भ हो चुकी है तथा आटो एवं फोर व्हीलर छोटे वाहनों में सी0एन0जी0 गैस भरने की सुविधा उपलब्ध हैं पब्लिक ट्रान्सपोटेशन व्यवस्था के अन्तर्गत इन शहरों में सी0एन0जी0 बसों का संचालन भी प्रारम्भ हो चुका है।

कार्य योजना के अन्तर्गत इन शहरों में भारत स्टेज-2 एवं 3 मानकों के अनुरूप वाहनों का संचालन अनुमन्य किया गया है एवं लो सल्फर ईंधन की आपूर्ति की जा रही है। शहर के सभी प्रमुख आउटलेट्स पर प्रिमिक्स टू-टी आयल की आपूर्ति की जा रही है। परिवहन विभाग द्वारा पी0यू0सी0 प्रमाण-पत्र प्रक्रिया को अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त शहरी क्षेत्र में संचालित व्यवसायिक वाहनों जैसे बस, टैम्पो आदि की अधिकतम अनुमन्य सीमा परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित की गई है।

राज्य बोर्ड द्वारा लखनऊ एवं कानपुर शहर में 5 स्थलों पर तथा आगरा शहर में दो स्थलों पर परिवेशीय वायु गुणता का अनुश्रवण किया जाता है। जिसके अन्तर्गत एस0पी0एम0, आर0एस0पी0एम0, सल्फर डाई आक्साइड का मापन किया जाता है। वर्ष 2006 एवं 2007 के परिणामों के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया कि लखनऊ शहर की परिवेशीय वायु गुणता में एस0पी0एम0, की मात्रा लगभग 3.00 से 10 प्रतिशत का सुधार पाया गया है जबकि आर0एस0पी0एम0 की मात्रा में अधिकतम 19 प्रतिशत का सुधार आया है। सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा में लगभग 9.0 से 54 प्रतिशत का सुधार आया है।

वर्ष 2006 एवं 2007 के परिणामों के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है कि कानपुर शहर की परिवेशीय वायु गुणता में एस0पी0एम0 की मात्रा में लगभग 2 से 20 प्रतिशत का सुधार पाया गया है जबकि सल्फर डाई आक्साइड की मात्रा में अधिकतम 5.8 प्रतिशत का सुधार आया है।

वर्ष 2006 एवं 2007 के परिणामों के तुलनात्मक अध्ययन में पाया गया है कि आगरा शहर की परिवेशीय वायु गुणता में एस0पी0एम0 की मात्रा में लगभग 3 प्रतिशत का सुधार आया है जबकि आर0एस0पी0एम0 में अधिकतम 12.5 प्रतिशत का सुधार आया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में नव निर्मित सड़कों पर व्यय की गयी धनराशि एवं पुरानी सड़कों से निकाले गये पत्थरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का विवरण

1-श्री प्रदीप जैन ''आदित्य''-

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2005-06, 2006-07 में कितनी सड़कों का नव निर्माण किया गया उस पर कितनी धनराशि खर्च की गयी और पुरानी सड़कों से निकाले गये पत्थरों की बिक्री से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है ? उसका विवरण क्या है ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश के नगर निगम क्षेत्र में वर्ष 2005-06, 2006-07 में नव निर्मित सड़कों, उस पर व्यय की गयी धनराशि एवं पुरानी सड़कों से निकाले गये पत्थरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि का निगम वार विवरण† संलग्न है।

(देखिये नत्थी "क" आगे पृष्ठ 265 पर)

उ0प्र0 राज्य सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त एवं स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां

2-श्री आर0 पी0 एन0 सिंह-

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश राज्य सचिवालय में 2005-06 में चतुर्थ श्रेणी के रिक्त एवं स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां की गई हैं ? क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि उन नियुक्तियों में अन्य आरक्षित जातियों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

रिक्त एवं स्वीकृत पदों से अधिक नियुक्तियां नहीं की गयी हैं।

चयन में की गयी नियुक्तियों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 तथा उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत की गयी व्यवस्थानुसार सभी आरक्षित श्रेणियों को नियमानुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

[3सरे शुक्रवार के अ0ता0प्र0सं0-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

4-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

[2सरे बुधवार के अ0ता0प्र0सं0-100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

दलित उत्पीड़न के विरुद्ध सरकार की नीति

5-श्री सुरेश खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दलित उत्पीड़न के विरुद्ध कारगर कार्यवाही के लिए सरकार की क्या नीति है ? क्या सरकार बतायेगी कि उन्नाव जिले के थाना मौरावां ग्राम करदहा के दलित श्री नरेश पासी को दिनांक 6 जून, 2007 को सपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने मारा पीटा था ? क्या यह सही है कि श्री राम नरेश पासी ने पुलिस अधीक्षक उन्नाव से माह जून, 2007 में मिलकर, मारपीट की मेडिकल रिपोर्ट सहित मुकदमा लिखाने का अनुरोध किया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

कु0 मायावती-

दलित उत्पीड़न के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का नियमानुसार एसटी/एससी ऐक्ट के प्राविधानों एवं संगत नियमों के अनुसार कार्यवाही तत्परता से करायी जाती है।

श्री राम नरेश पासी के प्रार्थना-पत्र के आधार पर मु0अ0सं0-810/07 पंजीकृत किया गया था। कार्यकर्ताओं द्वारा उसे मारा गया या नहीं अभी यह विवेचना का विषय है।

जी हां।

प्रकरण में श्री रामनरेश के प्रार्थना पत्र पर थाना मौरावां जनपद उन्नाव में मु0अ0सं0-810/07 धारा-323/504/506 भा0दं0वि0 व 3(1) 10 एस सी/एसटी एक्ट बनाम पिन्टू व प्रांजुल मिश्रा निवासी करदहा थाना-मौरावां पंजीकृत किया गया है।

जिला उन्नाव में औरास थाने में निर्दोष दलित गोलू को तेजाब पिलाने की मैजिस्ट्रेटी जांच में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही किये जाने की मांग

6-श्री सुरेश खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के औरास थाने में निर्दोष दलित गोलू को पुलिस हिरासत में पुलिस द्वारा तेजाब पिलाने की घटना की मैजिस्ट्रेटी जांच कार्यवाही गयी है ? यदि हां, तो मैजिस्ट्रेटी जांच और क्षेत्राधिकारी की जांच में क्या अन्तर पाया गया है तथा पीड़ित घरवालों के आरोप क्या हैं ? क्या उसके दोषी पुलिस जनों व जांच में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

मैजिस्टीरियल जांच व क्षेत्राधिकारी की जांचों में थाना-औरास की पुलिस द्वारा गुल्ली को तेजाब पिलाने का आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है न ही जांच के दौरान गुल्ली पर उसके घर वालों द्वारा तेजाब पिलाने का आरोप लगाया गया है।

पुलिसजन द्वारा जांच में कोई हेराफेरी नहीं की गयी है परन्तु गुल्ली उर्फ मनीराम को पूछतांछ के उपरान्त उसके परिवारजन को थानाध्यक्ष बृजेश कुमार पाण्डेय उपनि0 सुरेश चन्द्र व कांस्टेबिल चिन्तामणि को निलम्बित किया गया तथा विभागीय कार्यवाही करते हुए थानाध्यक्ष को दोषी पाया गया एवं उपनिरीक्षक सुरेश चन्द्र को 10 दिन के एवं कां0 चिन्तामणि शुक्ला को 7 दिन के वेतन के बराबर के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जिला उन्नाव की पुरवा कोतवाली से 300 मीटर दूर हुई दलित महिला की हत्या के प्रकरण पर दिये गये धरने की जांच

7-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले की पुरवा कोतवाली से 300 मीटर दूर हुई दलित महिला की हत्या प्रकरण पर भाजपा ने दिनांक 16 जून, 2007 को पुरवा तहसील केन्द्र पर धरना और आन्दोलन किया था ? यदि हां, तो धरने में दिए गए मांग-पत्र के मुख्य बिन्दु क्या थे ? क्या मांग पत्र के बिन्दुओं की जांच कराकर कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

प्रश्नगत धरना दिनांक 14-6-07 को तहसील केन्द्र पुरवा पर दिया गया था।

प्रश्नगत प्रकरण में श्रीमती बम्बादेवी पत्नी श्री सत्यनारायण की हत्या के अभियुक्तों को तलाश कर गिरफ्तारी की मांग की गई थी।

जी हां। मामले में मु0अ0सं0-406/7, धारा-460 भा0दं0वि0 बनाम अज्ञात दर्ज कर जांच से यह तथ्य प्रकाश में आया कि वादिनी श्रीमती शिवदुलारी के अवैध सम्बन्ध टाटा टावर पर तैनात श्री सत्यप्रकाश से थे। दिनांक 24-5-07 की रात सत्यप्रकाश शिवदुलारी से मिलने आया था जिसे आपत्तिजनक स्थिति में उसकी सास बम्बादेवी ने देख लिया तथा राज खुलने के भय से सत्यप्रकाश ने एक ईंट उठाकर मार देने से श्रीमती बम्बादेवी की मृत्यु हो गयी तथा आत्मग्लानि में अभियुक्त सत्यप्रकाश द्वारा आत्महत्या कर ली गयी। अतः अभियुक्त की मृत्यु हो जाने के कारण मामले में दिनांक 11-8-07 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गई।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

8-डा0 धर्मपाल सिंह-

[1ले गुरुवार के अता0 प्र0सं0-100 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

जनपद मथुरा में पर्यटन विभाग द्वारा गोवर्धन मंदिर की चारों मुख्य सड़कों पर स्वागत द्वार का निर्माण कराये जाने की मांग

9-श्री पूरन प्रकाश-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में पर्यटन विभाग द्वारा गोवर्धन मन्दिर की चारों मुख्य सड़कों पर स्वागत द्वार का निर्माण कराये जाने की योजना प्रस्तावित है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री विनोद सिंह)-

जी नहीं।

स्वागत द्वार की आवश्यकता न होने के कारण प्रस्तावित नहीं किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश के भू-माफियाओं की सूची की जांच की मांग

10-श्री मदन भैया-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश सरकार ने मा0 उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में प्रदेश के भू-माफियाओं की सूची प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा सूची तैयार करने हेतु क्या नीति अपनायी गयी है ? क्या सूची में कुछ ऐसे लोग भी शामिल कर लिये गये हैं जिनके ऊपर कोई भू-सम्बन्धी मुकदमा नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करके संशोधित सूची प्रस्तुत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के नगर निगमों तथा नगरपालिका परिषदों में कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था की मांग

11-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कितने नगर निगमों व नगर पालिकाओं व नगर पालिका परिषदों में कूड़ा निस्तारण की समुचित व्यवस्था है ? क्या सरकार कूड़े के निस्तारण के लिये कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

प्रदेश के समस्त नगर निगमों एवं नगर पालिका परिषदों द्वारा सीमित संसाधनों से पारम्परिक रूप से कूड़ा निस्तारण किया जा रहा है।

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 न्यायिक सेवा में मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों, सिविल जजों, अपर सत्र जजों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने की मांग

12-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में मुंसिफ मैजिस्ट्रेटों, सिविल जजों, अपर सत्र जजों के कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के 91 पद, सिविल जज (सीनियर डिवीजन) के 227 एवं उच्चतर न्यायिक सेवा जिसमें अपर जिला जजों के पद भी सम्मिलित हैं, के 198 पद रिक्त हैं।

सिविल जज (जू0 डि0) के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उ0 प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु उ0 प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) प्रतियोगितात्मक परीक्षा, 2006 लोक सेवा आयोग, उ0 प्र0 इलाहाबाद द्वारा आयोजित की जा चुकी है, जिसका परिणाम शासन को अभी प्राप्त नहीं हुआ है। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) व उच्चतर न्यायिक सेवा जिसमें अपर जिला जज के पद भी सम्मिलित हैं, के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा की जाती है। इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त पदों पर चयन की कार्यवाही उनके स्तर पर प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के दारागंज मुहल्ले में मुगलकालीन राजा टोडरमल के ऐतिहासिक किले को पर्यटक केन्द्र स्थल के रूप में विकसित किये जाने की मांग

13-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री को यह ज्ञात है कि इलाहाबाद जनपद के दारागंज मुहल्ले में मुगलकालीन राजा टोडरमल का ऐतिहासिक किला है यदि हां, तो क्या सरकार उसको पर्यटक केन्द्र स्थल के रूप में विकसित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में कार्यरत कर्मचारियों के स्थानान्तरण की मांग

14-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड आसपुर देवसरा में कार्यरत लेखाकार, सहायक लेखाकार एन0आर0ई0पी0 लिपिक सहित अन्य कर्मचारी कितने दिनों से तैनात हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरित नीति के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

लेखाकार का पद विकास खण्ड आसपुर देवसरा में सृजित नहीं है। श्री राजनारायण स0वि0अ0 (आई0एस0बी0) दिनांक 24-2-05 से, श्री संजय प्रताप यादव, ग्राम्य विकास अधिकारी दिनांक 23-12-03 से, श्री संजय कुमार पाण्डेय, ग्राम विकास अधिकारी दिनांक 01-2-05 से, श्री अब्दुल वहीद, ग्राम विकास अधिकारी दिनांक 23-9-07 से, श्री बृजेश कुमार, सहायक लेखाकार दिनांक 13-9-07 से, श्री सुरेन्द्र कुमार वर्मा, वरिष्ठ लिपिक दिनांक 12-10-01 से, श्री घनश्याम प्रसाद तिवारी, कनिष्ठ लिपिक दिनांक 19-6-02 से, श्री सुरेश कुमार सिंह पत्रवाहक दिनांक 8-5-03 से तथा श्री लालजी सरोज, पत्र वाहक दिनांक 25-10-07 से विकास खण्ड आसपुर देवसरा में तैनात है।

स्थानान्तरण नीति 2007-08 के अंतर्गत तृतीय श्रेणी समूह "ग" के कार्मिकों का स्थानातरण किया जा चुका हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में स्वीकृत कार्य

15-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी के लिये वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08 में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में कौन-कौन से निर्माण कार्य स्वीकृत किये गये थे ? क्या प्रत्येक कार्य के बने आगणन विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं तकनीकी स्वीकृति के प्रत्येक बिन्दुओं का अब तक कराये गये निर्माण कार्यों में अनुपालन किया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या दोषी के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद प्रतापगढ़ में विधान सभा पट्टी में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04 फेज-3 (विश्व बैंक) में 7 मार्ग, वर्ष 2004-05 फेज-4 में 11 मार्ग, वर्ष 2005-06 फेज-5 में 10 मार्ग एवं वर्ष 2005-06 फेज-5 (विश्व बैंक) पोषित में कुल 6 मार्ग स्वीकृत हुए हैं। स्वीकृत मार्गों की सूची संलग्न है।

जी हां। उक्त निर्माण कार्यों की नेशनल क्वालिटी मानीटर/स्टेट क्वालिटी मानीटर द्वारा किये गये निरीक्षण में निर्माण कार्य स्वीकृत डी0पी0आर0/तकनीकी स्वीकृति के अनुरूप पाया गया है। निरीक्षण रिपोर्ट 274 पृष्ठों की है, जो कभी भी देखी जा सकती है। उक्त रिपोर्ट में निर्माण कार्यों में किसी को भी दोषी नहीं पाया गया है।

(सूची के लिये देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 266-267 पर)।

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण

16-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत किये गये थे और प्रत्येक पर कितना-कितना धन आवंटित हुआ था ? क्या आवंटित धन से कार्य प्रारम्भ किया गया ? यदि नहीं, तो दोषी कौन-कौन हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

कु0 मायावती-

त्वरित आर्थिक विकास योजना, 2006-07 के अन्तर्गत दो कार्य यथा-तहसील पट्टी में द्वि-मंजिला अधिवक्ता हाल का निर्माण तथा महादेव नगर से मोलनापुर होते हुए रेड़ीगारापुर मार्ग के मध्य नाले पर लघु सेतु का निर्माण स्वीकृत किये गये। इन कार्यों हेतु क्रमशः रु0 21.90 लाख तथा रु0 19.26 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी।

तहसील पट्टी में अधिवक्ता हाल का निर्माण कार्य प्रगति पर हैं नीति विषयक निर्णय के अनुक्रम में लघु सेतु निर्माण कार्य प्रारम्भ न होने की स्थिति में निरस्त मानते हुए अवमुक्त धनराशि राजकोष में जमा कर दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कारागारों में बंदियों की संख्या के अनुपात में बंदी रक्षकों एवं डिप्टी जेलर, जेलर, जेल अधीक्षक के पदों की व्यवस्था की मांग

17-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बंदी गृहों में 31-8-07 तक विचाराधीन बंदियों और सजायाफ्ता बंदियों की संख्या कितनी है ? क्या बंदी कैदियों की संख्या के अनुपात में बंदी रक्षकों एवं डिप्टीजेलर, जेलर, जेल अधीक्षक की तैनाती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 31-8-2007 की स्थिति के अनुसार प्रदेश के विभिन्न कारागारों में 56,619 विचाराधीन बंदी तथा 19,720 सजायाफ्ता बंदी निरुद्ध हैं।

जी नहीं।

जेल मैनुअल में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार कारागारों में बंदियों की संख्या के अनुपात में बंदीरक्षकों, डिप्टी जेलर, जेलर तथा जेल अधीक्षकों के पदों की व्यवस्था/तैनाती के मानक निर्धारित नहीं हैं।

चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने की मांग

18-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2002-03 एवं 2003-04 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त करने की प्रक्रिया निरस्त कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं,तो उपरोक्त गांवों का मानक के अनुसार कब तक संतृप्त करा दिया जायेगा ?

डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री रतन लाल अहिरवार)-

वर्ष 2003-04 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों की कार्य-योजना न बनने के कारण संतृप्तीकरण का कार्य नहीं कराया जा सका है। वर्ष 2002-03 के डा0 अम्बेडकर ग्रामों को संतृप्त कराया जा रहा है।

वर्ष 2002-03 में चयनित डा0 अम्बेडकर ग्रामों में अपूर्ण/अधूरे तथा मरम्मत के कार्यों को 31 दिसम्बर, 2007 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

जनपद लखनऊ के छितवापुर भुइयन मंदिर, खटिकाना मोहल्ला में फैली गंदगी विषयक शिकायती-पत्र

19-श्री सुखलाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि छितवापुर भुइयन मंदिर, खटिकाना मोहल्ला, लखनऊ में फैली गंदगी विषयक मोहल्ले वासियों का शिकायती-पत्र माह अप्रैल, 07 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

फर्जी प्रमाण-पत्र पर मृतक आश्रित के रूप में नौकरी प्राप्त करने के सम्बन्ध में दर्ज मुकदमा

20-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुकदमा अपराध सं0-1822/06 धारा 467/468, 471/419/420 थाना कोतवाली नगर सुल्तानपुर में बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर द्वारा दर्ज कराया गया था, जिसमें फर्जी प्रमाण-पत्र पर मृतक आश्रित के रूप में नौकरी प्राप्त की गयी है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

प्रकरण में श्री चन्द्रभान तिवारी, नि0-पूरेलोचन, गोगमऊ थाना-जामों जनपद सुल्तानपुर के विरुद्ध दर्ज कराये गये मुकदमें में दिनांक 28-3-07 को आरोप-पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

अभियोग वापस लेने की शासन की नीति

21-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2003 से अब तक कितने आपराधिक मुकदमें राजनीतिक कारणों से वापस लिये गये हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि अभियोग वापस लेने की शासन की कोई नीति है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार मुकदमें वापस लिये जाने हेतु कोई नीति बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

कोई नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सी0 आर0पी0सी0 की धारा-321 में पूर्व से प्राविधान है।

जनपद लखनऊ के निशातगंज की पांचवीं एवं छठी गली की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं सीवर लाइन डालने की कार्य-योजना

22-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांचवीं एवं छठी गली निशातगंज, लखनऊ की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत एवं सीवर लाइन डालने की कार्य योजना बनाये जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित सचिवालय क्लब के दोनों ओर जाने वाली सड़कों पर जलभराव होने के कारण सड़कों को ऊंचा कराये जाने की मांग

23-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय सचिवालय कालोनी, महानगर, लखनऊ स्थित सचिवालय क्लब के दोनों ओर जाने वाली सड़कों पर जल भराव के कारण आवागमन बाधित रहता है ? यदि हां, तो उक्त सड़कों को कब तक ऊंचा करवाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

राजकीय सचिवालय कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग के स्वामित्व में है। इस कालोनी में जन सुविधाओं व रख-रखाव का दायित्व भी उन्हीं का है। जनहित में नगर निगम द्वारा सचिवालय क्लब के दोनों ओर जाने वाली सड़क पर जल निकासी हेतु रु0 5.00 लाख की कार्य योजना तैयार की गयी है। धन की उपलब्धता एवं नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग में मानकों को शिथिल करते हुए इन्सपेक्टर के पदों पर की गयी प्रोन्नतियों की जांच की मांग

24-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुलिस विभाग में सब इन्सपेक्टर से इन्सपेक्टर के रूप में प्रोन्नति करने के क्या मानक हैं ? क्या मुख्य मंत्री जी को जानकारी है कि वर्ष 2005-2006 में मानकों को शिथिल करते हुए भी इन्सपेक्टर के पदों पर प्रोन्नतियां की गयी हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नियमों एवं शासनादेशों के अन्तर्गत इनका परीक्षण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

कु0 मायावती-

जी हां, उप निरीक्षक ना0पु0 पद से निरीक्षक ना0पु0 पद पर नियमित पदोन्नति हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया निम्नवत् है :--

1-उप निरीक्षक, ना0पु0 से निरीक्षक के पद पर नियमित पदोन्नति हेतु ऐसे उप निरीक्षक पात्र होंगे जिन्होंने इस पद पर 10 वर्ष की सेवा, चयन वर्ष के प्रथम अप्रैल की तिथि को, पूर्ण कर ली हो और उनके विगत 10 वर्षों का सेवा अभिलेख संतोषजनक हो। विगत तीन वर्षों में कोई गम्भीर प्रकृति की परिनिंदा प्रविष्टि न प्रदान की गई हो तथा विगत पांच वर्षों में किसी वर्ष की सत्यनिष्ठा न रोकी गयी हो। उक्त अर्हता धारण करने वाले उप निरीक्षकों की प्रतिवर्ष सूची तैयार कराई जायेगी, उक्त सूची में से श्रेष्ठता के आधार पर विभागीय चयन समिति द्वारा चयन किया जाता है।

2-प्रत्येक वर्ष की रिक्ति के सापेक्ष 04 गुना उप निरीक्षकों को वरिष्ठताक्रम में साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है।

3-विभागीय चयन समिति द्वारा श्रेष्ठता का निर्धारण उप निरीक्षकों के सेवा अभिलेख एवं साक्षात्कार द्वारा उनके व्यक्तित्व मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है।

वर्ष 2005-2006 में निरीक्षक के पद पर सम्पन्न हुई प्रोन्नतियों में मानकों को शिथिल करते हुए निरीक्षक ना0पु0 के पद पर कोई पदोन्नति प्रदान नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के बिठूर पर्यटन स्थल को विकसित किये जाने हेतु किये जा रहे कार्य के दौरान दो मजदूरों की दबकर मृत्यु हो जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

25-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सतीश महाना, विधायक का पत्र दिनांक 5 -5-07 व 21-5-2007 जो आपको सम्बोधित कानपुर जनपद के बिठूर स्थित ऐतिहासिक स्थान को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्य के दौरान स्लेप गिर जाने से दो मजदूरों की दबकर मृत्यु हो जाने के फलस्वरूप दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात मंत्री (ठाकुर जयवीर सिंह)-

जी हां।

प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच आख्या परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा में मानसी गंगा गोवर्धन की सफाई की मांग

26-श्री पूरन प्रकाश-

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद मथुरा में गोवर्धन गिरिराज महाराज का मुड़िया पूर्णिमा मेले में करोड़ों भक्तजन (श्रद्धालु) गोवर्धन की परिक्रमा के उपरान्त गोवर्धन में मानसी गंगा के जल से आचमन एवं स्नान करते हैं ? क्या यह सही है कि मानसी गंगा गोवर्धन की सफाई न होने से यहां का पूरा पानी खराब एवं हानिकारक हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानसी गंगा गोवर्धन की सफाई करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मानसी गंगा गोवर्धन की सफाई न होने के कारण वहां का पानी आंशिक रूप से खराब/दूषित हो गया था। मेला को दृष्टिगत रखते हुए इसमें अपर कैनाल आगरा से शुद्ध जल भरवाया गया था, जिससे इसकी आंशिक दूषितता समाप्त हो गयी थी।

जी हां । भारत सरकार के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मानसी गंगा गोवर्धन के प्रदूषण नियंत्रण के कार्य कराये जा रहे हैं यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई द्वारा भी इसकी सफाई/सौन्दर्यीकरण की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में प्रति वर्ष लगने वाले पूर्णिमा मेले को राजकीय मेले का दर्जा प्रदान किये जाने की मांग

27-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के अन्तर्गत गोवर्धन में प्रतिवर्ष लगने वाले पूर्णिमा मेले में करोड़ों भक्तजन श्रद्धालु आते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे राजकीय मेले का दर्जा प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। पूर्णिमा मेले में प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं।

"दि यूनाइटेड प्राविन्सेज मेलाज एक्ट, 1938" के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव का परीक्षण करते हुए औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संस्तुति सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध जिलाधिकारी, मथुरा से किया गया है।

जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली

28-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में आने-जाने वाले भक्तजनों एवं आम नागरिकों के वाहनों से पार्किंग के नाम पर गोवर्धन नगर क्षेत्र

समिति द्वारा अवैध वसूली की जा रही है। क्या सरकार इस तरह की अवैध वसूली को रोकेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के कस्बा गोवर्धन में आने वाले भक्तजनों एवं नागरिकों जो अपने वाहनों को नियत पार्किंग स्थल पर खड़ा करते हैं, से नियमानुसार शुल्क सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा वसूल किया जाता है। अन्य से नहीं। यदि उक्त के विरुद्ध कोई अवैध वसूली की शिकायत नगर पंचायत गोवर्धन को प्राप्त होती है तो जांचोपरान्त शिकायत सत्य पाये जाने पर सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध नगर पंचायत द्वारा कठोर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद रायबरेली, तहसील लालगंज, थाना खीरों के ग्राम मेड़उली की बेवा सुनीता पत्नी स्व0 राम प्रताप को प्रताड़ित किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

29-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली, तहसील लालगंज, थाना खीरों के अन्तर्गत ग्राम मेड़उली की बेवा सुनीता पत्नी स्व0 राम प्रताप पुत्र गजोधर को उसके परिवार वालों द्वारा प्रताड़ित किये जाने विषयक श्री कौशल किशोर, तत्कालीन सदस्य, विधान सभा का पत्र, दिनांक 24 मार्च, 2007 मुख्य मंत्री कार्यालय में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी। यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, रायबरेली के माध्यम से क्षेत्राधिकारी द्वारा की गयी। जांच के समय श्रीमती सुनीता पत्नी स्व0 राम प्रताप ससुराल में मौजूद नहीं मिली थी। गांव के लोगों व श्रीमती सुनीता के ससुराल वालों द्वारा अवगत कराया गया की वह पिछले चार माह से अपने मायके ग्राम-तख्तखेडा, थाना-बिहार, जनपद-उन्नाव में अपने बच्चों के साथ रह रही है। सुनीता अपने पति की मृत्यु के उपरान्त अपने सास-श्वसुर से अपने नाबालिग बच्चों के नाम मकान व जमीन में हिस्सा चाह रही थी किन्तु सुनीता के सास-श्वसुर ने कहा कि कुछ दिन बाद हिस्सा दे देंगे किन्तु सुनीता अपने बच्चों का तुरन्त अलग हिस्सा चाहती थी। उसी बात को लेकर सुनीता अपने बच्चों सहित मायके चली गयी। सुनीता को प्रताड़ित किये जाने सम्बन्धी आरोपों की पुष्टि नहीं हुयी।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद मैनपुरी नगर में नव निर्मित अवर जलाशय से नियमित जलापूर्ति की मांग

30-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 जल निगम द्वारा मैनपुरी नगर में वर्ष 2005-06 में छपदी की स्कूल परिसर में अवर जलाशय का शिलान्यास एवं जून, 2006 में नवनिर्मित जलाशय का लोकार्पण कराया गया था ? क्या सरकार यह बतायेगी कि इस नवनिर्मित अवर जलाशय से अब तक नियमित जलापूर्ति न होने का क्या कारण है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

उ0 प्र0 जल निगम द्वारा 1700 किलो क्षमता एवं 18 मीटर स्टेजिंग के अवर जलाशय और उसे भरने के लिये दो नलकूप क्रमशः छपट्टी और वंशीगौरा में निर्मित किये गये दो नलकूप वर्तमान में नगर पालिका मैनपुरी को हस्तान्तरित हो चुके हैं, तथा उनके कर्मचारियों द्वारा इन्हें नियमित रूप से 12-16 घन्टे चलाया जा रहा है। दोनों नलकूपों से पानी पम्प कर अवर जलाशय में भरा जाता है और अवर जलाशय के माध्यम से जलापूर्ति नियमित रूप से आम जनता को की जा रही है।

जनपद लखनऊ के कल्याणपुर, बी-18, शिवानी बिहार में आबादी के बीच चल रही दूध डेरी को हटवाने की मांग

31-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी-18, शिवानी बिहार, कल्याणपुर, लखनऊ के सामने आबादी के बीच में बड़े पैमाने पर दूध डेरी चल रही है ? क्या उक्त दूध डेरी से आस-पास गन्दगी तथा बदबू के कारण वहां के निवासियों को अत्यधिक परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डेरी को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, उक्त आबादी में पुनः दूध डेयरियां चलाई जा रही हैं।

जी हां।

जी हां।

जी हां। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 27-5-99 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र से समस्त दूध डेयरियों को हटा दिया गया था मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-2000 द्वारा पुनर्स्थापित दूध डेयरियों को हटाये जाने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी का है। लखनऊ नगर निगम द्वारा पुनर्स्थापित दूध डेयरियों को हटाने हेतु मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 27-05-99 व 24-05-2000 के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ क्षेत्राधिकारी, लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

32-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

[गोपनीयता के आधार पर निरस्त]

जनपद वाराणसी में आबाद प्राइवेट कालोनियों में सड़क, सीवर, सफाई, पेयजल तथा पथ प्रकाश जैसी मूलभूत नागरिक सुविधाओं को उपलब्ध कराने की मांग

33-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार को जानकारी है कि वाराणसी में आबाद, प्राइवेट कालोनियों में सड़क, सीवर, सफाई, पेयजल तथा पथ-प्रकाश जैसी नागरिक सुविधाओं का अभाव है जबकि सभी कालोनियां विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद् तथा ले-आउट स्वीकृत कराकर निजी कालोनाईजरों द्वारा विकसित की गयी हैं और नागरिकों द्वारा सभी प्रकार के देय कर नियमानुसार अदा किये जाते हैं ? यदि हां, तो

क्या इन कालोनियों के नागरिकों को मूलभूत नागरिक सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु सरकार कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

निजी कालोनाईजर द्वारा विकसित कालोनियों में नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित कालोनाईजर का था। नगर निगम को हस्तगत कालोनियों में निगम अपने सीमित संसाधनों से सुविधाएं उपलब्ध कराता है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार समस्त नागरिक सुविधाएं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन्स के अन्तर्गत मोहल्ला संतोष बिहार में हुई डकैती के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

34-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20-07-2007 को थाना सिविल लाइन्स मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत मोहल्ला संतोष बिहार में दिन दहाड़े डकैती हुई, जिसमें महिलाओं को बुरी तरह मारपीट करके लाखों रुपये की नकदी व जेवर लूटे गये ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 19/20-07-2007 को सायं अज्ञात बदमाशों द्वारा मो0 सन्तोष बिहार थाना सिविल लाइन्स मुजफ्फरनगर के निवासी श्री सतनाम सिंह पुत्र कश्मीर सिंह के घर में मकान की ग्रिल तोड़कर घुसकर कपड़े, मोबाइल फोन चोरी कर लिये गये थे। बदमाशों द्वारा परिवार के सदस्यों के साथ लूटपाट के साथ-साथ मारपीट भी की गई थी।

घटना के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 761/07 धारा 457,380 भादवि का अभियोग दिनांक 20-7-07 को पंजीकृत कराया गया था। विवेचना में लूट का अभियोग पाये जाने पर तद्नुसार अभियोग को धारा 394 भादवि में परिवर्तित किया गया। घटना घुमन्तू गिरोह द्वारा किया जाना पाया गया है। इस गिरोह द्वारा इसी प्रकार की अन्य घटनायें कारित की गयी हैं, जिसे चिन्हित कर लिया गया है। गिरोह के कुछ सदस्यों को जनपद हरिद्वार, उत्तराखण्ड में गिरफ्तार किया गया है, जिनसे घटना में लिप्त अन्य अपराधियों की जानकारी प्राप्त हुयी है, जिन्हें गिरफ्तार किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फनगर में हत्या, बलात्कार एवं लूट की घटनाओं का खुलासा किये जाने की मांग

35-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मई, 2007 से लेकर 31 जुलाई, 2007 तक जनपद मुजफ्फरनगर में हत्या, बलात्कार, लूट की कितनी घटनायें हुई तथा पुलिस ने विवेचना उपरान्त कितनी घटनाओं का खुलासा कर अपराधियों को जेल भेजा ?

कु0 मायावती-

मई, 2007 से लेकर 31 जुलाई, 2007 के मध्य जनपद मुजफ्फरनगर में हत्या, बलात्कार एवं लूट की घटनाओं का तथा जेल भेजे गये अपराधियों का विवरण निम्नवत् है:--

शीर्षक	कुल प्रकरण	खुलासा प्रकरण	जेल भेज गये अपराधी
हत्या	54	39	108
बलात्कार	10	10	17
लूट	12	9	34

जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में 3 वर्षों या उससे अधिक की अवधि पूर्ण कर चुके पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण की मांग

36-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानों में ऐसे कितने पुलिस कर्मी हैं जो 3 वर्ष या उससे अधिक की अवधि पूर्ण कर चुके हैं तथा स्थानान्तरण आदेश होने के बावजूद भी यथावत् कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त कर्मियों को तुरन्त कार्यमुक्त करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद-मुजफ्फरनगर में माह मार्च, 2007 में सामान्य आदेश कर ऐसे सभी पुलिस कर्मियों के स्थानान्तरण किये जा चुके हैं, जिनको एक ही थाने पर तीन वर्ष अथवा इससे अधिक समय हो गया है तथा वर्तमान में ऐसा कोई पुलिस कर्मी नियुक्त नहीं है, जो स्थानान्तरण होने के उपरान्त थाने पर नियुक्त हो।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला संतकबीरनगर, तहसील धनघटा, विकास खण्ड नाथ नगर में स्थित डा0 अम्बेडकर ग्राम पड़रहा का विकास कार्य प्रारम्भ किये जाने की मांग

37-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संतकबीरनगर, तहसील-धनघटा, विकास खण्ड नाथ नगर में स्थित ग्राम पंचायत पड़रहा जो 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम घोषित हुआ था, का विकास कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त अम्बेडकर ग्राम पड़रहा का विकास कार्य कब तक प्रारम्भ करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जी नहीं।

डा0 अम्बेडकर ग्राम पड़रहा समस्त 11 कार्यक्रमों से संतृप्त किया जा चुका है।

जनपद गोरखपुर, थाना खोराबार के अन्तर्गत ग्राम रामपुर निवासी श्री राम मोहन के पुत्र श्री बल्देव का अपहरण किये जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

38-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गोरखपुर, थाना-खोराबार के अन्तर्गत ग्राम रामपुर निवासी श्री राम मोहन का 8 वर्षीय पुत्र श्री बल्देव का अपहरण किये जाने विषयक श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-56 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर दिनांक 12 मार्च, 2007 को मा0 अध्यक्ष पीठ द्वारा शासन का ध्यानाकृष्ट किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

कृत कार्यवाही से माननीय सदस्य श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव को शासन के पत्र दिनांक 04-05-2007 द्वारा अवगत कराया जा चुका है।

वर्तमान में श्री राम मोहन, ग्राम-रामपुर, थाना-खोराबार के आवेदन-पत्र पर मु0अ0सं0-1273/07 धारा 364 भा0दं0वि0, दिनांक 21-10-2007 को पंजीकृत होकर विवेचना प्रचलित है।

कानपुर नगर के मा0 कांशीराम नगर विकास योजना की रूपरेखा की जानकारी

39-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मा0 कांशीराम नगर विकास योजना अन्तर्गत कानपुर नगर के विकास हेतु कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है ? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

वित्तीय वर्ष 2007-08 में मा0 श्री कांशीराम जी शहरी समग्र विकास योजना अन्तर्गत शासनादेश संख्या-3636/नौ-9-2007/97ज/07, दिनांक 17-10-2007 द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये हैं। उक्त योजनान्तर्गत कानपुर नगर के विकास हेतु प्रथम चरण में 04 वार्डों में कार्य किया जाना है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपर्युक्तानुसार।

40-श्री यशपाल सिंह चौहान-

[तीसरे सोमवार के लिये स्थगित]

जनपद महामायानगर (हाथरस) के कोतवाली क्षेत्र सिकन्दराराऊ में मानक के अनुरूप एस0 आई0 एवं कांस्टेबिलों की तैनाती

41-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में थाना-कोतवाली में एस0 आई0 एवं कांस्टेबिलों की तैनाती का मानक क्या है ? क्या कोतवाली क्षेत्र सिकन्दराराऊ जनपद महामायानगर

(हाथरस) में मानक के अनुरूप एस0 आई0 एवं कांस्टेबिलों की तैनाती है ? यदि नहीं, तो कब तक मानक के अनुसार तैनाती की जायेगी ?

कु0 मायावती-

जी हां, प्रदेश के थानों में नियुक्ति हेतु 02 उप निरीक्षक, 01 मुख्य आरक्षी एवं 14 आरक्षी का मानक निर्धारित है।

वर्तमान में कोतवाली क्षेत्र सिकन्दराराऊ, जनपद महामायानगर (हाथरस) में 06 उप निरीक्षक व 64 आरक्षी नियुक्त हैं, जो निर्धारित मानक से अधिक हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद महामायानगर (हाथरस) के पालिका परिषद् सिकन्दराराऊ में सभी टंकियों द्वारा जलापूर्ति का किया जाना

42-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद् सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर (हाथरस) में पेयजल की समस्या के निदान हेतु कितनी टंकियां उपलब्ध हैं ? क्या सभी टंकियों द्वारा जल की आपूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद् सिकन्दराराऊ, जनपद-महामायानगर (हाथरस) में दो अवर जलाशय हैं।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के ब्लाक असोहा की ग्राम पंचायत मिर्रीकलां के ग्राम निहालखेड़ा के निवासियों को इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत धनराशि स्वीकृत विषयक पत्र पर कार्यवाही

43-श्री सुखलाल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव, ब्लाक-असोहा की ग्राम पंचायत मिर्रीकलां के ग्राम-निहाल खेड़ा निवासियों को इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत धनराशि स्वीकृत किये जाने विषयक श्री जगदीश नारायण राय, तत्कालीन मा0 सभापति सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का पत्र सं0 814, दिनांक 9 मार्च, 2006 प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

ग्राम सभा मिर्रीकलां वर्ष 2007-08 में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजनान्तर्गत चयनित किया गया है, जिसके अन्तर्गत निहालखेड़ा ग्राम भी शामिल है। बी0पी0एल0 सर्वे 2002 के आधार पर बनी इन्दिरा आवास की स्थाई पात्रता सूची के पात्र व्यक्तियों को इन्दिरा आवास आवंटन की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

गरीबी रेखा के नीचे की पुनः स्थायी पात्रता सूची बनाने की मांग

44-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 2002 में गरीबी रेखा के नीचे की जो स्थायी पात्रता सूची बनी थी, उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या पुनः स्थायी पात्रता सूची बनाने हेतु केन्द्र सरकार से अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

भारत सरकार अपने स्तर से प्रत्येक पांच वर्ष के बाद गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की गणना कराती है। चयनित बी0पी0एल0 परिवारों में से स्थायी पात्रता सूची तैयार की जाती है।

आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा बनायी गयी कार्य योजना

45-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत जुलाई-अगस्त, 2007 माह में लखनऊ में कितने आतंकवादी गिरफ्तार किये गये ? आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

गत जुलाई-अगस्त, 2007 में कुल 3 आतंकवादी गिरफ्तार किये गये।

प्रदेश में बढ़ रही आतंकवादी घटनाओं की रोकथाम की दृष्टिगत जनपद लखनऊ में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों से समन्वय रखते हुए संदिग्ध व्यक्तियों की गहन पूछतांछ की कार्यवाही की जा रही है। होटल, सरायों, धर्मशालाओं, ढाबों, ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों एवं घटना स्थलों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों की औचक चेकिंग करते हुए उसमें ठहरने वाले व्यक्तियों से पूछतांछ की जा रही है उपरोक्त स्थानों पर पुलिस प्रबन्ध सुदृढ़ करते हुए एवं अभिसूचना तंत्र को और अधिक सक्रिय करते हुए निरन्तर दृष्टि रखी जा रही है। संदिग्ध व्यक्तियों को चिन्हित कराते हुए विधिक कार्यवाही की जा रही है इसके अतिरिक्त संदिग्ध ट्रेवेल एजेन्टों नये धनाढ्य व्यक्तियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।

जनपद लखनऊ के उदयगंज रोड स्थित कूड़ा घर से सुअरों के ठिकाने समाप्त करने व सुअर पालकों के खिलाफ कार्यवाही किये जाने की मांग

46-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 नगरीय स्थानीय निकाय (अपदूषण कारक पशुओं के विनियमन और नियंत्रण) नियमावली, 2004, दिनांक 12 अक्टूबर, 2004 को प्रख्यापित की गयी है जिसके द्वारा नगरीय क्षेत्रों में सुअर पालन प्रतिबन्धित किया गया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विधान भवन लखनऊ के नजदीक उदयगंज रोड तथा ओ0 सी0 आर0 में सुअरों द्वारा लगातार आतंक मचाये जाने के बावजूद सुअर पकड़े नहीं जा रहे हैं ? क्या सरकार उदयगंज रोड

स्थित कूड़ा घर से सुअरों के ठिकाने समाप्त करने तथा सुअर पालकों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी नहीं, उदयगंज रोड व अन्य स्थलों से वर्ष 2005 में अभियान के दौरान 346 सुअर पकड़े गये।

जी हां। प्रश्नगत क्षेत्र थाना हुसैनगंज के 25 सुअर पालकों के विरुद्ध सी0आर0पी0सी0 133 के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। उक्त के अतिरिक्त दिनांक 11-04-2005 को सुअर पालकों के विरुद्ध मु0अ0स0 80/205 धारा-289 भा0द0स0 के अन्तर्गत थाना हुसैनगंज में एफ0आई0आर0 दर्ज करायी जा चुकी है। प्रश्नगत क्षेत्र में वर्ष 2006-07 में उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-550 के अन्तर्गत 101 सुअर पालकों के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

माननीय विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्रों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की मांग

47-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत वर्षों की भांति माननीय विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या को देखते हुये इण्डिया मार्का-II नल लगवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

शासनादेश संख्या-2521/38-5-2007-67 सम/07, दिनांक 26 सितम्बर, 2007 द्वारा प्रत्येक मा0 सदस्य, विधान परिषद्/विधान सभा द्वारा चयनित स्थलों पर वित्तीय वर्ष 2007-08 में 225-225 इन्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन की व्यवस्था की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के थाना कोट में चोरी/नकबजनी की घटित घटनायें

48-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के थाना-कांट के अन्तर्गत अक्टूबर, 2006 में कुल कितनी चोरी/नकब की घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज हुई ? क्या मा0 मुख्य मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 19-10-2006 को राम बाबू पाठक की रायफल चोरी की रिपोर्ट दर्ज है ? यदि हां, तो क्या उक्त रायफल बरामद कर ली गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद शाहजहांपुर के थाना कांट में अक्टूबर, 2006 में चोरी/नकबजनी की 02 घटनायें घटित हुई हैं, जिनके सम्बन्ध में क्रमशः मु0अ0सं0-508/06 धारा 457/380 भादवि व मु0अ0सं0-539/06 धारा 379 भादवि पंजीकृत है।

जी हां।

प्रकरण में थाना कांट पर पंजीकृत मु0अ0सं0-539/06 धारा 379 भादवि की विवेचना के दौरान माल व मुल्जिमान की पतारसी/सुरागरसी जारी रखते हुए विवेचना द्वारा अन्तिम रिपोर्ट सं0-13 दिनांक 10-04-07 को समाप्त की गयी है। चोरी गयी रायफल की तलाश हेतु गश्ती करायी गयी। रायफल की बरामदगी हेतु संदिग्ध अपराधियों के घरों की तलाशी ली गयी एवं सार्थक प्रयास किये जाने के बावजूद अब तक रायफल बरामद नहीं हो सकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

मूल्यांकन प्रभाग (राज्य नियोजन संस्थान) में विभिन्न संवर्गो की वरिष्ठता सूची निर्गत न होने से पदोन्नति में उत्पन्न विसंगतियों की जांच की मांग

49-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि मूल्यांकन प्रभाग (राज्य नियोजन संस्थान) में विभिन्न संवर्गों की वरिष्ठता सूची जारी कर दी गयी है ? क्या यह सत्य है कि वरिष्ठता सूची निर्गत न होने से पदोन्नतियों में विसंगतियां उत्पन्न हो गई हैं ? क्या सरकार अब तक वरिष्ठता सूची के निर्गत न होने के कारणों की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त वरिष्ठता सूची कब तक जारी कर दी जायेगी ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर के ग्राम पर्वतपुर ब्लाक जामों के चयनित ग्राम के इन्दिरा आवास तथा बैक डेट के चेक वितरित किये जाने सम्बन्धी शिकायती-पत्र की जांच

50-श्री यशपाल सिंह चौहान-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री सूर्यभान सिंह ग्राम पर्वतपुर ब्लाक जामों सुल्तानपुर का मार्च, 06 तथा 18-9-07 लोक शिकायत तथा स्वयं दिया गया शिकायती प्रार्थना-पत्र जिसमें ग्राम पर्वतपुर ब्लाक जामों सुल्तानपुर जो समग्र ग्राम के चयनित ग्राम के इन्दिरा आवास तथा बैक डेट के चेक वितरित करने सम्बन्धी था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत पत्र जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी अथवा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, सुल्तानपुर के कार्यालयों में प्राप्त नहीं हुआ। ग्राम पर्वतपुर में अपात्र व्यक्तियों

का धन लेकर इन्दिरा आवास हेतु चयन किये जाने विषयक परियोजना अधिकारी, सुल्तानपुर को सम्बोधित श्री सूर्यभान सिंह ग्राम-पर्वतपुर पोस्ट बधैया कमालपुर विकास खण्ड जामों, सुल्तानपुर का दिनांक रहित पत्र उक्त कार्यालय में प्राप्त हुआ है। उक्त की जांच संयुक्त रूप से विकास खण्ड जामों के ए0 डी0 ओ0 सांख्यिकी/आई0एस0वी0/पंचायत से करायी गयी। जांच में शिकायत निराधार पायी गयी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के बनत थाना आदर्श मंडी शामली के नगर पंचायत चेयरमैन व अन्य कई घरों के परिजनों को बंधक बना कर लूट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग

51-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 02-08-2007 तथा 3-8-2007 की मध्य रात्रि को नगर बनत थाना आदर्श मंडी शामली, जनपद-मुजफ्फरनगर के नगर पंचायत चेयरमैन व अन्य कई घरों के परिजनों को बंधक बनाकर लाखों रुपये के नकदी, जेवर व अन्य कीमती सामान डकैतों द्वारा लूटा गया ? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है तथा अभी तक इस मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार कर माल बरामद किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कुमारी मायावती-

दिनांक 3-8-2007 को श्री शफकत पुत्र शखावत निवासी आर्यपुरी थाना आदर्श मण्डी (चेयरमैन नगर पंचायत के भाई) व इनके पड़ोसी इलियास के घर में कुछ अपराधियों द्वारा नकदी व पुराने सिक्कों की लूट-पाट की गयी।

घटना के सम्बन्ध में थाना आदर्श मण्डी शामली में अ0 सं0 359/07 धारा 392 भादंवि पंजीकृत किया गया। विवेचना में चार अभियुक्त 1-इस्लाम पुत्र शफीक 2-इसार पुत्र शफीक निवासीगण मो0 खालापार कोतवाली नगर 3-रईस पुत्र जहूर निवासी कैराना 4-शाहिद पुत्र नवाब निवासी बुढ़ाना के नाम प्रकाश में आये, जिसमें से अभियुक्त इस्लाम व इसार दिनांक 31-8-07 को गिरफ्तार किये गये थे। शाहिद पुत्र नवाब की कुर्की की कार्यवाही की गयी। अभियुक्त रईस पुत्र जहीर परिवार सहित कैराना से पलायन कर गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर में बढ़ रहे अपराधों के कारणों की समीक्षा व रोकथाम किये जाने के उपाय

52-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-मुजफ्फरनगर में भारी संख्या में अपराध बढ़ रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि जुलाई, 2007 के महीने में 31 हत्यायें, 2 दर्जन लूट जिसमें बैंक डकैती तथा मुख्य मार्गों पर राहजनी से हुई लूट भी शामिल है, घटित हुई हैं ? क्या जनपद में बढ़ते हुये अपराधों के कारणों की समीक्षा की गयी है तथा रोकथाम हेतु कोई प्रभावी उपाय किये गये हैं यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद मुजफ्फरनगर में वर्ष 2005 से वर्ष 2007 के मध्य घटित अपराधों का विवरण निम्नवत् है :-

शीर्षक	वर्ष 2007	वर्ष 2006	वर्ष 2005
हत्या	22	20	13
लूट	6	4	10
बैंक लूट	1	0	0
बैंक डकैती	0	0	0

उक्त से स्पष्ट है कि माह जुलाई, 2007 में अपराधों में आंशिक वृद्धि अवश्य हुई हैं जिसमें हत्या, लूट तथा बैंक लूट भी सम्मिलित हैं।

उपरोक्त अपराधों के वृद्धि के कारणों की समीक्षा करने पर यह पाया गया कि हत्याओं के अपराधों में 6 हत्यायें पारिवारिक सदस्यों द्वारा एक दूसरे पर यकायक हमला करके की गई हैं 05 हत्यायें भूमि बंटवारे को लेकर पारिवारिक सदस्यों द्वारा पैतृक सम्पत्ति पर कब्जा करने के उद्देश्य से की गयी है। बैंक लूट की एक घटना दिनांक 20-7-07 को को-आपरेटिव बैंक रतनपुरी में हुई थी जिसमें लापरवाही के लिये थानाध्यक्ष रतनपुरी को पदावनत कर दिया गया था। घटना का अनावरण किया जा चुका है, लिप्त अपराधियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से लूटी गई सम्पत्ति में से रुपये 36,800/- की धनराशि बरामद की जा चुकी है।

समस्त प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण रोकने हेतु विभिन्न प्रकार की कार्य योजना बनाकर लागू की गयी है। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा भी अपने परिपत्र के माध्यम से (टास्क नं0 1 से 31 तक) में विस्तृत दिशा-निर्देश दिये गये हैं जिनका अनुपालन सभी स्तर से कड़ाई से किया जा रहा है। अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर अधिनियम, एन0 एस0 ए0 तथा गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी जिसके फलस्वरूप माह अगस्त, 2007 में समस्त प्रकार के अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर रतनपुरी को-आपरेटिव बैंक में सशस्त्र बदमाशों द्वारा डाली गयी डकैती के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग

53-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 20-07-07 को सशस्त्र बदमाशों ने रतनपुरी जनपद-मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े बैंक में डकैती डालकर लाखों रुपये लूटे तथा बैंक में उपस्थित कर्मचारियों एवं ग्राहकों को गम्भीर चोटें पहुंचाई ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त बैंक डकैती के अनावरण के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 20-7-07 को अज्ञात बदमाशों द्वारा को-आपरेटिव बैंक रतनपुरी मुजफ्फरनगर में घुसकर तमन्चे व चाकू दिखाकर 2,40,048/- रुपये व मैनेजर का मोबाइल फोन लूट लिया गया।

घटना के सम्बन्ध में बैंक मैनेजर की तहरीर पर मु0अ0सं0 356/07 धारा 392, 506 भा0दं0वि0 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1-अकबर पुत्र अख्तर निवासी गुलरिया थाना सरधना जनपद मेरठ 2-नवेद उर्फ राजू पुत्र शराफत निवासी दयालपुर कस्बा व थाना खतौली 3-हनीफ उर्फ लाला पुत्र हफीज निवासी मो0 नई बस्ती कस्बा व थाना खतौली के नाम प्रकाश में आये, जिसमें से अभियुक्त अकबर को गिरफ्तार करके घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, मोबाइल फोन व लूटी गयी धनराशि में से रुपये 36,800/- बरामद किये जा चुके हैं। शेष दो फरार अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 82/83 द0प्र0स0 की कार्यवाही प्रचलित है तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुरस्कार भी घोषित किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार कार्यवाही की गयी है।

उ0 प्र0 न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2003 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मांगी गयी सूचना पर निर्णय

54-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा सिविल जज (जूनियर डिवीजन) परीक्षा 2003 में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों दिनांक 12-8-05, 16-8-05, 4-9-2006 तथा 15-09-06 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या-78/दो 4-07, दिनांक 5-02-2007 एवं अनुस्मारक-पत्र दिनांक 2 मार्च, 2007 द्वारा महानिबन्धक उच्च न्यायालय इलाहाबाद से मांगी गयी सूचना प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो इस प्रकरण में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

महानिबंधक, उच्च न्यायालय, कार्यालय के पत्र संख्या-8457/चार-एफ-5/प्रशासन (ए-3) दिनांक 02-06-07 द्वारा सूचना प्राप्त हुई है।

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12-08-2005 एवं 16-08-2005 के अनुपालन में उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग इलाहाबाद द्वारा प्रेस विज्ञप्ति संख्या-142/6/सी-3/2004-2005, दिनांक 02-12-06 द्वारा संशोधित परीक्षा फल घोषित करते हुए पत्र संख्या 143/6/सी-3/रिट/2004-05, दिनांक 05-12-06 द्वारा अवशेष 06 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति शासन को प्रेषित की गयी जिस पर शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या 11/दो-4-07-32(1)/01टी0सी0-1 दिनांक 17-01-07 द्वारा उक्त 06 अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश जारी कर दिये गये। उक्त नियुक्ति आदेश में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 04-09-06 में सम्मिलित याचीगण सर्वश्री कृष्ण कुमार, विनय कुमार सिंह एवं रजत वर्मा के नाम भी सम्मिलित हैं। इसी प्रकार मा0 उच्च न्यायालय के अन्य आदेश दिनांक 15-09-06 के अनुपालन में याची सुश्री सुनयना त्रिपाठी का प्रत्यावेदन कार्यालय-ज्ञाप संख्या 4391/दो-04-2007-45(31)/06, दिनांक 22-10-2007 द्वारा निस्तारित कर दिया गया है और इस प्रकरण में सुश्री सुनयना त्रिपाठी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल अवमानना वाद संख्या 3144/07 में भी शासन द्वारा प्रत्युत्तर प्रतिशपथ-पत्र मा0 उच्च न्यायालय में दिनांक 26-10-07 को दाखिल कर दिया गया है और प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर के ग्राम सीकरी कला को शहीद गांव घोषित किये जाने की मांग

55-श्री मदन भैया-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद-गाजियाबाद की तहसील मोदीनगर के ग्राम सीकरी कला को शहीद गांव घोषित किया गया है ? यदि हां, तो क्या शहीद गांव को मिलने वाली सुविधायें उक्त गांव को दी जा रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतनलाल अहिरवार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में बढ़ रहे मच्छरों के प्रकोप को रोकने हेतु कार्य योजना

56-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में बढ़ रहे मच्छरों के प्रकोप को रोकने हेतु कोई कार्य-योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या विगत तीन माह में शहर के सभी वार्डों में कितनी बार फागिंग/छिड़काव किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

मच्छरों को नियंत्रित करने के लिये दिनांक 15-03-2007 से 07-04-07 तक तीन चक्रों में फागिंग, पुनः दिनांक 06-08-2007 से 17-10-2007 तक मच्छर जनित रोगों की रोकथाम हेतु निर्धारित रोस्टर के अनुसार फागिंग तथा ठहरे हुए पानी में मच्छरों के लार्वा नष्ट करने हेतु एन्टीलार्वा ट्रीटमेन्ट की कार्य-योजना।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर के हजरतगंज चौराहे की सड़क पार करने हेतु सब-वे (भूमिगत पैदल पथ) के निर्माण की मांग

57-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर के हजरतगंज चौराहे का सड़क पार करने हेतु सब-वे (भूमिगत पैदल पथ) का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम में ऐसा कोई प्रस्ताव वर्तमान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जनपद बागपत में बड़ौत देहात व रटोल में नये थाने स्थापित किये जाने की कथित मांग

58-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में बढ़ते अपराध को दृष्टिगत रखते हुये क्या सरकार बड़ौत देहात व रटोल में नये थाने स्थापित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

जनपद बागपत के अन्तर्गत बड़ौत देहात व रटोल में विचारोपरान्त नये थाने स्थापित किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

जनपद बागपत में नागरिक पुलिस कांस्टेबिल व एस0आई0 की कुल संख्या

59-डा0 अजय तोमर-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-बागपत में वर्तमान समय में नागरिक पुलिस में कांस्टेबिल व एस0 आई0 की कुल संख्या क्या है ? क्या यह मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त जनपद में मानक के अनुरूप कान्स्टेबिल तथा एस0 आई0 आदि की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्तमान में जनपद-बागपत में आरक्षी ना0पु0 एवं उप निरीक्षक ना0पु0 की कुल संख्या क्रमशः 432 एवं 55 है।

किसी भी जनपद के लिए पुलिस कार्मिकों की तैनाती के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं है।

जनपद बागपत में आरक्षी ना0पु0 एवं उप निरीक्षक ना0पु0 के स्वीकृत नियतन क्रमशः 366 एवं 56 के सापेक्ष 432 आरक्षी ना0पु0 एवं 55 उप निरीक्षक ना0पु0 नियुक्त हैं। कुल मिलाकर कांस्टेबिल एवं उप निरीक्षक की तैनाती स्वीकृत नियतन से अधिक है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

स्थानीय निकायों में हेल्थ मैनुअल ऐक्ट के आधार पर सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती की मांग

60-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार स्थानीय निकायों में हेल्थ मैनुअल ऐक्ट के आधार पर रिक्त सफाई कर्मचारियों के पदों पर नियमित भर्ती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 20/1/91-का-2-2006, दिनांक 12-12-2006 द्वारा समस्त प्रकार की भर्ती/नियुक्ति से सम्बन्धी प्रक्रिया प्रतिबन्धित है।

सफाई कर्मचारी का पद समूह 'घ' का पद है। कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 22/43/82/का-2-2007, दिनांक 22-05-2007 द्वारा केवल राज्याधीन सेवाओं में समूह 'घ' के सीधी भर्ती के आरक्षित वर्गों के बैकलॉग को पूरा किये जाने हेतु समूह 'घ' की भर्ती पर शासनादेश दिनांक 12-12-2006 को इस सीमा तक शिथिल किया गया है।

जनपद प्रतापगढ़ में अवर अभियन्ता एवं लिपिक की स्थानान्तरण नीति के अनुसार स्थानान्तरण की मांग

61-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्रामीण अभियंत्रण सेवा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में कितने अवर अभियन्ता एवं लिपिक 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अनुसार उन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ठाकुर जयवीर सिंह-

05 अवर अभियंता एवं 05 लिपिक।

05 अवर अभियंताओं का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अनुसार किया गया था। किन्तु कालान्तर में शासकीय कार्य प्रभावित होने के कारण इनका स्थानान्तरण दिनांक 30-04-2008 तक के लिये स्थगित कर दिया गया है तथा 05 लिपिकों के स्थानान्तरण पर भी स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी, तह0 तथा विकास खण्ड लखीमपुर, ग्राम मथना में गाजी साहब की मजार का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कराये जाने की मांग

62-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी, तहसील तथा विकास खण्ड लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम मथना में गाजी साहब की मथना मजार है, जो लखीमपुर देवकली मार्ग से 1.5 कि0 मी0 दूर है ? क्या सरकार उक्त धार्मिक स्थान (मजार) का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जनपद लखीमपुर खीरी तहसील तथा विकास खण्ड लखीमपुर के अन्तर्गत ग्राम मथना में गाजी साहब की मजार है, जो देवकली मार्ग पर लखीमपुर से 5.5 कि0मी0 दूर है।

उक्त धार्मिक स्थल का सौन्दर्यीकरण/जीर्णोद्धार कराये जाने हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा जिला योजना वर्ष 2006-07 के अन्तर्गत रु0 4.50 लाख की योजना अनुमोदित है।

स्वीकृति की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, सीतापुर व पीलीभीत की जलमग्न भूमि व बढ़ रहे ऊसर क्षेत्र के उपचार हेतु शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना लखनऊ को दिये गये धनराशि के दुरुपयोग की जांच

63-श्री राम विशुन आजाद-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई, सीतापुर व पीलीभीत की जलमग्न भूमि व बढ़ रहे ऊसर क्षेत्र के उपचार हेतु वर्ष 2001-02 में शासन द्वारा शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना लखनऊ को दिये गये लगभग रुपये 166.5 लाख रुपये द्वारा कराये गये कार्यों में हुई भारी गड़बड़ी, अनियमितता एवं व्यहरण की वर्ष 2005-06 में जांच कराई गई थी ? यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री (श्री अशोक कुमार दोहरे)-

जी हां।

जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान उ0 प्र0 लखनऊ (वाल्नी) के विशेषज्ञ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर इस प्रकरण में कुल 26 अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये जिनमें से 18 के विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत करके अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है। 08 सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों को आरोप-पत्र गठित करके शारदा सहायक समादेश लखनऊ के पत्र संख्या-681 दिनांक 27-4-06, पत्र संख्या-682 दिनांक 27-4-2006, पत्र संख्या-815 दिनांक 2-5-2006 तथा पत्र संख्या-816 दिनांक 3-5-2006 के द्वारा कृषि विभाग को नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निमित्त भेजा गया है।

जनपद गोण्डा में तालाबों का जीर्णोद्धार

64-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-गोण्डा में अब तक कितने हेक्टेयर तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया ? क्या तालाबों में वर्तमान समय में पानी भराया गया है ? यदि हां, तो उस पर कितना धन व्यय हुआ ? क्या उक्त कार्य मानक के अनुरूप कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद गोण्डा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत अब तक 394.99 हेक्टेयर तालाबों का जीर्णोद्धार कराया गया है।

जी नहीं। वर्षा ऋतु के कारण वर्तमान समय में तालाबों में पानी भरा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त पदों को भरने की मांग

65-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में रिक्त आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों (एम0ओ0सी0एच0) के पदों को भरने की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां। प्रदेश में रिक्त आयुर्वेदिक चिकित्साधिकारियों (एम0ओ0सी0एच0) के 367 पदों को भरे जाने हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 को भेजे गये हैं। चयन की कार्यवाही प्रक्रिया में है।

प्रश्न नहीं उठता।

यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्सकों की नियुक्ति कराये जाने की मांग

66-डा0 अजय तोमर-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यूनानी चिकित्सा पद्धति के स्नातक चिकित्सकों को यूनानी चिकित्सालयों में खाली पड़े पदों पर नियुक्त करने की कोई योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

यूनानी चिकित्सालयों में चिकित्साधिकारियों के पदों पर नियुक्ति उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग के माध्यम से होती है। रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को समय-समय पर प्रेषित किये जाते हैं। लोक सेवा आयोग की संस्तुति पर नियुक्ति की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत में बड़ौत नगर पालिका परिषद् व छपरौली नगर पंचायत का सीमा विस्तार की मांग

67-डा0 अजय तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पालिका परिषद्, बड़ौत व नगर पंचायत छपरौली जनपद-बागपत के सीमा विस्तारण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो बड़ौत नगर पालिका परिषद् व छपरौली नगर पंचायत का सीमा विस्तार कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर, उस्का बाजार को टाउन एरिया बनाये जाने की मांग

68-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सिद्धार्थनगर के उस्का बाजार को टाउन एरिया बनाने के लिये कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उस्का बाजार को टाउन एरिया कब तक बना दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में सम्बन्धित ग्राम प्रधानों द्वारा अपनी लिखित सहमति नहीं दी गयी है। इस हेतु शासन के पत्र दिनांक 26-10-2007 द्वारा 'उस्का बाजार' को टाउन एरिया बनाये जाने हेतु सम्मिलित ग्रामों के ग्राम प्रधानों/पंचायती राज विभाग की लिखित सहमति प्राप्त कर, विधिवत/समुचित प्रस्ताव अविलम्ब शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर को निर्देशित कर दिया गया है, प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-सिद्धार्थनगर में पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

69-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सिद्धार्थनगर जनपद में पुलिस विभाग में कितने उप निरीक्षकों, प्रधान आरक्षियों एवं सिपाहियों के कितने पद स्वीकृत हैं व उनके सापेक्ष कितने कार्यरत हैं तथा कितने रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति करेगी ?

कु0 मायावती-

जनपद-सिद्धार्थनगर में पुलिस विभाग में उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी एवं आरक्षी के स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नवत् है :-

पदनाम	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त
उप निरीक्षक ना0 पु0	66	103	--
मुख्य आरक्षी ना0 पु0	44	36	08
आरक्षी ना0 पु0	549	601	--

उक्त जनपद में स्वीकृत नियतन से 84 पुलिस कर्मी अधिक नियुक्त हैं।

जनपद सिद्धार्थनगर में सीमा क्षेत्र के थानों को कोतवाली का दर्जा प्रदान किये जाने की मांग

70-श्री लालजी यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सिद्धार्थनगर अन्तर्गत सीमा क्षेत्र के थानों को कोतवाली का दर्जा दिये जाने विषयक प्रस्ताव शासन स्तर पर विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के अनुसार कब तक कोतवाली का दर्जा प्रदान कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में निर्माणाधीन वाईरल रिसर्च सेन्टर के संचालन हेतु कार्य योजना

71-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मेडिकल कालेज में निर्माणाधीन वाईरल रिसर्च सेन्टर के संचालन हेतु शासन द्वारा क्या कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी हां।

मेडिकल कालेज, गोरखपुर में वाईरल/जापानी इन्सेफलाइटिस बीमारी के उपचार हेतु वाईरल रिसर्च सेन्टर की स्थापना की जा चुकी है, जिसके लिए भवन बनकर तैयार हो गया है तथा पदों का सृजन भी किया जा चुका है जिन पर शीघ्र ही नियुक्तियां कर दी जायेंगी । इसके पश्चात् यह केन्द्र पूरी तरह क्रियाशील हो जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्र में आसपुर देवसरा तालाब के सौन्दर्यीकरण की जानकारी

72-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पट्टी विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ स्थित ऐतिहासिक कोटिया ब्लाक आसपुर देवसरा तालाब का सौन्दर्यीकरण कराने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं

प्रश्न नहीं उठता।

73-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

[2सरे मंगल के अता0 प्र0 सं0-50 पर स्थानान्तरित]

जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पानी में फ्लोराइड की मात्रा को कम किये जाने की मांग

74-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी में पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज्यादा है, जिससे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है , यदि हां, तो क्या सरकार इसके निवारण हेतु कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री ब्रजेश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त अधिकारी के मेडिकल प्रतिपूर्ति का भुगतान कराये जाने की मांग

75-श्री अनूप संडा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ब्रजेश प्रताप सिंह, (सेवानिवृत्त अधिकारी) का रुपये 78015.00 का मेडिकल दावा जो पत्रांक-925-ए/स्थापना प्रथम/2007, दिनांक 7 जून, 2007 को आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा स्वीकृत हुआ है ? क्या यह सत्य है कि तत्सम्बन्धी पत्रावली कोषाधिकारी, सुल्तानपुर के बजाय कोषाधिकारी, बाराबंकी को भेज दी गयी है ? यदि हां, तो इस पत्रावली को बाराबंकी भेजे जाने का क्या औचित्य है। श्री सिंह के मेडिकल दावे का भुगतान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां। श्री ब्रजेश प्रताप सिंह, सेवानिवृत्त खण्ड विकास अधिकारी के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का दावा जिला विकास अधिकारी, बाराबंकी से प्राप्त हुआ था तद्नुसार चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के आदेश कोषाधिकारी, बाराबंकी को भेजे गये। श्री सिंह द्वारा पेंशन का आहरण जनपद सुल्तानपुर से किये जाने की स्थिति में स्वीकृति आदेश जनपद-बाराबंकी से जनपद-सुल्तानपुर प्रेषित किये जाने के निर्देश आयुक्त, ग्राम्य विकास के पत्र दिनांक 22-6-07 द्वारा कोषाधिकारी, बाराबंकी को दिये गये।

श्री सिंह के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान कोषाधिकारी, सुल्तानपुर द्वारा दिनांक 09-10-07 को चेक द्वारा किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

76-श्री अनूप संडा-

[पहले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0-78 पर स्थानान्तरित]

लखनऊ के लेखराज बिल्डर्स द्वारा सेक्टर-17 राजाजीपुरम् में लेखराज रेजीडेन्सी फेज-2 में अग्निशमन की सुविधा मानकों के अनुरूप न बनाये जाने विषयक-पत्र पर कार्यवाही

77-श्री सुखलाल-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्रीमती तहसीन बानो आर-6 निवासी लेखराज रेजीडेन्सी, फेस-2, सेक्टर-17, राजाजीपुरम्, लखनऊ का, लेखराज बिल्डर्स द्वारा बनाये गये, सेक्टर-17 राजाजीपुरम् लखनऊ स्थित लेखराज रेजीडेंसी फेस-2 में अग्निशमन की सुविधा मानक के अनुरूप न होने विषयक शिकायती-पत्र दिनांक 09-07-07 मुख्य अग्निशमन अधिकारी, फायर स्टेशन, हजरतगंज, लखनऊ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां, प्रश्नगत शिकायती-पत्र दिनांक 09-07-2007 प्राप्त हुआ। प्रकरण में भवन के जांचोपरान्त अग्नि सुरक्षा व्यवस्था मानक के अनुरूप न पाये जाने के कारण उ0प्र0 अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2005 की धारा-4 के अन्तर्गत भवन निर्माता को दिनांक 27-09-2007 को नोटिस निर्गत की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर में विवेकानन्द अस्पताल से गुडम्बा/स्पोर्ट्स कालेज की तरफ जाने वाली सड़क से अतिक्रमण हटाये जाने की मांग

78-श्री राम विशुन आजाद-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विवेकानन्द अस्पताल, निरालानगर, लखनऊ से गुडम्बा/स्पोर्ट्स कालेज, लखनऊ की ओर जाने वाली सड़क पर अतिक्रमण किये जाने के कारण आवागमन बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो अतिक्रमण कब तक हटाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

अस्थाई अतिक्रमण समय-समय पर नगर निगम द्वारा अभियान चलाकर हटाया जाता है। जहां तक स्थायी अतिक्रमण हटाये जाने का प्रश्न है चूंकि प्रश्नगत सड़क लोक निर्माण विभाग के स्वामित्व में है।

अतः उक्त सड़क से स्थायी अतिक्रमण हटाने का दायित्व लोक निर्माण विभाग का है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर नगर में नगर निगम द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में छात्रों की संख्या के अनुरूप सहायक अध्यापकों की नियुक्ति

79-श्री सुल्तान बेग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर में नगर निगम द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट कालेजों में छात्रों की संख्या के अनुपात में सहायक अध्यापिकायें कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो क्या सरकार शिक्षण कार्य सुचारु रूप से चलाने हेतु उक्त कालेजों में वर्ष 2006 में सेवा से पृथक की गयी 120 सहायक अध्यापिकाओं को पुनः सेवा में बहाल करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या-55698/06, श्रीमती इन्दु त्रिपाठी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 15-11-2006 के विरुद्ध रिकाल अप्लीकेशन में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित संशोधित आदेश दिनांक 11-05-2007 के परीक्षणोंपरान्त यह पाया गया कि पूर्व नियत वेतन की नियुक्तियां नियमानुसार प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं की गई हैं। अतः विज्ञापन के माध्यम से आवेदन-पत्र प्राप्त कर वित्त विहीन मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अंशकालीन नियत वेतन शिक्षिकाओं की नियुक्ति की कार्यवाही की जा रही है।

80-श्री मदन भैया-

[दूसरे बुधवार के अता0 प्र0 सं0-99 पर स्थानान्तरित]

लखनऊ शहर में सुअरों को पकड़े जाने हेतु अभियान

81-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ शहर में प्रतिबन्धित सुअरों को पकड़ने हेतु विगत दो माह जुलाई एवं अगस्त, 2007 में कितनी बार अभियान चलाया गया और उसमें कितने सुअर पकड़े गये ? क्या उक्त अभियान अनवरत रूप से चलाया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर निगम में पिग कैचर न होने के कारण सुअरों को पकड़ने हेतु विगत दो माह जुलाई व अगस्त, 2007 में कोई अभियान नहीं चलाया गया।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय क्षेत्र पंचायतों में समग्र ग्राम योजना में ग्रामों का चयन एवं मानक के अनुसार इन्दिरा आवास के चयन एवं उसमें हुई अनियमितता की जानकारी

82-श्री राम विशुन आजाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-गोण्डा में वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में क्षेत्र पंचायत मनकापुर, छपिया, वजीरगंज एवं नवाबगंज में समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत कितने ग्रामों का चयन किया गया ? क्या सरकार को जानकारी है कि चयनित ग्रामों में इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन मानक के अनुसार नहीं किया गया है ? क्या सरकार उपरोक्त में हुई अनियमितता की जांच करवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जनपद गोण्डा में समग्र ग्राम योजना के अन्तर्गत वर्ष 2003-04, 2004-05, 2005-06 एवं 2006-07 में क्षेत्र पंचायत मनकापुर में 27 ग्राम, छपिया में 19 ग्राम, वजीरगंज में 23 ग्राम एवं नवाबगंज में 30 ग्राम इस प्रकार कुल 99 समग्र ग्रामों का चयन किया गया।

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत भारत सरकार के दिशा-निर्देश में निहित प्राविधानों के अनुरूप ग्राम सभा की खुली बैठक में पारित प्रस्ताव के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले आवास विहीन पात्र लाभार्थियों का चयन मानक के अनुरूप किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ में ब्लाकवार तालाबों की खुदाई एवं धन आवंटन

83-श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2006-2007 एवं वर्ष 2007-2008 में ब्लाकवार किन-किन तालाबों की खुदाई हेतु कितना धन आवंटित किया गया है ? क्या आवंटित धन के सापेक्ष मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण करा लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार कराये गये कार्यों का भौतिक सत्यापन कराकर मानक के अनुरूप कार्य न होने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र नौगढ़ के अन्तर्गत वर्ष 2006-07 में तालाबों की खुदाई हेतु विकास खण्ड उस्का में 09 तालाबों हेतु रु0 16,48,800/- विकास खण्ड नौगढ़ में 02 तालाबों हेतु रु0 2,28,400/- विकास खण्ड बर्डपुर में 04 तालाबों हेतु रु0 3,03,300/- विकास खण्ड लोटन में 08 तालाबों हेतु रु0 9,41,100/- तथा विकास खण्ड जोगिया में 04 तालाबों हेतु रु0 4,92,630/- आवंटित किये गये।

वर्ष 2007-08 के लिए जिलेवार फोट आवंटित कर दिया गया है। जिलों के भीतर गाइड लाइन्स में दी गयी व्यवस्था के अनुसार धनराशि आवंटित की जाएगी।

जी हां, मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण कराया गया है। स्थलीय सत्यापन में कोई अनियमितता नहीं पायी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के तहसील बिलासपुर में स्थित थाने के नये भवन निर्माण की मांग

84-श्री संजय कपूर-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद रामपुर की तहसील-बिलासपुर में स्थित थाने का भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है और थाने का नया भवन बनाये जाने का प्रस्ताव शासन स्तर पर विचराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार नये भवन का निर्माण शीघ्र कराये जाने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर का भवन काफी पुराना एवं जर्जर स्थिति में है। थानों के नये भवनों का निर्माण आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रीय सहायता से कराया जाता है। आधुनिकीकरण योजना में भारत सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से सीमित धनराशि प्रदान की जा रही है, जिससे सभी थानों के भवनों का निर्माण कराया जाना सम्भव नहीं हो पाता है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में काशी के घाटों को साफ सुथरा रखने एवं रोशनी किये जाने हेतु कार्यवाही

85-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि काशी के घाटों को अनिवार्य रूप से साफ-सुथरा रखने एवं सभी घाटों पर रोशनी किये जाने हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही कर रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

पर्यटन विभाग द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरवन रिन्यूवल मिशन योजना के अन्तर्गत घाटों के सौन्दर्यीकरण हेतु रुपया 42.00 करोड़ की डी0पी0आर0 बनाकर निदेशक, स्थानीय निकाय को

प्रेषित की गयी है, जो परीक्षणाधीन है। स्टेट लेवल स्टेरिंग कमेटी के अनुमोदनोपरान्त डी0पी0आर0 केन्द्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार भेजी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

86-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

[तीसरे बुधवार के अता0प्र0सं0-37 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद कानपुर की यातायात व्यवस्था के सुधार की कार्य योजना

87-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की यातायात व्यवस्था ठीक न होने के कारण आये दिन दुर्घटनायें होती रहती हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यातायात व्यवस्था के सुधार हेतु कोई कार्य योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसे कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

कानपुर शहर में हो रहे अत्यधिक विस्तार, आबादी में एवं वाहनों की अप्रत्याशित वृद्धि के फलस्वरूप होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं यातायात के सुगम संचालन के लिए योजना बनाकर चरणबद्ध रूप से लागू करने हेतु समुचित निर्देश निर्गत कर उनका क्रियान्वयन कराया जा रहा है। बनायी गयी योजनानुसार जनपदीय यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है।

उपरोक्त सम्बन्ध में बनाई गई योजनाओं का विवरण निम्नवत् है :-

सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु जनपद स्तर पर एम्बुलेंस तथा क्रेनें व्यवस्थापित की गयी हैं। एम्बुलेंस तत्काल घटनास्थल पर पहुंच कर घायल को निकट के अस्पताल में पहुंचाकर त्वरित चिकित्सीय सहायता उपलब्ध कराती है तथा क्रेन सड़क दुर्घटना से प्रभावित वाहनों को तत्काल हटाकर मार्ग को अवरुद्ध होने से बचाती है।

प्रभावी प्रवर्तन कार्य हेतु जनपदों को विभिन्न प्रकार के आधुनिकतम उपकरण जैसे-स्पीड राडार विद प्रिन्टर एवं वीडियो कैमरा, ब्रेथ एनालाइजर, सेफ्टीबार टार्च एवं व्हील क्लैम्प आदि उपकरण उपलब्ध कराये गये हैं। हेलमेट, सीट बेल्ट पहनने तथा वाहन चलाते समय मोबाईल फोन का उपयोग न करने आदि सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर विशेष अभियान भी चलाये गये हैं।

लाल-नीली बत्ती/फ्लैशर, शीशों पर अपारदर्शी/काली फिल्म, हूटर/साइरन, प्रेशर हार्न, गलत नम्बर प्लेट, बोर्ड व पदनाम पट्टिका आदि की रोकथाम के सम्बन्ध में विशेष अभियान चलाकर प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है।

इसके अतिरिक्त दुर्घटना बाहुल्य क्षेत्रों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर गति सीमा निर्धारित करने, पार्किंग प्रतिबन्धित करने एवं मैन्डेटरी बोर्ड/ संकेतक लगवाना सुनिश्चित कराने, सड़क पर से खतरनाक होर्डिंग व यातायात बाधित करने वाली होर्डिंग्स हटवाने, विगत में लागू किये गये एकल दिशा मार्गों का कड़ाई से पालन कराये जाने, बाजारों व व्यस्त संकरे मार्गों पर भली प्रकार परीक्षण कर नये एकल दिशा मार्ग लागू कराये जाने के सम्बन्ध में यातायात निदेशालय द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में जनपदीय स्तर से नगर निगम, लोक निर्माण विभाग व अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से मार्गों पर

प्रत्यावर्तक, गति सीमा, स्कूल मार्ग के निकट होने आदि के सम्बन्ध में संकेतकों को स्थापित किया गया है।

छात्र-छात्राओं/वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने हेतु नियमित रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराये जा रहे हैं।

प्रधानाचार्य व अभिभावकों से सम्पर्क कर उन्हें भी उनके दायित्वों के लिए जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को स्कूल छूटने पर सड़क पार करने हेतु विशेष व्यवस्था कराई गई है। वाहन चलाते समय चालकों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं के सम्बन्ध में यातायात पुलिस द्वारा चालकों को एकत्रित कर लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उपरोक्त योजनाओं का क्रियान्वयन निरंतर जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर में बन्द पड़े तारामण्डल के पुनर्संचालन हेतु योजना

88-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर में बन्द पड़े तारामण्डल के पुनर्संचालन हेतु शासन की कोई कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री अब्दुल मन्नान)-

जी, हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षक, नर्सेज एवं वार्ड ब्वाय की तैनाती की मांग

89-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विभिन्न राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षक, नर्सेज एवं वार्ड ब्वाय कार्यरत हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार तैनाती कब तक कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

प्रदेश के विभिन्न राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में मानक के अनुसार शिक्षक, नर्सेज एवं वार्ड ब्वाय कार्यरत नहीं हैं।

शीघ्रातिशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुरूप नगरों में पार्किंग व पेशाबघर बनाये जाने पर विचार

90-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी तथा उसके अनुरूप आवश्यकता को देखते हुए नगरों में पार्किंग व पेशाबघर बनवाने पर विचार किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी तथा उसके अनुरूप आवश्यकता को देखते हुए भारत सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूवल मिशन तथा यू0 आई0 डी0 एस0 एम0 टी0 आदि योजनाओं के अन्तर्गत बनायी जाने वाली कार्य योजनाओं में पार्किंग व पेशाबघर बनाये जाने को भी सम्मिलित किया जा सकता है। योजना बनाने का दायित्व सम्बन्धित निकाय का है, क्योंकि वित्तीय सहमति व योजना के रखरखाव की वचनबद्धता सम्बन्धित निकायों को देनी पड़ती है, अतः समय सीमा निश्चित नहीं की जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में कतिपय मार्गों पर राहगीरों से लूटपाट की घटना

91-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 7 अगस्त, 2007 की रात जनपद मुजफ्फरनगर के कैराना-झिंझाना मार्ग पर ईंट भट्ठे के निकट सिसौली-सावट मार्ग तथा लालूखेड़ी फुगाना मार्ग पर बदमाशों द्वारा राहगीरों के साथ लूटपाट की गयी ? यदि हां, तो अब तक कितने लुटेरों को पकड़ा गया तथा लूटे गये माल की कितनी बरामदगी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 07 अगस्त, 2007 को प्रश्नगत लूट की घटना का घटित होना नहीं पाया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर में भोपा मार्ग पर लुटेरों द्वारा बस में हुई लूटपाट की घटना

92-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 6 अगस्त, 2007 को दिन के लगभग 11 बजे मुजफ्फरनगर-भोपा मार्ग पर लुटेरों द्वारा भंदूर पुलिस चौकी से चन्द कदम दूर बस रुकवाकर यात्रियों से लाखों रुपये की लूट की गयी तथा तमंचों एवं अन्य हथियारों से यात्रियों को गम्भीर रूप से जख्मी किया ? यदि हां, तो अभी तक लुटेरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 06 अगस्त, 2007 को प्रश्नगत लूट की घटना का घटित होना नहीं पाया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामों को नगर पंचायत घोषित करने का मानक तथा मुजफ्फरनगर के ग्राम-बघरा को नगर पंचायत घोषित करने की मांग

93-श्री पंकज मलिक-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किसी गांव को नगर पंचायत घोषित करने के क्या मानक हैं ? क्या ग्राम बघरा नगर पंचायत घोषित होने के मानक पूरा करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम बघरा को नगर पंचायत घोषित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-3 के खण्ड (1) में यह प्राविधान है कि संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन श्री राज्यपाल द्वारा अधिसूचना में विर्निदिष्ट कोई क्षेत्र जिसकी सीमायें उसमें विर्निदिष्ट हो, यथास्थिति, संक्रमणशील क्षेत्र या लघुत्तर नगरीय क्षेत्र होगा।

(2) श्री राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन किसी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा उपधारा (1) में, यथा स्थिति निर्दिष्ट किसी संक्रमणशील क्षेत्र या लघुउत्तर नगरीय क्षेत्र में से किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकते हैं या उसमें से किसी क्षेत्र को निकाल सकते हैं।

(3) [उपधारा (1) और (2) में निर्दिष्ट अधिसूचनायें] इस शर्त के अधीन होगी कि ऐसी अधिसूचना धारा-9 द्वारा अपेक्षित पूर्व प्रकाशन के पश्चात् जारी की जाय और इस धारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे किसी क्षेत्र को जो छावनी हो अथवा किसी छावनी का भाग हो इस धारा के अधीन संक्रमणशील क्षेत्र अथवा लघुत्तर नगरीय क्षेत्र घोषित नहीं किया जायेगा और न उसमें सम्मिलित किया जायेगा।

प्रदेश के किसी भी नगर, गांव, उप नगर, बाजार या बसे हुए स्थान को टाउन एरिया में परिवर्तित किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 10 सितम्बर, 1986 में निम्न मानक निर्धारित है :-

1-प्रस्तावित क्षेत्र की आय रु0 30,000.00 या उससे अधिक होनी चाहिए।

2-प्रस्तावित क्षेत्र के 75 प्रतिशत या उससे अधिक लोगों का व्यवसाय कृषि के अतिरिक्त अन्य होना चाहिए।

3-प्रस्तावित क्षेत्र में सड़क यातायात अच्छा होना चाहिए।

4-प्रस्तावित क्षेत्र में शहरी गुण तथा पुलिस थाना, विकास खण्ड, आस-पास व्यवसाय केन्द्र, स्कूल, हेल्थ सेन्टर, बिजली, बैंक, पोस्ट आफिस आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

प्रस्तावित नगर पंचायत बघरा में सम्मिलित होने वाली ग्राम सभाओं की नगर पंचायत में सम्मिलित होने हेतु उनकी सहमति एवं ग्राम सभा बघरा को नगर पंचायत बनाये जाने हेतु निदेशक, पंचायती राज की अनापत्ति उपलब्ध कराये जाने हेतु शासन के पत्र दिनांक 26-10-2007 द्वारा जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर को निर्देश दिये गये हैं तथा प्रकरण में निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ की आख्या/संस्तुति भी मांगी गयी है।

जनपद कानपुर में आबादी के मानक के अनुसार यातायात सिपाही की तैनाती की मांग

94-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद कानपुर में आबादी के मानक के अनुसार यातायात सिपाही तैनात हैं ? यदि नहीं, तो मानक के अनुसार यातायात सिपाही कब तक तैनात कर दिये जायेंगे ?

कु0 मायावती-

यातायात पुलिस का अलग से मानक निर्धारित नहीं।

प्रश्न नहीं उठता। लगभग 45 लाख की जनसंख्या वाले जनपद कानपुर नगर में वर्तमान में यातायात निरीक्षक का 1, यातायात उपनिरीक्षक का 12, मुख्य आरक्षी यातायात का 40 एवं कान्स0 का 400 का स्वीकृत नियतन हैं इसके सापेक्ष आरक्षी को छोड़कर शेष सभी पदों की रिक्तियां पूर्ण हैं। वर्तमान समय में जनपद में 176 कान्स0 नियुक्त हैं। जनपद कानपुर नगर ही नहीं अपितु प्रदेश के सभी जनपदों में आरक्षियों की पूर्ति हेतु जनपद के सशस्त्र पुलिस के आरक्षियों को समय-समय पर सशस्त्र प्रशिक्षण केन्द्र, सीतापुर में आरक्षी यातायात प्रशिक्षण कोर्स करा करके चरणबद्ध क्रम में यातायात पुलिस बल में नियुक्त किया जाता है।

प्रदेश में हैण्ड पम्पों के रि-बोर हेतु जिलेवार स्वीकृत धनराशि

95-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शासन द्वारा हैण्ड पम्पों के रि-बोर हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है ? इस मद से जिलेवार कितनी-कितनी धनराशि अभी तक भेजी जा चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जिला योजना (सामान्य) के अन्तर्गत नगरीय क्षेत्र में जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2007-08 में कुल रु0 50.00 करोड़ की धनराशि स्वीकृत कर जिलाधिकारियों के निवर्तन पर रखी गयी है, जिसमें कुल 2039 हैण्डपम्पों के रि-बोर हेतु धनराशि भी सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों हेतु हैण्डपम्पों के रि-बोर हेतु अलग से धनराशि स्वीकृत नहीं की जाती है। ग्रामीण पेयजल मद में रु0 8371.12 लाख की धनराशि जिलेवार भेजी जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्तमान वर्ष में सी0पी0एम0टी0 के त्रुटिपूर्ण परिणाम के फलस्वरूप अभ्यर्थियों द्वारा आत्महत्या के उपरान्त उनके परिजनों को आर्थिक सहायता की मांग

96-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस वर्ष सी0पी0एम0टी0 का त्रुटिपूर्ण परिणाम आने के कारण प्रदेश में कितने अभ्यर्थियों ने आत्महत्या की है ? क्या सरकार उन बच्चों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली के ग्राम गरीबखेड़ा में इन्दिरा आवास एवं शौचालय के निर्माण पूर्ण कराने का निर्धारित लक्ष्य

97-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गरीबखेड़ा, मजरे पश्चिम गांव विकास खण्ड हरचन्दपुर जिला रायबरेली में 14 परिवारों के लिए इन्दिरा आवास एवं शौचालयों का निर्माण कार्य वर्ष 2006-07 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य रखा गया था ? यदि हां, तो क्या निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत मजरे का लक्ष्य निर्धारित नहीं होता अपितु राजस्व ग्राम का लक्ष्य निर्धारित होता है। ग्राम-पश्चिमगांव विकास खण्ड-हरचन्दपुर जनपद रायबरेली में वर्ष 2006-07 हेतु कुल 74 आवासों/शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष सभी 74 आवासों एवं शौचालयों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है।

जनपद रायबरेली के थाना शाही में अभियुक्तों की गिरफ्तारी

98-श्री सुल्तान बेग-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद रायबरेली के थाना शाही में मु0अ0सं0 266/07 व 267/07 दिनांक 30-3-2007 दर्ज हुआ है ? यदि हां, तो क्या अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गयी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी नहीं।

विवेचना विशेष अपराध अनुसंधान शाखा द्वारा प्रचलित है, अभी तक अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। गिरफ्तारी हेतु सघन प्रयास जारी है।

जनपद हरदोई के नगर पंचायत माधौगंज स्थित बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत की मांग

99-श्री सुल्तान बेग-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई नगर पंचायत माधौगंज स्थित बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन तक कस्बे के अन्दर का मुख्य मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

नगर पंचायत बोर्ड में प्रस्ताव पारित कराकर शीघ्र क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ में बजरंग नगर (कृष्णा नगर) की पहली गली में नाली व सड़क को लेपन स्तर तक निर्माण कराने की मांग

100-श्री राम विशुन आजाद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ में कानपुर रोड स्थित बजरंग नगर (कृष्णानगर) के पहली गली में मकान नं0 30 से 35 के सामने कच्ची सड़क होने के कारण बरसात का पानी भर जाने के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गली में नाली व सड़क को लेपन स्तर तक निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर निगम, लखनऊ द्वारा उक्त गली का व्ययानुमान धनांक रुपया 2.00 लाख का तैयार किया गया है। स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बड़हरी निवासी की नान्हू के मारे जाने विषयक-पत्र

101-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बनवारी पुत्र श्री नान्हू निवासी गौरा बड़हरी जनपद सिद्धार्थनगर के मारे जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28 जून, 2007 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

श्री जगराम, निवासी ग्राम नबेल, जनपद सिद्धार्थनगर को पुलिस द्वारा उत्पीड़न किए जाने विषयक प्रार्थना-पत्र

102-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जगराम निवासी ग्राम नबेल जनपद सिद्धार्थनगर का पुलिस द्वारा उत्पीड़न किया जाने विषयक प्रार्थना-पत्र जो संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 28 जून, 07 को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं, लेकिन इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य से दिनांक 28-06-2007 एवं 10-07-2007 को नियम-51 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई थी।

उक्त सूचना के सम्बन्ध में दिनांक 13-07-2007 को सदन में वक्तव्य निर्धारित किया गया था। पूर्ण विवरण वक्तव्य के माध्यम से दिनांक 13-7-2007 को सदन के पटल पर रखा जा चुका है।

जनपद सिद्धार्थनगर के पथरा बाजार में स्थित आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी स्टाफ व दवाओं की कमी के निराकरण की मांग

103-श्री लालजी वर्मा-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत बांसी विधान सभा क्षेत्र के पथरा बाजार में स्थापित आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी पर कौन-कौन चिकित्सक फार्मासिस्ट, वार्ड ब्वाय तैनात है ? क्या सरकार स्टाफ व दवाओं की कमी का निराकरण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

चिकित्साधिकारी का पद रिक्त है। चिकित्सालय के सुचारु रूप से संचालन हेतु क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, सिद्धार्थनगर को स्थानीय व्यवस्था में किसी चिकित्साधिकारी को सप्ताह में 03 दिन सम्बद्ध करने के निर्देश दिये गये हैं। प्रश्नगत चिकित्सालय में फार्मासिस्ट के पद पर श्री कृष्ण मोहन उपाध्याय तथा वार्ड ब्वाय के पद पर श्री राम लाल तैनात है।

पूर्णकालिक चिकित्सक की तैनाती शीघ्रातिशीघ्र की जायेगी। प्रश्नगत चिकित्सालय में औषधियों की कमी नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में खराब हैण्डपम्पों को ठीक कराने की मांग

104-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज में वर्ष 2005-2006 व 2006-2007 में कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प स्वीकृत किये गये हैं तथा कितने हैण्डपम्प लगा दिये गये हैं एवं वर्तमान में कितने खराब हैं ? खराब हैण्डपम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-मैनपुरी के विकास खण्ड-सुल्तानगंज में वर्ष 2005-2006 में 425 तथा वर्ष 2006-2007 में 377 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प (कुल 802) स्वीकृत किये गये थे, जिसके सापेक्ष समस्त स्वीकृत हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये हैं, एवं वर्तमान में उक्त में से कोई भी हैण्डपम्प खराब नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के नगर पंचायत भोगांव स्थित टैक्सी स्टैण्ड के ठेके की नीलामी

105-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत भोगांव जनपद मैनपुरी स्थित टैक्सी स्टैण्ड के ठेके की नीलामी खुली बैठक में कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

गत वर्षों में नगर पंचायत द्वारा टैक्सी स्टैण्ड का ठेका उठाये जाने पर ठेकेदार द्वारा गुण्डागर्दी, जबरन अवैध वसूली करने तथा ठेकेदार व टैक्सी चालकों में मारपीट किये जाने के कारण समिति नगर पंचायत भोगांव द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि वर्ष 2007-08 में टैक्सी स्टैण्ड के ठेके की नीलामी न करके जनहित में नगर पंचायत स्वयं वसूली करायेगी।

इलाहाबाद शहर के कतिपय मुहल्ले में हो रहे जल भराव की समस्या के निराकरण की योजना

106-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद महानगर में अल्लापुर, टैगोर टाउन, एल0आई0सी0 कालोनी, जार्ज टाउन, मलाकराज, नया बैहराना एवं छीतपुर आदि मुहल्लों में जल भराव समस्या को दूर करने हेतु शासन में कोई योजना विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त समस्या का निदान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

इलाहाबाद महानगर में अल्लापुर, टैगोर टाउन, एल0आई0सी0 कालोनी, जार्ज टाउन, मलाकराज, नया बैहराना एवं छीतपुर आदि मुहल्लों में जल भराव समस्या को दूर करने हेतु जवाहर लाल नेहरू रोड पर रेलवे पुल संख्या-174 पर लगभग 3.30 मीटर लम्बाई में आर0सी0सी0 नाले का निर्माण, बक्शी खुर्द से बक्शी बांध तक 901 मीटर नाले का निर्माण एवं प्रयागघाट रेलवे ट्रैक के नीचे आर0सी0सी0 कनवर्ट का निर्माण उत्तर प्रदेश जल निगम (द्वितीय शाखा), इलाहाबाद तथा सिंचाई विभाग द्वारा बक्शी बांध पर स्लूज गेट का निर्माण कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त इलाहाबाद महानगर में शहर के बाहरी छोरों पर पम्पिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है जो जल निगम द्वारा संचालित है जिसमें मोरी गेट, बक्शी बांध, चाचर नाला, मम्फोर्डगंज, गेट नं0-9, गेट नं0-13, ई0सी0सी0 व गेट नं0-1 से 5 तक बाढ़ पम्पिंग स्टेशनों की स्थापना की गयी है जिससे गंगा-यमुना जल-स्तर में बढ़ोत्तरी होने पर गेट बन्द होने एवं अतिवृष्टि होने की स्थिति में पम्पिंग स्टेशनों पर स्थापित पम्प द्वारा जल-निकासी की जाती है।

जनपद कन्नौज के थाना छिबरामऊ में एस0बी0आई0 कर्मचारी की हत्या की जांच

107-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 14/15-12-06 की रात्रि को थाना छिबरामऊ जिला कन्नौज के अन्तर्गत एस0बी0आई0 कर्मचारी राजेश त्रिवेदी की थाना छिबरामऊ क्षेत्र में हत्या कर

दी गयी ? यदि हां, तो मृतक परिवार वालों ने जिन लोगों को अपने प्रार्थना-पत्र में नामजद किया है, उनकी गिरफ्तारी 6 माह बीत जाने के बाद क्यों नहीं की गयी ? क्या सरकार इसकी उचित जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

मृतक के पिता द्वारा दिये गये प्रार्थना पत्र दिनांक 8-1-07 में 5 व्यक्तियों 1-अवध बिहारी दीक्षित 2-दिनेश चन्द्र दुबे 3-सुनील कुमार दुबे 4-चकेश दीक्षित 5-सारस्वत पर अपने लड़के की हत्या किये जाने का आरोप अंकित किया गया है। प्रार्थना पत्र में किसी चश्मदीद साक्षी अथवा अन्य किसी साक्षी का नाम अंकित नहीं है। विवेचना के दौरान जनपद शाहजहांपुर के दो गवाहों द्वारा दिनांक 1-10-07 को न्यायालय के समक्ष अपने बयान अंकित कराये गये, अभियुक्तगण 1-दिनेश चन्द्र दुबे 2-चकेश दीक्षित 3-अवध बिहारी द्वारा ही अपने जुर्म इकबाल किये जाने की बात अंकित करायी गयी है।

इस प्रकार घटना में प्रकाश में आये तीन अभियुक्तों में से अभियुक्त दिनेश चन्द्र को दिनांक 9-9-07 व चकेश दीक्षित को दिनांक 24-10-07 को गिरफ्तार किया जा चुका है, अवध बिहारी दीक्षित की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका परिषद्, शाहजहांपुर में कार्यरत सफाई कर्मचारी

108-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि शाहजहांपुर नगर में कितने सफाई कर्मचारी नगरपालिका में कार्यरत हैं ? क्या सफाई कर्मचारी एक शिफ्ट में कार्य करते हैं अथवा दोनों शिफ्टों में ? क्या सरकार को जानकारी है कि नगर के बीच मो0 बहादुरगंज चमकनी में इस्लामिया इण्टर कालेज तथा पावर हाऊस विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कार्यालय के पूरब में घनी बसी आबादी के बीच चार बीघे का मैदान था, पर कूड़ा डालकर कूड़ाघर बनाया जा रहा है जिससे नगर में भयंकर बीमारी फैलने की आशंका बनी हुई है ? यदि हां, तो सरकार इसके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पालिका परिषद्, शाहजहांपुर में 396 नियमित सफाई कर्मचारी और 198 संविदा पर सफाई कर्मचारी नियुक्त है।

दोनों शिफ्टों में।

नगर के मध्य मो0 बहादुरगंज चमकनी में इस्लामिया इण्टर कालेज तथा पावर हाउस विद्युत वितरण खण्ड द्वितीय कार्यालय के पूरब में मैदान स्थित है, जो कि रेलवे विभाग की सम्पत्ति है।

इस मैदान पर नगर पालिका परिषद् द्वारा कूड़ा नहीं डाला जा रहा है बल्कि वहां स्थानीय जनता एवं निकट की सब्जी मण्डी के सब्जी विक्रेताओं द्वारा कूड़ा डाला जाता है।

उक्त मैदान रेलवे विभाग की सम्पत्ति है। अतः इस सम्बन्ध में स्थायी निदान हेतु नगर पालिका परिषद् द्वारा रेलवे विभाग से अनुरोध किया गया है। उक्त मैदान में स्थानीय जनता एवं सब्जी विक्रेताओं द्वारा डाले जा रहे कूड़े को पालिका द्वारा सप्ताह में दो बार ट्रालियों से उठाने का कार्य किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सीतापुर के तहसील महमूदाबाद में स्थायी अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

109-श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील महमूदाबाद, जनपद सीतापुर में अस्थायी फायरब्रिगेड केन्द्र को स्थाई (भवन आदि) करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत प्रश्नगत अग्निशमन केन्द्र को स्थायी (भवन आदि) करने की कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर श्री शमशेर सिंह द्वारा किये गये दुष्कर्म से संबंधित शिकायती-पत्र की जांच

110-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक 20-8-2007 को श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री राम बहोरन, ग्राम कुसुम्ही, जनपद सिद्धार्थनगर के साथ थानाध्यक्ष त्रिलोकपुर (शमशेर सिंह) द्वारा किये गये दुष्कर्म से सम्बन्धित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है ?

कु0 मायावती-

विषयगत मा0 विधायक का पत्र दिनांक 20-8-2007 नहीं परन्तु इसी विषय से सम्बन्धित पत्र दिनांक 17-8-07 शासन को प्राप्त हुआ है जिसकी जांच पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर से करायी गयी। मा0 विधायक के पत्र के साथ संलग्न श्रीमती सुदामा देवी पत्नी श्री रामबहोरन ग्राम-कुसुम्ही थाना-त्रिलोकपुर, जनपद-सिद्धार्थनगर के शिकायती प्रार्थना-पत्र में थानाध्यक्ष के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है तथा जांच के दौरान श्रीमती सुदामा देवी द्वारा यह अवगत कराया गया है कि शिकायती-पत्र फर्जी है, उनके द्वारा कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है। न ही उनका निशानी अगूँठा है।

जनपद सिद्धार्थनगर के बिसमिल्लाह सा0 इन्द्रीग्रान्ट की जमीन पर पुलिस द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

111-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिसमिल्लाह सा0 इन्द्रीग्रान्ट,सिद्धार्थनगर की जमीन पर पुलिस द्वारा कब्जा किये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक

13 जुलाई, 07 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर द्वारा करायी गयी। जांच में आवेदक का खेत जबरन जुतवा देने एवं प्रार्थना-पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

लखनऊ की मलिन बस्तियों के विकास हेतु सूडा/डूडा विभाग से आवंटित धनराशि तथा प्रस्तावित कार्यों की जानकारी

112-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ की मलिन बस्तियों के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में सूडा/डूडा विभाग से कितना धन आवंटित किया गया है तथा उसमें कौन से कार्य प्रस्तावित हैं ?

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (डा0 यशवन्त सिंह)-

मध्य विधान सभा क्षेत्र लखनऊ की मलिन बस्तियों के विकास हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष में सूडा/डूडा विभाग से अभी तक कोई धन आवंटित नहीं किया गया है। अतः कार्य प्रस्तावित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता है।

राजाजीपुरम वार्ड में पेयजल की समस्या हेतु ट्यूबवेल लगाये जाने की मांग

113-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र स्थित राजाजीपुरम् वार्ड में ब्लाक ए,बी की पेयजल समस्या का निराकरण करने के लिए क्या सरकार ए-ब्लाक में ट्यूबवेल लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, परन्तु नलकूप ए-ब्लाक के स्थान पर बी-ब्लाक, लक्ष्मीबाई पार्क, राजाजीपुरम् में प्रस्तावित किया गया है।

धनावंटन होने के उपरान्त उक्त ट्यूबवेल लगवाया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु उपलब्ध धनराशि

114-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बी0आर0डी0 मेडिकल गोरखपुर को वर्ष 2005-2006, 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यों हेतु किन-किन मदों में शासन ने कितना धन उपलब्ध कराया और उसके सापेक्ष क्या-क्या कार्य कराये गये ? क्या इनकी गुणवत्ता की जांच की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर को वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा वर्ष 2007-08 में निर्माण एवं अनुरक्षण कार्यो हेतु उपलब्ध करायी गयी धनराशि का विवरण निम्नवत् है :--

वित्तीय वर्ष 2005-06

निर्माण कार्य	अनुरक्षण मद
146.14 लाख	1062.59 लाख

वित्तीय वर्ष 2006-07

निर्माण कार्य	अनुरक्षण मद
1096.60 लाख	21.70 लाख

वित्तीय वर्ष 2007-08

निर्माण कार्य	अनुरक्षण मद
239.98 लाख	21.70 लाख

वित्तीय वर्ष 2005-06 में 12वें वित्त आयोग को संस्तुतियों के अन्तर्गत आवंटित धनराशि से मेडिकल कालेज, गोरखपुर के भवनों एवं छात्रावासों के अनुरक्षण एवं नवीनीकरण इत्यादि के कार्य कराये गये।

वित्तीय वर्ष 2005-06 में अनुरक्षण तथा लघु निर्माण कार्य के अन्तर्गत नियमित उपलब्ध कराये गये बजट से विद्युत उपकरणों को मरम्मत, सब स्टेशन के पैनल को मरम्मत, सीवर पम्पों की मरम्मत, वाटर सप्लाई इत्यादि के कार्य के साथ-साथ आवासीय एवं अनावासीय भावनों के वार्षिक मरम्मत के कार्य कराये गये।

वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुरक्षण, लघु निर्माण कार्य तथा वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष 151 कमरों के छात्रावास के निर्माण कार्य, माइक्रोबायोलॉजी, फोरेन्सिक मेडिसिन, लाइब्रेरी के विस्तार एवं 50 नग गैरेज का विस्तार, टी0बी0 एवं लंग्स वार्ड तथा ओ0पी0डी0 का विस्तार, मस्तिष्क ज्वर शोध केन्द्र की स्थापना, फार्मेसी, नर्सिंग एवं अन्य पैरा मेडिकल कालेज के भवन निर्माण के कार्य कराये गये।

उक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2005-06, 2006-07 तथा वित्तीय वर्ष 2007-08 में वृहद निर्माण कार्य के अन्तर्गत आवंटित कुल धनराशि रु0 654.84 लाख से मस्तिष्क ज्वर शोध केन्द्र की स्थापना का कार्य भी कराया गया है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा महानगर में हुये दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को प्रदेश सरकार द्वारा प्रदत्त क्षतिपूर्ति व मुआवजा

115-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद आगरा महानगर में दिनांक 29 अगस्त, 2007 को हुए दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के नुकसान का प्रदेश सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति एवं मुआवजा प्रदान किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 29 अगस्त, 2007 को आगरा महानगर में घटित घटना में प्रभावित व्यक्तियों (मृतकों/घायलों) को कुल रु0 5,80,000/- (रुपये पांच लाख अस्सी हजार मात्र) की आर्थिक सहायता का वितरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर की श्रीमती सनो देवी पत्नी परशुराम निवासी बनगाई गुलरिहा का स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे को गायब करने विषयक प्रार्थना-पत्र

116-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सनो देवी पत्नी परशुराम निवासी बनगाई गुलरिहा जनपद सिद्धार्थनगर का स्थानीय पुलिस द्वारा बच्चे को गायब करने विषयक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्नक सहित दिनांक 1 अगस्त, 07 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

प्राप्त पत्र पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर को निष्पक्ष जांचोपरान्त आवश्यक प्रभावी कार्यवाही हेतु दिनांक 13-8-07 को भेजा गया। पुलिस अधीक्षक से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार थाना मिश्रौलिया पर दिनांक 30-7-07 को चौकीदार, ग्राम होरिलापुर थाना मिश्रौलिया द्वारा लिखित सूचना दी गयी कि सिकरीडीह घाट के निकट एक युवक की लाश लगी हुई है। मौके पर पुलिस को एकत्रित भीड़ से पता चला कि यह शव विनोद भर पुत्र परशुराम सा0 बनगाई थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर का है जो दिनांक 28-7-07 को एक लड़की के साथ सोनौली घाट के पास नदी में कूद गई थी। लड़की की लाश की तलाश की गयी परन्तु वह प्राप्त नहीं हुई। प्राप्त लाश की पुलिस द्वारा पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया जिसमें मृत्यु का कारण डूबने से दम घुटना पाया गया। मृतक के शव के विच्छेदन के बाद शव अन्तिम संस्कार हेतु परिवारीजनों को सौंप दिया गया। उसके उपरान्त मृतक विनोद के पिता परशुराम पुत्र बसई सा0 बनगाई, थाना गुलरिहा द्वारा दिनांक 11-9-07 को न्यायालय सी0जे0एम0 सिद्धार्थनगर के यहां सी0आर0पी0सी0 की धारा-156 (3) के अन्तर्गत वाद संख्या-107 विरुद्ध (1) निरंजन पुत्र मोती सा0 सुकई, थाना चौरीचौरा, जनपद गोरखपुर, (2) पप्पू पुत्र नौरंगी सा0 बनगाई, थाना गुलरिहा, जनपद गोरखपुर, (3) दो अन्य व्यक्ति नाम पता अज्ञात दाखिल किया गया जो अभी न्यायालय में आदेश हेतु लम्बित है।

प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

जनपद सिद्धार्थनगर के श्री तिलक राम पुत्र जगमोहन निवासी बन्दुवारी को जान से मारने विषयक प्रार्थना-पत्र

117-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तिलक राम पुत्र जगमोहन, निवासी बन्दुवारी, जनपद सिद्धार्थनगर को जान से मारने विषयक प्रार्थना-पत्र प्रश्नकर्ता के संलग्नक सहित दिनांक

2 जुलाई, 07 को भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सिद्धार्थनगर के ग्राम बयारी थाना इटवा निवासी श्री हरी राम पुत्र राम लोटर की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा विषयक-पत्र

118-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरी राम पुत्र राम लोटर निवासी ग्राम बयारी थाना इटवा जनपद सिद्धार्थनगर की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा करने तथा पुलिस उत्पीड़न विषयक प्रार्थना-पत्र जो संलग्नक सहित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 2 जुलाई, 07 के साथ भेजा गया था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस की कोतवाली सादाबाद के जीर्ण-शीर्ण भवन का नव-निर्माण किये जाने की मांग

119-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हाथरस की कोतवाली सादाबाद का भवन जीर्ण-शीर्ण हो गया है जिससे कर्मचारियों को भय बना रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कोतवाली के भवन का नवनिर्माण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद हाथरस की कोतवाली सादाबाद का भवन काफी पुराना बना है, किन्तु भय की कोई स्थिति नहीं है।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस की तहसील सादाबाद निवासी श्रीमती आशा देवी को विवेकाधीन कोष से सहायता दिये जाने विषयक प्रार्थना-पत्र

120-डा0 अनिल चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति की महिला श्रीमती आशा देवी निवासी तहसील सादाबाद जनपद हाथरस को विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता देने के सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्रांक संख्या-52/रालोद/विमदल/विस दिनांक 27-06-2007 पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

मा0 सदस्य, विधान सभा के पत्र दिनांक 27-06-2007 प्राप्त होने पर प्रकरण पर जिलाधिकारी, महामायानगर से आख्या प्राप्त कर विचार किया गया। सम्यक विचारोपरान्त मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता दिये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हाथरस में विमुक्त जाति के लोगों को आई0 एच0 डी0 पी0 योजना अन्तर्गत लाभान्वित कराने हेतु निःशुल्क भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में पत्र

121-डा0 अनिल चौधरी-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-51/रालोद/विमदल/विस दिनांक 27-6-2007 जो सादाबाद नगर पंचायत जनपद हाथरस में विमुक्त जाति के लोगों को आई0एच0डी0पी0 योजनान्तर्गत लाभान्वित कराने हेतु निःशुल्क भूमि अर्जन करने के सम्बन्ध में है उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 यशवन्त सिंह-

जी हां। उक्त पत्र आवास विभाग को प्राप्त हुआ है।

नजूल की फ्री-होल्ड नीति में पुनर्वासन योजना के अन्तर्गत निःशुल्क नजूल भूमि दिये जाने की व्यवस्था नहीं है अतः इस प्रकरण में आवास विभाग के शासनादेश सं0-2873/9-आ-4-02-152एन/2000टीसी दि0 10-12-2002 के प्रस्तर-10 के अनुसार कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी, हाथरस को निर्देशित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ के शिवानी बिहार बी0 ब्लाक, कल्याणपुर में चल रही दूध डेरियों को हटवाने की मांग

122-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम सोम0 को पूछे गये अता0 प्रश्न सं0-24 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या शिवानी बिहार बी ब्लाक, कल्याणपुर लखनऊ में दूध डेयरी चलाये जाने के कारण गंदगी व्याप्त है ? क्या सरकार द्वारा उक्त पशुपालकों के विरुद्ध नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 550 के अन्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए उक्त दूध डेरियों को हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। प्रश्नगत आबादी में पुनः दूध डेरिया चलाये जाने से उक्त समस्या विद्यमान है।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी हां। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 27-5-99 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र से समस्त दूध डेयरियों को हटा दिया गया था मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-2000 द्वारा पुर्नस्थापित दूध डेयरियों को हटाये जाने का दायित्व संबंधित क्षेत्राधिकारी का निर्धारित किया गया है। लखनऊ नगर निगम द्वारा पुर्रस्थापित दूध डेयरियों को हटाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ, क्षेत्राधिकारी अलीगंज लखनऊ से अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां में मेहनीखेड़ा से वाया राघवरामपुर, भगतूपुर-संतपुर सम्पर्क मार्ग को डामरीकृत किया जाना

123-श्री सुल्तान बेग-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई विकास खण्ड मल्लावां की ग्राम सभा भगतूपुर-संतपुर अम्बेडकर ग्राम घोषित है ? यदि हां, तो क्या मेहनीखेड़ा से वाया राघवरामपुर, भगतूपुर-संतपुर सम्पर्क मार्ग को डामरीकृत किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

124-श्री सुल्तान बेग-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी प्रदेशों में पुलिस सुधार की संस्तुतियों को लागू किया जाना

125-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य के पूर्व डी0जी0पी0 की याचिका पर वर्ष 2006 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी प्रदेशों में पुलिस सुधार की संस्तुतियों को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया है ? यदि हां, तो वह संस्तुतियां क्या हैं और वह कब से लागू कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

उक्त संस्तुतियां निम्नलिखित है :-

(क) स्टेट सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना की जाए।

(ख) पुलिस महानिदेशक का चयन व न्यूनतम कार्यकाल निर्धारित किया जाय।

(ग) पुलिस महानिरीक्षक व अन्य अधिकारियों के कार्यकाल का निर्धारण किया जाए।

(घ) पुलिस कम्पलेन्ट एथारिटी की स्थापना की जाए।

(ङ) पुलिस स्टेबलिसमेन्ट बोर्ड की स्थापना की जाए।

(च) विवेचना के कार्य का पृथकीकरण किया जाए।

(छ) नेशनल सिक्योरिटी कमीशन की स्थापना की जाए।

उपरोक्त संस्तुतियों में संस्तुति-(छ) पर कार्यवाही भारत सरकार के स्तर से अपेक्षित है। शेष 6 संस्तुतियों का क्रियान्वयन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी में स्थित कुण्डों तथा तालाबों को चिन्हित कर अतिक्रमण से मुक्त किये जाने की मांग

126-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी नगर में स्थित कुण्डों तथा तालाबों आदि जिन पर अतिक्रमण तथा बाहरी लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, को चिन्हित किया गया है ? यदि हां, तो वे कौन-कौन हैं तथा उनको अतिक्रमण तथा कब्जा आदि से मुक्त करने एवं उनके सौन्दर्यीकरण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है तथा उक्त कार्य कब तक पूर्ण कर लिये जायेंगे और उन पर कितना व्यय भार अनुमानित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त तालाबों तथा कुण्डों आदि के रख-रखाव हेतु क्या कोई योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

वाराणसी नगर निगम सीमा में स्थित कुल 115 तालाबों/कुण्डों में से गोरा बाई तालाब, कुरूक्षेत्र तालाब, पुष्कर तालाब, रानीपुर पोखरी, इंगलिशिया लाईन तालाब, शिवपुर तालाब, सोनिया तालाब व संकुलधारा तालाब आदि शामिल है। इंगलिशिया लाईन तालाब, रानीपुर पोखरी से अतिक्रमण व अवैध कब्जे को हटा दिया गया है। शेष पर से अतिक्रमण को चिन्हित कर यथाशीघ्र अतिक्रमण हटाया जायेगा। कुण्डों एवं तालाबों के पुनरुद्धार व सौन्दर्यीकरण को जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्यूवल मिशन योजना के कन्जर्वेशन आफ वाटर बाडीज अवयव के अन्तर्गत लिये जाने के निर्देश हैं, परन्तु इन पर कार्य हेतु नगर निगम को प्रस्ताव/डी0पी0आर0 बनाकर भारत सरकार से योजना को स्वीकृत कराया जाना प्राविधानित है, अतः व्यय भार व कार्य पूर्ण होने की समय सीमा निश्चित नहीं है।

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगवां की ग्राम सभा दीक्षितपुर के अन्तर्गत मजरा ढकीया देवी में पात्र व्यक्ति के इन्दिरा आवास का धन निकालने की जांच

127-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी जनपद खीरी के विकास खण्ड पसगवां की ग्राम सभा दीक्षितपुर (अम्बेडकर ग्राम) के अन्तर्गत मजरा ढकीया देवी में पात्र व्यक्ति राजेन्द्र पुत्र अब्बू के इन्दिरा आवास का धन निकाल लिया गया है ? यदि हां, तो क्या

आवास का निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ?

श्री दद्दू प्रसाद-

लाभार्थी द्वारा इलाहाबाद बैंक के खाता संख्या-6656 से आवास निर्माण हेतु रु0 18,000/- की धनराशि निकाली गयी है।

लाभार्थी द्वारा नींव स्तर के बाद आवास निर्माण नहीं कराया गया है।

लाभार्थी का भाई से जमीनी विवाद होने के कारण।

प्रकरण की जांच के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के विकास खण्ड पसगवां की ग्राम सभा खसरा में दूसरी ग्राम सभा के इटारा ग्राम के कतिपय व्यक्तियों को इन्दिरा आवास के आवंटन की जांच

128-श्रीमती कृष्णा राज-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री के संज्ञान में है कि विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी, लखीमपुर खीरी विकास खण्ड पसगवां की ग्राम सभा खसरा में दूसरी ग्राम सभा के इटारा ग्राम के कतिपय व्यक्तियों को गत वर्ष इन्दिरा आवासों का आवंटन किया गया है ? यदि हां, तो क्या जांच करा कर कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारियों का वेतनमान उच्चीकृत किये जाने की मांग

129-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश सचिवालय में वेतनमान 5500-9000 में कार्यरत कर्मियों को उच्चीकृत कर वेतनमान 6500-10500 का लाभ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार वेतनमान 4500-7000 में कार्यरत कर्मियों को उच्चीकृत वेतन का लाभ वेतनमान 5500-9000 स्वीकृत करने की कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

उ0 प्र0 सचिवालय के सहायक समीक्षा अधिकारी के पद के वेतनमान रु0-4500-7000 को पुनरीक्षित किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

निर्णयोपरान्त यथा समय समुचित आदेश निर्गत किये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में तालाबों/जलाशयों का जीर्णोद्धार कराकर जल संचय किया जाना

130-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद गोण्डा में वर्ष 2002-2003, 2003-2004 में कितने हे0 तालाबों/जलाशयों का जीर्णोद्धार कराकर जल संचय हेतु जल भरवाया गया ? क्या

सरकार को जानकारी है कि तालाबों/जलाशयों की खुदाई में मानक के अनुसार कार्य कराये गये हैं , यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद गोण्डा में सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत वर्ष 2002-2003 एवं 2003-04 में 2.17 हेक्टेयर तालाबों/जलाशयों का जीर्णोद्धार कराकर जल संचय हेतु जल भरवाया गया।

कार्य के मानक की जांच आर्थिक अपराध अनुसन्धान संगठन शाखा कानपुर द्वारा की जा रही है।

एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कर्मचारियों की प्रोन्नति

131-श्री राम विशुन आजाद-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-533/का-2-2003 दिनांक 17-4-2003 के अनुपालन में एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ में कर्मचारियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के कुल कितने कर्मचारियों को मानकों एवं अर्हकारी सेवा में शिथिलीकरण प्रदान करते हुए प्रोन्नतियां की गई हैं, उनके नाम क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्द्रपुर के ग्राम पंचायत पश्चिम के कतिपय ग्रामों में पेयजल आपूर्ति

132-श्री राम विशुन आजाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पश्चिम गांव विकास खण्ड हरचन्द्रपुर जिला रायबरेली में पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराया गया है ? क्या यह सत्य है कि ग्राम गरीबखेड़ा, पदुमखेड़ा लाल बहादुर खेड़ा, भगतिन खेड़ा, जाज का पुरवा एवं अन्य कई गांवों में पेयजल आपूर्ति नहीं की जा रही है, जबकि पूर्व में इन गांवों में पेयजल आपूर्ति की जाती थी ? क्या सरकार उक्त गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां। वर्तमान में ग्राम पश्चिम गांव के मजरे-खास एवं लाल बहादुर खेड़ा तथा ग्राम-मदन टूसी के मजरे-खास एवं पंडित का पुरवा के अतिरिक्त योजना में सम्मिलित 03 ग्रामों के कुल 15 मजरों में पेयजल की आपूर्ति नहीं की जा रही है।

जी हां।

प्रश्नगत गांवों में पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु योजना तैयार की जा रही है, जिसकी स्वीकृति होने के उपरान्त पेयजल की आपूर्ति की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना लखनऊ को जनपद हरदोई, सीतापुर व पीलीभीत को जलमग्न भूमि व बढ़ रहे ऊसर क्षेत्र के उपचार हेतु दी गई धनराशि के दुरुपयोग की जांच

133-श्री राम विशुन आजाद-

क्या भूमि विकास एवं जल संसाधन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई, सीतापुर व पीलीभीत को जलमग्न भूमि व बढ़ रहे ऊसर क्षेत्र के उपचार हेतु वर्ष 2001-02 में शासन द्वारा शारदा सहायक कमाण्ड परियोजना लखनऊ को दिये गये लगभग रुपये 166.5 लाख द्वारा कराये कार्यों में हुई भारी गड़बड़ी, अनियमितता व व्ययहरण की वर्ष 2005-06 में जांच कराई गयी थी ? यदि हां, तो उसमें कितने कर्मचारी, अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक कुमार दोहरे-

जी हां।

जल एवं भूमि प्रबन्ध संस्थान उ0 प्र0 लखनऊ (बाटनी) के विशेषज्ञ द्वारा उपलब्ध करायी गयी जांच आख्या के आधार पर इस प्रकरण में कुल 26 अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाये गये, जिसमें से 18 के विरुद्ध आरोप-पत्र निर्गत करके अनुशासनिक कार्यवाही गतिमान है 08 सहायक भूमि संरक्षण निरीक्षकों को आरोप पत्र गठित करके शारदा सहायक समादेश लखनऊ के पत्र संख्या-681 दिनांक 27-4-06 पत्र संख्या-682 दिनांक 27-4-06 पत्र संख्या-815 दिनांक 2-5-06 तथा पत्र संख्या-816 दिनांक 3-5-06 के द्वारा कृषि विभाग को नियुक्ति प्राधिकारी की हैसियत से उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निमित्त भेजा गया है।

प्रदेश के निर्धन व गरीब व्यक्तियों को विवाह एवं उपचार हेतु मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान करने की नीति

134-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के निर्धन व गरीब व्यक्तियों को शादी या इलाज हेतु मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से सहायता प्रदान करने की क्या कोई नीति है ?

कु0 मायावती-

मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली में शादी हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष नियमावली के अन्तर्गत मुख्य मंत्री जी के विवेकानुसार बीमारी से पीड़ित निर्धन व्यक्तियों के उपचार हेतु आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान है।

नगर पंचायत रामकोला (कुशीनगर) के श्री तेज नरायन पाण्डेय, जल-कल सुपरवाइजर की नियुक्ति की जांच

135-श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत रामकोला (कुशीनगर) में श्री सत्य प्रकाश शुक्ला, पूर्व अधिशासी, अधिकारी व पूर्व अध्यक्ष द्वारा श्री तेज नारायन पाण्डेय की नियुक्ति जल-कल सुपरवाइजर के पद पर नियुक्ति शासनादेश सं0-01/एम0पी0/9-1-2006-59पी0एफ0/77 टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-1 दिनांक 6 फरवरी, 2006 के विरुद्ध की गयी ? यदि हां, तो क्या उप जिला मजिस्ट्रेट प्रशासक, नगर पंचायत-रामकोला (कुशीनगर) द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2006 पत्रांक संख्या-94/न0पं0रा0/2006 द्वारा सम्बन्धित विभाग के उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर अवैधानिक नियुक्ति को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

श्री बालेश्वर यादव, मा0 सांसद के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर श्री तेज नरायन पाण्डेय, जलकल सुपरवाइजर की नियुक्ति की जांच कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या-01/एम0पी0/9-1-06-59पी0एफ0/77टी0सी0 दिनांक 06-02-2006 द्वारा जिलाधिकारी, कुशीनगर के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण की जांच उप जिलाधिकारी, हाटा द्वारा की जा रही है। उपजिलाधिकारी, हाटा के पत्र संख्या-94/न0पं0रा0, दिनांक 10 मार्च, 2006, जो श्री तेज नरायन पाण्डेय जल कल सुपरवाइजर को सम्बोधित एवं उच्चाधिकारियों को पृष्ठांकित है, किसी कार्यवाही किये जाने से सम्बन्धित नहीं है, बल्कि श्री पाण्डेय की नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेख प्राप्त किये जाने से सम्बन्धित है। श्री पाण्डेय की नियुक्ति सम्बन्धी जांच उप जिलाधिकारी हाटा के पास अधिष्ठापन पत्रावली उपलब्ध न होने के कारण लम्बित है। अभिलेख प्राप्त होने की दशा में शिकायती प्रार्थना-पत्र का निस्तारण कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज गोरखपुर के प्रधानाचार्य के विरुद्ध आरोपों की जांच

136-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या बी0आर0डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के प्रधानाचार्य डा0 ओ0 पी0 सिंह को उनके पद से किन आरोपों के आधार पर हटाया गया है ? क्या आरोपों की जांच कराकर कोई अन्य कार्यवाही भी की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी वर्मा-

जी0 हां। दिनांक 28-7-2007 को बी0 आर0 डी0 मेडिकल कालेज, गोरखपुर के किये गये निरीक्षण के दौरान मेडिकल कालेज, गोरखपुर में अनेक कमियां पायी गई थी। डा0 ओ0 पी0 सिंह के निम्न स्तरीय पर्यवेक्षण को देखते हुए उनको प्रधानाचार्य के पद से हटा दिया गया था।

आरोपों की जांच आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री दिनेश कुमार पुत्र किशोरी लाल एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, नगर निगम, जोन-2, द्वारा आवंटित दुकान का प्रकरण

137-श्री भगेलू राम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री दिनेश कुमार पुत्र किशोरी लाल नि0 ई0 डी0 669 सेक्टर-डी, एल0डी0ए0 कालोनी कानपुर रोड, लखनऊ को वर्ष 1990 में नगर निगम, जोन-2 द्वारा आवंटित दुकान जो टेढ़ी पुलिया यूरेनियम नाले से दक्षिण की ओर आलमबाग में स्थित थी, नगर निगम द्वारा अचानक बिना किसी सूचना के हटा दिये जाने के उपरान्त प्रार्थी द्वारा पुनः आवेदन करने पर नगर विकास अनु0-7 द्वारा दुकान आवंटित करने का आदेश जारी किया गया था ? यदि हां, तो प्रार्थी को नगर निगम द्वारा दुकान का आवंटन कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

श्री दिनेश पुत्र किशोरी लाल के आवेदन पर नगर विकास अनुभाग-7 के अर्द्ध शासकीय पत्र दिनांक 29-6-1995 द्वारा इच्छुक होने की स्थिति में दया निधान पार्क लालबाग में नियमानुसार स्थल आवंटित किये जाने के संबंध में कार्यवाही करने के निर्देश नगर निगम, लखनऊ को दिये गये थे। परन्तु दया निधान पार्क लालबाग में पूर्व में आवंटित दुकानों को गिराने का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण सम्बन्धित को आवंटित करने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर के माया नगर मोहल्ले के समीप क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक कराये जाने की मांग

138-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में माया नगर मोहल्ले के समीप बाबूगंज पार्क के सामने बने सुलभ शौचालय के पास से मकान नं0 495/85 के काफी आगे पुलिया तक की सड़क क्षतिग्रस्त है तथा सड़क के एक साइड में नालियां न होने के कारण जल भराव हो जाता है जिससे नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है एवं बीमारियों का गम्भीर खतरा बना हुआ है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क को ऊंचा करके नालियां बनवायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

सड़क सुधार एवं जल निकासी हेतु नाली निर्माण के लिये कार्य योजना रु0 3.40 लाख की तैयार की गई। धन की उपलब्धता एवं नगर निगम की कार्यकारिणी समिति की स्वीकृति उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड अन्तर्गत पूर्व प्रधान द्वारा परिवार रजिस्टर की नकल दिये जाने के सम्बन्ध में

139-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि कुशीनगर जनपद के विकास खण्ड-खड्डा अन्तर्गत ग्राम सभा-मंशाछपरा, पो0-मेबुआ रायगंज निवासर व पूर्व प्रधान श्री हंसराज पुत्र श्री रामा नन्द ने खण्ड विकास अधिकारी, खड्डा को दिनांक 18-7-07 को ग्रामवासी-चन्द्रिका पुत्र श्री विक्रम राजभर के परिवार रजिस्टर की नकल नियमानुसार प्राप्त करने का प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया है, यदि हां, तो क्या सम्बन्धित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी ने नकल देने से इन्कार किया है ? यदि हां, तो आवेदक को कब तक परिवार रजिस्टर की नकल दे दी जायेगी ? इसमें दोषी व्यक्ति को कब तक दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी नहीं।

दिनांक 10-10-2007 को प्राप्त करा दी गयी है।

सूचना विलम्ब से उपलब्ध कराने हेतु दोषी कर्मचारी को दण्डित करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी कुशीनगर को दि0 29-10-07 को निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कुशीनगर के नगर पंचायत खड्डा के सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की कटौती में पाये गये दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

140-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि नगर पंचायत खड्डा (कुशीनगर) के सफाई कर्मचारियों के बोनस व एरियर की अध्यक्ष द्वारा की गयी कटौती विषयक तत्कालीन सदस्य विधान सभा श्री दीपलाल भारती के शिकायती-पत्र दिनांक 30-3-01 पर जांच उप जिलाधिकारी, पडरौना द्वारा की गयी ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि हां, तो जांच में कौन कर्मचारी दोषी पाया गया तथा उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

श्री दीपलाल भारती, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा के शिकायती-पत्र दिनांक 30-03-2001 पर उप जिलाधिकारी, पडरौना द्वारा जांच की गयी। उप जिलाधिकारी, पडरौना की जांच आख्या दिनांक 12-04-2001 में अध्यक्ष, अधिशासी अधिकारी एवं लिपिक को दोषी पाया गया है, जिस पर की गयी कार्यवाही का विवरण निम्नवत् है :-

1-शासन के पत्र दिनांक 27-06-2001 द्वारा अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता को कारण बताओ नोटिस निर्गत किया गया तथा पत्र दिनांक 27-06-2001 द्वारा अध्यक्ष श्रीमती स्नेहलता से रु0 101221.00 की वसूली किये जाने के आदेश भी निर्गत

किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध अध्यक्षा द्वारा मा0 न्यायालय में रिट याचिका संख्या-26397/2001 स्नेहलता बनाम स्टेट आफ यू0पी0 व अन्य योजित की गयी। उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 20-07-2001 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, जो वर्तमान समय में प्रभावी है।

2-सम्बन्धित लिपिक के सम्बन्ध में शासन के आदेश दिनांक 27-06-2001 के क्रम में अध्यक्ष, नगर पंचायत, खड्डा के आदेश दिनांक 25-08-2001 द्वारा लिपिक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता को निलम्बित किया गया। अध्यक्ष, नगर पंचायत, खड्डा के आदेश दिनांक 25-08-2001 के विरुद्ध लपिक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-32474/2001 राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता बनाम उ0 प्र0 राज्य सरकार व अन्य योजित की गई। उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 29-10-2001 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में लिपिक श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता कार्यरत है।

3-इसी प्रकार तथा सम्बन्धित अधिशासी अधिकारी के सम्बन्ध में शासन के कार्यालय आदेश दिनांक 20-08-2001 द्वारा श्री रामयतन प्रसाद अधिशासी अधिकारी को भी निलम्बित किया गया। शासन के उक्त आदेश दिनांक 20-08-2001 के विरुद्ध श्री रामयतन प्रसाद अधिशासी अधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-34151/01 श्री रामयतन प्रसाद बनाम उ0प्र0 राज्य सरकार व अन्य योजित की गई। उक्त रिट याचिका में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 01-11-2001 द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में श्री रामयतन प्रसाद अधिशासी अधिकारी कार्यरत हैं। इनके विरुद्ध वर्तमान में अनुशासनिक कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम कुल्हेड़ी में नहर की पटरी पर बदमाशों द्वारा राहगीरों से लूटपाट व बंधक बनाये जाने का पंजीकृत अभियोग

141-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि दिनांक 10 अगस्त, 2007 की रात जनपद-मुजफ्फरनगर के थाना चरथावल के ग्राम कुल्हेड़ी में नहर की पटरी पर बदमाशों ने बंदूकों व तमंचों की नोक पर घण्टों तक दर्जनों राहगीरों से हजारों रुपये की नकदी, मोबाईल आदि की लूटपाट की तथा कुछ लोगों को पूरी रात बंधक बनाए रखा ? यदि हां, तो क्या उक्त मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी ? यदि हां, तो अभी तक कुल कितने बदमाश पकड़े जा सके और उनसे लूट का क्या-क्या सामान बरामद हुआ है ? ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु क्या व्यवस्था की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 10 अगस्त, 2007 प्रश्नगत लूट की घटना का घटित होना नहीं पाया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई अभियोग पंजीकृत है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जहां तक ग्रामीणों की सुरक्षा का प्रश्न है समस्त थाना क्षेत्रों में पिकेट एवं रात्रि गश्त लगातार भेजा जा रहा है। अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु शासन एवं पुलिस महानिदेशक के स्तर से समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों/आदेशों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों की सुरक्षा हेतु रात्रि गश्त के अतिरिक्त ग्राम सुरक्षा समितियों को भी जागृत किया जा रहा है ?

उपरोक्तानुसार।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम लिलौन में बदमाशों द्वारा राहगीरों से लूटपाट सम्बन्धी पंजीकृत अभियोग

142-श्री हुकुम सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि दिनांक 4 अगस्त, 2007 की रात जनपद-मुजफ्फरनगर के शामली कोतवाली क्षेत्र के गांव लिलौन में नहर पुल के निकट सशस्त्र बदमाशें द्वारा घण्टों तक राहगीरों से लूटपाट में हजारों रुपये नकद व अन्य सामान की लूटपाट की गयी ? यदि हां, तो अभी तक कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है तथा उनसे लूट का क्या-क्या सामान बरामद हुआ है ? क्षेत्र में इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

दिनांक 4-8-07 को श्री इन्द्रपाल पुत्र मांगेराम निवासी ग्राम लिलौन थाना शामली जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा मोटर साइकिल व 130 रुपये लूट लिये जाने की घटना के सम्बन्ध में अभियुक्तगण 1-हरवीर पुत्र किशन 2-परिविन्द्र पुत्र पलटूराम 3-अनिल पुत्र चरन सिंह निवासी डूंगर थाना फुगाना 4-अल्लू धीगर पुत्र जुम्मी निवासी कादरगढ़ थाना भवन जनपद मुजफ्फरनगर के विरुद्ध तहरीर दिये जाने के आधार पर मु0अ0सं0 1120/07 धारा 394,411 भादंवि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

विवेचना के दौरान नामित अभियुक्तों मे ,से हरवीर परिविन्द्र व अनिल को गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास से मोटर साइकिल व रुपया 130 बरामद किया जा चुका है। आरोप सिद्ध होने पर आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। शेष अभियुक्त के विरुद्ध धारा 82/83 सीआरपीसी की कार्यवाही की जा चुकी है। घटना में लिप्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अन्तर्गत भी कार्यवाही की जा चुकी है।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु आकस्मिक रूप से वाहनों की चेकिंग तथा होटल/ढाबों तथा अपराधियों के रुकने के संभावित स्थानों पर आकस्मिक चेकिंग कराई जाती है। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन तथा पुलिस महानिदेशक के स्तर से अपराधिक घटनाओं की रोकथाम हेतु प्राप्त निर्देशों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति पर प्रभावी नियंत्रण हो रहा है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के मायानगर महल रोड पर चल रहे दूध डेरी को हटाये जाने की मांग

143-श्री संजीव दरियाबादी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ नगर में स्थित माया नगर महल वाली रोड पर दो दूध की डेरी खुली है जिससे गन्दगी बनी रहती है तथा जानवरों को सड़क पर छोड़ देने

के कारण नागरिकों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त डेरियों को हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। प्रश्नगत आबादी में पुनः दूध डेरियां चलाये जाने से उक्त समस्या विद्यमान है।

जी हां।

जी हां। मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों दिनांक 27-5-99 के अनुपालन में प्रश्नगत क्षेत्र से समस्त दूध डेयरियां को हटा दिया गया था, मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 24-5-2000 द्वारा पुर्नस्थापित दूध डेयरियों को हटाये जाने का दायित्व सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी का निर्धारित किया गया है। लखनऊ नगर निगम द्वारा पुर्रस्थापित दूध डेयरियों को हटाने हेतु मा0 उच्च न्यायालय के उपर्युक्त आदेशों के अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ क्षेत्राधिकारी, हसनगंज लखनऊ से अनुरोध किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के जल संस्थानों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के अभियन्ताओं/अधिकारियों की पेंशन, ग्रेच्युटी आदि के भुगतान की जानकारी

144-श्री सुरेश चन्द्र तिवारी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कष्ट करेंगे कि जल संस्थानों में कार्यरत केन्द्रीयत सेवा के अभियन्ता/अधिकारी जो गत एक वर्ष से सेवानिवृत्त हुये हैं की पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो क्यों एवं इसके लिये कौन दोषी हैं ?

श्री नकुल दुबे-

उ0 प्र0 पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण (केन्द्रीयित) सेवा के कुल 14 अभियन्ता/अधिकारी गत एक वर्ष में सेवानिवृत्त हुए हैं। उक्त 14 अभियन्ताओं/अधिकारियों में से 10 अभियन्ताओं/अधिकारियों के पेंशन, ग्रेच्युटी व अन्य देय धनराशि का भुगतान किया जा चुका है। 01 अभियन्ता के विरुद्ध जांच लम्बित होने के कारण उसके अनन्तिम पेंशन, ग्रेच्युटी तथा अन्य देयों का भुगतान किया गया है। अवशेष 03 अभियन्ताओं/अधिकारियों के द्वारा पेंशन प्रपत्र इत्यादि पूर्ण कर सम्बन्धित जल संस्थानों को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। उक्त अभियन्ताओं के पेंशन प्रपत्र इत्यादि निदेशालय में प्राप्त न होने के कारण उनकी पेंशन, ग्रेच्युटी आदि की स्वीकृति के आदेश निदेशालय स्तर से निर्गत नहीं किये जा सके हैं।

उपरोक्तानुसार।

145-श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[2सरे बुधवार के अता0प्र0सं0-101 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

लखनऊ शहर के निशातगंज में फ्लाई ओवर के नीचे की मुख्य सड़क को ठीक कराये जाने की मांग

146-घूराराम-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निशातगंज-जनपद-लखनऊ में फ्लाई ओवर के निर्माण हेतु तोड़ी गयी डामर रोड (पुल के नीचे की मुख्य सड़क) आज तक नहीं बनवाई गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त सड़क को कब तक ठीक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं। कतिपय भाग पर निर्माण करा दिया गया है तथा शेष में भी निम्नानुसार कार्य करा दिया जायेगा।

1-नगर निगम लखनऊ द्वारा निशातगंज पुलिस चौकी से रेलवे लाईन क्रासिंग तक सड़क सुधार हेतु निविदा हो चुकी है जो स्वीकृति की प्रक्रिया में है। नगर निगम सदन से स्वीकृति उपरान्त इस भाग का सुधार करा दिया जायेगा।

2-हनुमान मंदिर से गोल मार्केट के दोनों ओर क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण हेतु अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा उक्त सड़क नगर निगम लखनऊ के स्वामित्व में होने के कारण अनापत्ति प्रमाण-पत्र मांगा गया था। नगर निगम लखनऊ द्वारा दिनांक 20-1-07 को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया गया है। उक्त सड़क का निर्माण कार्य अब लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा।

3-पश्चिमी भाग जो गोल मार्केट से करामत मार्केट तक है, का आगणन रु0 17.25 लाख का तैयार किया गया है। नगर निगम, लखनऊ की कार्यकारिणी/सदन की स्वीकृति के उपरान्त कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा के कतिपय ब्लाकों में खराब हैण्ड पम्पों के रिबोर हेतु धन आवंटन

147-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र हड़हा अन्तर्गत ब्लाक नवाबगंज, बिछिया, सिकन्दरपुर कर्ण में खराब हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु वर्ष 2006-07 व 2007-08 में शासन द्वारा कितना धन आवंटित किया गया ? क्या प्रश्नकर्ता द्वारा मुख्य विकास अधिकारी को दिनांक 7-6-07 को 184 हैण्डपम्पों को रिबोर कराने हेतु दी गयी सूची पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत शासन द्वारा जनपदवार धनराशि अवमुक्त की जाती है, विधान सभा क्षेत्रवार अथवा विकास खण्डवार धनराशि अवमुक्त नहीं की जाती है। जनपदों की जाने वाली धनराशि में से ही नये हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन, हैण्डपम्पों के रिबोर, पाइप पेयजल योजनाओं के कार्य एवं पुरानी पाइप पेयजल योजनाओं के सुदृढ़ीकरण आदि कार्य आवश्यकतानुसार कराये जाते हैं। हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु जनपदों को अलग से धनराशि आवंटित नहीं की जाती है।

जनपद-उन्नाव को ग्रामीण पेयजल हेतु वर्ष 2006-07 में रु0 268.32 लाख तथा वर्ष 2007-08 में अभी तक रु0 273.59 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है।

मा0 सदस्य द्वारा हैण्डपम्पों के रिबोर हेतु दी गयी सूची में से 06 नग हैण्डपम्पों का रिबोर किया जा चुका है। शेष 178 हैण्डपम्पों को रिबोर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ शहर से अतिक्रमण हटाये जाने की कार्य योजना

148-श्री मदन भैया-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर स्थित मुख्य मार्गों/बाजारों में अतिक्रमण से लोगों के आने-जाने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो किये गये अतिक्रमण को हटाने की कोई कार्य योजना लागू की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत अतिक्रमण हटाये जाने हेतु कार्य योजना बनायी गयी है जिसका तिथिवार विवरण निम्नवत् है :-

दिनांक 03-06-07 से 05-07-07 तक

दिनांक 05-07-07 से 23-07-07 तक

दिनांक 23-07-07 से 31-08-07 तक

दिनांक 05-09-07 से 05-10-07 तक

दिनांक 23-10-07 से 23-11-07 तक

उक्त कार्य योजना के अनुसार निरन्तर अतिक्रमण हटाये जा रहे हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के नगर पंचायत पट्टी में सार्वजनिक कुओं के जीर्णोद्धार कराने की मांग

149-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर पंचायत पट्टी जनपद-प्रतापगढ़ में कितने सार्वजनिक कुएं हैं जो सूख गये हैं एवं कुछ के जल प्रदूषित हो गये हैं जो पीने योग्य नहीं रह गये हैं। क्या सरकार इनके पुनर्जलीयकरण एवं जीणोद्धार कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे

कुल 77 कुएं हैं जिनमें से 29 कुएं सूख गये हैं तथा 23 कुएं ऐसे हैं, जिनके जल प्रदूषित होने के कारण पीने योग्य नहीं है।

74वें संविधान संशोधन के उपरान्त नागर स्थानीय निकाय स्वतंत्र संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित है। वे अपने कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकतायें निर्धारित करते हुए उनका निर्वहन राज्य सरकार के राज्य वित्त आयोग एवं बारहवें वित्त आयोग से प्राप्त धनराशि एवं अपने निजी स्रोतों एवं संसाधनों से प्राप्त आय से करते हैं। नागर स्थानीय निकायों के कर्तव्यों एवं दायित्वों में राज्य सरकार की सीमित भूमिका है। यह कार्य नगर पंचायत के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में मा0 विधायकों को कार्य परिषद् में नामित किये जाने का प्राविधान

150-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ की कार्य परिषद् एवं साधारण सभा में मा0 विधायकों को नामित किये जाने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार जनहित में संगत नियमों में आवश्यक संशोधन कराते हुए विधायकों को नामित करायेगी ?

श्री लालजी वर्मा-

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ अधिनियम, 2002 की धारा-8 में कार्यपरिषद् के गठन की व्यवस्था की गयी है जिसमें मा0 विधायकों को नामित करने का प्राविधान नहीं है। उक्त अधिनियम की धारा-26 में चिकित्सा विश्वविद्यालय की सभा के गठन की व्यवस्था की गयी है जिसमें विधान परिषद् द्वारा निर्वाचित उसके एक सदस्य तथा विधान सभा द्वारा निर्वाचित उसके दो सदस्यों को नामित किये जाने का प्राविधान है।

चिकित्सा विश्वविद्यालय की सभा में मा0 विधायकों को नामित किये जाने का प्राविधान है। कार्य परिषद् में मा0 विधायकों के नामांकन की आवश्यकता नहीं है।

चूंकि चिकित्सा विश्वविद्यालय की सभा में मा0 विधायकों को नामित किये जाने का प्राविधान है, अतः कार्य परिषद् में मा0 विधायकों के नामांकन की आवश्यकता नहीं है।

गोरखपुर नगर निगम द्वारा संचालित संक्रामक रोग चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा प्रतिबन्धित दवा के वितरित किये जाने की जांच

151-डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर नगर निगम द्वारा संचालित संक्रामक रोग चिकित्सालय के चिकित्सकों द्वारा जून, 2007 में प्रतिबन्धित दवा "लोमोफेन" मरीजों को बांटे जाने के सन्दर्भ में शासन द्वारा क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उक्त प्रकरण की जांच करायी गयी। जांच आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है। जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

152-श्री उदयभान करवरिया-

[दूसरे गुरू0 के अता0प्र0सं0-37 पर स्थानान्तरित]

जनपद मैनपुरी में खराब पड़े इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों को रिबोर की कार्यवाही

153-श्री आलोक कुमार शाक्य-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के प्रथम सोमवार के अता0प्रश्न सं0-68 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि0 31-5-07 तक 351 नग इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प अस्थाई रूप से एवं 799 नग स्थाई रूप से खराब हैं ? यदि हां, तो सरकार इनको कब तक ठीक करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

अस्थाई रूप से खराब 351 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों को सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा तथा स्थाई रूप से खराब 799 हैण्डपम्पों को रिबोर कर ठीक कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता है।

डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सभी मा0 विधायकों को 5-5 ग्राम चयन के अधिकार व प्रस्ताव की जानकारी

154-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 6 जुलाई, 2007 को उत्तर प्रदेश के सभी माननीय विधायकों को 5-5 ग्राम, अम्बेडकर ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयन करने के अधिकार में कोई कमी न करने की घोषणा सदन में मा0 मुख्य मंत्री द्वारा की गयी थी ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश में किन-किन विधान सभा क्षेत्रों में माननीय विधायकों से प्रस्ताव लिये गये ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जी हां।

वर्तमान समय में प्रदेश में डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास योजना लागू की गयी है जिसमें प्रति विधान सभा बड़ी एवं छोटी दोनों प्रकार की ग्राम सभाएं चयनित की जा रही हैं। इनके चयन में किसी प्रकार की विसंगति न हो इसके लिये डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं के चयन का आधार विधान सभा क्षेत्रवार वर्ष 2001 की जनसंख्या है। योजना में डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं का विकास चरणबद्ध एवं समयबद्ध तरीके से होगा। वर्ष 2007-08 में प्रथम चरण में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में आबादी क्रम के हिसाब से 03 बड़ी जनसंख्या वाली ग्राम सभाएं तथा 02 छोटी जनसंख्या वाली ग्राम सभाएं चयनित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। अगले द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम चरण में प्रत्येक विधान सभा में आबादी क्रम के हिसाब से 05 बड़ी ग्राम सभाएं तथा 05 छोटी ग्राम सभाएं, इस प्रकार कुल 10 ग्राम सभाएं चयनित की जायेंगी। प्रत्येक चरण एवं उसमें चयन की जाने वाली डा0 अम्बेडकर ग्राम सभाओं की संख्या निम्नवत् है :-

क्रम संख्या	चरण	चरण की अवधि	चरण में चयनित ग्राम सभाओं की संख्या
1	प्रथम चरण	01-01-2008 से 31-3-2008	1900
2	द्वितीय चरण	01-04-2008 से 31-3-2008	3800
3	तृतीय चरण	01-04-2009 से 31-3-2010	3800
4	चतुर्थ चरण	01-04-2010 से 31-3-2011	3800
5	पंचम चरण	01-04-2011 से 31-3-2012	3800

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के थाना गोमती नगर में राम भरोसे पुत्र स्व0 बलवन्त की मृत्यु पर पंजीकृत मुकदमें में कार्यवाही

155-श्री सुन्दर लाल लोधी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के थाना-गोमतीनगर में दिनांक 19 जून, 2007 को बाल श्रमिक राम भरोसे पुत्र स्व0 बलवन्त आयु 15 वर्ष निवासी ग्राम सराय इन्दल, थाना अजगैन की संदिग्ध मृत्यु पर गोमतीनगर पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया ? यदि हां, तो पोस्टमार्टम के आधार पर किस तिथि को किस अपराध संख्या एवं किन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ तथा उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार कार्यवाही न करने वाले दोषी के विरुद्ध कार्यवही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

पोस्टमार्टम रिर्पोट के आधार पर थाना गोमतीनगर में दिनांक 28-6-07 को मु0अ0सं0-396/07 धारा-304 भा0दं0वि0 पंजीकृत करायी गयी थी। प्रकरण की जांच के दौरान प्रार्थी की मृत्यु शौच से वापस आकर पाइप वाले नल से नहाते समय आयी मिर्गी से राम भरोसे के गिर पड़ने से आयी आकस्मिक चोट से मृत होना पाया गया। विवेचना द्वारा अंतिम रिर्पोट सं0-159 दिनांक 16-8-07 को प्रेषित की जा चुकी है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

उपरोक्त से स्पष्ट है।

जनपद मैनपुरी में विशेष काउन्टर सेल द्वारा पंजीकृत मुकदमें

156-श्री आलोक कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी में 1 जून, 2007 से 22 अगस्त, 2007 तक कितने मुकदमें विशेष काउन्टर सेल द्वारा पंजीकृत हुये हैं ? क्या सरकार फर्जी पाये जाने वाले मुकदमों की जांच कराकर उसके दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद मैनपुरी में प्रश्नगत अवधि में 184 मुकदमें विशेष काउन्टर सेल द्वारा पंजीकृत हुए।

जी हां, फर्जी पाये गये 66 मुकदमों में वादियों के विरुद्ध धारा 182 भादवि के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के कतिपय थानों के अन्तर्गत मुठभेड़ में मारे गये अपराधियों का विवरण एवं पुलिस कर्मियों की पदोन्नति की मांग

157-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी में अगस्त, 2006 से 15 नवम्बर, 2006 तक थाना लंका, शहर कोतवाली, थाना मड़वाडीह के थानाध्यक्षों द्वारा किन-किन अपराधियों को मुठभेड़ में मारा गया है ? मारे गये अपराधियों पर सरकारे द्वारा कितना-कितना इनाम घोषित था ?

मारे गये अपराधियों से क्या-क्या असलहे और सामान बरामद किया गया है ? क्या सरकार इनामी बदमाशों को मारने वाले पुलिसकर्मियों को आउट आफ टर्न पदोन्नति देने पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जनपद वाराणसी के थाना लंका, शहर कोतवाली, थाना मड़वाडीह के अन्तर्गत माह अगस्त, 2006 से 15 नवम्बर, 2006 तक की अवधि में अपराधी अखिलेश बिन्द पुत्र राजेन्द्र बिन्द, निवासी पाकड थाना हरनौत जनपद नालन्दा (बिहार) दिनांक 27-8-2006 को तथा अपराधी जितेन्द्र ओझा पुत्र बब्बन ओझा, निवासी छोटकी ओझवलिया थाना शहर जनपद भोजपुर (बिहार) दिनांक 14-10-2006 को मुठभेड़ में मारा गया है।

मारे गये अपराधियों पर प्रदेश सरकार द्वारा कोई इनाम घोषित नहीं था ।

मृतक अपराधी अखिलेश बिन्द के पास से एक अत्याधुनिक इंसास राइफल 5.56 एमएम बोर 9 अदद जिन्दा व 5 अदद खोखा कारतूस तथा एक अदद देशी पिस्टल मय 3 अदद 07,06 बोर कारतूस एक टवेरा वाहन मैरून रंग की बरामद हुयी। इसी प्रकार मृतक अपराधी जितेन्द्र ओझा के पास से 09 एमएम पिस्टल बरामद हुआ।

जी नहीं।

क्योंकि इन मामलों में ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था।

जनपद अलीगढ़ के अनेकों गांवों में खारे पानी की पेयजल समस्या के निदान के उपाय

158-चौ0 सत्यपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद अलीगढ़ सालपुर राघवगढ़ी जडाना नगलिया बरकीगढ़ी करनपुर कल्यानपुर मादक शाहनगर सौरौला, जड़तौनी आदि गांवों में पीने के खारे पानी के कारण पेयजल की गम्भीर समस्या उत्पन्न हो गयी है ? यदि हां, तो सरकार उक्त समस्या के निदान हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-अलीगढ़ के ग्राम-सालपुर एवं उसके मजरों-राघवगढ़ी, नगरिया व बर की गढ़ी तथा ग्राम कल्यानपुर, करनपुर व जरतौली में खारे पानी की समस्या है। ग्राम-जड़ाना, मादक तथा शाहनगर सौरौला में खारे पानी की समस्या नहीं है।

जी हां।

खारे पानी की समस्या वाले ग्रामों/मजरों में शुद्ध (मीठे) पेयजल की व्यवस्था माह दिसम्बर, 2007 तक किया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के ग्राम पंचगाई खेड़ा में पानी में औसत से अधिक फ्लोराइड की मात्रा के निस्तारण की योजना

159-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आगरा जनपद के विकास क्षेत्र बरौली अहीर के ग्राम पंचगाई खेड़ा में पीने के पानी में फ्लोराइड की मात्रा औसत से काफी अधिक है जिसके कारण

अधिकांश बीमारियां/विकलांगता है एवं नवजात शिशु कूबड़े पैदा हो रहे हैं ? क्या सरकार द्वारा इस समस्या के निस्तारण हेतु कोई योजना बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह योजना कौन सी है और इस पर कब तक कार्य प्रारम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-आगरा, विकास खण्ड-बरौली अहीर के ग्राम पंचगाई खेड़ा में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के पानी में फ्लोराइड की मात्रा अनुमन्य सीमा से अधिक है।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, आगरा द्वारा उक्त ग्राम में फ्लोरोसिस से ग्रसित विकलांगों की संख्या शून्य तथा इस बीमारी से उपचारित पीड़ितों (चिन्हित) की संख्या-30 बताई गयी है।

जी हां।

ग्राम-पंचगाई खेड़ा हेतु गहरे नलकूप पर आधारित पाइप पेयजल योजना स्वीकृत की गई है, जिस पर माह नवम्बर, 2007 में कार्य प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है।

ग्राम-पंचगाईखेड़ा के फ्लोरोसिस से पीड़ितों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु चिकित्सकीय दल गठित किया गया है, जिसके द्वारा माह के तृतीय एवं चतुर्थ सोमवार को फ्लोरोसिस से पीड़ितों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए समुचित उपचार एवं स्वास्थ्य शिक्षा दी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

160-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 2002 से मार्च, 2007 तक मैनपुरी जनपद में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कितने कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया है ? प्रधानमंत्री सड़क योजना में निर्मित सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी किसकी है ? क्या इन सड़कों की मरम्मत एवं टूटफूट का कार्य लो0 नि0 विभाग द्वारा करवाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत जनपद मैनपुरी में मार्च, 2002 से मार्च, 2007 तक कुल 124.43 कि0मी0 सड़कों का निर्माण कराया गया है।

अनुबंध की शर्तों के अनुसार योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी पांच साल की अवधि तक संबंधित ठेकेदार की है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कतिपय ब्लाकों में खराब हैण्ड पम्पों के रिबोर तथा नये हैण्डपम्प लगाये जाने की मांग

161-डा0 अजय तोमर-

क्या अम्बेडकर ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ब्लाक बड़ौत, छपरौली व बागपत के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प तकनीकी कारणों से खराब/बन्द हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने तथा जिन बस्तियों/गलियों में पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर नये इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प लगाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद-बागपत के विकास खण्ड-बड़ौत, छपरौली व बागपत में चयनित अम्बेडकर ग्रामों में कुल 31 इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हैं।

धन की उपलब्धता के अनुसार स्थाई रूप से खराब हैण्डपम्पों को रिबोर कराने तथा नये हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन असेवित बस्तियों में कराने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत के कतिपय ब्लाकों में जल निकासी हेतु नाली के निर्माण की योजना

162-डा0 अजय तोमर-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के ब्लाक बड़ौत, छपरौली व बागपत के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में जल निकासी हेतु नाली या नालों के निर्माण की कोई कार्य योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जी हां।

विधान सभा क्षेत्र छपरौली के डा0 अम्बेडकर ग्रामों में विकास खण्ड छपरौली में ग्राम पंचायत तिलटाडा साकिन, सूपराजपुर, लूम्ब, ककड़ीपुर, मुकुन्दपुर व विकास खण्ड बड़ौत में ग्राम पंचायत चौबली बोहला, बावली, लुहारी, बिजरौल में नाली/नाला बनाये जाने की कार्य योजना है तथा विकास खण्ड बागपत में छपरौली विधान सभा की कोई ग्राम सभा डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा के रूप में चयनित होने के कारण इससे संबंधित कोई कार्य योजना नहीं बनायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमुना नदी को प्रदूषण मुक्त किये जाने की कार्ययोजना

163-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यमुना नदी का जल प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसे प्रदूषण मुक्त किये जाने हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां। वृन्दावन, मथुरा एवं आगरा में यमुना नदी के जल में शहरी मल जल के निस्तारण के कारण कुछ मात्रा में प्रदूषण पाया गया है। इन शहरों में पेयजल आपूर्ति जल संस्थान द्वारा यमुना नदी को शुद्धिकृत एवं क्लोरिनेशन के बाद की जाती है।

इन शहरों में गंगा कार्य योजना प्रथम एवं द्वितीय चरण तथा यमुना कार्य योजना के अन्तर्गत सीवेज शुद्धिकरण संयंत्र लगाये गये हैं इस दिशा में अब तक किये गये शुद्धिकरण संयंत्र स्थापना एवं भविष्य की योजना के बारे में नगर विकास विभाग (उ0 प्र0 जल निगम) द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

हिण्डन नदी व कृष्णा नदी में हो रहे प्रदूषण की रोकथाम की योजना

164-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यावरण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हिन्डन नदी व कृष्णा नदी का जल प्रदूषित हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके रोकथाम हेतु कोई उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

हिण्डन नदी शिवालिक पहाड़ियों से निकल कर उ0 प्र0 में जनपद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद से होते हुये जनपद गौतमबुद्ध नगर में तिवाड़ा गांव के पास अन्ततः यमुना नदी में मिल जाती है। हिण्डन नदी में मुख्य पानी के श्रोत उपरोक्त जनपदों के घरेलू जल-मल एवं औद्योगिक बहिश्राव है।

हिण्डन नदी में सहारनपुर क्षेत्र का कुल 75 एम0एल0डी0 घरेलू जल-मल निस्तारित होता है जिसमें से 38 एम0एल0डी0 शुद्धिकरण के उपरान्त एवं शेष अशुद्धिकृत अवस्था में निस्तारित होता है।

हिण्डन नदी में गाजियाबाद शहर का 126 एम0 एल0 डी0 घरेलू जल-मल शुद्धिकरण के उपरान्त एवं शेष घरेलू जल-मल अशुद्धिकृत अवस्था में निस्तारित होता है। हिण्डन नदी के क्षेत्र में गाजियाबाद, नोयडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर एवं सहारनपुर क्षेत्र के 108 प्रदूषणकारी उद्योग स्थित है जिनका संयुक्त उत्प्रवाह 50 एम0 एल0 डी0 आंकलित है। इनमें से 107 उद्योगों में आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित है।

कृष्णा नदी में वर्षा ऋतु के अतिरिक्त अन्य समय में स्वयं का जल अत्यन्त अल्प मात्र में रहता है एवं अधिकांशतः उद्गम स्थल के निकट नदी शुष्क अवस्था में रहती है। कृष्णा नदी के क्षेत्र में 10 प्रदूषणकारी उद्योग स्थित है जिनका संयुक्त उत्प्रवाह 12 एम0एल0डी0 आंकलित है। इनमें से समस्त उद्योगों में अवश्यक प्रदूषण नियंत्रण संयंत्र स्थापित है। कृष्णा नदी में शामली, कांधला क्षेत्र का लगभग 06 एम0 एल0 डी0 अशुद्धिकृत जल-मल निस्तारित होता है। कृष्णा नदी अन्ततः हिण्डन नदी में मिलती है।

काली नदी (पश्चिम) का जल भी हिण्डन नदी में निस्तारित होता हैं काली नदी (पश्चिम) के क्षेत्र में कुल 36 उद्योग स्थापित है, जिनका संयुक्त उत्प्रवाह 47 एम0एल0डी0 आंकलित है। समस्त उद्योगों में आवश्यक उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित है। नदी में मुजफ्फरनगर क्षेत्र का कुल 38 एम0एल0डी0 घरेलू जल-मल आक्सीडेशन पाण्ड में शुद्धिकरण के उपरान्त निस्तारित किया जाता है।

हिण्डन नदी के क्षेत्र में स्थित 108 औद्योगिक इकाईयों में से 1 पशु बधशाला उद्योग जिसमें उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयंत्र स्थापित नहीं है, के विरुद्ध बन्दी आदेश दिनांक 24-7-2007 को जारी किये गये है।

कृष्णा नदी के क्षेत्र में स्थापित 10 प्रदूषणकारी उद्योगों में से, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्थाओं के असंतोषजनक संचालन के दृष्टिगत 1 आसवनी इकाई के विरुद्ध बंदी आदेश दिनांक 6-8-2007 को एवं 1 चीनी इकाई के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस दि0 28-3-2007 को जारी किया गया है। हिण्डन

नदी में प्रदूषण के मुख्य श्रोत घरेलू जल-मल के शुद्धिकरण एवं निस्तारण हेतु नगर विकास विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागपत की नगर पंचायत छपरौली के मुख्य बाजार व गलियों की नालियों व सड़कों को ठीक कराये जाने की मांग

165-डा0 अजय तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की नगर पंचायत छपरौली के मुख्य बाजार व इससे जुड़ी गलियों की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़कों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पंचायत छपरौली के मुख्य बाजार की सड़कें सीमेंट रोड की बनी हैं जो इस समय ठीक है। मुख्य बाजार से जुड़ी सड़कें आंशिक क्षतिग्रस्त हैं, जिसमें तिलवाड़ा रास्ते पर भीम सिंह पुत्र जिले सिंह के मकान से ओम प्रकाश के मकान तक सी0सी0 इन्टरलाकिंग द्वारा निर्माण करा दिया गया है तथा वार्ड संख्या-6 में रामचन्द्र के मकान से रतनलाल के मकान तक एवं अनुसूचित जाति गली में सी0 सी0 इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण हेतु निविदा स्वीकृत हो चुकी है तथा नगर की अन्य 09 गलियों में भी सी0 सी0 इन्टरलाकिंग टाईल्स द्वारा निर्माण कराने हेतु निविदा दिनांक 06-10-2007 अध्यक्ष नगर पंचायत छपरौली की अध्यक्षता में स्वीकृत हो चुकी है। शेष मार्गों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

जनपद बागपत की नगर पंचायत खेकड़ा को नगर पालिका परिषद् का दर्जा दिये जाने की मांग

166-डा0 अजय तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की नगर पंचायत खेकड़ा को नगर पालिका परिषद् का दर्जा दिये जाने का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो नगर पंचायत खेकड़ा को नगर पालिका का दर्जा कब तक दे दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

नगर पंचायत खेकड़ा को नगर पालिका के रूप में उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव जिलाधिकारी, बागपत के पत्र सं0-370/स्था0नि0लि0/(146)/बागपत, दिनांक 19 मई, 2006 द्वारा उपलब्ध कराया गया है किन्तु तत्समय परिसीमन आयोग द्वारा नई प्रशासनिक इकाईयों के सृजन पर लगाई गई रोक को दृष्टिगत रखते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही नहीं हो सकी है। वर्तमान में परिसीमन आयोग द्वारा लगाई गई रोक समाप्त हो गई है। अतः प्रकरण में प्रभावी कार्यवाही प्रचलित है, जिसे शीघ्रातिशीघ्र सम्पन्न किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी के श्री राजेश सिंह चौहान को कैंसर बीमारी हेतु विवेकाधीन कोष से स्वीकृत धनराशि का ड्राफ्ट कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, ग्वालियर से गुम होने की जांच

167-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि श्री राजेश सिंह चौहान पुत्र श्री दशरथ सिंह निवासी नगला जुला, मैनपुरी को कैंसर बीमारी के उपचार हेतु दिनांक 14-12-2006 को रु0 35,000/- मुख्य मंत्री कार्यालय से कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान, ग्वालियर के लिए स्वीकृत किये गये थे ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि उपरोक्त धनराशि ड्राफ्ट संख्या-349902 दिनांक 14-12-2006 द्वारा उपरोक्त संस्थान को भेजा गया है ? क्या यह भी सही है कि उपरोक्त ड्राफ्ट कैंसर अस्पताल ग्वालियर नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

जी हां।

उक्त बैंक ड्राफ्ट संस्थान में दिनांक 23-12-2006 को डाक द्वारा प्राप्त हो गया है, किन्तु संस्थान में ड्राफ्ट गुम हो जाने के कारण सम्बन्धित बैंक में जमा नहीं किया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा मण्डल के अन्तर्गत कर्मचारियों की पेंशन अंशदान की धनराशि जमा कराने की व्यवस्था

168-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा प्रदेश की नगर पालिका परिषदों में लागू उ0प्र0 अकेन्द्रित सेवा पेंशन लाभ नियमावली, 1984 के भाग-7-16 शीर्ष पेंशन निधि खाता में प्राविधान के अनुसार आगरा मण्डल में जनपद स्तर पर पेंशन खाता खुलवाये गये हैं परन्तु नगर पालिकाओं द्वारा कर्मचारियों के वेतन से काटी गयी पेंशन अंशदान की राशि नियमित रूप से पेंशन खाता में प्रतिमाह जमा नहीं करायी जा रही है ? यदि हां, तो सरकार कब तक अवशेष धनराशि को पेंशन निधि खाता में जमा कराने की व्यवस्था कराएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

उ0 प्र0 पालिका (अकेन्द्रीयित) सेवा पेंशन लाभ विनियमावली, 1984 के भाग-7-16 शीर्ष पेंशन निधि खाता में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार आगरा मण्डल के अन्तर्गत जनपद आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़ एवं हाथरस की नगर पालिका परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों की पेंशन अंशदान की धनराशि नियमित रूप से सम्बन्धित निकायों द्वारा खुलवाये गये पेंशन खाते में जमा करायी जा रही हैं।

जनपद एटा की नगर पालिका परिषद्, एटा एवं कासगंज के अतिरिक्त शेष सभी नगर पालिका परिषदों में पेंशन अंशदान की धनराशि नियमित रूप से पेंशन खाते में जमा की जा रही है। नगर पालिका परिषद्, एटा एवं कासगंज की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ न होने के कारण गत वर्षों की पेंशन अंशदान की धनराशि पेंशन खाते में जमा नहीं हो पायी है, इसे माह दिसम्बर, 2007 तक जमा कराने का आश्वासन सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा दिया गया है।

जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद, शिकोहाबाद एवं सिरसागंज के अतिरिक्त शेष सभी नगर पालिका परिषदों में पेंशन अंशदान की धनराशि नियमित रूप से खुलवाये गये पेंशन खाते में जमा करायी जा रही है। नगर पालिका परिषद्, शिकोहाबाद एवं सिरसागंज में पेंशन अंशदान की धनराशि क्रमशः माह मई, 2002 एवं माह जुलाई, 2004 से नियमित रूप से खुलवाये गये पेंशन खाते में जमा करायी जा रही है। इन निकायों की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण अवशेष पेंशन अंशदान की धनराशि को जमा किया जाना सम्भव नहीं हो सका है। इस हेतु सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा अतिरिक्त धनावंटन कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

मथुरा जनपद की नगर पालिका परिषद्, वृन्दावन के अतिरिक्त शेष सभी नगर पालिका परिषदों में पेंशन अंशदान की धनराशि नियमित रूप से सम्बन्धित पालिकाओं द्वारा खुलवाये गये पेंशन खाते में जमा की जा रही है। नगर पालिका परिषद्, वृन्दावन की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण माह जून 1985 से वर्ष 1996 तक की पेंशन अंशदान की धनराशि नियमित रूप से कर्मचारियों के पेंशन खातों में जमा नहीं करायी जा सकी थी, जिसे वर्तमान में समय-समय पर पालिका की वित्तीय स्थिति के अनुसार सम्बन्धित पालिका द्वारा जमा कराया जा रहा है और वर्ष 1997 से पेंशन अंशदान की धनराशि प्रतिमाह नियमित रूप से जमा करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद गोण्डा की ग्राम वोटन पुरवा निवासिनी श्रीमती सुषमा देवी की जानमाल की सुरक्षा के सम्बन्ध में पत्र

169-श्री अशोक सिंह चौहान-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती सुषमा देवी पत्नी स्व0 अयोध्या प्रसाद निवासिनी ग्राम-वोटन पुरवा, पोस्ट-कटुआ नाला तहसील करनैलगंज थाना कौड़िया जिला गोण्डा के परिवार को जानमाल का खतरा होने से सुरक्षा व्यवस्था हेतु दिनांक 04-08-2006 को स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विधान मण्डल दल बहुजन समाज पार्टी उ0 प्र0 द्वारा प्रेषित-पत्र प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो दिये गये प्रार्थना-पत्र पर अभी तक कोई कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां।

श्रीमती सुषमा देवी पत्नी स्व0 श्री अयोध्या प्रसाद, निवासी ग्राम-वोटन पुरवा पोस्ट कटुआ नाला तहसील करनैलगंज थाना-कौड़िया, जनपद-गोडा की सुरक्षा व्यवस्था विषयक प्रार्थना-पत्र दिनांक 04-08-2006 के सम्बन्ध में तत्कालीन थानाध्यक्ष कौड़िया गोण्डा द्वारा आवेदिका के घर पहुंचकर पक्षकरों, आवेदिका व ग्राम्य सभा के सम्मानित व्यक्तियों के समक्ष निष्पक्ष बंटवारा कराकर आवेदिका के हिस्से की जमीन उसकी स्वेच्छा से कब्जा दिलाकर सुलह करा दिया गया है। आवेदिका को अब कोई परेशानी/जानमाल का खतरा नहीं है। इस सम्बन्ध में आवेदिका द्वारा लिखित तहरीर भी दी गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

वाराणसी नगर निगम में मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारियों की तैनाती की मांग

170-श्री श्यामदेव राय चौधरी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर निगम में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी तैनात हैं ? नगर को पर्याप्त रूप से साफ व स्वच्छ रखने हेतु सरकार मानक के अनुरूप सफाई कर्मचारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासनादेश दिनांक 12-12-2006 द्वारा नियुक्ति पर लगी रोक के कारण।

जनपद बागपत की नगर पंचायत छपरौली के बाजारों मोहल्लों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था

171-डा0 अजय तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत की नगर पंचायत छपरौली के मुख्य बाजारों, मोहल्लों कालोनियों व गलियों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गयी है ? यदि नहीं, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

नगर पंचायत छपरौली में मुख्य बाजार, मोहल्लों की कालोनियों व गलियों में पहले से ही लगी 160 सोडियम लाईटों में खराब 56 लाईटो की मरम्मत कर दी गयी है तथा 70 सी0एफ0एल0 लाईटें नगर के मोहल्ले की गलियों में लगाई गयी हैं। इस प्रकार इस समय कुल 230 पोलों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था चालू है। शेष मोहल्लों व गलियों में लगे पोलों/खंभों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था शीर्घ पूर्ण कर दी जायेगी।

जनपद बागपत के नगर पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त जलापूर्ति की मांग

172-डा0 अजय तोमर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत के नगर पंचायत क्षेत्र में जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्या समुचित जलापूर्ति हेतु कोई कार्य योजना बनायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जनपद बागपत की 06 नगर पंचायतों में पाईप पेयजल योजना के माध्यम से जनसंख्या के सापेक्ष पर्याप्त जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विकास खण्ड हरचन्दपुर की ग्राम पंचायत पश्चिम के गांवों की सड़कों को सम्पर्क मार्ग से जोड़े जाने की मांग

173-श्री राम विशुन आजाद-

क्या डा0 अम्बेडकर ग्रामीण समग्र विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम पंचायत पश्चिम गांव विकास खण्ड हरचन्दपुर जिला रायबरेली अम्बेडकर ग्राम वर्ष 2002-2003 में चयनित हुआ था तथा ग्राम पंचायत पश्चिम गांव के मजरा ग्राम गरीबखेड़ा को अभी तक किसी सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है ? यदि हां, तो क्या राजामऊ राजबहा की पटरी को बछरावां-लालगंज सम्पर्क मार्ग से ग्राम गरीबखेड़ा तक पक्की कराकर सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रतन लाल अहिरवार-

जी हां।

ग्राम पंचायत पश्चिम गांव वर्ष 2002-2003 में अम्बेडकर ग्राम चयनित था, जो सम्पर्क मार्ग से जुड़ा हुआ है, मजरा गरीबखेड़ा की कोई स्वीकृति/प्रस्ताव न होने से सम्पर्क मार्ग से नहीं जोड़ा गया है।

जी नहीं।

ग्राम पश्चिम गांव सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है। इसका मजरा गरीबखेड़ा जो जोड़ने का न कोई प्रस्ताव/स्वीकृति है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् जौनपुर में अटाला मस्जिद के उत्तरी गेट के सामने जर्जर सड़क के मरम्मत की मांग

174-श्री जावेद अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाली अटाला मस्जिद के उत्तरी गेट के सामने की सड़क जो शाही किला-गल्ला मंडी मुख्य सड़क को जोड़ती है, अत्यन्त जर्जर हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी शीघ्र मरम्मत करा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां।

जनपद जौनपुर की नगर पालिका परिषद् सीमा अन्तर्गत अटाला मस्जिद के उत्तरी गेट के सामने की सड़क जो शाही किला-गल्ला मंडी मुख्य सड़क को जोड़ती है, वह पिच रोड है, वर्तमान में मरम्मत योग्य है। इस सड़क की मरम्मत कराने हेतु चयनित किया जा चुका है। धन की उपलब्धता सुनिश्चित होते ही मरम्मत कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जौनपुर शहर को पर्यटन केन्द्र का दर्जा प्रदान करने की मांग

175-श्री जावेद अंसारी-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जौनपुर शहर की ऐतिहासिकता को देखते हुये सरकार जौनपुर को पर्यटन केन्द्र का दर्जा दिलाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

पर्यटन विभाग में किसी स्थल विशेष को पर्यटन केन्द्र घोषित करने अथवा दर्जा देने की कोई नीति/प्रक्रिया नहीं है।

प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों के समकक्ष वेतनमान दिये जाने की मांग

176-श्री बजरंग बहादुर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि केन्द्रीय सचिवालय में समीक्षा अधिकारियों को माह सितम्बर, 2006 से स्वीकृत रु0 6500-10500 के वेतनमान के अनुरूप प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को भी उक्त वेतनमान का लाभ माह सितम्बर, 2006 से दिये जाने हेतु संशोधित शासनादेश जारी करने का आदेश देने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारियों को उच्चीकृत वेतनमान रु0 6500-10,500 केन्द्रीय सचिवालय के सहायक पद से समकक्षता के आधार पर अनुमन्य कराये गये है। केन्द्र सरकार में दिनांक 1-1-1996 से हटकर अन्य तिथियों से जिन संवर्गो में उच्चीकृत वेतनमान दिये गये हैं उन मामलों में राज्य सरकार के स्तर पर उच्चीकृत वेतनमान तात्कालिक प्रभाव से ही अनुमन्य कराये जाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय सचिवालय के सहायक पद के उच्चीकृत वेतनमान दिनांक 1-1-1996 की तिथि से न देकर इसके बाद की तिथि से दिया गया है। अतः उ0प्र0 सचिवालय के समीक्षा अधिकारी पद पर उच्चीकृत वेतनमान तात्कालिक प्रभाव से ही अनुमन्य कराया गया है।

सचिवालय गेट संख्या-3 से दारूलशफा जाने हेतु उपरिगामी पुल निर्माण कराये जाने की मांग

177-डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2007 के तृतीय सोमवार के लिये निर्धारित अता0 प्र0 संख्या-19 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रु0 11.50 लाख के भेजे गये आगणन की स्वीकृति नगर निगम द्वारा प्रदान कर धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जी नहीं।

आगणन की स्वीकृति नगर निगम, लखनऊ के सदन द्वारा प्राप्त होने के बाद निविदा आमंत्रित कर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर महानगर में जल जमाव की समस्या के समाधान हेतु शासन की निति

178-डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर महानगर में जल-जमाव के दृष्टिगत इसके निराकरण हेतु शासन ने क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री नकुल दुबे-

जी हां, समस्या का तात्कालिक समाधान नगर निगम, गोरखपुर द्वारा किया जाता है। जल जमाव की समस्या का दीर्घकालीन निराकरण शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु संचालित यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजनान्तर्गत प्रस्तावित है। इस योजना के अन्तर्गत 80 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत धनराशि में से 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा एवं 10 प्रतिशत सम्बन्धित नगरीय निकायों द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इस योजना से गोरखपुर महानगर भी आच्छादित है, जिसके अन्तर्गत नाला निर्माण/सुधार एवं जल निकासी की परियोजना जल निगम के माध्यम से तैयार करायी जा रही है। डी0पी0आर0 राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति से अनुमोदित हो जाने तथा भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्त हो जाने पर निर्माण कार्य कराया जायेगा।

जनपद प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी के आस-पास अग्निशमन केन्द्र स्थापित किये जाने हेतु पत्र

179-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या गृह मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-प्रतापगढ़ के तहसील पट्टी मुख्यालय पर, ब्लाक पट्टी, आसपुर देवसरा, मंगरौरा के आस-पास अग्निशमन केन्द्र स्वीकृत किये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर मा0 मुख्य मंत्री जी का पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम0/163785/07, दिनांक 4-7-07 प्रमुख सचिव, गृह को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां, प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ। वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत वांछित स्थानों पर अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

नानाराव पेशवा स्मारक स्थल का निर्माण गिर जाने से मजदूरों की मृत्यु की तकनीकी जांच

180-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के बिठूर स्थित ऐतिहासिक स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना के अन्तर्गत कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियन्ता सेवा कानपुर द्वारा निर्माण कराये जा रहे नानाराव पेशवा स्मारक स्थल का निर्माण दिनांक 14-4-07

को गिर जाने से दो मजदूर दबकर मर गये थे ? इस सम्बन्ध में क्या अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी हां।

अधीक्षण अभियन्ता लोक निर्माण विभाग कानपुर द्वारा की गयी तकनीकी जांच रिपोर्ट में दोषी पाये गये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिये ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को संस्तुति सहित प्रकरण दिनांक 30 अगस्त, 2007 को सन्दर्भित कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर में मां तपेश्वरी मंदिर व मां वैभव लक्ष्मी मंदिर को विकसित कराये जाने हेतु पत्र

181-डा0 अजय तोमर-

क्या पर्यटन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 25 मई, 2005 व 8 जून, 2005 जो उन्हें व सचिव पर्यटन को सम्बोधित था और जो जनपद कानपुर में पर्यटन स्थल के रूप में मां तपेश्वरी मंदिर व मां वैभव लक्ष्मी मंदिर को विकसित कराये जाने हेतु कार्य को कार्यदायी संस्था समाज कल्याण निर्माण निगम कानपुर को दिये जाने विषयक था, प्राप्त हुए ? यदि हां, तो पत्रों के मुख्य बिन्दु क्या थे तथा उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 25 मई, 2007 व 08 जून, 2007 प्राप्त हुये हैं।

पत्रांक मुख्य बिन्दु जनपद कानपुर की दो योजनाओं क्रमशः तपेश्वरी मां तपोस्थली, पटकापुर का पर्यटन विकास एवं मां वैभव लक्ष्मी, पटकापुर का पर्यटत विकास का कार्य कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के स्थान पर उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को आवंटित किये जाने से सम्बन्धित थे।

इस सम्बन्ध में उक्त कार्यों हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम को नामित किये जाने के आदेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

182-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

जनपद महराजगंज के बृजमनगंज थाने में वाटर रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बन्दना सेवा समिति के विरुद्ध रुपया हड़पने के पंजीकृत अभियोग

183-श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महराजगंज जनपद के बृजमनगंज थाने में वाटर रिचार्ज योजना के अन्तर्गत बन्दना सेवा समिति के विरुद्ध 25 लाख रुपया हड़पने की प्राथमिकी दर्ज हुई है जिसमें कई महीने बीतने के बाद भी कोर्ट को चार्जशीट नहीं भेजी गयी और जिस कारण प्रमुख

अभियुक्त की अभी तक गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी इस सम्बन्ध में विलम्ब करने वाले पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां, मु0अ0सं0 544/07, धारा 409/419/420 भा0द0वि0 थाना बृजमनगंज, जनपद महराजगंज दिनांक 02-07-2007 को पंजीकृत हुआ।

एक अभियुक्त श्री दिनेश कुमार मिश्र निवासी-जिगना थाना-बासगांव, गोरखपुर दिनांक 04-07-2007 को गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियोग की विवेचना उपनिरीक्षक श्री विरेन्द्र तिवारी, इंचार्ज पुलिस चौकी-धानी द्वारा दिनांक 02-07-2007 से 20-07-2007 तक की गयी। दिनांक 12-08-2007 से 18-09-2007 तक विवेचना उपनिरीक्षक श्री उदय प्रताप यादव, इंचार्ज पुलिस चौकी-धानी द्वारा की गयी। तदुपरान्त शासनादेश दिनांक 21-08-2007 के अनुपालन में विवेचना आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन, वाराणसी सेक्टर द्वारा दिनांक 19-09-2007 से विवेचनाधीन है।

जनपद बागपत में तालाबों की खुदाई हेतु आवंटित धनराशि

184-डा0 अजय तोमर-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बागपत में वर्ष 2005-06 व 2006-07 में तालाबों की खुदाई हेतु कितना धन आवंटित हुआ था तथा आवंटित धन के सापेक्ष कितने तालाबों की खुदाई कराई गयी थी ? क्या इन सभी का भौतिक सत्यापन जनपदीय विशेषज्ञ अधिकारियों या अन्य विभागों से कराया गया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद बागपत में वर्षवार आवंटित धनराशि एवं कृत कार्यों की स्थिति निम्नवत् है:--

वर्ष 2005-2006--

पेयजल योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि रु0 39.49 लाख के सापेक्ष 17 तालाबों का चयन किया गया, जिनमें 10 तालाबों पर कार्य पूर्ण हुआ। शेष तालाबों पर कार्य प्रगति पर है।

वर्ष 2006-2007--

(I) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि रु0 87.516 लाख के सापेक्ष 62 तालाब चयनित किये गये, जिनमें से 28 तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण हुआ। शेष तालाबों पर कार्य प्रगति पर है।

(II) आदर्श जलाशय योजनान्तर्गत आवंटित धनराशि रु0 150.25 लाख के सापेक्ष 125 तालाबों का चयन किया गया, जिनमें से 61 तालाबों की खुदाई का कार्य पूर्ण हुआ। शेष तालाबों पर कार्य प्रगति पर है।

उक्त तालाबों का सत्यापन/निरीक्षण ग्राम्य विकास विभाग के जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं खण्ड विकास अधिकारी तथा अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग द्वारा किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद् जौनपुर में खराब नलकूपों की रि-बोरिंग की मांग

185-श्री जावेद अंसारी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जौनपुर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के अन्तर्गत तीन नलकूप स्थाई रूप से खराब हैं जिसके कारण नगर में गम्भीर पेयजल संकट व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार नागरिकों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिये नईगंज नलकूप सं0-3, हिन्दी भवन नलकूप तथा रसूलाबाद नलकूपों की रि-बोरिंग की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री नकुल दुबे-

जौनपुर नगर पालिका परिषद् में प्रश्नगत तीन नलकूपों में से एक अदद नलकूप नईगंज नं0-3 जो कि ट्रान्स गोमती क्षेत्र में पड़ता है, की रिबोरिंग करा दी गयी है, जिससे जलापूर्ति की जा रही है। शेष दोनों नलकूपों का श्राव कम हो गया है, परन्तु उनसे भी जलापूर्ति की जा रही है।

नलकूप नईगंज नं0-3 जो कि ट्रान्स गोमती क्षेत्र में पड़ता है, की रिबोरिंग करा दी गयी है। शेष दो नलकूपों का क्षेत्र सिस् गोमती क्षेत्र में आता है तथा यू0आई0डी0एस0एस0एम0टी0 योजना के अन्तर्गत इस क्षेत्र की जलापूर्ति योजना तैयार की जा रही है, जिसमें जलापूर्ति स्रोत गोमती नदी प्रस्तावित किया गया है। अतः रिबोरिंग प्रस्तावित नहीं है।

श्री पी0 एन0 वर्मा, पूर्व परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण ललितपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता एवं पद के दुरुपयोग की जांच

186-श्री रियाज अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी0 एन0 वर्मा पूर्व परियोजना निदेशक जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ललितपुर के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता/भ्रष्टाचार/अपने पद का दुरुपयोग करने के प्रकरण ग्राम्य विकास विभाग उ0 प्र0 शासन में लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराई गयी ? यह कितने प्रकरणों में दोषी सिद्ध हुए हैं तथा शासन स्तर से उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां।

जी हां। श्री पी0 एन0 वर्मा के विरुद्ध उनके परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ललितपुर के पद पर कार्यरत रहने के दौरान विकास योजनाओं में अनियमितता किये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती उर्मिला देवी यादव, अध्यक्ष/ब्लाक प्रमुख, क्षेत्र पंचायत-बार, जिला ललितपुर के पत्र दिनांक 24-05-2006 एवं श्री जी0सी0 दिनकर, अध्यक्ष, बहुजन समाज पार्टी, झांसी मण्डल, झांसी के पत्र दिनांक 17-06-2007 के साथ संलग्न इंजीनियर नाथू राम कुशवाहा, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा किया गया शिकायती पत्र दिनांक 16-06-2007 शासन में प्राप्त हुआ है, जिसकी जांच आयुक्त, ग्राम्य विकास के माध्यम से संयुक्त विकास आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी से कराई जा रही हैं।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, ललितपुर में आलमारियों के क्रय में की गयी अनियमितता की संयुक्त विकास आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी द्वारा

की गई जांच में प्रथम दृष्टया अन्तर्ग्रस्त पाये गये श्री पी0 एन0 वर्मा एवं अन्य अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक आयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी का पत्र दिनांक 20-03-2007 भी शासन में प्राप्त हुआ है।

इसके अतिरिक्त श्री पी0 एन0 वर्मा, परियोजना निदेशक के जनपद रायबरेली के कार्यकाल में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच में दोषी पाये जाने पर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण में आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0 प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नामित किया गया है।

श्री पी0 एन0 वर्मा के विरुद्ध प्रचलित प्रारम्भिक जांच/अनुशासनिक कार्यवाही में जांच आख्या प्राप्त कर एवं अयुक्त, झांसी मण्डल, झांसी के पत्र दिनांक 20-03-2007 द्वारा उपलब्ध कराये गये कार्यवाही विषयक प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के कतिपय विकास खण्डों में नफीस नर्सरी, मलिहाबाद द्वारा आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान की मांग

187-श्री रियाज अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुख्य विकास अधिकारी, ललितपुर द्वारा उप सचिव, ग्राम्य विकास विभाग उ0 प्र0 लखनऊ को प्रेषित-पत्र सं0-636/बी-19/नरेगा/06-07, दिनांक 30-06-2007 जो नफीस नर्सरी मलिहाबाद द्वारा विकास खण्ड जखौरा/महरौनी/बार/तालबेहट जिला ललितपुर में आपूर्ति किये गये पौधों के भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में था, पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? क्या उक्त संस्था को पूर्ण भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समयबद्धता के साथ या तत्काल भुगतान करने हेतु कोई आदेश निर्गत करेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

नफीस नर्सरी मलिहाबाद द्वारा क्षेत्र पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में सीधे पौधों की आपूर्ति किये गये पौधों का भुगतान ग्राम पंचायतों द्वारा किया जाना है।

नफीस नर्सरी मलिहाबाद को ग्राम पंचायतों एवं क्षेत्र पंचायत द्वारा निम्न विवरण के अनुसार भुगतान किया गया है:--

1-	क्षेत्र पंचायत तालबेहट द्वारा	100000.00
2-	विकास खण्ड बार की ग्राम पंचायतों द्वारा	41600.00
3-	विकास खण्ड महरौनी की ग्राम पंचायत द्वारा	133660.00
4-	विकास खण्ड जखौरा की ग्राम पंचायत द्वारा	281050.00
	योग:-	556310.00

नफीस नर्सरी द्वारा पौधों की आपूर्ति पंचायती राज संस्थाओं को की गई है। देय भुगतान भी नियमानुसार इन्हीं संस्थाओं द्वारा किया जायेगा। पृथक आदेश की आवश्यकता नहीं हैं।

उत्तर प्रदेश सचिवालय में कार्यरत सैन्य विनियोजित समीक्षा अधिकारियों को ज्येष्ठता प्रदान करने के सम्बन्ध में पत्र

188-श्री रियाज अहमद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 सचिवालय में कार्यरत सैन्य विनियोजित समीक्षा अधिकारियों का पत्र दिनांक 02-03-2007 जो सैन्य सेवा के आधार पर शार्ट सर्विस कमीशन-सैन्य विनियोजितों की संगत नियमावली में संशोधन कर ज्येष्ठता प्रदान करने विषयक था, सचिव, सचिवालय प्रशासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

कु0 मायावती-

जी हां। उल्लिखित पत्र दिनांक 02-03-2007 सचिवालय प्रशासन विभाग को दिनांक 06-03-2007 को प्राप्त हुआ है।

परीक्षणोपरान्त, नियमानुसार ज्येष्ठता प्रदान करना सम्भव नहीं पाया गया।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ के कतिपय प्राचीन मन्दिरों में पर्यटन एवं स्थल विकास के समुचित कार्य

189-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्राचीन महत्व से जुड़े बेल्हादेवी मंदिर एवं ब्लाक पट्टी के ग्राम दाऊदपुर स्थित कुण्डाधाम तथा ग्राम सर्वजीतपुर में स्थित दुर्गा मंदिर के पर्यटन एवं स्थल विकास हेतु समग्र प्रस्ताव गठित किये जाने एवं उसकी स्वीकृति राज्य योजना अथवा केन्द्रीय योजना में सम्मिलित कराये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री विनोद सिंह-

जी नहीं।

इन स्थलों पर पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन विकास के समुचित कार्य कराये जा चुके हैं।

जनपद इलाहाबाद में दादूपुर ट्यूबवेल योजना से सारंगापुर ग्राम को पेयजल योजना में सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

190-श्री उदयभान करवरिया-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दादूपुर ट्यूबवेल योजना जनपद इलाहाबाद से सारंगापुर गांव को जोड़ने से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 501405 दिनांक 28-06-2007 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त गांव में क्या पेयजल समस्या बहाल कर दी गई ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ददूदू प्रसाद-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना अन्तर्गत बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता व मानक का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में पत्र

191-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत बनायी जा रही सड़कों की गुणवत्ता मानकों, डी0 पी0 आर0, तकनीकी स्वीकृति का अनुपालन न किये जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-ख-2/998982 दिनांक 16-08-2007 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ को तथा अधिशासी अभियन्ता को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जी हां। उक्त शिकायती पत्र में प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत बन रहे निम्नलिखित मार्गों का निर्माण मानकों के विपरीत होने का उल्लेख करते हुए इनकी जांच कराये जाने का अनुरोध किया गया था:--

1-नादी से बसौली मार्ग

2-पट्टी से राजाबाजार मार्ग

3-बीरापुर पटखौली मार्ग

उक्त शिकायतों की जांच जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा अर्थ एवं संख्याधिकारी प्रतापगढ़ के माध्यम से तकनीकी टीम गठित कर कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामों का चयन

192-श्री राधेश्याम गुप्ता-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर, जनपद फतेहपुर में प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों को प्रमुख मार्गों से जोड़ दिया गया है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र के शेष ग्रामों को भी उक्त योजना से लाभान्वित करते हुए प्रमुख मार्गों से जोड़ेगी ?

श्री दद्दू प्रसाद-

जनपद फतेहपुर में विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के अन्तर्गत ग्राम मलाका, अलादातपुर, सुखपुर, आम्बी, रेहरा, पूरेमीतादीन, उन्नौर, लालपुर, पूरे ताजमोहम्मदपुर, भरसवां, रहमतपुर, दौलतपुर, बेंटी सादात, सेनपुर एवं भदसरी ग्रामों को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत प्रमुख मार्गो से जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम सेमरहटा, गोपालपुर, लखपुरवा, हैबतपुर, मिश्रामऊ, मानसिंह का पुरवा, मीरपुर, पुरस्ती, चंपतपुर एवं सकेतहिम्मतपुर आदि ग्रामों के सम्पर्क मार्गो का अनुबन्ध गठित है व मार्ग निर्माणाधीन है। ग्राम मदारीपुर एवं ओर्बापुर को जोड़ने हेतु विस्तृत आगणन अनुमोदन हेतु विचाराधीन है।

पेरियार की "सच्ची रामायण" नामक पुस्तक में भगवान राम और सीता की निन्दा विषयक नियम 311 के अन्तर्गत सूचना को सर्वप्रथम सुने जाने की मांग (क्रमागत)

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मेरी सूचना है, नियम-56 के अन्तर्गत, सच्ची रामायण में जो कुछ भी लिखा है, वह समाज को तोड़ने वाला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करने वाला है।

संसदीय कार्य मंत्री (लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जब नियम-56 आयेगा, तब अवसर दीजिएगा। इन्होंने जो कहा है, मान्यवर, आप उसे कार्यवाही से निकाल दें। मान्यवर, जब यह स्वयं कह रहे हैं कि मैंने नियम-56 में सूचना दी है तो जब नियम-56 आयेगा तब मान्यवर, आप उसकी ग्राह्यता पर विचार कर लीजिएगा। अभी नियम-56 का विषय आया नहीं और जब नियम-56 आया नहीं तब यह किस नियम के तहत् सुनाने की बात है ?

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह नियम-311 में है। मैंने इसे नियम-311 में उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आयेगा, तब अपनी बात कहिएगा। आज की कार्यवाही का मैंने नत्थी-क ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, नियम-311 देखें, "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे, किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा। ऐसी अवस्था में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा, वह अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जायेगी।" मान्यवर, आपने सहमति दी नहीं, आपने उठाने की अनुमति दी नहीं और जब आपने इसे उठाने की अनुमति दी नहीं।

(घोर व्यवधान जारी)

(घोर व्यवधान के मध्य)

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अपने स्थान पर बैनर लेकर खड़े हो गये और जोर-जोर से अपनी बात बोलने लगे इसके बाद समाजवादी पार्टी के सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े हो गये और जोर-जोर से बोलने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने उठाने की अनुमति दी नहीं तो मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में जो भी कहा है उसे कार्यवाही से निकलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

मैंने नियम-311 में अनुमति नहीं दी है। अभी हमारे सामने कोई प्रस्ताव या सहमति नहीं आयी है। जब नियम-56 में आएगा तो उसमें हम कार्यवाही के आधार पर चलेंगे। मैंने नत्थी-क ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, निवेदन भी है कि इस पर जो भी कहा गया है उसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

दिखवा लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, पाप किया है इस सरकार ने, यह सुनना क्यों नहीं चाहते ?

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 में आएगा तब देखा जाएगा। नियम के आधार पर सूचना चयनित की गयी है। आपकी प्रथम सूचना चयनित की गयी है। आपको तो कहा गया था कि आपकी प्रथम सूचना चयनित की गयी है। जब मद आएगा तब हम देखेंगे। जब नियम-56 आएगा तो मैं देखूंगा। अभी आपके कहने का क्या औचित्य है ?

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, इन लोगों के पास कुछ कहने के लिए है ही नहीं। इनकी केन्द्र और प्रदेश में सरकारें रही हैं उस समय इन्होंने कुछ नहीं किया और जब जनता ने इनको नकार दिया तो यह गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अम्बिका चौधरी द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

जब नियम-56 आएगा तब हम देखेंगे। हम नियम के आधार पर चल रहे हैं। माननीय चौधरी साहब मैं नियम के आधार पर चल रहा हूं। मैंने नियम-311 में अपनी सहमति नहीं व्यक्त की है। जब नियम-56 आएगा तब देखेंगे। आप निर्देश पढ़िये। जब नियम-311 में मेरी सहमति होगी तभी तो आप कहेंगे। अभी नियम-311 के आपके प्रस्ताव पर हमारी सहमति नहीं है। जब नियम-56 आएगा तो मैं देख लूंगा कि क्या हो सकता है। माननीय चौधरी साहब आप भी कुछ नियम देख लें कि जब नियम-311 में मैंने उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति नहीं दी है तो एक विनिश्चय हो गया कि यह हम नहीं सुनेंगे।

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

हम यह जानना चाहते हैं कि नियम-311 अलग है और दूसरी बात कि रामायण महाग्रंथ है और विश्व की कोई ऐसी भाषा नहीं है जिसने इसका अनुवाद न किया हो। उस पर आप ऐसे हल्के-फुल्के लेंगे तो नियम-311 को निकाल देना चाहिए नियमावली से। यह कैसे हो सकता है कि इस विषय पर भी आप चर्चा न होने दें ? इससे महत्वपूर्ण चर्चा नहीं हो सकती।

(घोर व्यवधान के मध्य)

सम्पूर्ण विपक्ष ने इसको नियम-311 में उठाया है।

श्री अध्यक्ष-

किसी ऐसे नियम को निलम्बित करने के बारे में प्रस्ताव हो तो सदस्य ऐसे विषय पर मा0 अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे यह नियम-311 में है। यह 50 साल पुरानी किताब है। इसमें तो कोई तात्कालिकता भी नहीं है। जब नियम-56 आयेगा मैं सुन लूंगा।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इन लोगों को नियमों से कोई लेना देना नहीं है और न ही नियमों के बारे में इन्हें कोई जानकारी है। केवल दबंगई के आधार पर गलत बात को सही बनाना चाहते हैं। आप पढ़ लें, इसमें लिखा है कि कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय, तो प्रस्ताव तो स्वीकृत नहीं हुआ है अतः ऐसी स्थिति में इस पर चर्चा नहीं हो सकती। यह कोई तात्कालिक विषय नहीं है। कितने वर्ष पुरानी यह किताब लिखी गई है। जनता ने इनको ठुकरा दिया इसलिए यह गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं। यह इन लोगों की मिलीभगत है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, संसदीय भावनाओं का आपको आदर करना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय भावनाओं का आदर है। मैं भावनाओं पर कुठाराघात नहीं कर रहा हूं। इसमें तात्कालिकता क्या है यह बता दें।

मा0 चौधरी साहब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आज कई महत्वपूर्ण सूचनाएं लगी हैं। जब नियम-56 में आयेगा तभी मैं सुनूंगा। सबकी भावनाएं हैं और भावनाओं का आदर होता है। इसमें क्या तात्कालिकता है यह बता दें ? कब यह किताब छपी है ?

(समाजवादी पार्टी एवं भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य पुनः नारे लगाते हुए सदन के फ्लोर पर आ गये तथा रिपोर्ट्स टेबल पर चढ़ने का प्रयास करने लगे जिनको सुरक्षा सहायकों ने मजबूती से रोक लिया किन्तु सदन में घोर व्यवधान बना रहा।)

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण 11 बजकर 19 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 20 मिनट तक के लिये स्थगित कर दी। 11 बजकर 39 मिनट पर मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 12 बजकर 20 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 12 बजकर 20 मिनट पर अध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भोला दत्त सकलानी, श्री सूरवीर सिंह, श्री द्वारिका नाथ धवन, श्री गुलाब सिंह, श्री राम जन्म सिंह, श्री त्रिभुवन प्रसाद, श्री करन सिंह, श्री सरजू प्रसाद सरोज, श्री भगवन्त प्रसाद, श्री पंचानन राय, श्रीमती उमा त्रिपाठी तथा श्री जयराज गौतम के निधन पर शोकोद्गार

श्री अध्यक्ष-

अब मैं मद संख्या-3, निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचना को लेता हूं। उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भोला दत्त सकलानी का 25 जून, 1995 को निधन हो गया। वे लगभग 81 वर्ष के थे। श्री भोला दत्त सकलानी का जन्म चुक्खूवाला देहरादून में जून, 1914 मे हुआ था। श्री भोला दत्त सकलानी वर्ष 1974 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र देहरादून, जिला देहरादून

से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री भोला दत्त सकलानी वर्ष 1980 से 1993 तक गढ़वाल मंडल विकास निगम में चेयरमैन के पद पर रहे थे। वे बेहतर नागरिक सुविधाओं के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। श्री भोला दत्त सकलानी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सूरवीर सिंह का 23 मई, 1996 को निधन हो गया। वे लगभग 61 वर्ष के थे। श्री सूरवीर सिंह का जन्म ग्राम लखवाड़, तहसील कालसी, जिला देहरादून में 3 सितम्बर, 1935 को हुआ था। उन्होंने स्नातक की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सूरवीर सिंह वर्ष 1977 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र चकरौता (अ0ज0जा0), जिला देहरादून से जनता पार्टी के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री सूरवीर सिंह एक योग्य एवं समर्पित कार्यकर्ता थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री सूरवीर सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री द्वारिका नाथ धवन का 14 जून, 1996 को निधन हो गया। वे लगभग 66 वर्ष के थे। श्री द्वारिका नाथ धवन का जन्म 14 जून, 1930 को कृष्ण नगर, देहरादून में हुआ था। श्री द्वारिका नाथ धवन वर्ष 1980 के सामान्य निर्वाचन में निर्वाचन क्षेत्र देहरादून, जिला देहरादून से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर निर्वाचित हुए थे। श्री द्वारिका नाथ धवन एक योग्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री द्वारिका नाथ धवन के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री गुलाब सिंह का 3 दिसम्बर, 2000 को निधन हो गया। वे लगभग 74 वर्ष के थे। श्री गुलाब सिंह का जन्म 15 सितम्बर, 1926 को ग्राम बिरनार, जिला देहरादून में हुआ था। उन्होंने बी0ए0 तथा कानून की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री गुलाब सिंह सर्वप्रथम वर्ष 1957 में निर्वाचन क्षेत्र मंसूरी, जिला देहरादून से स्वतंत्र प्रगतिशील विधान मण्डलीय दल के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1962, 1967, 1969 में निर्वाचन क्षेत्र मंसूरी, जिला देहरादून से कांग्रेस के टिकट पर तथा निर्वाचन क्षेत्र चकराता (अ0जा0) जिला देहरादून से वर्ष 1974 में कांग्रेस, वर्ष 1980 एवं 1985 में कांग्रेस (आई0) तथा वर्ष 1989 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे।

श्री गुलाब सिंह किसान आन्दोलन तथा जेल भरो आन्दोलन में दो बार जेल जा चुके थे। वे श्री चरण सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री कमलापति त्रिपाठी मंत्रि-मण्डल, श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रि-मण्डल, श्री श्रीपति मिश्र मंत्रि-मण्डल तथा श्री नारायण दत्त तिवारी मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे प्रदेश कांग्रेस के मंडलीय सचिव, जिला कांग्रेस आई के अध्यक्ष तथा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। बंधुआ मजदूरों के उत्थान, पिछड़ी जनजातियों के कल्याण तथा पर्वतीय अंचलों के उत्थान में उनकी विशेष रुचि थी। श्री गुलाब सिंह के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री राम जन्म सिंह का 01 जून, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 91 वर्ष के थे। श्री राम जन्म सिंह का जन्म 23 अक्तूबर, 1916 को ग्राम आलमखातोपुर, तत्कालीन जिला वाराणसी में हुआ था। उन्होंने एम0ए0, साहित्यरत्न तथा सी0टी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री राम जन्म सिंह वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र धानापुर, तत्कालीन जिला वाराणसी से कांग्रेस आई के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री राम जन्म सिंह श्रीमती इंदिरा गांधी के गिरफ्तारी के विरोध आन्दोलन में सेन्ट्रल जेल वाराणसी में 9 दिन राजनीतिक बन्दी रहे थे। उन्होंने कई आन्दोलनों में भी भाग लिया था। वे क्षेत्र समिति, धानापुर के प्रमुख तथा बलिया, गाजीपुर एवं वाराणसी की अनेक शिक्षा संस्थाओं में अध्यापक एवं प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत रहे थे। वे साहित्य परिषद्, चन्दौली तथा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, वाराणसी के अध्यक्ष भी रह चुके थे। सामाजिक, शैक्षिक तथा रचनात्मक कार्यों में उनकी विशेष रुचि थी। श्री राम जन्म सिंह के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री त्रिभुवन प्रसाद का 20 जुलाई, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 49 वर्ष के थे। श्री त्रिभुवन प्रसाद का जन्म 15 सितम्बर, 1958 को ग्राम देवरनिया, तत्कालीन जिला बहराइच में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री त्रिभुवन प्रसाद वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र चर्दा (अ0जा0), जिला बहराइच से कांग्रेस आई के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री त्रिभुवन प्रसाद ने राष्ट्रीय सेवा योजना में एक वर्ष तक कार्य किया था। वे एक प्रसिद्ध एडवोकेट थे। समाजसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा समाचार-पत्रों का अध्ययन उन्हें प्रिय था। श्री त्रिभुवन प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री करन सिंह का 21 जुलाई, 2007 को निधन हो गया। श्री करन सिंह वर्ष 1952, 1967 तथा 1969 में एक निर्वाचन क्षेत्र निघासन, जिला खीरी से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। श्री करन सिंह सदैव अपने क्षेत्र के विकास के लिए प्रयत्नशील रहते थे। उनको दिनांक 25 अगस्त, 2006 को उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा प्रथम विधान सभा के सदस्य होने का सम्मान प्रदान किया गया था। वे हमेशा दलितों के उत्थान के लिए काम करते थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्री करन सिंह के निधन से प्रदेश ने एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री सरजू प्रसाद सरोज का 27 जुलाई, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 65 वर्ष के थे। श्री सरजू प्रसाद सरोज का जन्म 25 जुलाई, 1942 को बीरापुर, जिला प्रतापगढ़ में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री सरजू प्रसाद सरोज वर्ष 1980 तथा 1985 में निर्वाचन क्षेत्र बिहार, जिला प्रतापगढ़ से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुए थे। वे नौवीं लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। श्री सरजू प्रसाद सरोज श्रीमती इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध आन्दोलन में जेल गये थे। वे जिला परिषद् के सदस्य, आई0टी0आई0 के सदस्य, शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष तथा जिला कांग्रेस कमेटी (आई0) में महामंत्री रहे थे। वे वर्ष 1980-82 में श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रि-मण्डल में उप मंत्री

भी रहे थे। जनसेवा में उनकी विशेष रुचि थी तथा देशाटन उन्हें प्रिय था। श्री सरजू प्रसाद सरोज के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री भगवन्त प्रसाद का 21 अगस्त, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 82 वर्ष के थे। श्री भगवन्त प्रसाद का जन्म वर्ष 1925 में हुआ था। श्री भगवन्त प्रसाद वर्ष 1991 में निर्वाचन क्षेत्र मंझनपुर (अ0जा0), जिला इलाहाबाद से जनता दल के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री भगवन्त प्रसाद प्रान्तीय न्यायिक सेवा में कार्यरत रहते हुये वर्ष 1983 में जनपद बांदा में ए0 डी0 जे0 के पद से सेवानिवृत्ति हुये थे। तत्पश्चात् वे वर्ष 1983 से 1987 तक लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सदस्य रहे थे। श्री भगवन्त प्रसाद के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री पंचानन राय का 5 सितम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 64 वर्ष के थे। श्री पंचानन राय का जन्म 28 नवम्बर, 1943 को हुआ था। उन्होंने एम0 एस0 सी0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्री पंचानन राय वर्ष 1980 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र सगड़ी, जिला आजमगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के वर्तमान सदस्य भी थे। श्री पंचानन राय छात्र जीवन में विभिन्न स्तर के छात्र संघों के पदाधिकारी रहे थे। वे शिक्षक आन्दोलनों के सम्बन्ध में कई बार जेल गये थे। वे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रदेशीय मंत्री तथा महामंत्री रहे थे। वे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सदस्य रहे थे। वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की विभिन्न समितियों के सदस्य रह चुके थे। अध्ययन, अध्यापन तथा समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री पंचानन राय के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की भूतपूर्व सदस्य श्रीमती उमा त्रिपाठी का 9 सितम्बर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 68 वर्ष की थीं। श्रीमती उमा त्रिपाठी का जन्म 7 अक्टूबर, 1939 को हुआ था। उन्होंने एम0 ए0 तक शिक्षा ग्रहण की थी। श्रीमती उमा त्रिपाठी वर्ष 1985 में निर्वाचन क्षेत्र हरदोई, जिला हरदोई से कांग्रेस (आई0) के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुई थीं।

श्रीमती उमा त्रिपाठी कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता रही थीं। वे प्रगतिशील महिला एवं बाल संस्था की सचिव, राज्य समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य तथा कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य रही थीं तथा अनेक अन्य संस्थाओं से भी जुड़ी हुई थीं। उन्होंने चीन और पाकिस्तान के आक्रमण के समय तथा लखनऊ में बाढ़ के समय राहत तथा सहायता कार्य किया था। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी।

श्रीमती उमा त्रिपाठी के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के भूतपूर्व सदस्य श्री जयराज गौतम का 1 अक्टूबर, 2007 को निधन हो गया। वे लगभग 62 वर्ष के थे। श्री जयराज गौतम का जन्म 11 अक्टूबर, 1945 को ग्राम पहाड़पुर बस्तीपुर, जिला सुल्तानपुर में हुआ था। उन्होंने बी0ए0, एल0एल0बी0 की शिक्षा ग्रहण की थी। श्री जयराज गौतम वर्ष 1974, 1980 तथा 1989 में निर्वाचन क्षेत्र कादीपुर (अ0जा0), जिला सुल्तानपुर से कांग्रेस के टिकट पर विधान सभा सदस्य निर्वाचित हुये थे। श्री जयराज गौतम वर्ष 1977-78 में

धारा 144 के अन्तर्गत जिला जेल सुल्तानपुर तथा लखनऊ में 10 दिनों तक बन्दी रहे थे। वे श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मंत्रि-मण्डल तथा श्री श्रीपति मिश्र मंत्रि-मण्डल के सदस्य रहे थे। वे डा0 अम्बेडकर नर्सरी विद्यालय, पहाड़पुर बस्तीपुर, जिला सुल्तानपुर के अध्यक्ष तथा संत तुलसीदास महाविद्यालय, कादीपुर, जिला सुल्तानपुर की कार्यकारिणी के सदस्य रहे थे। समाज सेवा में उनकी विशेष रुचि थी। श्री जयराज गौतम के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ एवं समाजसेवी खो दिया।

मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि कृपया अपने स्थान पर खड़े होकर दो मिनट मौन धारण करें।

(दिवंगत आत्माओं की शान्ति के लिये सभी सदस्य दो मिनट मौन खड़े हुये)

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाने हेतु कुल 20 सूचनायें प्राप्त हुईं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें स्वीकार की गयीं।

पहली सूचना श्री दीप नारायण सिंह की झांसी के गरौठा क्षेत्रान्तर्गत व्याप्त पेयजल समस्या के निदान के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री लल्लू सिंह की फैजाबाद नगर में रकाबगंज हनुमानगढ़ी से चौक होते हुये रीडगंज चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण कराने के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी जल संस्थान द्वारा निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण बकाये का भुगतान एकमुश्त करने पर बिल में सरचार्ज की धनराशि माफ करने के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री अंगद यादव की आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत टमसा नदी (टोंस) पर ग्राम भदुली के पास बने पुल का टोल टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में, पांचवी सूचना श्री सनातन पाण्डेय की श्री पंकज पुत्र ब्रम्हदेव गोंड निवासी गौरा मदनपुरा, बलिया की सड़क दुर्घटना में हुयी मृत्यु के फलस्वरूप मुख्य मंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, छठवीं सूचना श्री बलवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह की कुशीनगर के रामकोला क्षेत्रान्तर्गत छोटी गंडक नदी द्वारा किये जा रहे कटान को रोकने के सम्बन्ध में, सातवीं सूचना श्री प्रमोद सिंह की देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत पथरहट ग्राम सभा स्थित विद्युत उपकेन्द्र की जर्जर फीडर, विद्युत तार एवं जर्जर ट्रांसफारमर को अविलम्ब ठीक कराने के सम्बन्ध में, आठवीं सूचना डा0 राजेन्द्र सिंह की आगरा के विकास खण्ड शमशाबाद के गांव कुर्रा चित्तरपुर में विद्युत सब-स्टेशन के अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में, नवीं सूचना श्री महेश चन्द्र गुप्ता की बदायूं नगर में सोत नदी के ऊपर नवीन पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, दसवीं सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर की नगरीय बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त कर पुनः भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में, ग्यारहवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि की जनपद खीरी के कोतवाली गोला में विधायक पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने के दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में, बारहवीं सूचना डा0 पी0के0 राय की कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में ए0पी0 तटबंध के टूटने के कारण हुये नुकसान की भरपाई हेतु तत्काल सरकारी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में, तेरहवीं सूचना श्री राम किशुन की जनपद चन्दौली के मुगलसराय में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में, चौदहवीं सूचना

श्री राम बिशुन आजाद की गोण्डा के मनकापुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं महिला प्रसूति गृह को सी0ओ0 मनकापुर के अनधिकृत कब्जे से खाली कराये जाने के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवी सूचना श्री मदन चौहान की गाजियाबाद के गढ़मुक्तेश्वर में क्षतिग्रस्त गढ़ स्याना-बुलन्दशहर मार्ग का पुनर्निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में है।

माननीय सदस्यों के नाम जिनकी सूचनाएं अस्वीकार की गई।

1-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल 2-श्री प्रदीप जैन ''आदित्य'' 3-श्री शम्भू चौधरी 4-चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी 5-श्री सुन्दर सिंह।

(स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गईं)

जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में पेयजल समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दीप नारायण सिंह, (दीपक यादव)-

मान्यवर, [मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पेयजल समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं।

जनपद झांसी के विधान सभा गरौठा के अन्तर्गत गांवों में पीने के लिए पानी का गम्भीर संकट उत्पन्न हो गया है। सूखे के कारण सभी ग्रामों में जल स्तर नीचे चला गया है। यहां तक कि किसानों की फसलों की सिंचाई भी नहीं हो पा रही है। नहरों की सिल्ट की सफाई न होने के कारण पानी टेल तक नहीं पहुंच रहा है। भसनेह बांध के सूख जाने के कारण लगभग 150 ग्राम की कृषि योग्य भूमि सूखी पड़ी है। भसनेह बांध को बेतवा मुख्य नहर से लिंक नहर काट कर जोड़ने की योजना शासन के पास काफी दिनों से विचाराधीन है। स्थानीय लोग पीने के लिए पानी हेतु दूर-दूर तक जाने को मजबूर हैं। धसान नदी पर पानी का संग्रह स्थल है, बेतवा नदी पर पानी संग्रह है अगर लिफ्ट से उठाकर उक्त पानी नहरों में डाल दिया जाता तो पीने के पानी के साथ सिंचाई कार्य भी सुचारू रूप से हो सकता है। यह कार्य न होने के कारण स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है, कई बार आन्दोलन भी हो चुका है, यह लोक महत्व का विषय है।

अतः मैं शासन से इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की मांग करता हूं जिससे प्रकरण का निस्तारण हो सके और स्थानीय लोगों को पानी की समस्या से निदान मिल सके।]

फैजाबाद नगर में रकाबगंज हनुमानगढ़ी से चौक होते हुये रीडगंज चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री लल्लू सिंह-

मान्यवर,

[फैजाबाद नगर में रकाबगंज हनुमानगढ़ी से चौक होते हुये रीडगंज चौराहे तक का मार्ग नगर का महत्वपूर्ण मार्ग है। फैजाबाद नगर का केन्द्र होने के कारण यह बहुत व्यस्ततम मार्ग है। इस मार्ग का चौड़ीकरण न होने के कारण हमेशा जाम लगा करता है। जनहित में इस मार्ग का चौड़ीकरण कराया जाना आवश्यक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये रकाबगंज हनुमानगढ़ी से चौक होते हुये रीडगंज चौराहे तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने की मांग करता हूं।]

निश्चित समयावधि के अन्तर्गत सम्पूर्ण बकाये की भुगतान एकमुश्त करने की दशा में बिल में सरचार्ज की धनराशि माफ करने हेतु वाराणसी जल संस्थान को निर्देशित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री श्याम देव राय चौधरी-

महोदय,

[वाराणसी जल संस्थान समिति की बैठक दिनांक 01-02-2007 के प्रस्ताव सं0-1 में बकाया भुगतान एक निश्चित समयावधि के अन्तर्गत पूर्ण भुगतान एकमुश्त करने की दशा में बिल में सरचार्ज की धनराशि माफ करने का प्रस्ताव पारित किया गया था जिसे लागू करने से पूर्ववर्ती सरकार द्वारा रोक लगा दिया गया। ज्ञातव्य हो कि उक्त योजना इलाहाबाद जल संस्थान तथा कानपुर जल संस्थान में पूर्व से ही लागू है। सूचना अधिकार-अधिनियम के अन्तर्गत जल संस्थान समिति द्वारा पारित किया गये मैनुअल-2 में महाप्रबन्धक के वित्तीय अधिकारान्तर्गत अन्य अधिकारों के बिन्दु-5 में महाप्रबन्धक, वाराणसी जल संस्थान को सरचार्ज में छूट देने का अधिकार तथा बिल जमा करने की अवधि बढ़ाने हेतु आदेश देने का अधिकार निहित किया गया है। यदि उक्त लाभकारी योजना को लागू कर दिया जाये तो एक बहुत बड़ी बकाया धनराशि की प्राप्ति जल संस्थान को हो सकती है जिससे विकास के कार्य आसानी से हो सकेंगे। उक्त स्थिति में समन्वयता की दृष्टि से पुनः विचार करने एवं इलाहाबाद तथा कानपुर जल संस्थान की भांति उक्त एकमुश्त जमा योजना को व्यापक जनहित एवं राजस्व हित में लागू करने हेतु शासन द्वारा महाप्रबन्धक, वाराणसी जल संस्थान को अविलम्ब निर्देश दिया जाना चाहिये।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के सुनिश्चित ध्यानाकर्षण सूचना पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्रान्तर्गत टमसा नदी (टोंस) पर ग्राम भदुली के पास बने पुल का टोल टैक्स समाप्त करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अंगद यादव-

महोदय,

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-196, निजामाबाद, जनपद-आजमगढ़ में टमसा नदी (टोंस) पर ग्राम-भदुली, परगना-निजामाबाद, तहसील-सदर, जनपद-आजमगढ़ के पास बने पुल का टोल टैक्स कई वर्षों से वसूला जा रहा है जबकि निर्धारित लागत धनराशि पूर्ण हो चुकी है। आये दिन क्षेत्रीय जनता से वाद-विवाद होता रहता है तथा टोल टैक्स लम्बे समय से बदलने के कारण जनता में काफी आक्रोश व्याप्त हो रहा है और स्थिति विस्फोटक हो सकती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए टोल टैक्स समाप्त करे की मांग करता है।]

श्री पंकज पुत्र ब्रह्मदेव गोण्डा निवासी-गौरा मदनपुरा, बलिया की सड़क दुर्घटना में हुई मृत्यु के फलस्वरूप मुख्य मंत्री कोष से आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सनातन पाण्डेय-

मान्यवर,

[आपका ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूं जनपद बलिया से एक बस दिनांक 9-10-2007 को बहुजन समाज पार्टी की रैली लखनऊ में सम्मिलित होने आ रही थी जो जनपद बलिया के ही निवासी ग्राम टड़वा चट्टी पर पंकज पुत्र ब्रह्मदेव गोंड निवासी ग्राम सभा गौरा मदनपुरा थाना नगरा जिला बलिया। जिसकी उम्र 18 वर्ष थी को रौंदते हुए भाग निकली। ग्रामीणों ने काफी रोकने का प्रयास किया और उक्त बस से पंकज की मृत्यु घटना स्थल पर ही हो गयी जिसकी प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी। पंकज अपने माता-पिता का इकलौता पुत्र था। वृद्ध माता-पिता के सामने काफी संकट पैदा हो गया है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए मृतक परिवर को मुख्य मंत्री कोष से पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता दिये जाने की मांग करता हूं।]

विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर में छोटी गंडक नदी की बाढ़ के कटान से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जसवन्त सिंह उर्फ अतुल सिंह-

मान्यवर,

[मेरे विधान सभा क्षेत्र रामकोला जनपद कुशीनगर में छोटी गंडक नदी के भीषण बाढ़ के प्रकोप से कटान से सड़कों एवं गांवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है।

हाटा विकास खण्ड के अन्तर्गत सोहसा दुबौली घाट के सामने सोहसा-रामनगर मार्ग पर 500 मीटर सड़क नदी में विलीन हो गयी है। सोहसा से सतगुडही तक लगभग एक दर्जन गांवों का मार्ग अवरुद्ध हो गया है जिससे वहां की जनता को अपने गन्तव्य स्थान पर जाने के लिए 500 मीटर की बजाय 10-15 कि0मी0 घूमकर जाना पड़ रहा है।

मथौली से मुड़िला हरपुर जाने वाली सड़क ग्राम सभा परदहा के टोला-बारीगांव से मुडिला हरपुर तक बिल्कुल समाप्त हो गयी है एवं गांव का अस्तित्व कटान के कारण खतरे में है। इसी प्रकार ग्राम सभा लगड़ी की तरफ छोटी गंडक द्वारा भीषण कटान किया गया है जिससे वहां की उपजाऊ जमीन एवं गांव खतरे में हैं।

जनहित में छोटी गंडक नदी के कटान को रोकने की अविलम्ब व्यवस्था की जानी चाहिए तथा अवरुद्ध हुए मार्ग को तत्काल बनवाकर जनता को इसका लाभ दिया जाना चाहिए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल मार्ग का निर्माण कराये जाने एवं कटान को रोकने की व्यवस्था हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

देवरिया के गौरी बाजार क्षेत्रान्तर्गत पथरहट ग्राम सभा स्थित विद्युत उपकेन्द्र की जर्जर फीडर, विद्युत तार एवं जर्जर ट्रांसफार्मर को अविलम्ब ठीक कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री प्रमोद सिंह-

महोदय,

[मेरे विधान सभा क्षेत्र-185, गौरी बाजार विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत पथरहट ग्राम सभा स्थित उपकेन्द्र की फीडर जर्जर हो चुकी है। जिसके कारण विद्युत आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में सही ढंग से नहीं हो पा रही है पूरे विधान सभा के विद्युत तार जर्जर हो गये हैं ट्रांसफार्मर की दशा ठीक नहीं है अभी तीन दिन पहले ग्राम सभा सिरजम में दो व्यक्तियों की जर्जर तार गिरने से मृत्यु हो गयी है। वर्तमान देवरिया एस0डी0ओ0 की लापरवाही से घटनायें हो रही हैं जिसके कारण छात्रों के पठन-पाठन में बाधा उत्पन्न हो रही है किसानों की सिंचाई की व्यवस्था ठीक से नहीं हो पा रही है। तथा रात को चोरी जैसा भय बना हुआ है और कभी भी अपराधी किस्म के लोग अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। व्यापारी अपनी दुकान अंधेरे में सही रूप से नहीं चला पा रहे हैं जिसके कारण आम जनता में रोष व्याप्त है। अतः इस लोक महत्व के तात्कालिक/अविलम्बनीय विषय पर मैं शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त जर्जर विद्युत फीडर, विद्युत तार तथा जर्जर ट्रांसफार्मर को अविलम्ब ठीक कराने तथा नया फीडर लगाने की मांग करता हूं।]

आगरा के विकास खण्ड समसाबाद के गांव कुर्रा चित्तरपुर में विद्युत सब-स्टेशन के अधूरे निर्माण को पूरा कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*डा0 राजेन्द्र सिंह-

महोदय,

[आगरा जनपद के विकास खण्ड समशाबाद के गांव कुर्रा चित्तरपुर में एक विद्युत सब-स्टेशन के लिये आधार भूत ढांचा खड़ा हो चुका है। पिछले कुछ महीनों से इस सब-स्टेशन का काम रोक दिया गया है। सब-स्टेशन क्षेत्र की विद्युत व्यवस्था के सुधार में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है इस समय सिर्फ तार खिंचने का काम होना शेष है।

अतः सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुये मैं शासन से तुरन्त आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं।]

बदायूं नगर में सोत नदी के ऊपर नवीन पुल का निर्माण न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेश चन्द्र गुप्ता-

मान्यवर,

[बदायूं नगर सीमा पर बरेली-आगरा मार्ग पर सोत नदी के ऊपर एक संकरा पुल है। रुहेलखण्ड मण्डल से आगरा मण्डल को जाने का एक मात्र सड़क मार्ग है। पुल के दूसरी ओर मुस्लिम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

समुदाय का विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जिसकी मान्यता अजमेर दरगाह के बराबर है। इस पुल पर जायरीनों की भीड़ के कारण एवं हाइवे के अत्यधिक वाहनों की भीड़ के कारण यहां अक्सर कई किलोमीटर लम्बा जाम लग जाता है जो पुलिस की अत्यधिक मेहनत के बाद ही खुल पाता है। इस क्षेत्र का सारा गन्ना भी इसी रास्ते से मिलों को जाता है। इसलिए इस मार्ग पर लग रहे जाम की समस्या के निदान हेतु नवीन पुल का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए बदायूं नगर में सोत नदी के ऊपर नवीन पुल का निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करता हूं।]

महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर की नगरीय बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही निरस्त कर पुनः भर्ती कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 आर0ए0 उस्मानी-

मान्यवर, [आपको अवगत कराना है कि महिला एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग जनपद लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर की नगरीय (शहरी) बाल विकास परियोजना में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति के लिए शासनादेश सं0 एम/726/60-2-97-2/1/25/97 दि0 4-10-97 जिसमें केवल सभासद/सेक्टर वार्डेन द्वारा संस्तुति किये गये नामों के सम्बन्ध में चयन समिति द्वारा विचार करने का उल्लेख है तथा शासनादेश सं0-215/साठ-2-2003/2/1/4/1991, दि0 16-12-2003 जिसमें आवेदन-पत्र चयन को पारदर्शी बनाने हेतु परियोजना कार्यालय एवं जिला कार्यक्रम कार्यालय में रखे सील्ड बक्सों में डाले जायेंगे जो चयन समिति के सदस्यों के समक्ष निकाले जाने हैं लखीमपुर खीरी में भर्ती प्रक्रिया में दोनों शासनादेशों का पालन नहीं किया गया है जिससे क्षेत्रीय जनता में आक्रोश/जनाक्रोश है आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या थी चयन किस तिथि को किया गया है चयनित आवेदिकाओं के प्रमाण-पत्रों की जांच कब करायी गई है चयन सूची किस तिथि को जारी की गई है चयनित आवेदिकाओं की सूची जारी करने में विलम्ब क्यों किया गया। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाये न जाने के कारण सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को दण्डित करना नितान्त जरूरी है।

अतः माननीय बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री से अनुरोध है कि शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया न अपनाये जाने के कारण सम्पूर्ण कार्यवाही को निरस्त कर पुनः शासनादेश का पालन करते हुए भर्ती करायी जाये एवं दोषी सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें।]

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद खीरी के कोतवाली गोला में विधायक पर फर्जी मुकदमा पंजीकृत करने के दोषी अधिकारियों को दण्डित करने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री अरविन्द गिरि-

मान्यवर, [आपको अवगत कराना है कि मेरे विरुद्ध जनपद खीरी के कोतवाली गोला में फर्जी मुकदमा पंजीकृत विभिन्न धाराओं में लिखा गया तथा विधान सभा के तृतीय सत्र में मैं भाग लेने आ रहा था मुझको सदन में न आने देने के लिए गिरफ्तार कर लिया गया जिससे जनता में आक्रोश/जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः गृह मंत्री से अनुरोध है कि जनहित में विधायकों के विरुद्ध झूठे व फर्जी मुकदमें लिखने वाले दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने की कृपा करें।]

कुशीनगर के तहसील तमकुहीराज में ए0पी0 तटबन्ध के टूटने के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु तत्काल सरकारी सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* डा0 पी0 के0 राय-

[महोदय, जनपद कुशीनगर तहसील तमकुहीराज में 1 अगस्त, 2007 में आयी बाढ़ से गण्डक नदी से बचाव हेतु बने ए0पी0 तटबन्ध के टूटने के कारण दर्जनों गांव हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुयी जिससे धान की फसल नष्ट हो गयी लोग बेघर हो गये। अभी तक बाढ़ पीड़ितों को शासनादेश अनुरूप अहेतुक सहायता घर गिरायी आदि के मुआवजे का वितरण नहीं किया जा सका एवं टूटे हुए बन्धे की मरम्मत न होने की वजह से रबी की बोआई भी सम्भव प्रतीत नहीं होती।

इस अत्यन्त लोक महत्व और अविलम्बनीय प्रश्न के तरफ सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए तत्काल सरकारी सहायता अहेतुक सहायता, घर गिरायी, फसल मुआवजा एवं बंधा मरम्मत कर रबी की बोआई का कार्य सम्पन्न करने हेतु सरकार से शीघ्र कार्यवाही एवं वक्तव्य की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम बनाये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राम किशुन

महोदय,

[सादर निवेदन करना है कि लाल बहादुर शास्त्री शताब्दी समारोह हेतु पिछले वर्षों में पूर्व सरकार द्वारा लगभग 25 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था तथा पूर्ववर्ती सरकार ने लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम मुगलसराय जनपद चन्दौली में स्टेडियम बनवाने की घोषणा तथा शासनादेश भी जारी किया था। कार्यवाही भी शुरू हो गयी थी। लाल बहादुर शास्त्री देश के पूर्व प्रधान मंत्री थे, इसलिए उनके नाम से इस महत्वपूर्ण योजना का कार्य उनके जन्म दिन के दिन प्रारम्भ हुआ था। मान्यवर, जनपद में कोई खेलकूद का मैदान नहीं है। जनता को तथा नौजवानों को उनकी प्रतिभा निखारने व बनाये रखने के लिए ही स्टेडियम की घोषणा की गयी थी, परन्तु आज तक इसको मूल रूप नहीं दिया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जा सका। यह लोक महत्व का जनहित से जुड़ा मामला है। यह कार्य जनहित में होना नितान्त आवश्यक है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि लोक महत्व व जनहित को ध्यान में रखते हुए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम मुगलसराय, जनपद चन्दौली में तत्काल बनवाने हेतु सरकार को निर्देश देने की महती कृपा करें।]

गोण्डा के मनकापुर में संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं महिला प्रसूति गृह को सी0ओ0 मनकापुर के अनधिकृत कब्जे से खाली कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री राम बिशुन आजाद-

मान्यवर, [आपको अवगत कराना है कि जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में पूर्व में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं महिला प्रसूति गृह चल रहा था जिस भवन का निर्माण 1903 में किया गया था जो जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है जिसमें तहसील मनकापुर का कार्यालय संचालित हो रहा था। तहसील भवन मनकापुर अपने नवीन भवन में स्थानान्तरित हो चुका है तथा तहसील भवन का परिसर रिक्त हो गया है। जनता की बेहद मांग रही है कि 30 बेड का महिला चिकित्सालय की स्थापना की जाय, के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा द्वारा अपने पत्रांक संख्या-मा0मु0मं0 घोषणा/2006-07/936 दिनांक 25-01-07 को निदेशक (चिकित्सा उपचार) सामु0/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य भवन महानगर, लखनऊ को रिक्त भवन में महिला चिकित्सालय की स्थापना के सम्बन्ध में लिखा था। वर्तमान में रिक्त भवन में महिला स्वास्थ्य कर्मी बैठने लगे थे एवं महिला मरीजों का इलाज हो रहा था। लेकिन अब सी0ओ0 मनकापुर द्वारा अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अपना कार्यालय चला रहे हैं जिससे महिला स्वास्थ्य कर्मी एवं महिला मरीज भयवश अस्पताल में इलाज के लिए नहीं जा रहे हैं जिसको खाली कराने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी गोण्डा द्वारा शासन को अवगत कराया गया है। परन्तु अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जनहित में उक्त भवन का खाली कराया जाना आवश्यक है जिससे महिला मरीजों का इलाज सुगमतापूर्वक हो सके।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनहित में कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

गाजियाबाद गढ़मुक्तेश्वर में क्षतिग्रस्त गढ़ स्याना बुलन्दशहर मार्ग का पुनर्निर्माण शीघ्र कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री मदन चौहान-

[मान्यवर, गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ स्याना मार्ग जो कि स्टेट हाइवे है निर्माण कार्य चल रहा था कई महीनों से सड़क उखाड़ कर बीच में निर्माण कार्य रोक दिया गया है जिससे मार्ग में गड्ढे तथा भारी प्रदूषण व दुर्घटनाओं से जनता त्रस्त है। जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त आदि को अच्छी प्रकार से

नोट :-।] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अवगत कई बार कराया जा चुका है। यह सूचना जनता के हित में अत्यन्त महत्वपूर्ण व अविलम्बनीय है क्योंकि कितने ही व्यक्तियों की दुर्घटनाओं में मृत्यु हो चुकी है। कृपया शासन को निर्देश देकर अतिशीघ्र कार्यवाही कराने की कृपा करें। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 06 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनका विवरण निम्न प्रकार है :-

पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी की वित्तीय वर्ष 2007-08 में पारित बजट के जिलांश के व्यय के लिए मा0 विधायकों से सुझाव न मांगे जाने से पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड का विकास न हो पाने के सम्बन्ध में है।

दूसरी सूचना श्री जनार्दन प्रसाद ओझा की उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में है।

तीसरी सूचना डा0 आर0ए0 उस्मानी की माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है।

चौथी सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी, डा0 अजय तोमर तथा डा0 अनिल चौधरी की मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य को पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, हरित प्रदेश में बांटकर पृथक राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में है।

पांचवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की विधेयकों के बिना पारण उच्च सदन द्वारा वापस किये जाने पर सदन में पुनः चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में है।

छठी सूचना श्री अम्बिका चौधरी की श्री अम्बिका चौधरी को बिना सत्यापन के प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा स्पष्टीकरण पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश विधान सभा की आचार समिति से सम्बन्धित नियम-269 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में है।

वित्तीय वर्ष 2007-08 में पारित बजट के जिलांश के व्यय के लिये मा0 विधायकों से सुझाव न मांगे जाने से पूर्वांचल एवं बुन्देलखण्ड का विकास न हो पाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

मा0 तिवारी जी, आपकी सूचना तो अग्राह्य है।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल की समस्या को देखते हुए उसके पिछड़ेपन को देखते हुए विभिन्न सरकारों द्वारा विकास निधि की स्थापना की गई थी। जिससे कि वहां की समस्याओं का समाधान हो सके। मान्यवर, इस वर्ष अभी तक पूर्वांचल विकास निधि का जो जिलांश होता है, जिसमें मा0 विधायकों के सुझाव लिये जाते हैं, अभी तक ऐसे किसी सुझाव के लिए किसी भी विधायक से आग्रह नहीं किया गया

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है और एक सप्ताह पूर्व तक ऐसा कोई शासनादेश भी जारी नहीं किया गया है, सम्भवतः अब जारी हो गया हो क्योंकि यह सूचना मैंने पहले भी लगायी थी। मान्यवर, इसके न होने से निःसन्देह विकास के कामों में बाधा आ रही है और बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के विधायकों को जो अधिकार था जिससे कि वह अपने क्षेत्र का विकास कर सकें, उसमें भी बाधा उत्पन्न हो रही है। जितना विलम्ब से आप इसे करेंगे विकास के लिए उतना ही कम समय मिलेगा। मैंने बहुत संक्षेप में अपनी बात कही है कि जो जिलांश है उसके लिए अगर शासनादेश जारी कर दिया गया है तो अच्छी बात है और अगर नहीं जारी किया गया है तो बुन्देलखण्ड और पूर्वांचल के लिए इस प्रकार का शासनादेश जारी करके मा0 विधायकों से सुझाव ले करके निर्माण कार्य तत्काल प्रारम्भ कराया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक शासनादेश जारी करने का प्रश्न है तो शासनादेश जारी हो चुका है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, कब जारी किया गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

शासनादेश जारी हुआ 30 अक्टूबर, 2007 को और मान्यवर यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए अनुरोध है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, अगर नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती तो शासनादेश ही क्यों जारी होता।

श्री अध्यक्ष-

मैंने तिवारी जी को सुना और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है इसलिए मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के मा0 उपाध्यक्ष का निर्वाचन कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, सदन के गठन के करीब पांच महीने पूरे हो गये हैं और आपने कृपापूर्वक माननीय समिति के चुनाव भी करा दिये हैं, उनके सभापति के चुनाव भी करा दिये हैं। लेकिन उपाध्यक्ष का पद अभी तक खाली है, मान्यवर, इसका सीधा सम्बन्ध आपकी सेहत पर भी पड़ता है। वर्कलोड आपका इतना बढ़ गया है कि कभी-कभी सही निर्णय लेने में आपको कठिनाई होती है। तो न केवल सदन के स्वास्थ्य के लिए बल्कि आपके स्वास्थ्य के लिए भी मैं बड़ा चिन्तित हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि नियम-9 के अन्तर्गत आपको अधिकार है, इसलिए आप आज ही निश्चित तिथि की घोषणा कर दें कि उस तिथि को उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप हमारे पास भी कभी-कभी बैठा कीजिए।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, जहां तक उपाध्यक्ष के निर्वाचन का सवाल है तो इसके लिए सारी शक्ति आपमें निहित है, इसलिए इस पर निर्णय आपको ही लेना है और उसी के अनुसार कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

यह विषय मेरे विचाराधीन है, निर्णय हमें ही लेना है। मैं समझता हूं कि इस पर कोई नियम-300 का औचित्य नहीं बनता है।

* नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

आपको यह अधिकार है, आप सभी दलों के विश्वास पात्र हैं। आप पर सबका विश्वास है, आपके स्तर से देरी क्यों हो रही है। यह तो परम्परा है। हम जानते हैं कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं ? विपक्ष का जो सबसे बड़ा दल होता है उसी दल का उपाध्यक्ष होता रहा है, एक आध बार अपवाद जरूर है लेकिन हमने इस परम्परा को पूरी तरह से निभाया है। इसलिए तत्काल उपाध्यक्ष का चुनाव कराया जाना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, यह विषय मेरे समक्ष विचाराधीन है।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अगर आपके स्तर पर है तो देरी नहीं होनी चाहिए। आपसे प्रार्थना, अपील व निवेदन है कि तत्काल उपाध्यक्ष पद का चुनाव कराया जाना चाहिए और मैं तो कहूंगा कि आज ही करा दें तो बहुत अच्छा है।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर आप कार्य-संचालन नियमावली देखें .....

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब, मा0 नेता प्रतिपक्ष ने बहुत स्पष्ट कर दिया है और मेरा भी दिल पिघल रहा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपको तिथि तय करनी है संसदीय कार्य मंत्री जी तिथि निश्चित नहीं करेंगे, इसलिए अनुरोध है कि आप तिथि की घोषणा कीजिए।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस विषय पर श्री जर्नादन प्रसाद ओझा जी, मा0 नेता प्रतिपक्ष व संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय कार्यालय प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना डा0 आर0 ए0 उस्मानी जी की है

* डा0 आर0 ए0 उस्मानी-

माननीय अध्यक्ष जी, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, बरेली और वाराणसी में बने हुये हैं। लखनऊ और कानपुर मण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में होना चाहिए। हम लोग लखीमपुर खीरी जनपद से ताल्लुक रखते हैं, सीतापुर, हरदोई वगैरह के लोगों को 500 किलोमीटर चलकर इलाहाबाद जाना पड़ता है और प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वहां माध्यमिक शिक्षा परिषद् का क्षेत्रीय कार्यालय होना चाहिए। लखनऊ में क्षेत्रीय कार्यालय का होना नितान्त जरूरी है। मैं माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि जनहित में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के लखनऊ व कानपुर मण्डल का कार्यालय लखनऊ में बनाने का कष्ट करें। माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में निर्देशित करने का कष्ट करें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, आपने प्रस्ताव देखा ही है। किसी भी कार्नर से नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

श्री प्रमोद तिवारी-

अगर कार्नर से नहीं आ रहा है तो सेण्टर से आ रहा होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इससे किसी सदन की कार्यवाही से इसका कोई तात्पर्य नहीं है सार्थकता नहीं है।

*श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, अगर आपने इस सूचना को उठाने की सहमति दे दी, तो सहमति के बाद माननीय सदस्य ने उसे रख दिया तब फिर यह कहने का मतलब नहीं है कि यह नियम-300 में नहीं आता है। अगर सहमत नहीं थे तो अग्राह्य कर देते।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसे अग्राह्य कर दिया है लेकिन मा0 सदस्य को अपनी बात रखने का अवसर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आपने मा0 सदस्य को केवल ग्राह्यता पर सुना है, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए अनुरोध है कि इसे अग्राह्य कर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

इस सूचना पर डा0 आर0ए0 उस्मानी व मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसको अग्राह्य करता हूं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आप निर्देश दे दें कि दो मण्डल लखनऊ व कानपुर मण्डल का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी कल भी सदन है, अन्य किसी नियम में सूचना दे दें। इस विषय पर विनिश्चय हो चुका है।

मुख्य मंत्री की घोषणा के अनुरूप उत्तर प्रदेश राज्य को पूर्वांचल, बुन्देलखण्ड, हरित प्रदेश में बांटकर पृथक राज्य बनाये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी की है।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, दिनांक 9 अक्टूबर, 2007 को लखनऊ स्थित रमाबाई पार्क में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया और इस प्रदेश की मुख्य मंत्री ने छोटे प्रदेश की बात कही है और छोटे-छोटे राज्यों के लिए प्रदेश के विभाजन की बात कहकर जो राष्ट्रीय लोकदल पिछले 8-9 साल से प्रदेश विभाजन की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे थे, उस मांग को बल देने का काम किया। उसके समर्थन में बोलने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

सोलंकी साहब, आपका 31 अक्टूबर को नियम-56 के अन्तर्गत इस पर अच्छा भाषण हो चुका है। 31 तारीख को बंटवारे के सम्बन्ध में नियम-56 के अन्तर्गत आपको सुना गया था।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तमाम वकील लोग पिछले आठ साल से आन्दोलन करते रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

इस पर इसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। नियम-56 के तहत चर्चा हो चुकी है। अब इसे दूसरे नियमों के तहत नहीं ला सकते हैं। इस पर आपके सुझाव भी आ चुके हैं और बयान भी आ चुके हैं। अब दोनों बयानों में कंट्रोवर्सी हो जाएगा।

प्रस्तुत सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

उच्च सदन द्वारा बिना पारित विधेयकों को वापस किये जाने पर सदन में पुनः चर्चा कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की है।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

अध्यक्ष महोदय 17 जुलाई, 2007 विधान सभा की कार्यसूची संख्या-11, 12 व 13 में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तावित उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (निरसन) विधेयक, 2007, उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग (निरसन) विधेयक, 2007 एवं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुनः पारित करने हेतु पेश किया गया है। उपरोक्त तीनों विधेयक 5 जुलाई, 2007 को विधान सभा द्वारा पारित किए गए थे जिन्हें 10 जुलाई, 2007 में विधान परिषद् ने पुनः विचार हेतु वापस भेजा था। 17 जुलाई को इन तीनों विधेयकों को पुनः पारित करने हेतु विधान सभा में रखा गया।

उच्च सदन इसलिए बनाया गया है कि विधान सभा में कोई नियम अथवा विधेयक जल्द बाजी में पारित हो जाये और उसमें कुछ कमियां हों तो उसे उच्च सदन ठीक कर सके। जो नियम एवं कानून हम सब बैठकर विधान सभा में बनाते हैं वह वर्षों तक आम जनता के हितों के लिए काम आते हैं। परम्परा बनाई जानी चाहिए कि कोई विधेयक इस तरीके से उच्च सदन वापस करता है तो उस पर सर्वदलीय बैठक/कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में सुझाव लेकर सदन में पुनः चर्चा कराई जानी चाहिए।

मैं इस विषय पर औचित्य के प्रश्न के माध्यम से आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधेयक पास करने की एक प्रक्रिया है यह संविधान में और हमारी नियमावली में है। जो विधेयक विधान परिषद् लौटाती है उस पर नियम 150, 151 के अन्तर्गत चर्चा होती है। वह विधान सभा में प्रस्तुत होता है और उस पर चर्चा होती है। जब विधान सभा में बिना प्रस्तुत किए हुए बिना उस पर विचार किए हुए पारण नहीं माना जाता है। इसलिए यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है और यह नियम 300 की परिधि में नहीं आता है। जहां तक चर्चा का सवाल है चर्चा के लिए विधान सभा में पूरा अवसर रहता है। इसलिए यह कोई नियम विरुद्ध नहीं है और नियम 300 के अन्तर्गत बिल्कुल नहीं आता है इसलिए अनुरोध है कि इसे अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्तुत सूचना पर मैंने सदस्य को सुना व संसदीय कार्य मंत्री को सुना यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

अगर कोई विधेयक वापस आया है तो वह किसी विचार हेतु ही तो वापस आया है और उस पर चर्चा नहीं होती है तो फायदा क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपने उत्तर में सभी बातें स्पष्ट कर दी हैं। यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। इसलिए इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी को बिना सत्यापन के प्रमुख सचिव, विधान सभा द्वारा स्पष्टीकरण पत्र जारी कर उत्तर प्रदेश विधान सभा की आचार समिति से सम्बन्धित नियम 269 का उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगली सूचना श्री अम्बिका चौधरी की है।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 300 के अन्तर्गत जो मैंने सूचना दी है उसकी ग्राह्यता पर अपने विचार आपकी आज्ञा से रखता हूं और इसकी पृष्ठभूमि संक्षेप में सदन के सम्मुख रखना चाहता हूं। क्योंकि यह औचित्य का प्रश्न ही उसी पृष्ठभूमि के रखे वगैर पूरा नहीं होता है। जनपद बलिया के नरही थाने में सोहांव गांव में सेन्ट्रल बैंक की एक शाखा थी जिसको रात के अंधेरे में पुलिस फोर्स की मौजूदगी मे हटवा दिया गया। गांव के लोगों ने आन्दोलन किया कलेक्टर और कप्तान ने आकर आश्वासन दिया कि ब्रांच आपकी पुनः स्थापित कर दी जायेगी गांव वालों ने धरना हटा लिया उन लोगों ने 10-15 दिन बाद फिर धरना दिया फिर प्रशासन ने इनको आश्वासन दिया कि बैंक से बात हो चुकी है आपकी मांग सही है और हम यहां दूसरी शाखा खोल देते हैं।

वह एग्जिस्टेंग ब्रांच चलती रहेगी। गांव वालों ने कहा कि हमको वही मेन ब्रांच चाहिए। इस पर 18 सितम्बर की तिथि तय हुई है कि हम उस दिन इसके बारे में बतायेंगे। 18 सितम्बर को कलेक्टर साहब ने सुबह कहा कि आपकी शाखा बम्बई से हो गयी है और यहां स्थानान्तरित हो जायेगी। धरने पर लोग बैठे हुए थे वे बड़ी शांति से धरना दे रहे थे लेकिन पुलिस कप्तान [x x x] आये और आकर वहां पर लाठी चार्ज करवा दी।

(संसदीय कार्य मंत्री के बोलने के लिए खड़े होने पर)

संसदीय कार्य मंत्री जी आपको कोई बेचैनी है तो मैं बैठ जाऊं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह सूचना नियम-300 में नहीं आती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं उनका इशारा समझ गया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा संक्षेप में जो बात है वह बता रहा हूं मान्यवर, वहां पर लाठीचार्ज हुआ। लाठीचार्ज क्यों हुआ मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। मान्यवर, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद मुख्य सड़क से डेढ़ किलोमीटर दूरी पर जो गांव है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, आप नियमावली का नियम-300 का (4) देखें इसमें दिया है कि किसी औचित्य प्रश्न पर वाद-विवाद की अनुज्ञा नहीं होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप बोलेंगे तो वाद-विवाद की स्थिति होगी। मैं तो सिर्फ सूचना की स्थिति के बारे में बता रहा हूं।

* श्री ओम प्रकाश सिंह-

अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें व्यवस्था का क्या प्रश्न आ गया ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब कोई सदस्य चुपचाप शांतिपूर्वक अपनी बात कर रहा है और आप धैर्य से सुन रहे हैं तो संसदीय कार्य मंत्री जी बीच में अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। यह आपके अधिकारों का अतिक्रमण है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री बीच में नियमों का उल्लेख कर सकते हैं। अम्बिका जी आपकी बात आ गई।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, बस संक्षेप में मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अत्यन्त संक्षेप में कह रहा हूं। मान्यवर, डेढ़ किलोमीटर की दूरी पर जो गांव है वहां पर जाकर इतनी बहादुरी दिखाने का काम किया कि 12 साल की बच्ची से लेकर 95 साल की बुजुर्ग महिला और 6 वर्ष का अपाहिज बच्चा जो कि शौच के लिये भी नहीं उठ सकता था उसको भी पुलिस ने मारने का काम किया है। एक दर्जन घरों के दरवाजे तोड़ दिये। मान्यवर, इतना अत्याचार हुआ। यह इसलिये कहना पड़ रहा है कि यह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का गांव है। 8 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और एक शहीद उस गांव के हैं उन्होंने 1942 का कहर देखा था गोरों का। गोरों ने इस तरह से नहीं लूटा था जिस तरह से बलिया के पुलिस अधीक्षक ने अपनी फोर्स ले जाकर लूटा। भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष वहां गये। अन्य दूसरे दलों के लोग भी वहां गये।

श्री अध्यक्ष-

आप इस सूचना को दूसरे नियम में भी दे सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सुन तो लें। मैं एक मिनट में अपनी बात खत्म कर दूंगा। यह जनहित से जुड़ा सवाल है।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब आप बड़े पुराने वरिष्ठ सदस्य हैं। अब बैठ जायं। आपके आचरण से ही नये सदस्य भी सीखेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक मिनट दें। मैं 60 सेकेंड में बिना किसी अवरोध के अपनी बात बोल दूं। पुलिस ने वहां घरों में घुस कर महिलाओं को पीट कर बर्बरता का रिकार्ड तोड़ दिया। अखिल भारतीय राजभर संगठन के अध्यक्ष भी वहां गये थे। पुलिस ने विकलांगों को पीटा, बलिया में घर में घुसकर औरतों और बुजुर्गों को पीटा। मान्यवर, जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं भी वहां गया। मेरे दल के दूसरे सदस्य नारद राय भी वहां गये। वहां पर तब तक घायल गांव से निकल नहीं पा रहे थे, इतना खौफ उनमें था। गांव को छावनी बना रखा था। हम उन घायलों को अस्पताल ले गये। आपके पास भी रिपोर्ट आई होगी। मेरे और नारद राय के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक ने मुकदमा करा दिया। हम किसी से अर्जी लेने नहीं आए यह सरकार फर्जी मुकदमों में विश्वास करती है। दो-चार दर्जन मुकदमें करा दे। इनके पुलिस अधीक्षक हैं करा दे। लेकिन उसके बाद जो किया मान्यवर, आपको एक पत्र लिखा। 22 को एक मुकदमा किया उसके बाद आपको एक पत्र लिख दिया और मेरे आचरण पर टिप्पणी की है मैं बहुत विनम्र सदस्य हूं इस सदन का। श्रीमन् मैं कोई बड़ी बात अपने विषय में नहीं कर सकता हूं मैं बहुत छोटा हूं लेकिन मेरे आचरण के सम्बन्ध में अगर कोई प्रतिकूल बात हो जाएगी तो सार्वजनिक जीवन मेरे लिए अर्थहीन हो जाएगा। मेरे लिए एक दिन भी रहने का औचित्य नहीं है। मान्यवर, मेरे आचरण पर टिप्पणी की, आपको पत्र लिखा और पत्र लिखकर मेरे आचरण के विरुद्ध कार्यवाही की जाने की अपेक्षा की गई है। श्रीमन् आचरण क्या है ? एफ0आई0आर0 लिखी गई एफ0आई0आर0 में तो अनर्गल और अनर्थ लिखा ही गया है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी इसको देख लीजिएगा। मा0 अध्यक्ष जी के यहां है। आपने कहा नोटिस पर बोलिए। नोटिस में ऐसे शब्द लिखे गए हैं। मान्यवर, कि मैं उनको पढ़ नहीं सकता हूं। मैं इसकी कापी आपको भिजवा देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

भिजवा दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

इसमें जो शब्द लिखा है कि पुलिस अधीक्षक बलिया के शब्दों का प्रयोग और उसके आगे जो तीन शब्द लिखे हैं उसको मैं पढ़ नहीं सकता हूं। संसदीय कार्य मंत्री आप पढ़ लें तो उच्चारण नहीं कर सकते हैं यह कोर्ट आफ कन्डेक्ट का सीधा-सीधा उल्लंघन है। ऐसे शब्दों का लिखा जाना भी इतना गम्भीर अपराध है और यह अपराध किया है बलिया की पुलिस ने। मेरे आचरण पर टिप्पणी, मैं विशेषाधिकार हनन की सूचना मान्यवर, नियमानुसार आपको अलग से दूंगा। जो नोटिस आपको दी उसका जवाब मैंने आपको दे दिया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं पुलिस अधीक्षक बलिया को क्यों भेजा गया दुबारा वहां, एक कार्यकाल वह कर चुके हैं और उनकी कायरता का जिक्र इसी सदन में हो चुका है। तब संयोग से मान्यवर 2003 में जब इसका सदन में जिक्र हुआ तो जिस घटना का जिक्र किया गया उससे शर्मनाक घटना कोई नहीं हुई यहां जिक्र आ चुका है विधान सभा की कार्यवाही में दर्ज है यह दुबारा से उस जनपद में उनको भेजकर जो कुछ भी यह सरकार करना चाहती है मुझे नहीं पता क्या करना चाहती है ?

(व्यवधान)

या नहीं करना चाहती है, बी0एस0पी0 के लोग तो उनसे ऊब चुके हैं उन्होंने कहा कि यह तो हमारा नास पीटने आ गया हम उप चुनाव के लिए बुलाए थे कि बेईमानी करके जिता देगा और इसने हमारी जड़ खोदकर ठीक कर दी। तो बी0एस0पी0 का काम तो फिट हो गया।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, चौधरी साहब ऐसा न कहें आप वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अपनी पूर्व पोस्टिंग के दौरान ...

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य शान्त रहें। चौधरी साहब इतिहास न कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

(व्यवधान) मा0 अध्यक्ष जी एक वाक्य कहकर खत्म करूंगा। इनके शोर से नहीं, आपकी आज्ञा से, माननीय अध्यक्ष जी अपनी पिछली पोस्टिंग में अपने रिश्तेदार को ....

श्री अध्यक्ष-

इतिहास न कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

इतिहास नहीं है। सदन की बात है मेरे जीवन का प्रश्न है। जिस अपराधी को अपने रिश्तेदार को उन्होंने पिछली बार जेल से भगा दिया दस हत्याओं के अपराधी को पुनः अपने बंगले में उसको संरक्षण दिए हैं ...

श्री अध्यक्ष-

ग्राह्यता पर कहें।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह मेरे जीवन का प्रश्न है आप ग्राह्यता की बात कर रहे हैं। इससे बड़ी ग्राह्यता नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष-

आप और नियमों में ला सकते हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

नियम-300 में क्या है इसकी प्रक्रिया क्या है इसको देख लें। किसी की एप्लीकेशन पर (किसी मा0 सदस्य के कुछ कहने पर) अब टाइम भी आप तय करोगे। आकर यहां बैठ जाओ तय कर लो।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप सब बैठिए।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, आपको पत्र लिखा जा चुका है। एक एस0एस0पी0 और एस0पी0 के द्वारा अपने बंगले में एक अपराधी को संरक्षण देना, इससे गम्भीर और क्या बात हो सकती है ? जो यह सुनना नहीं चाहते हैं। आपको पत्र लिखा है अध्यक्ष महोदय, आप संरक्षक हैं इसलिए तो आपको पत्र लिखा है। पत्र पर आपने क्या कार्यवाही करवाई है ? सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है यह बता दें। आपको पत्र लिखने के बाद माननीय सदस्य को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला अपने पत्र का, तो आपको विचार करना चाहिए। इस पर आपको सुनना भी नहीं, विचार भी नहीं करना और आपको उत्तर भी नहीं देना कि यह कार्यवाही की है।

मा0 अध्यक्ष जी, अगर अत्याचार हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, अपाहिज को घायल किया गया है। तो क्या इतना अधिकार दे दिया जाए कि वह इनके आचरण पर टिप्पणी करे, वहां का एस0एस0पी0 ? इतना अपराध हुआ है, आप संरक्षण कब देंगे ? सच बोलने भी नहीं देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात मैंने सुनी हैं, नियम-300 के अन्तर्गत आपने सूचना दी है। आपने अभी जो बातें कहीं, वह मैंने सुनी है। हमारे यहां कार्यालय में एक आवेदन पत्र आया, आचार समिति में सन्दर्भित करने के लिए दिया गया कि इस प्रकार का आचरण हमारे साथ हुआ है। उस पर आपको एक नोटिस गयी। आज आपने नियम-300 में यहां दिया है, उस पर आपको बल देना है। आपने घटना क्रम पर कहा, मैंने आपको कहीं नहीं रोका। सदन में कुछ टोका-टाकी हुई, उसको भी मैंने शान्त करा दिया। आपने नियम-300 में जो सूचना दिया है, उसकी ग्राह्यता पर अभी आये नहीं, घटना क्रम पर आपने जितना कहा, मैंने उसको सुना।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी के भी अप्लीकेशन पर किसी सदस्य को नोटिस दे दिया जाना ? किसी भी प्रक्रिया के हिसाब से, न तो संविधान के प्राविधानों के हिसाब से और न ही नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के हिसाब से यह मुनासिब नहीं है। यदि ऐसी कोई अप्लीकेशन आती है तो उसका परीक्षण होना चाहिए और प्रथम दृष्टया वह सत्य पाई जाय तभी किसी सदस्य से उत्तर लिया जाना चाहिए। यह केवल हमारे लिए ही नहीं है, मान्यवर, यह पूरे उत्तर प्रदेश विधान सभा के सभी सदस्यों के लिए लागू है, इसमें मंत्रि-मण्डल के भी सदस्य हैं, सत्तापक्ष और विपक्ष के भी हैं।, सबके लिए है। कोई भी शिकायत आ जाती है, कोई राह चलता आदमी, कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई व्यक्ति कोई दरख्वास्त, किसी सदस्य के खिलाफ दे दे तो वह उसके खिलाफ माना जाए ? मान्यवर, यदि प्रक्रिया में कोई दोष है, तो यह औचित्य के रूप में इससे बड़ा कोई प्रश्न नहीं है और मान्यवर, यदि इसी प्रक्रिया में यदि आप इसे नियम समिति को सन्दर्भित करना चाहते हैं तो सन्दर्भित कर दें, स्वयं आदेश करना चाहें तो कर दें, कोई कमेटी बनाना चाहें तो बना दें लेकिन कोई राह चलता आदमी कोई टिप्पणी कर दे, उसकी एक अप्लीकेशन पर मा0 सदस्य से जवाब मांग लिया जाए, यह उचित नहीं है। आप आचार समिति के सम्बन्ध में पृष्ठ 96 पर देखें। इसमें है कि "(1) समिति सदस्यों के नैतिक तथा सदाचारी व्यवहार पर दृष्टि रखेगी तथा सदस्यों के आचार सम्बन्धी और अन्य दुर्व्यवहार सम्बन्धी उसे निर्दिष्ट मामलों की जांच करेगी। (2) समिति सदस्यों के कदाचार सम्बन्धी

व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सदन की प्रक्रिया नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन पर विचार करेगी।" यही मेरा विषय है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक आवेदन आया और नोटिस दे दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, औचित्य का जो प्रश्न मेरा है, आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात आ गयी, एक पत्र आया, आपको एक पत्र दे दिया गया, नोटिस दे दी गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आप औचित्य पर विचार कर लें। औचित्य यह है कि किसी सदस्य पर यदि कोई आक्षेप आता है और आचार समिति में जाना है तो उसका प्रथम परीक्षण होना चाहिए और जब आप उससे संतुष्ट हो जायें और प्रथमदृष्टया कोई बात बनती है तब सदस्य का एक्सप्लेनेशन और आगे की प्रोसीडिंग चलनी चाहिए, न कि कोई भी अप्लीकेशन दे दे और यह चल जाये। मान्यवर, यह रोज-रोज शिकायतें आयेंगी, दर्जनों आयेंगी और इसके अलावा हम दूसरा अनुरोध करना चाहते हैं कि इतना जघन्य कृत्य करने वाले लोगों को दण्डित करने का आदेश दें। मान्यवर, जितनी बातें मैंने कही हैं, उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। मैं अपेक्षा करता हूं कि संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं कहेंगे कि मैं निष्पक्षता से इसकी जांच कराऊंगा। श्रीमन्, इसमें दो पक्ष हैं, एक यह है कि जिस घटना का मैंने उल्लेख किया है, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी घोषणा करें कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करायेंगे और जितने लोग इसमें दोषी होंगे, उन्हें दण्डित करेंगे और प्रक्रिया में चाहे सत्तापक्ष का सदस्य हो या विपक्ष का, कोई दरख्वास्त आती है, मान्यवर, दरख्वास्त तो सत्तापक्ष पर ज्यादा आती हैं, आप प्रक्रिया में इसका संशोधन करा दें कि किसी सदस्य पर सिम्पली नोटिस देकर प्रोसीडिंग नहीं चलायी जायेगी, जब तक प्रथमदृष्टया उसका परीक्षण न कर लिया जाए। आप दोनों में निर्देश कर दें।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं नोटिस दे दूंगा, इसको नियम समिति में भेज दीजिए।

श्री लालजी वर्मा-

माननीय अम्बिका चौधरी जी का जो नियम 300 का प्रश्न है, इन्होंने जो लिखा है कि 30 अक्टूबर, 2007 को सचिव द्वारा हस्ताक्षरित पत्र मुझे प्राप्त हुआ जिसके द्वारा मुझे अपना अभिकथन एक सप्ताह के अन्दर माननीय अध्यक्ष जी के अवलोकनार्थ प्रेषित करने का निर्देश हुआ। मान्यवर, उक्त नोटिस के साथ जो शिकायत एवं कागजात प्रेषित हैं उसका न तो सत्यापन किया और न कोई शपथ-पत्र उसके समर्थन में प्रेषित किया गया। ऐसे अपुष्ट आरोपों के उत्तर हेतु कोई प्रक्रिया चलाया जाना संविधान के नियमों के तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के सर्वथा प्रतिकूल है। मान्यवर,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस नोटिस के आधार पर जो विषय किसी दूसरे नियमों में उठाए जा सकते हैं उस नियम को यहां पर उठाने का प्रयास किया गया। मान्यवर, इसके बाद भी अपेक्षा करते हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री इस पर कोई निर्देश दें। मान्यवर, उसके लिए नियम बने हैं। अगर कोई गलत कार्य कहीं पर हुआ था जिसको आपने अपने भाषण में उठाने का प्रयास किया, उसको आप अन्य नियमों में लाते, उसके आधार पर कार्यवाही की जाती। जहां तक नियम 269 ञ का सवाल है। इसमें आप देखें। नियम 269 ञ समिति के कृत्य-समिति सदस्यों के नैतिक तथा सदाचारी व्यवहार पर दृष्टि रखेगी तथा सदस्यों के आचार सम्बन्धी और अन्य दुर्व्यहार सम्बन्धी उसे निर्दिष्ट मामलों की जांच करेगी। समिति सदस्यों के कदाचार सम्बन्धी व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में सदन की प्रक्रिया नियमावली में यथा आवश्यक संशोधन पर विचार करेगी। समिति विधान सभा के सदस्यों के सदन के अन्दर तथा सदन के बाहर के कृत्यों के बारे में प्राप्त शिकायतों पर गुणावगुण के आधार पर विचार एवं जांच करेगी। मान्यवर, एक शिकायत आपको प्राप्त हुयी। उस प्राप्त शिकायत पर कार्यवाही करने हेतु आपने समिति में नहीं भेजा। आपने इस बात के लिए भेजा कि माननीय सदस्य के खिलाफ जो शिकायत प्राप्त हुयी है उसकी सत्यता क्या है। इसमें कहां से कौन गलत कार्य हो गया और इसका सम्पूर्ण अधिकार आपको है मान्यवर, इन नियमों के तहत। इसलिए मान्यवर, जहां तक सवाल है यह पूरा अधिकार आपको है और उसके अनुसार आपने अपेक्षा की है, कोई कार्यवाही नहीं हो रही है और आपने सदस्य की बिना अभिमत प्राप्त किए हुए उस पर अन्य कहीं पर भेजना या विचार करना उचित नहीं समझा होगा, इसलिए मान्यवर, आपने तो सहृदयता का व्यवहार करते हुए अपेक्षा की। इसमें किंचित नियमों का उल्लंघन नहीं है और नियम 300 के अन्तर्गत यह कतई नहीं आता। इसलिए मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि इस नोटिस को अग्राह्य करने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने एक बात कही है कि आप उदार हैं। अगर आप उदार न होते तो हमें कभी अवसर नहीं मिलता। माननीय अध्यक्ष जी की ओर से या विधान सभा सचिवालय की ओर से कोई बात अनुचित हुयी है ऐसा मैंने अनुरोध नहीं किया है। यह तो आपकी कृपा है कि आपकी तरफ से थोड़ा संरक्षण हो जाता है वरना यह तो अनर्थ अलग मचा दें। मेरा यह कहना है कि नियमों में जो प्रक्रिया है पृष्ठ 96 पर। इस प्रक्रिया को ठीक करने की आवश्यकता है। यह मैंने कहा है। संसदीय कार्य मंत्री जी तो विषय से हटकर बात कर रहे हैं और संसदीय कार्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जिस घटना का मैंने उल्लेख किया उसके बारे में यह क्या राय रखते हैं ? बतायें सदन को।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप नियमों में दे दीजिए तो वह राय दे देंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ जो हुआ है उसमें यही दृष्टिकोण है। हम क्षेत्र में जाकर क्या बताएं ? यही बताएं कि उन्होंने कहा है कि नियम में आकर बताइएगा तब हम बताएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिन छोटी लड़कियों के साथ, जिन वृद्धाओं के साथ, जिन वृद्धों के

साथ, जिन अपाहिजों, बीमारों के साथ जो अनर्थ हुआ है उसको जाकर क्या बताऊं ? यह बताऊं कि संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं कि नियम में आइए। यही बता दें।

श्री अध्यक्ष-

यह सदन नियमों में चलेगा। मैंने माननीय अम्बिका चौधरी जी को सुना। यह प्रकरण मेरे विचाराधीन है और मेरे आदेश से नोटिस जारी हुयी है। मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम 300 में नहीं आता है। अतः मैं इसे निरस्त करता हूं।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री अध्यक्ष-

श्री राज्यपाल के निम्न संदेश को पढ़कर सुनाता हूं :-

[दिनांक 28-02-2007 को उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 मूल अधिनियम की धारा-24 में विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में संशोधन हेतु विधान मण्डल के दोनों सदनों से दिनांक 27-02-2007 को पारित होने के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत अनुमति हेतु प्रस्तुत किया गया था। चूंकि तत्समय विधान सभा के आम चुनावों की घोषणा हो गयी थी अतः उक्त पत्रावली इस जिज्ञासा के साथ शासन के विधायी विभाग को सन्दर्भित की गयी थी कि इस बिन्दु पर स्थिति स्पष्ट की जाय कि क्या उक्त प्रस्तावित संशोधन विधेयक आचार संहिता से आच्छादित तो नहीं था। इसके पश्चात् उक्त पत्रावली शासन स्तर पर लम्बित रही एवं इसी बीच नई सरकार का गठन हो गया।

यह पत्रावली वर्तमान में आज दिनांक 26-10-2007 को प्रेषित की गयी है। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वर्तमान सरकार का यह मत है कि राज्य विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन में उक्त प्रस्तावित संशोधन की तुलना में और अधिक वृद्धि की जाये। इस उद्देश्य से वर्तमान सरकार का यह मत है कि उक्त विधेयक में तद्नुसार संशोधन करने के पश्चात् इसे अधिनियमित किया जाय। इस सम्बन्ध में महाधिवक्ता की राय भी पत्रावली पर अंकित की गयी है जिसमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राज्यपाल के स्तर से विधेयक वर्तमान सरकार के मतानुसार संशोधन हेतु पुनः विचार के लिए विधान मण्डल को सन्देश सहित वापस प्रेषित किया जा सकता है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों एवं महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश की राय के क्रम में प्रस्तुत विधेयक इस सन्देश के साथ राज्य विधान मण्डल को पुनः विचार करने हेतु वापस प्रेषित किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा विधान मण्डल के भूतपूर्व सदस्यों की पेंशन में वृद्धि करने के सम्बन्ध में उक्त विधेयक में जो संशोधन सदन के समक्ष प्रस्तुत किया जाय उस पर विधान मण्डल द्वारा पुनः विचार करने के उपरान्त प्रस्तुत विधेयक के विषय में निर्णय/प्रस्ताव पारित किया जाय।"]

नोट :-1] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) नियमावली, 2006, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-29 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग (अपील प्रक्रिया) नियमावली, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-29 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश सूचना आयोग (फीस और लागत विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 27 नवम्बर, 2006 को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-29 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1804/सोलह-1-2006-14 (6)/2006, दिनांक 27 जुलाई, 2006 †

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1804/सोलह-1-2006-14 (6)/2006, दिनांक 27 जुलाई, 2006 को उत्तर प्रदेश शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा-13 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के आदेश संख्या-800/सोलह-1-2007-14 (16)/2006, दिनांक 29 मार्च, 2007 †††

प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सदल प्रसाद)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के आदेश संख्या-800/सोलह-1-2007-14 (16)/2006, दिनांक 29 मार्च, 2007 को उत्तर प्रदेश शैक्षणिक

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

††† छापा नहीं गया।

संस्थाओं में प्रवेश (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 2006 की धारा-13 के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (नौंवा संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश जिला पंचायत (केन्द्रीय संक्राम्य संवर्ग) (नौंवा संशोधन) नियमावली, 2006, दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 को उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-237 (3) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश पंचायतराज (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2005 दिनांक 4 मार्च, 2005

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2005, दिनांक 04 मार्च, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा-23 (क) की उपधारा (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्रीमती राकेश कुमारी राजपूत, औषधि निरीक्षक के विरुद्ध किये गये श्री के0 डी0 शर्मा, आगरा के परिवाद से सम्बन्धित मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन के सम्बन्ध में शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन ††

स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री अनन्त कुमार मिश्रा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से श्रीमती राकेश कुमारी राजपूत, औषधि निरीक्षक के विरुद्ध किये गये श्री के0 डी0 शर्मा, आगरा के परिवाद से सम्बन्धित मा0 लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-7/2006 पर लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियम, 1975 की धारा-12 (7) के प्राविधानों के अन्तर्गत शासन का स्पष्टीकरण ज्ञापन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ द्वारा श्री विजेन्द्र पाल सिंह, भू0पू0 परिचालक, मेरठ डिपो को सवेतन सेवा में बहाल किये जाने के सम्बन्ध में सुनवाई के उपरान्त की गयी संस्तुति का अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी आख्या †††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ द्वारा श्री विजेन्द्र पाल सिंह, भू0पू0 परिचालक, मेरठ डिपो को सवेतन सेवा में बहाल किये जाने के सम्बन्ध में सुनवाई के उपरान्त की गयी संस्तुति दिनांक 13 अप्रैल, 2006 का अनुपालन न किये जाने सम्बन्धी

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

††† छापा नहीं गया।

आख्या को उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 1996 की धारा-9 (2) के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन और शर्तें) नियमावली, 2006, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006†

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग, लखनऊ द्वारा प्रकाशित की गयी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (पारेषण टैरिफ के अवधारण हेतु निबन्धन और शर्तें) नियमावली, 2006, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) नियमावली, 2006, दिनांक 6 अक्टूबर, 2006†

ऊर्जा मंत्री (श्री रामवीर उपाध्याय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग लखनऊ द्वारा प्रकाशित की गयी उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिये निबन्धन और शर्तें) नियमावली, 2006, दिनांक 06 अक्टूबर, 2006 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2(1)-2007 दिनांक 4 जुलाई, 2007 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 में उल्लिखित अनुसूची-एक की अन्य पिछड़े वर्गों की कतिपय जातियों को अन्य पिछड़े वर्गों के बजाय अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त करने के हकदार समझे जाने विषयक अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2-2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को विखण्डित करने विषयक कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2(1)-2007 दिनांक 04 जुलाई, 2007 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-14 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2(1)-2007 दिनांक 4 जुलाई, 2007 ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 के अधीन कोल जाति के

---

† छापी नहीं गयी।

†† छापी नहीं गयी।

व्यक्तियों को अनुसूचित जाति के बजाय अनुसूचित जाति का लाभ प्राप्त करने के हकदार समझे जाने विषयक अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2-2005, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 को विखण्डित करने विषयक कार्मिक अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या-4(1)/2002-का-2(1)-2007 दिनांक 04 जुलाई, 2007 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा को उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 की धारा-14 के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006 दिनांक 23 फरवरी, 2006 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (नौवां संशोधन) नियमावली, 2006 दिनांक 23 फरवरी, 2006 को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा-31 (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्तियां ††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-3263/ग्यारह-9 (85)/2003--उ0प्र0 अधि0-15-48-नियम-1948- आदेश-(48)-2005, दिनांक 02 दिसम्बर, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क(1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-275/ग्यारह-9(35)/2003-उ0प्र0अधि0-15-48-नियम-1948-2006-(02), दिनांक 16 फरवरी, 2006 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क (1) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2721(1)/ग्यारह-9 (239)/96--उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(19) 2006, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2720/ग्यारह-9 (231)/94--उ0प्र0 अधि0-15-48-आदेश-(20) 2006, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 को उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (2) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

†† छापा नहीं गया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से कर एवं निबन्धन अनुभाग-2 की विज्ञप्ति संख्या-क0नि0-2-2773/ग्यारह-9 (81)/91--उ0प्र0 अधि0-12-2000-आदेश-(17) 2006, दिनांक 30 नवम्बर, 2006 को उत्तर प्रदेश माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2000 की धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन विलम्ब के कारण सहित पुनः सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 (दिनांक 27 जून, 2007 से 17 जुलाई, 2007 तक) में नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से, उत्तर प्रदेश की पन्द्रहवीं विधान सभा के द्वितीय सत्र 2007 (दिनांक 27 जून, 2007 से 17 जुलाई, 2007 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किए गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश सं0-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से, "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम-153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2007-2008 का अनुपूरक) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को सदन में आज ही पुनर्विचार एवं पारण हेतु लिये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुये 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को सदन में आज ही पुनर्विचार एवं पारण हेतु ले लिया जाय।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, ठीक है। हम सब सहमत हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत नियमों को शिथिल करते हुये 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को सदन में आज ही पुनर्विचार एवं पारण हेतु ले लिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर पुनर्विचार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर पुनर्विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत पुनर्विचार हेतु लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 पर पुनर्विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व सम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-23 सन् 1980 की धारा-5 का संशोधन

2- उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा-5 में, उपधारा (2) में, शब्द "तीस हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पचास हजार रुपये" और शब्द "अपने परिवार के सदस्यों के लिए" के स्थान पर शब्द "अपने परिवार के सदस्यों या एक सहवर्ती के लिए" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-3

3-मूल अधिनियम की धारा-24 में, उपधारा (1) में,- धारा-24 का संशोधन

(क) शब्द "तीन हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये" रख दिये जायेंगे;

(ख) प्रथम परन्तुक में आये शब्द "तीन सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर संशोधन का प्रस्ताव श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह) रख रहे हैं।

*श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-3 के उपखण्ड (क) में शब्द 'पांच हजार रुपये' के स्थान पर 'छः हजार रुपये' रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-3 उप खण्ड (क) में शब्द "पांच हजार रुपये" के स्थान पर शब्द "छः हजार रुपये" रख दिये जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-3 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

खण्ड-1

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त होगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस पर भी संशोधन का प्रस्ताव श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह) रख रहे हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री ओम प्रकाश सिंह (ओ0 पी0 सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड-1 के उपखण्ड (2) में अंक और शब्द "1 अप्रैल, 2007" के स्थान पर अंक और शब्द "1 दिसम्बर, 2007" रख दिये जायें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-1 उप खण्ड (2) में शब्द और अंक "1 अप्रैल, 2007" के स्थान पर शब्द और अंक "1 दिसम्बर, 2007" रख दिये जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड-1 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

प्रस्ताव व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007

(जैसा "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के प्रथम परन्तुक के अनुसरण में उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पुनः संशोधनों सहित पारित हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 में अग्रतर संशोधन करने के लिए

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि प्रस्तावना व शीर्षक इस विधयेक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं। जो दूसरे साल, तीसरे साल या चौथे साल में जो अभी तक की व्यवस्था थी क्या उसमें भी कोई इजाफा किया गया है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, पहले साल जो उसमें निर्णय लिया गया कि प्रथम 6000 होगा उसके अतिरिक्त जो पास विधेयक था उसमें 500 रुपये प्रति वर्ष वृद्धि थी वह 500 वृद्धि रहेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि "भारत का संविधान" अनुच्छेद 200 के परन्तुक के अन्तर्गत लौटाये गये उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को यथा संशोधित रूप में पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या 27-28 में कुछ नहीं है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 की बैठक में विधान सभा के दिनांक 01 नवम्बर, 2007 से 07 नवम्बर, 2007 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

नवम्बर, 2007	
01 गुरुवार	बैठक नहीं होगी।
02 शुक्रवार	
03 शनिवार	
04 रविवार	1-निधन के निर्देश अर्थात् निधन की सूचनाएं।
05 सोमवार	2-निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उसका पारण :- (क) उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 (ख) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 (ग) उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 (घ) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 (ङ) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 (च) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 (छ) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(ज) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

(झ) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

3-निम्नलिखित विधेयक का पुनः पारण :-

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2007 को इस सदन द्वारा पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसके पारित किये जाने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश विधान परिषद् की दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार कर दिया गया।

4-श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री विनोद चतुर्वेदी तथा श्री विवेक कुमार सिंह सदस्यगण, विधान सभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चार्चा :-

"यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद-झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाये।"

<u>नवम्बर, 2007</u>

06 मंगलवार

निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण :-

1-(क) उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2007

(ख) उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर विधेयक, 2007

(ग) उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(घ) उत्तर प्रदेश पंचायत विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

(ङ) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

(च) उत्तर प्रदेश नागर स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 2007

(छ) उत्तर प्रदेश डा0 भीमराव राव अम्बेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल विधेयक, 2007

2-चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, सदस्य, विधानसभा द्वारा नियम-103 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा :-

"इस सदन का यह निश्चित मत है कि प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण हेतु एक सामान्य नीति बनायी जाय

उत्तर प्रदेश विधान सभा

तथा उसे बिना किसी भेद-भाव के प्रदेश के सभी नागरिकों पर सामान्य रूप से कड़ाई से लागू किया जाये।''

3-''उत्तर प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़ेपन को दूर करने के सम्बन्ध में'' श्री प्रदीप जैन आदित्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर एक घण्टे की चर्चा।

नवम्बर, 2007

07 बुधवार बैठक नहीं होगी।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-30 में कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 [1]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

[1] दिनांक 16-11-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007[††]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 [†]

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) (संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 [†]

*माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्रा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[††] दिनांक 30-11-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[†] दिनांक 29-11-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

[†] दिनांक 29-11-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007†

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007†

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

*नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

मान्यवर, जहां लोक सेवा आयोग में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण दे रहे हैं तो वहीं पर यह आरक्षण मुसलमानों, सिक्खों और ईसाइयों को भी देना चाहिए। यह हमारी मांग है इसे आप स्वीकार करें तो ठीक है और न स्वीकार करें तो बतायें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

कहां से अभी यह प्रस्ताव आ गया ? मान्यवर, यह तो अनुज्ञा मांगा है माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने।

श्री मुलायम सिंह यादव-

इसमें मुसलमान, सिक्ख और ईसाइयों को भी आरक्षण मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने पुरःस्थापित करने के लिये अनुज्ञा मांगा है। अभी यह सदन में आयेगा और आप अपना विचार रखेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 †

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2007 को पुरःस्थापित करता हूं।

नियम 311 की नियम 56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को नियम-311 में प्राप्त 4 सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 21 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्रथम 2 सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है। 'सच्ची रामायण' के सम्बन्ध में सूचना नियम-311 में दी गयी थी लेकिन चयन के आधार पर नहीं आ पायी लेकिन सब लोगों की सहमति और राय को देखते हुए मैंने इसको ग्राह्य किया है और एक सूचना श्री अम्बिका चौधरी जी, श्री अकीलुर्रहमान, श्री विश्वम्भर प्रसाद निषाद व इसी विषय पर श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अर्मीता सिंह, श्री प्रदीप जैन "आदित्य", श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री माधव पासवान व श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ला की पुलिस आरक्षियों की हुई भर्ती में निर्दोष आरक्षियों को बर्खास्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री मदन चौहान की प्रदेश की गन्ना मिलों से गन्ना पेराई का सत्र समय से शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री राम किशुन की प्रदेश के पूर्वान्चल एवं बुन्देलखण्ड में बढ़ रही नक्सल गतिविधियों एवं उनके विरोध में शस्त्रधारी संगठनों द्वारा की जा रही कार्यवाही से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री उदयभान करवरिया की जनपद इलाहाबाद में विद्युत व्यवस्था ठीक न होने के कारण

---

† दिनांक 29-11-2007 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

नहरों का संचालन न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। पांचवीं सूचना श्री राम बिशुन आजाद की प्रदेश के किसानों को खाद, बीज एवं पानी समय से न मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है। जो सूचनाएं चयनित नहीं हुई हैं उन मा0 सदस्यों के नाम हैं--

श्री लालजी टण्डन, श्रीमती प्रेमलता कटियार, श्री ओम प्रकाश सिंह, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, श्री हुकुन सिंह, श्री श्यामदेव राय चौधरी, श्री लल्लू सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, श्री दीपक कुमार, डा0 राजेन्द्र सिंह, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री दीप नारायण सिंह, श्री प्रमोद तिवारी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमीता सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री आर0 पी0 एन0 सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री विनोद चतुर्वेदी, श्री माधव पासवान, श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, डा0 अनिल चौधरी, चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, डा0 आर0 ए0 उस्मानी, डा0 धर्मपाल सिंह, श्री संजीव दरियाबादी, श्री सलिल विश्नोई जी, श्रीमती कृष्णाराज, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह व श्री जगन प्रसाद गर्ग की सूचनाएं अस्वीकार की गयीं।

नियम-311 में प्राप्त सूचना श्री ओम प्रकाश सिंह, श्री लालजी टण्डन, श्री हुकुम सिंह व दूसरी इसी विषय पर श्री प्रमोद तिवारी जी, श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती अमीता सिंह, श्री प्रदीप जैन आदित्य, श्री आर0पी0एन0 सिंह आदि की है को पहले सुना जायेगा। उसके बाद श्री अम्बिका चौधरी जी की पुलिस आरक्षियों की भर्ती में निर्दोष आरक्षियों को बर्खास्त किये जाने की सूचना को सुना जायेगा।

*श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सदन में एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति दी है जिस पर पूरा विपक्ष एकमत है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय, सुनिश्चित विषय प्रदेश में बिक रही 'सच्ची रामायण' नामक पुस्तक की बिक्री व प्रसार को तत्काल प्रतिबन्धित किये जाने के सम्बन्ध में है, उस पर मैं अपने विचार रख रहा हूं। मान्यवर, प्रत्येक व्यक्ति को सहमति और असहमति के आधार पर अपने विचार रखने की पूरी स्वतंत्रता है, यह स्वतंत्रता कानून भी देता है और समाज भी देता है। लेकिन विचार की स्वतंत्रता का एक मर्यादित, शिष्ट, शालीन स्तर होना चाहिए। अब इसके लिये जो शब्द है, हिन्दी में व भिन्न-भिन्न भाषा में वह भी निर्धारित है कि कौन सी शिष्ट, सम्मानित है, कौन सी गाली के शब्द हैं, कौन से निकृष्ट भाव से प्रयोग किये गये शब्द हैं, कौन से घृणा भाव से प्रयोग किये गये शब्द हैं, कौन निन्दा के शब्द हैं, यह सारे परिभाषित और श्रेणीबद्ध हैं। मान्यवर, ये सच्ची रामायण जो हमने हजरतगंज की कुछ दुकानों से मंगाकर पढ़ा इससे मेरी आस्था, श्रद्धा और विश्वास शायद जीवन में इतना आहत कभी किसी से हुआ हो जितना इस किताब को पढ़ने से आहत हुआ। श्री राम इस देश के लिये, समाज के लिये, इस देश की संस्कृति के लिये कितने महत्वपूर्ण हैं। वह व्यक्ति के लिये भी आदर्श माने गये, राष्ट्र के लिये आदर्श माने गये और शासन व्यवस्था के लिये भी आदर्श माने गये। जिनको हम राष्ट्रपिता कहते हैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह सदा रामराज की कल्पना एक सर्वोच्च आदर्श राज्य के रूप में उसको सबके सामने प्रस्तुत करते रहे हैं। लेकिन मान्यवर, इन किताबों का दो लोगों ने अनुवाद किया है। इसमें लिखा है रामा स्वामी नायकर जिन्होंने ट्रू रामायण लिखी है उसी का अनुवाद है। क्या ट्रू रामायण है क्या नहीं है यह अलग प्रश्न है। इस पुस्तक में अनुवाद के रूप में सच्ची रामायण के रूप में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया गया उससे जो हिन्दू धर्म को नहीं मानता उसकी भी भावनाएं आहत हुई होंगी।

*नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)

हिन्दू धर्म नहीं बल्कि सनातन धर्म इस देश की संस्कृति के मूल में है और उनके प्रति सबका सम्मान है।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

क्योंकि श्री राम इस देश में सबके आदर्श हैं। जो दूसरे धर्म को मानते हैं वह भी उनके प्रति सम्मान के विचार रखते हैं। उनके प्रति जो शब्द प्रयोग किए गए हैं उसको मैं घोर आपत्तिजनक मानता हूं और इसलिए कि समस्त समाज की आस्था आहत हो रही है। इस देश की संस्कृति को खण्डित करने की नीयत से यह बातें लिखी गई हैं इसलिए इससे ज्यादा आपत्तिजनक कोई भी विषय नहीं हो सकता है। जो समस्त समाज की आस्था को आहत कर रहा है वह आज के समय की सबसे आपत्तिजनक बात है इसलिए इसको प्रतिबन्धित करने की मैं मांग करता हूं। अगर यह प्रतिबन्धित नहीं होगी और सरकार कह देगी कि आज की तारीख में यह नहीं बिक रही है लेकिन अगर प्रतिबन्धित नहीं होगा तो आज नहीं कल कोई भी इसे बेच सकता है इसलिए इसे प्रतिबन्धित किया जाना अति आवश्यक है। यह सर्व समाज की आस्था पर आघात करती है इसलिए मैंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। मान्यवर, जो शब्द पढ़े नहीं जा सकते हैं सभ्य समाज से इसीलिये मैंने सारा सारांश, सारे आपत्तिजनक अंश इस सदन के और उच्च सदन के माननीय सभापति महोदय को और आपको भी, सभी माननीय दलों के नेतागणों को, मंत्रियों को और सभी 500 सदस्यों को हमने इसकी प्रति अपने पत्र के आग्रह के साथ भेजी कि यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है यह दलीय प्रश्न नहीं है यह इस देश की आस्था और संस्कृति और उसके अस्तित्व का प्रश्न है। श्री राम जी के बारे में कहा गया कि इनका कोई आधार नहीं है, काल्पनिक हैं, कृष्ण को काल्पनिक कहा गया। रामायण और महाभारत को काल्पनिक कथा कहा गया। इतना ही नहीं यह भी कहा गया कि जिस प्रकार अरेबियन नाइट्स, शेक्सपियर की कहानियां और पंचतंत्र की कहानियों की कथा कहानी है उसका कोई आधार नहीं है उसी प्रकार यह भी कथा कहानी है। इसका कोई आधार नहीं है। मैं विस्तार से इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि और सदस्य बोलेंगे लेकिन कुछ बातें जो कही जा सकती हैं उसी का मैं उद्धरण दूंगा। पेज-12 पर लिखा है। इस बात पर बल दिया जाता है व्यवहार से दुष्ट था कि वह झूठा, विश्वासघाती, छली, कपटी, धूर्त, निर्दयी, लोभी, नशेबाज, मांस भक्षण करने वाला, छुपकर निर्दोषों पर वार करने वाला दुष्ट, नामर्द, नपुंसक आदि का साकार रूप था। अब इससे ज्यादा क्या ? यह पृष्ट-12 पर लिखा है इस किताब में। यह किताब सबके पास भेजी है। लिखा है कि राम और सीता चरित्रहीन थे।

मान्यवर, आपको सुनना कानों में कैसा लग रहा है ? क्योंकि आप आस्थावान हैं। मैं जानता हूं आप चेतन हैं, सम्वेदनशील हैं। यह किताब इस देश की संस्कृति, आस्था और विश्वास को ही नकार दे रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता ने "हे राम" कहते हुए प्राण छोड़े। राम नाम लेने से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों को इसमें विश्वास नहीं होगा वो अलग बात है । राम कोई ईमानदार व्यक्ति नहीं था कृत्यों में उसका हाथ था। राम नामर्द और नपुंसक था यह बिन्दु 36 पृष्ठ-27 पर दिया है। जिसको हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, आदर्श कहते हैं जिसको भगवान कहते हैं। समाज ने जिसके आदर्श राज्य की कल्पना की। आज भी दुनिया में जिसे सबसे आदर्श माना जाता है उसकी निन्दा ? कोई उससे असहमत हो सकता है लेकिन इस तरह के शब्दों से निन्दा करना जिसके प्रति आस्था हो, पूरे देश की श्रद्धा हो, उसके प्रति सम्मान का भाव हो उसके प्रति इस तरह की किताब लिखी जाय और एक दल द्वारा जिसे आदर्श पुरुष माना जाय उसके द्वारा लिखा जाय और फिर यह कहा जाय कि इस किताब से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं। यह तो वही हो गया जैसे हम कह दें कि पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की किताब से कोई मतलब नहीं। माननीय नेता जी कहें कि लोहिया जी कि किताब से उनका कोई मतलब नहीं, प्रमोद जी कहें कि जवाहर लाल नेहरू और इंदिरा गांधी जी की किताब से कोई सम्बन्ध नहीं। एक तरफ हम इनको आदर्श मानें और दूसरी तरफ कहें कि हमारा उनकी किताब से कोई सम्बन्ध नहीं तो यह झूठ है गुमराह है। अगर ऐसा नहीं है तो क्या है ? कहा गया कि यह पुरानी किताब है। ज्ञान तो नया है। यह दोनों किताबें 2007 में अनुवादित करा के छापी गई हैं।

श्री लालजी वर्मा-

कहां से छपाई गई हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बार-बार पूछेंगे और जवाब में भी कहेंगे कि कहां से छपी है ? तो मैं बता दूं कि यह एक किताब पटना से और एक नई दिल्ली से छपी है लेकिन बिक तो लखनऊ में रही हैं। इसीलिये हमने केवल इसकी बिक्री पर प्रतिबन्ध की मांग की है छपाई पर नहीं मान्यवर, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह दोनों बाहर छपी हुई हैं। इस देश में कहीं भी छपी हों बंट तो सकती है यहां। यह छपके तो बाहर से आ रही हैं। कल कोई यहां भी छपवा ले लेकिन कानून नहीं होगा तो कैसे प्रतिबन्ध होगा। मैं बात में सही कह रहा हूं कि मैं नहीं जानता था इसके बारे में जब पेरियार जी की बड़ी-बड़ी मूर्तियां लगीं और बड़े-बड़े चित्र लगे और यह घोषणा हुई कि मूर्तियां लगेंगी तब मैंने कहा कि जरा साहित्य तो लाओ क्योंकि इनकी मूर्ति लगाने पर पहले भी विवाद हो चुका है। तो मैंने साहित्य एक दिन कुछ मंगाया तो दो किताबें एक दिन ले आया दूसरे तीन किताबें किसी और दुकान से ले आया। एक किताब एक दुकान से मिली और दूसरी किताब दूसरी दुकान से। मैंने दोनों किताबों को पढ़ा और उसमें से आपत्तिजनक अंश पढ़े और मैं कहता हूं कि इससे इतना आहत है यह सदन और यह समाज यह सदन तो अब जान गया है हर दल अपने सदस्यों को स्वतन्त्र कर दे मैं कह सकता हूं इस जितनी मात्र शब्दावली को पढ़ा बहुत सी चीजें हैं इसमें रावण और सीताजी के साथ

सम्बन्ध बहुत अश्लील ढंग से लिखे गये हैं क्यों ? क्योंकि जिस व्यक्ति की मूल किताब है उसकी आस्था नहीं है एक उनके बारे में 'पेरियार संक्षिप्त जीवनी' है यह भी यही दुकानों से मिली, यह हमारे पास है मान्यवर, मैं उसके अन्तिम पेज का उन्हीं के दस्तखत से और उन्हीं की कोटेशन है बताता हूं- 'ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है और ईश्वर नहीं है', जिसने इसका आविष्कार किया वह महामूर्ख था, जिसने ईश्वर का प्रचार किया वह धूर्त था, जो ईश्वर की पूजा करता है वह जंगली है। (शेम-शेम की आवाजें)

यह किताब है मान्यवर, इसके अन्तिम पेज पर लिखा हुआ है। मैं बड़ा आहत हूं मैं नहीं चाहता यह राजनीति बने। मैंने मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखा, 24-10-2007 को 26-10-2007 को और मैंने यही कहा कि इस किताब को प्रतिबन्धित कर दीजिए। जो बात बोला हूं वही लिखा हूं। हम नहीं चाहते हैं कि यह सार्वजनिक बने हम चाहते हैं यह मुद्दा न बने। आप इसे प्रतिबन्धित कर दीजिए और मैं सबसे पहला व्यक्ति होऊंगा अगर प्रतिबन्धित कर दिया जाए मैं बधाई दूंगा। यह चीजें जनता के बीच में नहीं जानी चाहिए। हमारे कई लोगों ने कहा इसको वितरित न करो हम वही काम क्यों करें। एक बात और इस किताब की विशेषता, 70 पेज में 68 पेज में राम और राम से जुड़े जो चरित्र है उनकी निन्दा इन्हीं शब्दों में की है। अस्तित्वहीन बताया गया है। चरित्र हीन बताया गया है। श्रीराम को लिखा गया कि औसत से भी नीचा व्यक्ति था और दो पेज में रावण को महिमामंडित किया गया है कि वह महान था। राम नीच थे और रावण महान था। इस किताब का समर्थन करना यह व्यक्त करता है कि इस प्रदेश में रावण को महिमामंडित करने का कहीं न कहीं षडयंत्र है। इसलिए मेरी आपत्ति है। इसलिए मेरा कहना है कि यह किताब पुरानी है अखबार 2007 का है पिछले महीने का है तात्कालिक है आप कह रहे थे तात्कालिकता क्या है। मान्यवर, आज यह पहला अवसर हमने अपने जीवन में देखा कि किसी मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक है। क्योंकि भावना आहत हो रही है इसलिए भावना आहत न हो सर्वजन की भावना आहत हो रही है-'सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय' को चरितार्थ करने के लिए प्रतिबन्ध जरूरी है। क्योंकि सर्वजन की भावना आहत होकर दुख और कष्ट मिल रहा है तो मान्यवर, सर्वजन हिताय कैसे होगा "सर्वजन" अगर दुखी है उसकी आस्था आहत हो रही है तो "सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय" कैसे होगा इसलिए मान्यवर, इस किताब में राम, कृष्ण, रामायण, महाभारत, सीता, हनुमान जी के लिए लिखा है बड़ा गंवारू व्यक्ति था। आपने पढ़ा होगा नोटिस मिली होगी तो दुबारा पढ़े होंगे। इसलिए मैं बहुत चर्चा न करके इतना ही कहूंगा कि यह भावना और आस्था पर चोट है। श्री राम इस देश की संस्कृति के मूल हैं। आस्था को आहत करने और चोट पहुंचाने के साथ-साथ संस्कृति को नष्ट-भ्रष्ट करने का प्रयास है इसलिए इस किताब को प्रतिबन्धित किया जाना निश्चित रूप से इस सदन के दायित्व के अन्तर्गत भी आता है। यह सदन किसी की भावना आहत हो, इस पर अंकुश लगाने का दायित्व रखता है। इसलिए यह सदन का दायित्व भी है। भविष्य में यह पुस्तक न बिके, इसलिए इस पर प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं मिल रही है क्योंकि जब मैंने पहली बार मीडिया से कहा तो बेचने वालों ने कहा कि बिक गयी है, फिर आयेगी तब मिलेगी। मेरी मंशा किसी राजनीतिक व्यक्ति या दल की भावना किसी प्रकार से भी आहत करने की नहीं है। समाज हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में यह कार्य हो, मेरी मंशा इतनी है। मैं

आज भी मान रहा हूं कि कोई दल इस कार्य को इस रूप में नहीं लेने देगा। यह व्यापारी अपने लाभ के लिए इस किताब को बेंच रहे होंगे। यदि इस पर प्रतिबन्ध नहीं लगेगा तो मैं कहने के लिए बाध्य होऊंगा कि यह किसी संरक्षण में बिक रही है। यह प्रदेश राम और कृष्ण की धरती, जिनके जन्म और लीलाओं से जोड़कर, हर श्वांस में दोनों नामों से जुड़ा है, उसके प्रति घृणा पैदा करने की एक योजना है और कहीं न कहीं जो इस देश की संस्कृति है, उसको नष्ट करने का षड्यन्त्र है। अभी दशहरे में रावण को बुराई के प्रतीक के रूप में फूंका है, पूरे प्रदेश में जलाया है। इस बुराई के प्रतीक को कहीं उत्तर प्रदेश में महिमा मण्डित करने का कोई षड्यन्त्र तो नहीं चल रहा है ? इसलिए इसको प्रतिबन्धित करना आवश्यक है। मैं पुनः आग्रह करूंगा कि राजनीति से, दलीय सोच से, हर संकीर्णता से ऊपर उठकर एक महान व्यक्तित्व के प्रति इस देश की जो संस्कृति है, इस देश की जो आस्था है, उसे सुरक्षित रखने के लिए इस किताब को प्रतिबन्धित करें और कभी भविष्य में न बिक सके। अभी 3 तारीख को वाराणसी में जिसमें हनुमान पर टिप्पणी की गयी थी, बिक भी रही थी, मुफ्त में भी बांटी जा रही थी। मान्यवर, मैं एक मांग और करता हूं कि इस तरह की किसी भी आस्था पर, धार्मिक, आध्यात्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने वाली कोई किताब न बिक पाये, इसके सम्बन्ध में प्रदेश के अन्दर कोई कानून बनना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

अध्यक्ष जी, 311 की जो नोटिस है, उस पर हमारे भी हस्ताक्षर हैं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने प्रमोद तिवारी को बुला लिया है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने एक बड़े महत्वपूर्ण घटनाचक्र पर अपने और अपने दल के विचार रखने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, इसे बहुत ही सरलता से न लिया जाए। मान्यवर, इसे बहुत सहजता से भी नहीं लेने की आवश्यकता है। यह एक साधारण पुस्तक नहीं है। मान्यवर, इस पुस्तक में जो कुछ भी छपा है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद-14, 15 और 25 का अतिक्रमण करता है। यह पुस्तक पूरी तरह संविधान विरोधी है, इन अंशों की भावनाओं की हत्या करने वाली पुस्तक है। श्रीमन्, आपको जानकारी है, अनुच्छेद-14, 15 में सबको समानता का अधिकार, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव न हो, अनुच्छेद-25 में उपासना का अधिकार। किसी को यह अधिकार नहीं है कि कोई दूसरे की आस्था या उपासना पर ऐसी कोई टिप्पणी करे जिससे उसे कष्ट पहुंचे और उसकी भावनाओं को चोट पहुंचे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं तो उस पक्ष का हूं कि जिन भावनाओं के साथ श्री ओम प्रकाश जी ने जो सवाल उठाए हैं और जो तथ्य इसमें हैं, इसमें सरकार को खड़े होकर घोषणा करनी चाहिए कि इस पुस्तक को खरीदना, बेचना, प्रसारण करना अपराध माना जाएगा और जो कोई अपराध करता पकड़ा जाएगा उसकी जगह जेल के अंदर होनी चाहिए। मत मानिये मेरी बात, लेकिन आज सरकार को भी सचेत कर देना चाहता हूं। आप सर्वजन की बात करते हैं। आपके बगल में श्री उपाध्याय जी बैठे हैं और श्री रंगनाथ मिश्र जी बैठे हैं। क्या यह अपने आपको दृढ़ता के साथ इस किताब में लिखे विचारों से सहमत कर सकते हैं। मान्यवर, 'सच्ची रामायण' में जो बातें कही गयी हैं यह निःसंदेह समाज को तोड़ने वाली हैं। अगर समाज टूटेगा तो देश टूटेगा और देश को कौन तोड़ेगा। देश को तोड़ने वाला देशभक्त तो नहीं हो सकता। मान्यवर, साहित्य के माध्यम से यह एक कोशिश है देश को तोड़ने की। विश्व का इतिहास साक्षी है कि जब विचारधारा तोड़ी जाती है, समाज, देश तोड़ा जाता है तो इसमें साहित्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। मान्यवर, यह विषाक्त साहित्य है। यह देश को तोड़ने वाला साहित्य है और देश का कोई आदमी न ऐसे साहित्य को पढ़ सकता है और न खरीद सकता है और न बर्दाश्त कर सकता है। अगर वह करता है तो मैं कहूंगा कि वह देश के बारे में नहीं सोचता है। मान्यवर, सरकार का कर्त्तव्य क्या है ? अगर कोई ऐसी पुस्तक बिक रही है तो क्या आप इंतजार करेंगे वर्ग विभाजन हो जाए, समाज टूटने लगे, हत्याएं होने लगे तो क्या तब सरकार जागेगी ? यह कोई आज की नहीं है। न जाने कितनी सरकारों ने यह काम किया है कि अगर किसी लेख या किसी प्रकाशन से समाज को तोड़ने का काम किया गया है तो वहीं के डी0एम0 ने ऐसा निर्णय ले लिया है कि ऐसे साहित्य पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सरकार तो बहुत बड़ी चीज है। सरकार चाहे तो यहीं यह निर्णय ले सकती है, यहीं घोषणा कर सकती है। आज सरकार की नेकनीयत दांव पर लगी है। अगर सरकार का इससे कोई लेना-देना नहीं है तो सरकार को आज कहना पड़ेगा कि आज के बाद उत्तर प्रदेश के अन्दर यह पुस्तक नहीं पढ़ सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यह पुस्तक पटना में प्रकाशित है, दिल्ली में प्रकाशित हुई है। मैं प्रकाशन पर नहीं जा रहा हूं, मैं तो वितरण को रोकने की बात कह रहा हूं। मान्यवर, एक बात और कहनी है कि गाजीपुर में ऐसी ही एक पुस्तक प्रेरणा-प्रसंग काजी द्वारा लिखित है। इसमें हज़रत साहब का चित्र प्रकाशित हुआ है। इस्लाम में किसी मूर्ति या चित्र का प्रकाशन नहीं होना चाहिए। मैं इसके साथ-साथ इस पर भी बिक्री और प्रकाशन पर रोक की मांग करता हूं। मान्यवर, जहां मैंने अपना और अपने दल का दृष्टिकोण स्पष्ट किया कि 'सच्ची रामायण' और 'प्रेरणा-प्रसंग' के हम खिलाफ हैं। वहीं मैं कहना चाहता हूं कि जैसे मुझे ध्यानपूर्वक अभी सुना है आगे भी सुनें। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी बात पसंद न आए लेकिन यह इतिहास नहीं बदल सकता। मान्यवर, विधान सभा की दिनांक 8 अगस्त, 1995 की कार्यवाही मैं आपके पास भेज रहा हूं। किरदार बदले हुए हैं मान्यवर, श्री मुलायम सिंह यादव जी जहां बैठे हुए हैं वहीं बैठे हुए थे। जहां मैं बैठा हूं, वहीं बैठा हुआ था।

माननीय ओम प्रकाश जी जहां बैठते हैं वह जगह यहां नहीं थी वह उधर बैठते थे, सरकार का समर्थन कर रहे थे। मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। 186 विधान सभा के सदस्यों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समाजवादी और बसपा के गठबंधन को तोड़कर बसपा की सरकार का समर्थन

कर यही भारतीय जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी और बसपा के गठबन्धन की सरकार बनायी थी। भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था और 1995 में सरकार बनी थी। मैंने भी उस सरकार को समर्थन बिल्कुल नहीं दिया था, मैंने सरकार को समर्थन तब दिया था जब समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकार बनी थी, उसको लिखित समर्थन दिया था। आज जो लोकदल बैठा हुआ है उस समय वह जनता दल के नाम से जाना जाता था इसका समर्थन किया था। अब मैं यह बताने लगूंगा कि कौन यहां बैठते हैं कौन वहां बैठे थे तो मा0 रंगनाथ जी नाराज हो जायेंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि 8 अगस्त, 95 को यहीं विधान सभा में मैंने इसी नियम-56 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया था। मुझे पचास मिनट तक बोलने की अनुमति नहीं दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, यह कार्यवाही में अंकित है। उस समय कहा था कि यह परिवर्तन चौक जो लखनऊ का है, यहां पेरियार रामास्वामी की मूर्ति लगायी जा रही है, यह 'सच्ची रामायण' के रचयिता हैं, उस समय तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, 95 में तत्कालीन नेता कल्याण सिंह जी थे, राजेन्द्र कुमार गुप्त कार्यवाहक नेता थे, कल्याण सिंह जी सदन में नहीं आते थे, क्यों नहीं आते थे यह मुलायम सिंह जी को मालूम है, उस समय जब मैंने कहा था और जो कहा था वह सुन लें। यह आज पहली बार आप नहीं उठा रहे हैं यह तो आज से 12 साल पहले इसी विधान सभा में उठा चुका हूं।

*श्री हुकुम सिंह-

यह तो आप अभी भी उठा रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

आप बीच-बीच में उठाने की दिशा बदल देते हैं मैं तो वहीं रहता हूं। आप और हममें एक फर्क है कि मैं जहां था वहीं रह गया, आप मन्दोदरी हैं चाहे महाराज जो भी हो मन्दोदरी यही रहेगी इसमें कोई दो राय नहीं है।

श्री हुकुम सिंह-

बात कहीं थी, विषय कहीं था और यह इसको कहीं ले जा रहे हैं। यह विषय को हल्का करने का षडयंत्र है, जो सदैव प्रमोद जी ने किया है। मैंने एक महत्वपूर्ण सवाल उठाया था, समस्त विपक्ष ने मिलकर उठाया था उसको कैसे हल्का किया जाय उसका षडयंत्र प्रमोद जी ने किया है।

श्री अध्यक्ष-

वह अपनी बात कह रहे हैं।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं विषय को हल्का नहीं कर रहा हूं। मैं बताना चाहता हूं कि अगर उंगलियां उधर उठ रही हैं तो उंगलियां अपने ऊपर भी उठाने का साहस करो। यह तुम्हारी पैदाइश है जो यहां पर हो

रहा है उस दिन अगर आपने मूर्ति अपने समर्थन से नहीं लगायी होती 'सच्ची रामायण' आपने नहीं बिकवायी होती तो आज शायद इसकी आलोचना का अधिकार भी होता। पहली बार आप इसलिए कह रहे हैं, पहली बार 12 साल बाद इसलिए याद आया कि 12 साल में जब तीन बार बसपा की सरकार बनी तो तीनों बार आपकी गोद में बैठकर बसपा की सरकार बनी थी और आज जब पहली बार आपके समर्थन से बसपा की सरकार नहीं बनी है तो आपको 'सच्ची रामायण' याद आ रही है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, उस समय जब सरकार बनी थी तो समर्थन इन्होंने भी दिया था, हम राजनीति करते हैं तो समर्थन होता है। मान्यवर, आज कष्ट हो रहा है कि एक ऐसे विषय को जो हमारे राष्ट्रीयता से सम्बन्धित है, जो हमारी नैतिक मान्यताओं से सम्बन्धित है उस विषय को हल्का करने के लिए यह सब कर रहे हैं, अपनी विद्वता का यह परिचय दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं एक संरक्षण चाहता हूं, सब कह लिया, सबने सुन लिया अब मैं कह रहा हूं तो ऐसी कौन सी मिर्च लग रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष-

थोड़ा उठा-बैठा करिये दोनों तरफ।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, विधान सभा की कार्यवाही है, कहिये तो तारीख भी बता दूं मान्यवर, 50 मिनट से लगातार मुझे न बोलने देने की कोशिश हो रही है, प्रमोद तिवारी बोल रहे हैं, अभी 5 ही मिनट हुआ है, तब 50 मिनट हुआ था। मान्यवर, 26 जुलाई को मैं तारीख इसलिए पढ़ रहा हूं विधान सभा में कि 26 जुलाई को सरकार का हमारा समर्थन नहीं था। सरकार उसके पहले 2 जून को गिर गई थी, तारीख इसलिए पढ़नी पड़ी। मान्यवर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवर्तन चौक का शुभारम्भ किया गया, यह लखनऊ विकास प्राधिकण के सहयोग से बना है, जैसा कि अधिकारियों ने घोषणा की इसमें 42 लाख खर्च आयेगा। मान्यवर, हिन्दुस्तान का यह पहला चौक बन रहा है जिसमें ट्रान्सपोर्ट के सभी नियमों का उल्लंघन किया गया है, कई महापुरूषों की मूर्तियां लगेंगी। मान्यवर, अम्बेडकर जी की लगे, आदर करता हूं, गांधी जी की लगे, आदर करता हूं, पटेल जी की लगे आदर करता हूं, शाहू जी की लगे हमें कोई आपत्ति नहीं है मान्यवर, यह लक्ष्मण पार्क काटकर बनाया गया है, इस पर भी इनको आपत्ति नहीं है, मैंने आपत्ति की, लेकिन आज यहां हम उस बात को ले लाये जहां पर मैं इस बात को

कहना चाहता हूं मान्यवर, मैं सुबह परिवर्तन चौक देखने के लिए गया था, वहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि वहां पर पांच मूर्तियां लगेंगी, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं इस बात पर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं वहां पर पेरियार रामास्वामी नायकर जी की मूर्ति लगा रहे हैं। इनको शायद थोड़े ही सदस्य जानते होंगे, यह रामास्वामी वही हैं जिन्होंने स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में तामिलनाडु की धरती को खून से रंग दिया गया था। भगवान राम और सीता की मूर्तियों को जूतों से मारा जाता था। रामायण को जलाया जाता था, उनको अपमानित किया जाता था, तमाम इस तरह के नारे इनके द्वारा लगाये जाते थे, ऐसे भाषण होते थे जिनमें भगवान राम को गाली दी जाती थी। मां सीता जिनकी हम सब लोग पूजा करते थे उनके बारे में कहा जाता था कि सीता रावण के साथ भाग गई। उस समय स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने दृढ़ता दिखाई और भारतीय जनसंघ ने जो आन्दोलन चलाया किसी तरह 6 साल बाद आन्दोलन वह थम पाया था। उस आन्दोलन में करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ। राजकीय बसें तोड़ी गईं। मान्यवर, आगे भी मैंने कहा है, पेरियार अपने हिन्दी विरोधी आन्दोलन के कारण प्रसिद्ध थे, आज उनकी मूर्ति को लक्ष्मण पार्क को तोड़कर उस जगह पर लगाया जा रहा है यह भी किसी संगठन की ओर से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्य किया जा रहा है उस सरकार की ओर से जिसे 186 की भारतीय जनता पार्टी सदस्य संख्या वाली ने 69 बसपा के सदस्यों को समर्थन दे रखा था। उस समय तो पेरियार की मूर्ति लगा रहे थे आज पेरियार के साहित्य पर आपत्ति कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

यह गलत है, उस समय मूर्ति नहीं लगी थी।

श्री प्रमोद तिवारी-

मुझे दुःख इस बात का है कि जो भगवान राम का पुजारी होने का ढोंग करते हैं वह भगवान राम के व्यापारी हो गये मैं नहीं कह रहा हूं मान्यवर, यह कार्यवाही कह रही है। अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी का नाम नहीं लिया है मान्यवर, जो भगवान राम के पुजारी थे, वह सत्ता की मदिरा के नशे में चूर होकर मौजूदा सरकार के चरण चुम्बन में मशगूल हैं और भगवान राम के विरोधी की मूर्ति लगवाने पर अपना समर्थन दे रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? राम का नारा लेकर लड़ने वाले लोग आज भगवान राम के विरोधी की मूर्ति लगवाने जा रहे हैं, सरकार इजाजत दे रही है कि भगवान राम के विरोधी की मूर्ति लगवाने जा रहे हैं, असलियत आज यह है कि वह सरकार को इजाजत दे रही है कि भगवान राम के विरोधी की मूर्ति लगाये आज यह लोग उनके साथ बैठे हैं मान्यवर, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता है। हिन्दी भाषा का विरोध करने वाले और भगवान राम का विरोध करने वाले लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। मान्यवर, अब उसके बाद चूंकि वह स्वर्गीय हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वह मैं नहीं कहूंगा, राजेन्द्र गुप्त जी ने, वह कार्यवाहक नेता थे उन्होंने मुझे बहुत-कुछ कहा इसमें, वह मैं नहीं कहना चाहता हूं।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं बता दो, क्या कहा था, उन्होंने। ठीक ही कहा होगा, जो कुछ कहा होगा उन्होंने।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आप कह रहे हैं इसलिए मैं पढ़ दे रहा हूं तो इनके एक मुख्य प्रवक्ता हैं जिनका नाम शायद हृदय नारायण दीक्षित है अगर नाम भूल नहीं रहा हूं, उस समय जो कहा था, वह सुन लीजिए, ''हमारा ख्याल है कि सामाजिक परिवर्तन के प्रवेश में तिवारी जी का सहयोग होना चाहिए'' वह मुझको शिक्षा दे रहे थे।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस विषय को आज भारतीय जनता पार्टी दल ने यहां उठाया है। आप माननीय प्रमोद जी जो कह रहे हैं वह इस विषय की महत्ता को गिरा रहे हैं-या बढ़ा रहे हैं ? आप देखें, इस महत्वपूर्ण विषय पर भी राजनीतिक हित और स्वार्थ निकाला जा रहा है। मैं स्वीकार करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय यह बहुत सारी गलतियां की होंगी। यह विषय ओम प्रकाश सिंह के संज्ञान में इस घटना के बाद आया। आज शुरू में इसे हमने उठाया है हमारी पार्टी ने उठाया है और यह हमारा भाग्य है कि इस पर सब लोगों ने अपना समर्थन व्यक्त किया है। सब जनों ने हमारी भावना के अनुसार इसे यहां उठाया है। भारतीय जनता पार्टी ने उस समय क्या किया आप उस पर न जायें। यह बहुत ही गम्भीर विषय है इसको इस तरह की राजनीति से जोड़ देना यह कहां तक उचित है ?

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को बधाई देना चाहता हूं कि यह विषय जो वह लाये हैं, मेरा सिर्फ यह कहना है कि यह आपत्ति तो हमारे लोग भी लगा सकते हैं। यह वातावरण हम भी बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है। सच्चाई पूरी तरह से सामने आये। आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय तमाम गलतियां की होंगी। आज यह बहुत अच्छा कर रहे हैं। कल कोई दूसरा आयेगा वह कहेगा कि इन्होंने गलतियां की हैं। सवाल सिर्फ यह है कि अगर आज यह 'सच्ची रामायण' मानते हैं तो उसमें बराबर की दोषी आप भी हैं। आप स्वीकार कर लीजिये मैं आपकी आलोचना करना बंद कर दूंगा। (कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा मेजों की थपथपाहट)। मेरा ख्याल है कि भारतीय जनता पार्टी ने यह सब गलतियां की थीं आज यह सही है। कल इनकी जगह कोई आयेगा तो वह खड़ा होकर कहेगा कि आज हम सही हैं कल जो हुआ था वह गलत था। इसमें आगे लिखा है कि ''सामाजिक परिवर्तन की दिशा में तिवारी जी का सहयोग होना चाहिये। तिवारी जी अगर इस सामाजिक परिवर्तन के विचारधारा से सहमत न भी हों तो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, कोई संगठन हो, कोई राजनीतिक दल हो सामाजिक परिवर्तन की यह जो आंधी चली है जो भी उससे असहमत होगा इस सामाजिक परिवर्तन की आंधी में उखड़ जायेगा और किनारे पर पड़ा

होगा।" मान्यवर, हम भी खड़े हैं, आप भी खड़े हैं, किया आपने और भोगा सबने। मान्यवर, इन्होंने मुझसे कहा कि "सारी मूर्तियों में तत्व ज्ञान समाहित है। चाहे राम हों, चाहे कृष्ण हों, चाहे तिवारी जी हों चाहे गुप्त जी हों और चाहे हृदय नारायण जी ही हों, जब हम किसी को देखें तो उस तत्वज्ञान को देखें जिनको हम महापुरुषों ने समाज में प्रचारित किया है।" इसमें आगे संस्कृत में लिखा है-"ईसावास्यमिदे सर्व यत् किंचित जगत्याम जगत्।" फिर आगे है-"हम राम को देखें या कृष्ण को देखें या पेरियार को देखें हमें उनको देख कर इनके आगे बियान्ड सोचना चाहिये और उस तत्व दर्शन को देखना चाहिये जो इन महापुरुषों ने दिया है।" मान्यवर, आप देखें जब सत्ता में यह भागीदार थे तो राम, कृष्ण के साथ पेरियार को खड़ा कर दिया और आज सत्ता से बाहर हैं तो यह बात कह रहे हैं तो यह दोहरा चेहरा नहीं चलेगा। हमने इसका विरोध किया था, उस सच्ची रामायण का विरोध कर रहे थे। आपने उस समय उस 'सच्ची रामायण' का समर्थन किया था और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो उसका विरोध कर रहे हैं। मैं माननीय ओम प्रकाश सिंह जी को बधाई दे रहा हूं कि 12 साल के बाद इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने उस समय गलतियां की थीं और इन्होंने उसे ठीक करने का प्रयास किया है। मान्यवर, यह कार्यवाही है और मैं यह आपको दे रहा हूं।

मान्यवर, इन्होंने जो मुझे भेजा वह मैंने ले लिया और जो मैं दे रहा हूं वह नहीं लेंगे। मान्यवर, मेरा सिर्फ यह कहने का मतलब है और मैं इसे सारांश में लाते हुये, कल भी कांग्रेस पार्टी किसी भी आपत्तिजनक साहित्य का जो भगवान राम, भगवान कृष्ण या जैन तीर्थ के लिये या सिक्ख तीर्थ के लिये या इस्लाम के खिलाफ थी हम उसका विरोध करते थे, आज भी विरोध करते हैं। आज भी 'प्रेरक प्रसंग' का जिक्र आया है हजरत साहब के खिलाफ जिनका चित्र प्रकाशित हुआ जो नहीं होना चाहिये। मूर्ति पूजा इस्लाम में नहीं मानी जाती है हम आज उसका सख्त विरोध करते हैं लेकिन इतना ही कहना चाहते हैं, हमें जो कहना चाहें कह लीजिये जितनी गाली देना चाहें दे लीजिये जितनी चाहे सजा दे दीजिये लेकिन इतना स्वीकार कर लीजिये इमानदारी के साथ कि जिस बबूल के कांटे आज आपको चुभ रहे हैं उस बबूल को खाद पानी देकर आपने जिन्दा किया है, पैदा किया है इसके आरोपी आप हैं। आज मैं फिर अनुरोध करते हुये कि किसी भी तरह से इस पुस्तक का प्रसारण रोका जाना चाहिये और अगर सरकार इस पुस्तक के प्रसारण की इजाजत देती है तो जो भी हिंसा होगी उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अगर कोई भी प्रसारण होता है और उसके बाद कोई स्थिति होती है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी, सरकार को इसको रोकना चाहिये। मैं अपने कर्तव्य का पालन करता हूं।

(कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब इस पर कोई चर्चा नहीं होगी।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, थोड़ा धीरज रखिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 'सच्ची रामायण' यह जिसकी भी लिखी हो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता। यह किसी दल से सम्बन्धित नहीं है। मैंने शुरू में ही कहा था यह हमारी भारतीय संस्कृति पर केवल हमारे भारत के लोगों की संस्कृति नहीं बहुत सारे विश्व में बैठे हुए लोग हैं। आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से दशहरा अमेरिका में मनाया गया। किस तरह से विजय दशमी लन्दन के अलावा अन्य शहरों में मनाई गयी, सारे विश्व में मनाई गयी है। इसलिए यह सवाल किसी दल का नहीं है। यह हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। जो हमारे कृष्ण और राम आदर्श हैं इसको मिटाने के बाद हमारी संस्कृति नहीं रह सकती है। अगर देश को बरबाद करना, गुलाम बनाना है तो उसकी मातृभाषा उसकी संस्कृति को नष्ट करिये। यह सवाल आज है इसको बचाना है। अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बता दें कि क्या हमारी बात से आप सहमत नहीं होंगे ? अब मैं माननीय प्रमोद तिवारी से भी कहूंगा कि कहीं न कहीं इस स्थिति से हम भी जिम्मेदार, आप भी जिम्मेदार, यह बहुत बड़ी कहानी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम इस पर कहेंगे कि यहां पर बहुजन समाज पार्टी के लोग बैठे हैं मुझे लगता है कि हमारी बात से शायद ही कोई असहमत होगा जो राम को, कृष्ण को, हनुमान को, सीता जी को न मानता हो, शायद ही हो अगर होगा तो एक भी खड़ा होकर कह दे कि हम इससे सहमत नहीं हैं। यह सवाल आज है। आप भी असहमत नहीं हो सकते क्योंकि तुलसीदास जी पर हमला हो गया, ऋषि वाल्मीकि पर भी हो गया उन्होंने भी रामायण को, राम कथा को अपनी भाषा में अपनी दृष्टि से लिखा है और उसके बाद तुलसीदास जी ने लिखा है तो तुलसीदास जी महाकवि जो रचयिता हैं रामायण के और रामायण मेला हम समाजवादियों ने आरम्भ किया चित्रकूट में। डा0 राम मनोहर लोहिया की विचारधारा थी उसके बाद राजनारायण जी ने और उसके बाद हमारे अन्य नेताओं ने भी और 4 बार हमने भी रामायण मेला की शुरुआत की और वहां पर मुझे खुशी है कि महामहिम राज्यपाल मोतीलाल वोरा जी, जो सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य नहीं, नेता थे वह पहले नेता थे जिन्होंने डा0 राम मनोहर लोहिया पर दबाव देकर कभी भी किसी का लोकार्पण तो करते थे लेकिन किसी भी प्रतिमा का अनावरण नहीं करते थे, उन्होंने गांधी जी की प्रतिमा का भी अनावरण करा लिया था मोतीलाल वोरा जी से। उनका पूरा सहयोग रहा, उसी का परिणाम है कि हमने एक सभागार रामायण मेला के लिये बनाया है और वहीं पर एक अतिथि गृह भी बहुत अच्छा बनाया है। दो साल पहले हम वहां पर 5 दिन लगातार रहे। जो कमियां देखी थीं उन कमियों को अतिथि गृह में और सभागार में भी ठीक कराया और उसको अच्छा सा बनाया और सब सुविधायें दीं। अब रामायण मेला लगता है, कैसा लगता है, वह अलग बात है। रामायण मेला होता ही नहीं है। वहां बड़े-बड़े संत, बड़े-बड़े ऋषि, बड़े-बड़े विद्वान, महापण्डित इकट्ठे होते थे। डा0 राम मनोहर लोहिया जी की दृष्टि थी कि सारे विश्व के लोग रामायण की समीक्षा करें। क्योंकि रामायण ऐसा ग्रन्थ है, जिसमें हर पहलू पर लिखा गया है। उसमें तो यहां तक है कि जब रामायण शुरू की है तो जितने राक्षस थे उनको भी नमन किया है। हमारे जीवन से सम्बन्धित, हमारे समाज से सम्बन्धित, हमारे आर्थिक जीवन से सम्बन्धित और हम जनता के लिये क्या दृष्टि रखें, यह सब चीजें रामायण में हैं तो जो अमर ग्रन्थ है पूरे विश्व का, हर भाषा में उसका अनुवाद किया गया है। आज गीता, कुरान और रामायण इनकी कोई भी, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। आज राम को पंजाब के सिख अपनी भाषा में कीर्तन करते हैं मैंने तो सुना है। अन्य

धर्म के मानने वाले भी चाहे हों, मैं तो कहूंगा कि माइनारिटी के लोग भी राम के सम्बन्ध में अच्छा बोलते हैं। कई कवियों, शायर और साहित्यकारों को मैंने मंचों से सुना है। मुसलमानों ने किस तरह से राम का वर्णन किया है, कृष्ण का वर्णन किया है, हमारे सैफई में भी किया है। हजरत साहब का भी हम लोग आदर करते हैं यदि नहीं करते तो फिर क्यों जाते हैं ईद के लिये वहां। हर दल के लोग क्यों जाते हैं ? तो यह आज हमारी जो सामाजिक एकता है, राष्ट्रीय एकता है, यह उससे जुड़ा सवाल है। यह हम आज बताना चाहते हैं कि कहीं इसके गम्भीर परिणाम न हो जायें समाज के बीच जब यह बात जायेगी तो यहां जितने बैठे लोग हैं, इनकी हिम्मत नहीं होगी। इसलिये इन्हें यहां खड़े होकर बोलना चाहिये कि तत्काल इसकी जरूरत नहीं है और हम इस पर प्रतिबन्ध लगाते हैं। प्रतिमा का समाजवादी पार्टी ने बहुत विरोध किया था, जहां सुभाष चन्द्र बोस उसकी बगल में है। क्या समाज में सुभाष चन्द्र बोस से ही तुलना की जा सकती है। इसलिये उसका विरोध किया था और आज हम कहना चाहते हैं कि सत्ता के लालच में हम समाजवादी लोग कभी नहीं रहे।

सत्ता के लालच में होते तो प्रमोद तिवारी जी की बात मान लेते। चुनाव में जो परिणाम आये हैं, हम उस पर नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि जनता ने हमें पहले से ज्यादा वोट दिया है, हमें जनता ने नहीं नकारा है। संसदीय कार्य मंत्री जी तो कह देंगे कि हमें बी0एस0पी0 के नेताओं ने, मुख्य मंत्री ने और काशीराम ने बढ़ाया है। मैं तो इसलिए नहीं कह रहा था कि नौजवान हैं आप, क्यों आपका मनोबल तोड़ें। एम0एल0सी0 नहीं बनाया था, तब थी यह बी0एस0पी0 क्या ? मैं पूछना चाहता हूं कि यूथ का अध्यक्ष आपको बनाने के लिए मैंने कितनी मेहनत की थी। आप कहां गये थे और मैंने कहा था कि 15 दिन के अन्दर आ जाना क्या आपको पता नहीं कि सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया था कि कहां यह जूनियर ला करके खड़ा कर दिया है, मैं सीनियर हूं, इनकी अध्यक्षता में कैसे रहें। मैं कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, इस कुर्सी पर रह करके मा0 पुरुषोत्तम दास टण्डन अमर रहे हैं, स्पीकर बहुत रहे हैं, नजीरे दे सकते हैं आप, वह स्थान आपका है, आपको पहल करनी चाहिए। बहस की आवश्यकता ही नहीं थी, आप केवल एम0एल0ए0 जीतने के लिए परेशान हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एम0एल0ए0 तो आपको हमारी पार्टी जीता सकती है, नहीं तो राज्य सभा में भेज देंगे। अगर यही लालच है तो बताओ, हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम सलाह दे रहे हैं कि आप भी पुरुषोत्तम दास टण्डन की तरह से हिम्मत कीजिए और बहुत से ऐसे काम हुए हैं, जिनकी आप स्वीकृति कैसे दे देते हैं ? राज्यपाल जी को समझायेंगे, पता नहीं प्रमोद जी समझायेंगे कि नहीं समझायेंगे, बहुत से ऐसे विधेयक हैं, जिनका हम विरोध करेंगे और राज्यपाल जी से मिलेंगे भी। नहीं राज्यपाल जी मिलेंगे तो राष्ट्रपति जी से मिलेंगे, आपसे बहस करेंगे, भारत के गृह मंत्री जी से मिलेंगे, प्रधान मंत्री जी से भी मिलेंगे। यह दुनिया में जो नहीं हो रहा है, वह करने जा रहे हैं। कैसे उम्मीद करते हो प्रमोद जी, गांधी जी को इसी पार्टी के लोगों ने रौंदा था जूतों से, इसी पार्टी के लोगों ने, बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने और अभी तत्काल बयान दिया है कि गांधी जी ने जाति-पाँति का भेद किया, जिनकी बदौलत आरक्षण पाया है। यह गांधी जी को रौंद रहे हैं, गांधी जी को जूतों से रौंद रहे हैं, सारे देश के अन्दर प्रतिक्रिया हुई थी उस समय आपको याद हो या न हो। इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है, यह लोग क्या समाज की एकता का ध्यान रखेंगे। अभी जो बैठे लोग हैं एम0एल0ए0 हैं

इसलिए निष्ठा दिखाते हैं, एम0एल0ए0 न रहेंगे, मुख्य मंत्री नहीं रहेंगे, नेता विरोधी दल भी नहीं रहेंगे तो मैं कहना चाहता हूं कि इतिहास अभी नहीं लिखा जाता है, इतिहास सौ-दो सौ-तीन सौ साल बाद लिखा जाता है। इसलिए आज हम कहना चाहते हैं प्रमोद तिवारी जी, हमारी सरकार गिरी थी या बर्खास्त हुई थी। हमने कहा था कि 48 घण्टे का समय दे दो, बहुमत सिद्ध कर देंगे। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट के कई जजेज का बेंच बड़ी देर तक फैसला करता रहा जब इस तरह से सवाल उठा था बोम्मई का, बोम्मई वहां पर थे मुख्य मंत्री। हमारी सरकार के लिए मैंने कहा था कि केवल 48 घण्टे का समय दे दीजिए मैंने मोतीलाल वोरा जी से कहा था, बहुमत सिद्ध नहीं हो पायेगा तो गिर जायेगी। सरकार, बर्खास्त क्यों करोगे, हमारी सरकार को बर्खास्त किया था। उस समय जब केन्द्र से वोरा जी से कहा गया था कि मुलायम सिंह को समय दे दिया जाए तो उन्होंने कहाकि साहब बहुमत हो जाएगा। इतने महत्वपूर्ण सवाल पर राजनीति नहीं करना चाहिए, राजनीति हमने की है, इनके साथ लेकिन इस सवाल पर नहीं कर सकते क्योंकि यह सवाल देश से जुड़ा हुआ है, यह सवाल जन-जन से जुड़ा हुआ है। अभी दीपावली आ रही है, यह त्योहार, किसानों व्यापारियों की समृद्धि के लिए है लेकिन यह भी एक जगह लिखा हुआ है कि इसके कारण भी दीवाली मनायी जाती है जब राम जीत करके आये थे।

अयोध्या में जीत करके आये थे, क्या आप इस त्योहार को खत्म कर देंगे, आप क्या विजयादशमी को खत्म कर देंगे ? क्या दीपावली को खत्म करेंगे आप ? दीवाली की छुट्टियां क्यों मना रहे हैं, रोशनी क्यों की जायेगी, असेम्बली के आस-पास ? यह सवाल आज है। हम केवल बी0जे0पी0, कांग्रेस और बी0एस0पी0 से ही नहीं, सारे सदन से अपील करना चाहता हूं इस सवाल पर कि सब एक हो जाएं (समाजवादी पार्टी के मा0 सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) और सच्ची रामायण पर तत्काल प्रतिबन्ध लगाइये साथ ही साथ सजा का प्रावधान भी हो चाहे बेचने वाला हो या पढ़ने वाला हो। मान्यवर, यह राजनीतिक सवाल नहीं है। मुझे विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी के लोग भी इस बात से सहमत होंगे। हनुमान जी का अपमान करेंगे अनन्त मिश्रा जी, आपने अपने घर ले जाकर मुझे मूर्तियों की पूजा करवायी थी, दर्शन करवाये थे, अब हटा दोगे क्या ? मैं अनन्त मिश्रा जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मिश्रा जी की आस्था है, भगवान राम में, जिनकी आस्था नहीं है बता दें कि आस्था नहीं है। मैं समझूं कि राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, शिवजी के प्रति या हनुमान जी के प्रति किसकी आस्था नहीं है ? मैं हनुमान जी का भक्त हूं, राम जी का भी हूं, उनके आदर्शों को मानता हूं, हमारे समाजवादियों ने सबको माना है, जैन धर्म, बौद्ध धर्म को भी माना है, गांधी जी को माना है और सबका निचोड़ ले करके अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को देखते हुए लोकतांत्रिक समाजवाद की परिकल्पना की। इसलिए हम चाहते हैं कि अध्यक्ष महोदय, कोई संसदीय कार्य मंत्री जी का जवाब नहीं सुनना चाहते। यह मौका परीक्षा की घड़ियां अध्यक्ष महोदय, जीवन में कभी-कभी आया करती है, इसे गम्भीरता से लिया जाए, यह गम्भीर सवाल है इस गम्भीर सवाल को उठाना चाहता हूं यह यही नहीं रहेगा, सदन हमारे प्रदेश की जनता की दर्पण है और यह पूरा का पूरा प्रचार होगा, बिना राजनीति किये हुए अगर यह करेंगे तो कोई समाज का व्यक्ति नहीं है जो खड़ा नहीं होगा। इसके क्या गम्भीर परिणाम होंगे। इसको सोचते हुए आप ही फैसला कीजिए, इनसे कोई उम्मीद नहीं है और एक तरह से सच बात है कि ये लालची हैं। मैं सदन में असंसदीय भाषा नहीं कहूंगा। हम लोगों ने सत्ता के लिए

कभी भी लालच नहीं किया। अभी आप जयललिता जी से जाकर पूछिये, उसमें बी0जे0पी0 के लोग थे कि क्या हमको प्रधान मंत्री बनाने के लिए नहीं गये थे, आपके बहुत बड़े दो नेता थे। राष्ट्रपति के चुनाव को ले करके सोचो, जयललिता जी थीं, चन्द्रबाबू नायडू जी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे, हम थे, असम में विपक्ष के नेता गोस्वामी जी थे, भूतपूर्व मुख्य मंत्री फारुख अब्दुल्ला जी थे, इनके सामने प्रधान मंत्री पद का निमंत्रण ले करके गये थे सोचिये आप, जैसे ही मुझसे पूछा गया एक सेकेण्ड भी इंतजार नहीं किया और मैंने कह दिया कि ऐसा प्रधान मंत्री मुझे स्वीकार नहीं है। मुझे ऐसा मत समझ लेना कि मैं सत्ता या पद का लालची हूं, मैं बार-बार कहता हूं कि चाहे स्पीकर, मुख्य मंत्री या प्रधान मंत्री का पद हो, कोई भी पद अमर नहीं है, अमर वह है जो देश की जनता के प्रति कुछ करके जाता है। हम आपसे अपील कर सकते हैं, इनसे मुझे कोई भरोसा नहीं है अगर यह कर भी देंगे तो बोलेंगे वही भाषा, प्रतिबन्ध लगाने के बाद किताब पर बोलेंगे वही भाषा, गांधी जी को वही गाली देंगे जिनकी बदौलत हम लोग यहां बैठे हैं। किनकी बदौलत हम यहां बैठे हैं ? हम यहां महात्मा गांधी की बदौलत बैठे हैं। सारी दुनिया आज गांधी जी के आदर्शों पर चलने का प्रयास कर रही है। दुनियां का कोई ऐसा देश नहीं है जो गांधी जी के आदर्शों पर न चलना चाहता हो। आज मृत्यु दण्ड के बारे में सारी दुनियां में बहस हो रही है कि यह बन्द होना चाहिए लेकिन यहां मृत्यु दण्ड का कानून लाया जायेगा। इनसे तो हम कोई उम्मीद नहीं करते हैं लेकिन अध्यक्ष महोदय आपसे हमारी उम्मीदें हैं। ऐसे अवसर बार-बार नहीं आते हैं। परीक्षा की घड़ियां जीवन में कभी-कभी आया करती हैं उनमें जो खरा उतरता है वही इन्सान बाद में पूजा जाता है। अध्यक्ष महोदय, हम आपसे अपील करते हैं कि इस किताब पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए सरकार को निर्देशित करें।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, इस विषय की ग्राह्यता पर कई नेतागण बोल चुके हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, मैं केवल दो बातें रखना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मैं बैठा नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

ओम प्रकाश सिंह जी आप ग्राह्यता पर अपने विचार रख चुके हैं। दलीय नेताओं ने भी अपने विचार रखे हैं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय तिवारी जी ने इस राष्ट्रीय मुद्दे, सर्वजन और राष्ट्रीय संस्कृति के विषय पर अपने विचार रखे, समर्थन किया इसके लिए मैं दोनों का आभारी हूं और धन्यवाद भी करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर आपके भी विचार आने चाहिए। इस पर सभी विपक्ष ने अपनी बात रखी है इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर नेता सदन के भी विचार आने चाहिए चाहे इसके लिए आप पांच बजे का समय नियत कर दें कि उस समय नेता सदन इस पर उत्तर देंगी। आप हम सब की भावनाओं से उनको अवगत करा दें।

उनके भी विचार आने चाहिए यही मेरा आग्रह है। आप सदन की निष्पक्ष सीट पर बैठे हैं इसलिए इस पर आपके भी विचार आ जाएं। यही मेरा अनुरोध है।

* श्री लाल जी टण्डन-

अध्यक्ष महोदय, हमारे जितने भी धार्मिक या आध्यात्मिक ग्रन्थ हैं मुंढे-मुंढे मर्ति भिन्नः हर आदमी के अपने-अपने विचार हैं। "एको ब्रह्म बिप्रः बहुधा वदन्ति।" सत्य एक ही है लेकिन उसको अलग-अलग तरह से लोग बताते हैं। उसका प्रमाण भी है जिस समय वेदों की रचना हो रही थी एक व्यक्ति जिसका नाम चार्वाक था वह बाहर खड़ा होकर कह रहा था कि "यावत जीवेत सुखम् जीवेत श्रणम् कृत्वा घृतम पीवेत्।" जो भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा है उसके विरोध में वह बोलता था कर्ज लेकर घी पीने की बात करता था और कहता था कि जीवन दुबारा नहीं मिलता लेकिन उसको भी ऋषि माना गया यह हमारी संस्कृति है कि किसी के कुछ भी विचार हों उसको मानें या न मानें लेकिन भाषा और तथ्य का ध्यान रखना चाहिए जिससे यह समाज जुड़ा है। मान्यवर, प्रमोद तिवारी जी के लिए कभी सरकार बदलती नहीं है। कोई सरकार होती है सबसे पहले यह जाकर समर्थन लिखकर दे आते हैं बाद में जब डांट पड़ती है ते दूसरी बात कहते हैं लेकिन सदन में फिर उसी सरकार की खड़े होकर वकालत करते रहते हैं। जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी तब उनकी वकालत करते रहते थे आज इनकी वकालत कर रहे हैं।

प्रमोद जी के बारे में तो सब जानते हैं कि यह अनूठा व्यक्तित्व है इस सदन का। मैं यह कह रहा था कि अपने-अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार होने के बावजूद किसी की आस्था और समाज को जोड़ने वाले जो तत्व हैं, उनके ऊपर प्रहार करने वाले आदमी हैं उनको समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जब बजट पेश हुआ था उस समय मैंने पहली बार यह पढ़ा था कि इस सरकार के जो प्रेरणा स्रोत हैं उसमें पेरियार का भी नाम था। प्रोसीडिंग में नोट होगा। मैं उनकी तरह प्रोसीडिंग लेकर घूमता नहीं हूं कि पढ़कर सुना दूं। मैंने उसी समय कहा था कि जिस व्यक्ति ने हिन्दी विरोधी, धर्म विरोधी आन्दोलन, हमारे देवी देवताओं का अपमान, जिसने देश को उत्तर दक्षिण में तोड़ने का अभियान चलाया। जिसने आर्य और द्रविड़ शब्दों का गठन किया ऐसे आदमी और मुझे नहीं पता कि इन्हें पता है कि नहीं इनके मित्र जो यहां पर सोशल केमेस्ट्री की बात कर रहे हैं उनका दक्षिण भारत में सर्वनाश कर दिया। समाज को इस तरह से तोड़ने वाले आदमी और उसकी अगर इस तरह खुली पुस्तक बिके जिसने हिन्दी का विरोध किया हो और हिन्दी को गालियां देने वाली जो किताब है वह यहां पर बिके। हिन्दी भाषियों को डुब कर मर जाना चाहिए। मान्यवर, क्या है। मैं नेता विरोधी दल से सहमति व्यक्त करता हूं। अरे हमारे नेताओं को छोड़ दीजिये। जिन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान का आइडिया जिनके दिमाग में आ गया था बड़े देशभक्त थे वो लेकिन पाकिस्तान के विभाजन के बाद दिमाग में आया अल्लामा इकबाल उन्होंने भी अपनी शायरी में कहा है कि इमामे हिन्द है राम। मान्यवर, कितने लोग ऐसे हैं जिनके लिये राम आदर्श है प्रेरक है। बाल्मीकि रामायण में एक जगह वर्णन आता है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

टण्डन जी अब आ गया।

श्री लालजी टण्डन-

मान्यवर, आपने सबको समय दिया है। मुझे भी समय दें। मैं आपका अनुशासन मानता हूं तो इसलिये आप मुझे इस पर विवश न करें कि मैं आपका अनुशासन तोड़ूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसकी उम्मीद नहीं रखता हूं।

श्री लालजी टण्डन-

तो मान्यवर, एक ऐसा महान व्यक्ति जब लंका विजय करके लंका के किले पर राम और लक्ष्मण दोनों भ्रमण कर रहे थे तो राम के मन में विचार था कि जल्दी ही अयोध्या पहुंचे। लक्ष्मण ने कहा कि भाई यह देखो सोने की लंका कितनी सुन्दर है। कुछ दिन यहां रह लें तो राम ने कहा। ''स्वर्णमयी लंका न कामये लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी।'' राम ने यह कहा कि यह सोने की लंका प्राप्त करना मेरा लक्ष्य नहीं था। मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर चुका। मेरा लक्ष्य दुष्टों का विनाश करना था। अब मुझे अपनी जननी जन्म भूमि जो स्वर्ग से भी महान है याद आ रही है। मैं जल्द से जल्द वहां जाना चाहता हूं। मान्यवर, उस महान पुरुष जो मर्यादा पुरुषोत्तम जिसको सबने कहा। हालांकि एक पंथ पेरियार का भी है जिसने अपने जीवन के अंतिम काल में उन्होंने तमिल के महाकवि थे कम्ब-कम्ब ने रामायण लिखी थी। कम्ब की रामायण को पढ़ने के बाद उनके विचारों में परिवर्तन आया। लेकिन अगर एक बार ब्रह्मा की तरह मुंह से निकल जाता है तो फिर बाहर से वापस तो नहीं आता। जो निकल गया वो निकल गया तो जो यह जो है उत्तर प्रदेश में मैं चाहता हूं कि सरकार ने जो ''सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्वधर्म सुखाय'' जो शब्द गढ़े गये हैं। जो यर्थाथ में कहीं नहीं है। उसे अगर कहीं जरा सी भी उसमें आस्था है तो इसके ऊपर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। ताकि और किताबें बरामद न हो।

(संसदीय कार्य मंत्री जी के पुकारे जाने एवं श्री अम्बिका चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष बोल लिए आप सबकी बात आ गई है। अब आप बैठें सब दल के नेताओं की बात आ गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हमारी पार्टी और हमारी सरकार सभी धर्मों के गुरुओं संतों एवं महापुरुषों का आदर और सम्मान करती है।

श्री प्रमोद तिवारी-

आपकी सरकार...

श्री लालजी वर्मा-

मैं बता रहा हूं। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं हमारी पार्टी और हमारी सरकार सभी धर्मों के गुरुओं और संतों, महापुरुषों का आदर और सम्मान करती है।

(मेजें थपथपाई गईं)

हमारी पार्टी का सामाजिक और राजनैतिक मिशन बी0जे0पी0 और अन्य पार्टियों की तरह समाज को जाति या धर्म पर बांटने का नहीं है बल्कि सर्वजन और सर्वसमाज को जोड़कर उनमें आपसी भाईचारा पैदा करके अपने प्रदेश और पूरे देश में एक समतामूलक सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का है, इसी बात को ध्यान में रखकर मान्यवर, हमारी पार्टी ने अपने चारों शासनकाल के दौरान प्रदेश में किसी भी देवी, देवता संत, गुरु या महापुरुषों के नाम पर कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसको लेकर समाज में टकराव की स्थिति पैदा हो जाए और प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ जाए। जहां तक इस प्रकरण का सवाल है "सच्ची रामायण" के सम्बन्ध में मान्यवर, मुझे बड़ा तरस आया भारतीय जनता पार्टी के नेता ओम प्रकाश जी पर, मुझे तरस आया प्रमोद तिवारी जी के ऊपर भी और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष पर भी ...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

अरे बैठ जाइए। इतना चलता है। क्या बुरा कह दिया है। यह कहा है कि तरस आता है।

श्री लालजी वर्मा-

पूरी बात तो सुन लीजिए किस बात पर कहा।

श्री अध्यक्ष-

चौधरी साहब किस परिप्रेक्ष्य में कहा सुन तो लीजिए। मैं दिखवा लूंगा। हल्ला-गुल्ला से सुनाई नहीं पड़ेगा।

श्री लालजी वर्मा-

अगर कोई बात आपको कष्टदायी लगी हो तो कह देता हूं। आप बैठ जाइए।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष का आदर करता हूं सम्मान करता हूं। मान्यवर, मुझे इस बात पर कि इन तीनों पार्टियों की सरकार प्रदेश में भी रही और देश में भी रही। मान्यवर, यह आज का प्रकरण नहीं है। "सच्ची रामायण" आज नहीं लिखी गई।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

इनकी बात भी सुन लें।

(समाजवादी पार्टी के कुछ सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप उनकी भी बात सुन लीजिए। आपने सब कुछ कहा है, अब आप उनकी बात भी सुन लीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कहा है कि तरस आता है, मैं उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, तीनों ही राजनीतिक पार्टियों की सरकार प्रदेश और केन्द्र में रही है।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

यदि संसदीय कार्य मंत्री की किसी बात से आपको तकलीफ हुई है तो मैं दिखवा लूंगा। अब उनकी बात भी सुन लें। हो सकता है, कोई शब्द आपको कड़ुवा लगा हो, यदि कोई ऐसा शब्द होगा तो मैं उसे कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैंने पहले ही कह दिया है कि मैंने कोई असम्मान की नीयत से कोई शब्द नहीं कहा है, मैं नेता प्रतिपक्ष का सम्मान करता हूं। मान्यवर, तीनों राजनीतिक पार्टियों की केन्द्र और प्रदेश में सरकार रही है। सच्ची रामायण कहां पर लिखी गयी, कब लिखी गयी ? इसका प्रकाशन, जैसा अभी मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ने बताया कि दिल्ली और पटना से हुआ, 2007 में इसका अनुवाद हुआ। दिल्ली में किसकी सरकार है, प्रमोद तिवारी जी ? पटना में किसकी सरकार है, मा0 ओम प्रकाश सिंह जी ?

(सत्तापक्ष की ओर से मेजें थपथपाई गईं)

श्री लालजी वर्मा-

दिल्ली में आज भी किसकी सरकार है ? अगर इतनी ही चिन्ता इस विषय पर होती तो दिल्ली में बैठी हुई केन्द्र की सरकार को इस पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए था। आज तक किसी ने भी इसके लिए प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता नहीं समझी, जब प्रदेश की जनता ने प्रदेश को बांटने की तमाम तरीके की साजिश को, प्रदेश की महान जनता ने नकारने का काम किया, तब आपने नए मुद्दे को गढ़ने का काम किया है। निश्चित तौर पर वह महापुरुष जो भी हैं, जिन्होंने समाज के लिए कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया है तो जो उनके अच्छे कार्य हैं, उनका समर्थन, इज्जत और सम्मान करते हैं। वह व्यक्ति कौन है, कैसा है, उसके अच्छे कार्यों की हम प्रशंसा करते हैं, उसकी हम इज्जत करते हैं। मान्यवर, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय।

(विपक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, हर व्यक्ति और महापुरुष के अच्छे कार्यों का हम समर्थन करते हैं और उसका हम सम्मान करते हैं। अगर समाज को बांटने के लिए किसी ने भी कुछ किया है तो हम उसका समर्थन नहीं करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

बीच में इन्होंने नहीं बोला, आपकी किसी बात का इतराज नहीं किया, मैंने मना किया था। संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं तो उन्हें बोलने दीजिए, आप बोल रहे थे तो वह सुन रहे थे, यह परम्परा है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, आप बैठिये।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय द्वारा इस प्रकार की कोई किताब बेचने का काम नहीं किया जा रहा है और न हमारी सरकार, जिसका उल्लेख मा0 सदस्यों ने किया है, न तो बिकवाने का काम कर रही है, न बेचने का काम कर रही है।

श्री अध्यक्ष-

ओझा जी, बैठ जाइये। संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे हैं। आप बैठ जाइये।

(श्री धनीराम वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

वर्मा जी, ओझा जी बैठ गये हैं, अब आप भी बैठ जाइये। ओझा जी आपसे बड़े हैं वह मान गये हैं आप भी मान जाइये। बैठ जाइये।

श्री लालजी वर्मा-

मैंने कहा कि हमारी पार्टी इस तरह की किसी भी किताब को न तो बेच रही है और न हमारे किसी कार्यालय पर बिक रही है और न बेचने का काम हो रहा है। आज हमने भी उत्तर प्रदेश में जानकारी प्राप्त की है, कहीं भी इस तरह की किताब नहीं बिक रही है। हमारी सरकार और हमारी पार्टी बहन कुमारी मायावती जी जिस सरकार की मुखिया है, ''सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय'' के सिद्धान्त को पूरी तरह से मानती है और ''सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय'' हेतु प्रदेश की कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जो भी कदम प्रदेश हित में आवश्यक होगा, उसको उठाने का कार्य किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और समाज में नफरत फैलाने के लिए किसी को भी संरक्षण देने का काम नहीं किया जाएगा और न किसी व्यक्ति को इस तरह की नफरत फैलाने के लिए, समाज को बांटने के लिए इजाजत दी जाएगी। निश्चित रूप से जहां तक कार्य स्थगन का सवाल है। मैंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए और ''सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय'' के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाना होगा वह उठाया जाएगा।

श्री अध्यक्ष-

सरकार ने कहा कि जो भी आवश्यक कदम होगा वह उठाया जाएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मान्यवर, मेरे हाथ में यह किताब है।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब, उसी पर तो चर्चा हुयी है अभी।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, नियम-56 में देखें प्रस्ताव हाल में ही घटित किसी निर्दिष्ट विषय तक निर्बन्ध रहेगा। तो मान्यवर, कौन सा विषय हाल ही में घटित हो गया है जो आज यह कहा गया। माननीय खन्ना जी को आज यह याद आ गया। कौन सी ऐसी नई घटना घटित हुयी है जो आज याद आ गयी। आपकी प्रदेश में सरकार रही है। आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी की भी सरकार रही है। साढ़े तीन वर्ष आपने शासन किया है। आपने उस वक्त प्रतिबन्ध लगाने का काम क्यों नहीं किया। आपकी केन्द्र में भी सरकार है तो आपने प्रतिबन्ध लगाने का काम क्यों नहीं किया। जैसा कि मैने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी ऐसे सभी कदम उठाने का काम करेगी जो प्रदेश के हित में होगा और मैंने अभी स्पष्ट किया कि सभी धर्मों के संतों, गुरुओं और महापुरुषों की हम इज्जत और सम्मान करते हैं, समाज के लिए उनके लिए हुए अच्छे कार्यों का हम समर्थन करते हैं। मैं आपसे अपील करता हूं कि यह विषय कार्य स्थगन का दूर-दूर तक नहीं है। लेकिन प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी की हर साजिश को नाकाम कर दिया। तब यह नया मुद्दा लेकर उठ खड़े हुए हैं इसलिए मैं चाहूंगा कि आप इसे अग्राह्य करने का कष्ट करें।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना जी एवं श्री ओम प्रकाश सिंह जी द्वारा खड़े होकर किताब दिखाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

यह किताब सब देख चुके हैं, आप बैठ जायें। सरकार ने कह दिया कि वह जहां आवश्यक होगा वहां पर कार्यवाही करेगी। प्रस्तुत सूचना पर मैंने मा0 ओम प्रकाश सिंह जी, प्रमोद तिवारी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, श्री लाल जी टण्डन एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है इसलिए मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री ओम प्रकाश सिंह-

मान्यवर, इस पुस्तक ने समाज को विघटित करने का काम किया है और यह सरकार कोई प्रतिबन्ध इस पुस्तक पर नहीं लगा रही है। हम इसके विरोध में सदन का बहिष्कार करते हैं।

(श्री ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित नारे लगाते हुए सदन का बहिष्कार कर गये)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, एक अनुरोध करना चाहता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक आज लगे हैं जिन्हें पारित होना है उस पर विचार होना है। माननीय चौधरी साहब यदि सहमत हो जायें तो इनके विषय को तथा अन्य माननीय सदस्यों के विषय को कल ले लिया जाय।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, ठीक है।

श्री अध्यक्ष-

मैं कल इसी क्रम में नियम-56 की सूचनाएं ले लूंगा। माननीय वर्मा जी आप बतायें आप क्या कह रहे थे ?

* श्री धनीराम वर्मा-

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। किसी भी वक्तव्य पर स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। वह स्पष्टीकरण यह है कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने अभी अपने भाषण में कहा है कि वह सभी महापुरुषों का, महान संतों का, महात्माओं का आदर करते हैं। यहां पर मैं चाहता हूं कि जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने शब्द कहे हैं क्या वह पैरियर जी को भी उन महान पुरुषों में जोड़ते हैं। उनकी "सच्ची रामायण" में जो कृष्ण, राम और हनुमान जी के बारे में कहा गया है उसे सही मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूची में जितना होगा वही उनकी सूची में होगा। कल मैं इसी क्रम में बाकी की सूचनाएं ले लूंगा।

*श्री राम बिशुन आजाद-

कल क्या यह सूचनाएं पुनः देनी होंगी ?

श्री अध्यक्ष-

दे दीजिएगा लेकिन उसी क्रम में लूंगा।

श्री इकबाल महमूद-

मान्यवर, कल हम दूसरी सूचनाएं दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष-

आप दे सकते हैं।

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, स्पष्टीकरण सदस्य का अधिकार है, लेकिन टाल मटोल उत्तर आते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा-

मान्यवर, मैं सिर्फ यह जानना चाहूंगा कि यह किताब पर प्रतिबन्ध लगायेंगे कि नहीं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अध्यक्ष-

अब यह विषय समाप्त हो गया है।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सदन में वापस आ गये)

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

* श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

मान्यवर, यह विधेयक उत्तर प्रदेश में प्रचलित जितने भी कानून हैं अपराध से सम्बन्धित लगभग सभी को संशोधित करने का विधेयक है। चाहे वह ऐविडेन्स ऐक्ट हो, सी0आर0पी0सी0 हो या इण्डियन पैनल कोड हो। मेरा आग्रह है कि ऐसा विधेयक जो सौ-सौ साल पुराने कानून को संशोधित करने के लिए लाया गया हो, इसके लिए पर्याप्त समय माननीय सदस्यों के बोलने के लिए उपलब्ध होना चाहिए था और इससे यह साबित होता है मान्यवर, यह पुरःस्थापित होने के पश्चात ही खुद 75 संशोधन सरकार की तरफ से आये। मेरे ख्याल में संसदीय इतिहास में यह पहला अवसर है हमने भी यहां बहुत दिन बैठ करके देखा विधेयक भी लाये और विधेयक का विरोध भी किया लेकिन सरकार की तरफ से अपने विधेयक के बारे में पहले ही दिन 75 संशोधन यहां पर आ जायें तो साफ जाहिर है कि सोच विचार करके इस विधेयक का ड्राफ्टिंग नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो संशोधन क्यों आते ? इतनी लापरवाही से इस विधेयक को लिया गया है इसको कितना कैजुअली लिया गया है मान्यवर, इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा ? संसदीय कार्य मंत्री जी मैं जानता हूं कि आपके पास में बहुमत है, आप पास भी करा लेंगे इसको लेकिन आप की जिम्मेदारी यह बनती नहीं है कि जिस कानून को आप ला रहे हैं उस कानून के ऊपर कितनी गहराई से विचार होना चाहिए। अगर गहराई से विचार सरकारी स्तर पर भी हो गया होता तो मान्यवर, आज यह स्थिति न पैदा होती कि 75 संशोधन इस पर आप ले करके आते। मान्यवर, यह किस लिये आप लाये हैं और क्यों आप लाये इसको। आप कहेंगे कि कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लाये हैं, जिसका आपने इसमे उल्लेख किया है। इसके लाने से पहले कभी आपने देखा है कि जो वर्तमान हमारे पास में कानून की शक्ति प्राप्त है क्या उसका सही उपयोग हो पा रहा है ? मशीनरी तो आपकी वही है, उसी मशीनरी के माध्यम से इस कानून को भी आप मनवायेंगे और अगर वह मशीनरी पुराने कानून का पालन कराने में असफल हो गई है तो आपके पास में क्या गारण्टी है कि इस कानून का पालन कराने में सफल हो जायेंगे, पुलिस

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अधिकारी वहीं है आपके पास में, मजिस्ट्रेसी वही है, जिलाधिकारी वही है, आपकी मदद में रहते हैं लेकिन इन्स्टीट्यूशन संस्थायें तो वहीं की वहीं है इसमें तो कोई संशोधन आपने किया ही नहीं। आपने कोई नया स्वरूप यहां पर नहीं पेश किया मान्यवर, और मैं आपके सामने रखूंगा मान्यवर, कई चीजें इसमें ऐसी आई हैं जो स्वतः विरोधाभासी है। एक दूसरे के प्रति कण्डाडिक्ट्री स्वयं ही है, ओवर लेपिंग है, ऐसी स्थिति में मान्यवर, मैं चाहूंगा कि जो प्रवर समिति का प्रस्ताव मैं लाया, मेरी भी इच्छा यही है मैं भी आपसे सहमत इस बात से रहूंगा कि प्रदेश में अपराध कम हो, अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा मिले, कानून व्यवस्था अच्छी हो ताकि हमारे प्रदेश का विकास हो, बाहर से पूंजी निवेश हो, लेकिन वह इच्छा पूरी तो नहीं होती। कानून बना करके आप शाबासी लूटने का आपका एक उपाय है और इसमें मान्यवर, सबसे बड़ी शिकायत यह हो गई कि जिस दिन यह विधेयक यहां पर पुरःस्थापित किया गया था नेता सदन उत्तर प्रदेश की राजधानी में उपस्थित थीं। बहुत विस्तार से उन्होंने मीडिया के सामने इस विधेयक के बारे में ब्रीफिंग की मान्यवर, और अगले दिन के समाचार पत्रों में उनका फोटो भी छपा और बहुत विस्तार से इसकी जानकारी भी दी गई कि क्या उद्देश्य है, क्या-क्या इसमें कार्रवाई अपेक्षित है। यह सदन इतना गौड़ हो गया मान्यवर, कि नेता सदन हो और नेता सदन ही इसकी भार साधक मंत्री हो और वह सदन से बाहर इसके बारे में प्रेस करें, ब्रीफिंग करें लेकिन सदन में आकर के एक शब्द भी इसके बारे में न कहें मान्यवर, सदन की क्या अहमियत है इनके दिमाग में। इस सदन को एक पूर्णकालिक मुख्य मंत्री चाहिए इस प्रदेश को भी चाहिए, जिनके पास समय हो इस सदन के लिए भी और प्रदेश के लिए भी। आज दुर्भाग्य इस प्रदेश का यह है मान्यवर, बहुमत तो मिल गया लेकिन बहुमत मिलने के बाद भी जो समर्पण का भाव आपमें इस प्रदेश के बारे में होना चाहिए उसका नितान्त अभाव है। अब आपमें होड़ लग गई कि प्रधान मंत्री कैसे बनूं, पांच महीने के अन्दर आप दिल्ली जाने की स्थिति में आप आना चाहती हैं, आप गुजरात भी जायेंगी, महाराष्ट्र भी जायेंगी, अधिकार है आपका लेकिन यह अधिकार इस प्रदेश का भी है कि आपकी उपस्थिति यहां पर रहे, आपका मार्गदर्शन इस प्रदेश को प्राप्त हो, वह तो शून्य हो गया और उस शून्य होने का मैंने एक मिशाल आपके सामने दी, मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं, इससे ज्यादा हमारा दुर्भाग्य और क्या होगा कि सारा सदन यहां पर बैठा हुआ है विधेयक यहां पर पेश हो रहा है, बाहर प्रेस में ब्रीफिंग हो रही है, लेकिन दो मिनट के लिए सदन में नहीं आ सकती है। यह चिन्ता की बात नहीं है क्या ? इससे झलकता है कि आप किसी के बारे में गम्भीर है नहीं मान्यवर, अब यह विधेयक है क्या ? आपने इसमें कई प्राविधान किये हैं और इस विधेयक को चलाने के लिए कुछ तथ्य भी दर्शाये हैं। जिला स्तर पर एक समिति का गठन होगा, प्रदेश स्तर पर गठन होगा, उसमें आपके अधिकारी होंगे। उनके माध्यम से शिकायत भेजी जायेगी। इतनी भारी शक्तियां आप इसमें पुलिस अधिकारियों को दे रहे हैं। इसमें किसी राजनीतिक व्यक्ति की आजादी सुरक्षित नहीं है। चाहे विधायक हों, सांसद हों, या मंत्री हों, आपके विरुद्ध दो शिकायतें हो गयी 323 की धारा में हो गयी तीसरी शिकायत के बाद इस विधेयक की धाराओं के अन्तर्गत उसे मानते हुए आपके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। आप स्वयं इसे देख लें। दुनिया भर की बातों का इसमें जिक्र किया गया है। मान्यवर, आज प्रदेश को सबसे ज्यादा खतरा किस बात से है। हमारे वजूद को खतरा आतंकवादी गतिविधियों से है। वह रिपिटेड आफेंस

करते नहीं है। आपने उन गतिविधियों को रोकने के लिये इसमें कोई क्या प्रावधान किया है। आप आतंकवाद को कैसे रोकेंगे। हमारी मशीनरी उसे कैसे रोकेगी ? इसमें आपने गिरोहबन्द लोगों की बात कही है। आपने जिक्र किया है कि ठेकेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र कैसे दिया जायेगा ? आज भी ठेकेदार को अपना चरित्र प्रमाण-पत्र लेना होता है। उसको वह प्रमाण-पत्र लेने के लिये लेखपाल से लेकर पुलिस अधिकारियों तक 3-3 महीने चक्कर लगाने पड़ते हैं और सब जगह घूस देने के बाद वह प्रमाण-पत्र ले पाता है। तो फिर इसका क्या फायदा है। जिस टेण्डर को प्राप्त करने के लिये चरित्र प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है उसका उपयोग वह अपने आचरण के लिये करेगा। वह किस तथ्यों पर आधारित है तो जब वह वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है और जिसने पैसा दे दिया उसका प्रमाण-पत्र बन जायेगा तो फिर फायदा क्या है ? आप इसमें और दिक्कतें पैदा कर रहे हैं उसके लिये। एक आम नागरिक के लिये और सामान्य जन के लिये यह अड़चन पैदा करने वाला ज्यादा है। उनमें सुरक्षा का भाव पैदा करने वाला कम है। जबकि इस विधेयक के आने के बाद हमारे मन में, सामान्य जन के मन में यह बात आनी चाहिये थी यह विश्वास होना चाहिये था कि अब कानून बहुत सख्त हो गया है पुलिस के द्वारा हमारी सुरक्षा हो जायेगी। कानून का पालन कराने वाले कितने लोग हैं यह भी आप देखें। सिपाही आपके पास कितने हैं। यह मौलिक बात है। अगर आपके पास वहां शक्ति नहीं है पर्याप्त फोर्स नहीं है तो कानून आप बनाते रहेंगे उसका पालन कैसे होगा ? किसी थाने पर चार सिपाही, तीन सिपाही रहते हैं। एक मामले में मैं एक पुलिस अधीक्षक से बात कर रहा था वह कह रहे थे कि आखिर अपराध को कैसे रोंके ? किसी सिपाही को मैं हटा नहीं सकता। दरोगा का चार्ज यहां से बनकर आता है। दरोगा की सूची यहां से आती है। पड़ोसी जिले के सिपाही की जो व्यवस्था थी उसको भी आपने समाप्त कर दिया है। सीमा पर ड्यूटी है शाम को वह अपने घर चला जाता है फिर सुबह ड्यूटी पर आ जाता है तो ऐसे में क्या होगा।

मान्यवर, देश में आपातकालीन स्थिति आयी थी, बहुत से लोगों को उसमें बंद कर दिया गया था। आम नागरिक के मन में एक भाव पैदा करने का प्रयास किया गया था कि ट्रेन समय से चल रही है बसें समय से चल रही हैं टेलीफोन सारे अटेंड हो रहे हैं। 15-20 दिन यह सब चला। उसके बाद आपातकाल का जो दुरुपयोग हुआ उसका स्वरूप सबके सामने आया चारों तरफ हाहाकार मच गया। क्या इस कानून के आने के बाद वही स्थिति सामने आने वाली है। इसमें निरोधात्मक रूप से बन्द करने का कोई प्राविधान नहीं किया गया है। पोटा लगाया गया था यह उस वक्त लगाया गया था जब आतंकवाद और आपराधिक घटनायें चरम पर थीं। जिस व्यक्ति पर आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त होने की आशंका हो उसे हम कुछ दिन के लिये बंद कर सकते थे। लोग उसमें इंडीविजुअल फ्रीडम और लिबर्टी की बात करते थे और बात यह आती थी कि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता यह है। आपने पोटा समाप्त कर दिया गया उसके बाद देश में जो स्थिति हो रही है वह आपके सामने है। इस विधेयक में आप निरोधात्मक बंदी के प्रावधान की बात नहीं कर रहे हैं केवल सजा देने का प्रावधान किया गया है। एक जगह यह भी प्रावधान किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति को तीन साल तक की सजा हो सकती है और सजा नही हुई और पता चला कि वह छूट गया और उसके बाद में वह बात फिर जानकारी में आती है कि नहीं सजा हो सकती है दुबारा फिर पुलिस ले जाकर उसको सजा करा

देगी। यह कानून है ? यह उपहास किया गया है ? हास्यास्पद है कि कोर्ट के अदालत के निर्णय के बाद भी पुलिस की तलवार बराबर उस आदमी पर लटकती रहेगी कि ऐसे मत समझों कि कोर्ट से छूटकर आ गये फिर उसी धारा में बन्द कर दूंगा उन्हीं घटनाओं के आधार पर तुम्हें बन्द कर दूंगा और उन्हीं घटनाओं के आधार पर दुबारा मुकदमा चल जायेगा और इसमें लिख भी दिया कि दुबारा सुविधा नहीं होगी। इस प्रकार का कानून लाकर मान्यवर, किसका उपहास बना रहे हैं, उपहास तो आपका बन रहा है। मैं तो चाहता हूं कि लाओ ऐसा कानून और आपको पता लग जायेगा कि जनता के ऊपर जिस आतंकवाद की तलवार आप लटका रहे हो उस जनता से आपका डरना स्वाभाविक है। मैंने जैसा बताया एक आपने व्यवस्था कराई थी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा समरी ट्रायल, यह विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां पृष्ठ 7 पर है इसमें धारा 11 में है जिसमें दिया गया है कि जहां विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास के या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उपधारा (1) या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः कर सकता है और संहिता की धारा 263 से 265 तक के उपबन्ध यथासाध्य ऐसे विचारण पर लागू होंगे।''

केस चल रहा है इवीडेंस हो चुकी और इवीडेंस होने के बाद फिर यह अधिकार दे दिया कि चाहो तो समरी ट्रायल कर लीजिए क्या मजाक है ? एक सेंक्सिटी होती है, ट्रायल का एक विश्वास होता है इस विश्वास को कम करने जा रहे हैं कब किसके मन में क्या आ जाय केवल अपने मन से वह काम करता रहे मान्यवर।

मान्यवर, आगे देखें पेज नम्बर 9 पर देखें। राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को संगठित अपराध क्रिया कलापों के निवारण और नियंत्रण के कार्य को समन्वित करने के लिये किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी उपक्रम, सरकारी निगम या स्थानीय निकाय या किसी अन्य व्यक्ति से आवश्यक सूचना की मांग करने की शक्ति प्राप्त होगी और प्रत्येक ऐसा अधिकारी, निकाय, उपक्रम, निगम या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा। पुलिस को सारे अधिकार दे दिये गये टोटल जिसको चाहे बुला ले कि फलां फैक्ट्री वाला बैठा है, फलां उद्योग वाला बैठा है आज सूचना दे ला करके तो फिर कैसे बना दिया आपने सूचना अधिकार को, कमीशन की जरूरत ही क्या रह गयी जब पुलिसवालों को यह अधिकार दिया जा रहा है। परन्तु यदि कोई पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस अधिकारी या विशेष कार्य बल ऐसे कारणों से जो राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का लिखित रूप में संसूचित किये जायेंगे, उक्त सूचना को रोक सकता है। पुलिस अधिकारी को यह भी अधिकार दे दिया। यह उसके विवेक पर रहेगा। इस प्रकार से बिना सोचे समझे न जाने किन लोगों ने इसको ड्राफ्टिंग किया है। मान्यवर, आप देखेंगे मैं आपका ध्यान चाहूंगा।

फोटोग्राफी का एक प्राविधान किया है इसमें और यह प्राविधान दिया है और आम तौर से हमारे सीआरपीसी में यह प्राविधान है कि अगर चाहे तो पहचान जेल में परेड होती है पहचान करा दे। यहां उसकी आवश्यकता नहीं है। यहां कह दिया कि फोटो को पहचान मान लो गवाहों को बुलाओं और उनको फोटो दिखा दो लाकर के। गवाह कह दे कि हां यही आदमी है तो मान लीजिए। आज

आधुनिक तकनीक में फोटोग्राफी के कितने मामले आपके सामने आये होंगे। जहां धड़ किसी का और सर किसी का है नीचे का हिस्सा किसी का है और ऊपर का हिस्सा किसी का है ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार का क्रिया कलाप करने जा रहे हैं कि एक आदमी को ला करके खड़े करने की भी आवश्यकता नहीं है ताकि गवाह को यह मौका मिल जाय कि यह आदमी वहां उस अपराध में संलिप्त था या नहीं था। उस आदमी की फोटो दिखा दो बस पुलिस आपकी है बस फोटो किसी का ले आयेंगे उसमें सर किसी का लगा देंगे और पहचान हो जायेगी, चार्जशीट चली जायेगी और चार्जशीट जाने के बाद जो व्यवस्था आपने कर दी है। कोई उसमें अपवाद नहीं सिवाय सजा होने के और उस आदमी का जीवन बरबाद होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। मान्यवर, आगे देखें। सम्पत्ति का सम्भरण और उसकी पूर्ति, इतना अधिकार दे दिया। धारा 23(1) है मान्यवर, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वहां विशेष न्यायालय कोई दण्ड अधिनियम करने के अतिरिक्त लिखित आदेश द्वारा घोषणा कर सकता है कि अभियुक्त से सम्बन्धित चल या अचल दोनों सम्पत्ति दोनों से मुक्त राज्य सरकार की समर्थ रहेगी। जमीन गिरवी रखी है बैंक में, पैसा बैंक से ले लिया और यहां अधिकार आपने ले लिया कि उसमें बैंक का कोई अधिकार नहीं रहेगा। किसी का कोई अधिकार नहीं रहेगा जब चाहे उसको अधिग्रहण कर लीजियेगा। मान्यवर, यह पेज नं0 16 पर 24 देखें किसी व्यक्ति को, जो उद्घोषित अपराधी घोषित किये जाने के पश्चात् न्यायालय या अन्वेषण अधिकारी के समक्ष 30 दिन के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, ऐसे अपराध के लिए, जिसका वह अभियुक्त है, प्राविधानित अधिकतम दण्ड के कम से कम आधे दण्ड से इस तथ्य के होते हुये भी कि अभियुक्त को विचारण के पश्चात् ऐसे अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया हो, दण्डित किया जायेगा और जो सात वर्ष तक की हो सकती है। मेरे ख्याल से अब इसके आगे कुछ कहने की गुंजाइश रह गयी है क्या ? न्याय प्रक्रिया समाप्त सब आपका विवेक। मजिस्ट्रेट भी आप होंगे, जांच करने वाले भी आप होंगे। मान्यवर, इसी से जुड़ी धारा जो 25 है संहिता या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संहिता की धारा 2 के खंड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायेगा और उस खण्ड में यथा परिभाषित संज्ञेय मामला का तद्नुसार अर्थ लगाया जायेगा। जबरदस्ती छोटी धारायें, जो अब तक काग्नीजिबिल नहीं थीं, उसको काग्नीजिबिल मान लिया आपने। क्या है यह नई जुरिसपुडिंग्स लिखी जा रही है जिस जुरिसपुडिंग्स के बारे में हजारों साल में विकसित हुयी होगी, न जाने कितने देशों का अध्ययन करने के बाद यह बनी होगी। लेकिन अब यह जो नई जुरिसपुडिंग्स आ रही है इसका कोई आधार नहीं है। मान्यवर, ऐसी स्थिति में, आधे घन्टे की चर्चा के बाद इसे पास कर दिया जाय और माननीय सदस्य इसका अध्ययन भी न कर सकें तो यह इस प्रदेश की जनता के साथ में सबसे बड़ा अन्याय होगा। मान्यवर, इसी में आगे है इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध से अन्तर्वलित मामले के सम्बन्ध में संहिता की धारा 167 इस उपान्तर के अध्यधीन लागू होगी कि उप धारा 2 में 15 दिन साठ दिन और नब्बे दिन जहां-जहां भी वे आयें हो कि प्रति निदेशों का अर्थ क्रमशः साठ दिन 6 मास और एक वर्ष के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायेगा। चार्जशीट का मामला

है, जमानत नहीं होगी एक साल तक छोटे-छोटे अपराध में। 330 में पहले यह था कि चार्जशीट नहीं लगाओगे तो जमानत हो जायेगी, अब उसकी समय सीमा बढ़ा दी।

मान्यवर, आगे देखें पेज नं0 17 पर, 6 को देखें इस संहिता में किसी बात के होते हुये भी, अभियुक्त के जमानत स्वीकृत नहीं किया जायेगा यदि वह प्रश्नगत अपराध के विलम्ब को इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध में जमानत पर था। अगर कोई भी आदमी मान्यवर, धारा 325 में जमानत पर है और उसके बाद उस पर 323 का मुकदमा कायम हो जाता है न्यायालय का अधिकार ले लिया। ये तो ऐसे हैं जो रोजमर्रा के जीवन में आपके काम आयेंगे आप ट्रेन में जा रहे हैं और वहां बिना टिकट के पकड़े जाते हैं अब तक वह बैलेबिल था लेकिन अगर पता लग जाता है कि यह पहले 323 के मुकदमे में जमानत पर है तो बेल नहीं दे सकेगा मजिस्ट्रेट। तो इस तरह से प्रभावित कौन होगा इसमें ? सबसे साधारण व्यक्ति, सबसे साधनहीन व्यक्ति, सबसे गरीब व्यक्ति, जिसके पास कोई सिफारिश नहीं है, जिसके पास व्यवस्था नहीं है, सबसे ज्यादा प्रभाव समाज के उस वर्ग पर होने जा रहा है उससे। मान्यवर, आगे पेज नं0 18 पर देखें-संहिता में किसी बात के होते हुये भी, यदि अभियुक्तों में से एक या अधिक व्यक्ति विचारण की अवधि के किसी भाग में या पूरे समय अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकार की अनुपस्थिति की, जब तक कि यह अपरिहार्य न साबित हो जाय, साक्ष्य को अभिलिखित करने या विचारण की अन्य कार्यवाही में अड़चन डालने के लिये अनुमति नहीं दी जायेगी।

(इस समय 3 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री प्रदीप माथुर पीठासीन हुए।)

मान्यवर, यह नेचुरल जस्टिस है, प्राकृतिक न्याय है। प्राकृतिक न्याय यह था कि कोई भी साक्ष्य उसी अभियुक्त की मौजूदगी में होना चाहिए। कभी-कभी विवशता आती थी तो अदालत में प्रार्थना-पत्र देते थे कि मैं उपस्थित नहीं हो पाऊंगा। आपने रख दिया कि वह उपस्थित हो या न हो, साक्ष्य सारा लिख लो, साक्ष्य लिखने के बाद में दण्ड दे दो उसको, भले ही पुलिस ने जानबूझ करके उस व्यक्ति को वहां से अनुपस्थित कर दिया हो कि वह यहां आयेगा, वकील करेगा, बहस करेगा, जिरह करेगा और अब आपने यह भी अधिकार दे दिया कि उसकी उपस्थिति भी आवश्यक नहीं हैं मान्यवर, अगला देखें, परन्तु यह कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष प्रत्येक को विचारण की पूरी अवधि में पांच बार के स्थगन से अधिक की अनुमति दी जाएगी। क्या है यह, अरे न्यायालय बने हुए हैं, उनका अपना विवेक होता है, प्रार्थना-पत्र वहां दें, उसके बारे में भी आप कानून बना करके, बिल बना करके, ऐक्ट बना करके प्राविधान करोगे कि स्थगन दो-बार दिया जाएगा तीन बार दिया जाएगा। उच्च न्यायालय का काम है यह निर्देश देने का कि बिलम्ब न हो इसमें। मान्यवर, ऐसी स्थिति में मैं आपका ध्यान चाहूंगा, आगे आता है, इन्वेस्टीगेशन ऐक्ट यह धारा-29 में है पेज नं0 20 पर है कि संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन संगठित अपराध के होने की कोई सूचना मण्डलीय आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक वाली समिति के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी और उसके प्रस्ताव की प्राप्ति से सात दिन की अधिकतम अवधि के कारणों का उल्लेख करेगी। अगला (ख) में है कि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस निरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा। मान्यवर, सब इंस्टेक्टर

से नीचे वाला कौन है पुलिस अधिकारी, इससे भी नीचे है क्या कोई ? इसमें बड़ा भारी तीर मारा है कि सब इंस्पेक्टर से कम वाला पुलिस अधिकारी जांच नहीं करेगा। मैं सोच रहा था कि कहीं ये पुलिस अधीक्षक को लगायेंगे, कम से कम सी0ओ0 को लगायेंगे जांच के लिए। कोई भी जो स्पेशल कानून बने हुए हैं उनके बारे में इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारी जांच के लिए बैठते हैं। यह पहला सीसा लाये हैं सही सोच का। यह लिखने की आवश्यकता क्या थी उसको तो सामान्य अधिकार है ही लिखने की आवश्यकता तो तब होती जब उससे ऊपर के अधीकारी को आप जांच देते। मान्यवर, आगे देखें पुलिस सुरक्षा शस्त्र लेकर चलने आदि के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध-आप भी इसके बारे में सोच लीजिए और इसका मतलब बता दीजिए 31(1) में लिखा है कि राज्य सरकार संगठित अपराध सिण्डीकेट के किसी सदस्य को पुलिस सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी। मत कीजिए, आगे देखें, कोई भी व्यक्ति, जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी है, जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले चलेगा। तो फिर मुख्य मंत्री कैसे जायेंगे ? कोई भी व्यक्ति में तो हम लोग शामिल हैं, एक सुरक्षा गार्ड आपने दिया है और उसको हम पब्लिक के बीच में नहीं ले जा सकते हैं, उसको हम अपने घर में रखेंगे क्या ?

(सत्तापक्ष द्वारा टोकाटाकी करने पर)

मैं फिर से पढ़ देता हूं, कोई भी व्यक्ति, जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी है जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले जा पायेगा। जो लिखा है वह पढ़ रहा हूं। मैं आपकी भावना से सहमत हूं। जो लिखा है उससे अर्थ क्या निकलता है ? कोई भी व्यक्ति जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी है, जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले जा सकेगा। आप इस पर पाबन्दी क्यों लगा रहे हैं ? अगर आपने एक गार्ड दिया है और किसी की जान को खतरा है, लाइसेंस उसको आपने दिया है, अगर नहीं रख सकता तो लाइसेंस देने का कोई मतलब नहीं ? इस पर पाबन्दी लगाने का अर्थ समझ में नहीं आया। सुरक्षा एजेंसियां हैं सभी जगह काम कर रही हैं, ठेके पर काम कर रही हैं। हम सरकारी गार्ड अफोर्ड नहीं कर सकते तो निजी गार्ड लगा लेते हैं। आगे आपने 31(3) में लिखा है कि धारा-2 का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति की पुलिस सुरक्षा तत्काल वापस ले ली जायेगी और उसका शस्त्र लाइसेंस यदि कोई, निरस्त करने योग्य हो जायेगी। अब इसी की धारा-4 देखिये कोई व्यक्ति जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया हो, तीन या अधिक सशस्त्र व्यक्तियों के समूह में किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर ऐसे शस्त्रों के साथ नहीं जायेगा या शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुए मोटर काफिले के साथ नहीं जायेगा। यह ठीक है, मैं मानता हूं कि लम्बी-चौड़ी सेना नहीं ले जानी चाहिए। धारा-5 में यह कहा गया है कि धारा-4 के उपबन्धों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा-5 के अधीन दण्डनीय होगा और उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने योग्य हो जायेगा। पृष्ट संख्या-22 पर अधिनियम की धारा-33 की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को जो इस अधिनियम या इसे अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन करता है जिसके लिये इस अधिनियम में

कोई विशिष्ट दण्ड नहीं दिया गया है, कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है से दण्डित किया जायेगा।

इसमें आपने यह उपबन्ध नहीं दिया कि किस तरह से दण्डित किया जायेगा तो सजा का प्राविधान कैसे कर देंगे ? आपने इस अधिनियम में कोई प्राविधान नहीं किया है किसको अपराध मानेंगे और उस अपराध का कितना दण्ड होगा ? प्रमोद जी देख लीजिए, आप सीनियर लॉयर हैं। इसमें यह प्राविधान होना चाहिए कि यदि इसका उल्लंघन करता है तो इस तरह से दण्डित करेंगे। आगे आप धारा-35 देख लीजिए इसमें दिया गया है कि-पुलिस महानिरीक्षक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की मानक संचालन प्रक्रियाओं, रोकथाम, निरोध, अन्वेषण और समुचित अभियोजन के प्रयोजन से या संगठित अपराध सिण्डीकेट की गतिविधियों के लिए विनियम बना सकता है। पुलिस महानिरीक्षक, आई0जी0 नियम बनायेगा, न होम सेक्रेटरी की जरूरत है न चीफ सेक्रेटरी की और न कैबिनेट की जरूरत है, इस ऐक्ट के अन्तर्गत सारे नियम बनाने का अधिकार आई0जी0 को दे दिया गया। ऐसे व्यक्ति को अधिकार दे देंगे, नियम बनाने का तो कौन सामान्य नागरिक, राजनीतिक व्यक्ति, सामाजिक व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित समझ पायेगा ? इतने सारे अधिकार केवल पुलिस अधिकारी को मिल जाए, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस समाज में जहां परिश्रम के बाद इतने विद्वानों ने मेहनत करके संविधान की संरचना की है उसको तैयार किया है, नागरिकों की स्वतंत्रता के बारे में हमारे मौलिक अधिकार हैं। सबसे पवित्र प्राविधान फण्डामेण्टल राइट्स ही कहे जाते हैं और संविधान में व्यवस्था है कि अगर अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है तो समाज के हित को देखते हुए प्रतिबन्ध लगे हैं और उसका भी उल्लेख किया गया है। इस अधिनियम में मौलिक अधिकारों को ध्वस्त करने का काम सरकार ने किया है, यह नहीं होना चाहिए। मैंने जो संशोधन दिया इसलिए दिया कि विधेयक की कमजोरी का तो हमें इस बात से अन्दाजा लग रहा है कि विधेयक प्रस्तुत होने के साथ-साथ 75 संशोधन लेकर आए हैं संशोधन भी साथ-साथ पास कराना चाहते हैं। इस विधेयक का ड्राफ्ट जो तैयार हुआ है वह उदासीनता के साथ तैयार हुआ है इसलिए मेरा निवेदन है कि इसे प्रवर समिति को सौंप दिया जाय। कम से कम सर्वदलीय प्रवर समिति होगी उसमें विचार हो जाएगा। वरना यह जो कानून बनेगा उसका जो सरकार आएगी वह पालन करेगी और अपने विरोधियों को नचाने उनका गला दबाने के लिए इस कानून का इस्तेमाल करेगी और इससे लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। इस कानून का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ नहीं होगा बल्कि प्रतिपक्ष के लोगों का गला दबाने के लिए, राजनैतिक लोगों को दबाने के लिए होगा उनका शोषण करने के लिए यह कानून लाया गया है इसलिए मैंने यह संशोधन का प्रस्ताव रखा है और इस पर बल देता हूं।

* नेता विरोधी दल (श्री मुलायम सिंह यादव)-

अधिष्ठाता महोदय, हुकुम सिंह जी ने सब पढ़ दिया है मैं उसको दोहराना नहीं चाहूंगा। हमारे इतने कानून हैं उन कानूनों के माध्यम से कड़ी से कड़ी सजा देने का अधिकार है और इन्हीं कानूनों ने अंग्रेजों से लेकर आज तक आपने देखा होगा एक दिन में अधिष्ठाता महोदय, आप डरते क्यों हैं ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

बिल्कुल नहीं।

श्री मुलायम सिंह यादव-

यह गम्भीर सवाल है। अभी आपने कुछ दिन पहले पढ़ा होगा कि 60 लोगों को एक दिन में फांसी दी गयी इसी कानून के अन्तर्गत। इतने खतरनाक कानून कहीं भी नहीं हैं दुनियां में नहीं। आप अध्ययन कर लें जितने वर्तमान कानून हमारे देश में हैं जिनके माध्यम से सजा करी जा सकती है। कानून व्यवस्था या देश हित में जब भी कोई कानून लाया गया है उसका हमेशा दुरुपयोग ही हुआ है और दुरुपयोग ही होगा। यह नहीं समझना चाहिए कि हम ही हमेशा राज करेंगे। इस ऐक्ट के अन्तर्गत कोई भी सदन में ऐसा नहीं है चाहें इधर के हों या उधर के जिनको सजा न मिले। सारे खतरे में हैं। विधेयक के साथ-साथ 75 संशोधन भी आए हैं। जो मुझे जानकारी मिली है उसके अनुसार मैं बताना चाहता हूं कि आपने इसे पढ़ा ही नहीं है किसी पुलिस अधिकारी ने लिखकर दे दिया है उसी का बनाया हुआ है।

(इस समय 3 बजकर 47 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

सरकार का पुलिस पर इतना भरोसा है जिसके कारण हाहाकार मचा हुआ है। 10 हजार से ज्यादा फर्जी केस केवल हमारी समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर लगाए गए हैं। हम सरकार का विरोध नहीं कर सकते हैं। न ही हम सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कर सकते हैं क्योंकि इससे हमें आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो जाएगी। लोकतंत्र में सरकार को हटाने के लिए हमें अधिकार है लेकिन हम सरकार का विरोध भी नहीं कर सकते। हुकुम सिंह जी एक परम्परा है कि शादी विवाह में बन्दूक या रिवाल्वर लेकर जाने की यह पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर है चाहे उत्तर प्रदेश हो या तमिलनाडु हो सभी जगह लोग शादियों में अपने हथियार लेकर जाते हैं और खुशी के मौके पर फायरिंग भी करते हैं हालांकि साल में एक आध बार इससे दुर्घटना भी हो जाती है लेकिन यह एक परम्परा है। लेकिन अब कोई हथियार लेकर विवाह में नहीं जा सकता है इससे उसको कम से कम आजीवन कारावास या फांसी की सजा हो सकती है। कानून व्यवस्था के नाम पर इस तरह का जो विधेयक लाती है वह वही सरकार होती है जो निकम्मी होती है। एक निकम्मी सरकार ही अपनी कमियों और अपनी कमजोरियों को छिपाने के लिये इस तरह के कानून का सहारा लेती है। यह जो कानून आपने बनाया है वह किसी अपराधी के लिये नहीं है। आज पाकिस्तान में क्या स्थिति है वहां इमरजेंसी लगी हुई है। लोग सड़कों पर निकले हैं। इमरजेंसी है, तानाशाही है लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह का कोई कानून वहां पर नहीं है। लोगों को पकड़ा जाता है तो फिर छोड़ दिया जा रहा है। इस तरह की कोई सजा नहीं दी जा रही हैं भले ही वहां टेलीफोन बन्द हैं लेकिन हम फिर भी हाल चाल लेते रहते हैं। इमरजेंसी लगने के बाद भी वहां पर इस तरह से खतरनाक कानून नहीं हैं। आपने देखा होगा कितनी जगहों पर मार्शल लॉ लगा लेकिन वहां पर भी ऐसा कानून नहीं बनाया गया। पाकिस्तान में आप देखिये परवेज मुर्शरफ राष्ट्रपति रहे हैं। फौज के आफिसर होने के बाद भी किसी को गोली मारने या फांसी देने का काम नहीं किया। नवाज शरीफ आ रहे थे उनको मना कर दिया कि देश छोड़कर चले जायं तो वे चले गये। कहीं कोई इस तरह का कानून नहीं। बेनजीर भुट्टो वहां आ गई वो भी निन्दा कर रही हैं इमरजेंसी की

लेकिन वहां पर कोई इस तरह का कानून नहीं। इसलिये अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि कोई भी ऐसा विधायक नहीं है जो कि इस कानून के लपेट में न आये। आपके खिलाफ किसी ने लिखा दिया कि यह सरकार हमारी रिपोर्ट नहीं लिख रही है और कोर्ट ने आदेश कर दिया कि क्यों नहीं लिखा जा रहा है तो फिर कोई भी नहीं बच पायेगा इस खतरनाक कानून से। इसलिये मैं कहता हूं कि यह आप अपने विपक्षी विधायक लोगों को परेशान करने के लिये, उनको खत्म करने के लिये अगर इस तरह का कानून बनाया जाता है तो उसके परिणाम गम्भीर होते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि इतनी बड़ी कांग्रेस पार्टी के लोक प्रिय नेता इंदिरा गांधी जी और जवाहर लाल नेहरू जी रहे हैं लेकिन उनकी बात दूसरी थी। उन्होंने इतने लोकप्रिय होने के बाद भी इस तरह का कानून बनाकर किसी को परेशान करने का काम नहीं किया। इंदिरा जी भी तानाशाह थीं, नेहरू जी भी तानाशाह थे। वे अपनी मनमानी करते थे लेकिन जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते थे। इमरजेंसी लगी थी लेकिन जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इमरजेंसी हटा दी और चुनाव में चली गयी। हार हुई लेकिन वह ठीक है उन्हें लगा कि कोई है जो सरकार को बदल सकता है। कांग्रेस अपने इस कदम से कमजोर होती चली गई। जनता यह सीख गई कि हम सरकार को हटा सकते हैं। जनता की भावनाओं की कद्र कीजिये। यह कानून की तलवार केवल हम लोगों पर ही लटकी है यह तलवार आपके ऊपर भी लटकी है। आप भी अपनी सरकार में रहकर कहेंगे कि इस कानून के लपेटे में आप भी आ रहे हैं। यह सच्चाई है।

अध्यक्ष महोदय यह कानून की ड्राफ्टिंग सरकार में बैठे किसी मंत्री ने नहीं की है और न ही किसी एडवोकेट जनरल ने की है। अगर ये कानून कोई वकील बनाते तो ऐसा न बनाते यह सारे के सारे कानून नौकरशाही के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बनाये गये हैं और वर्तमान में यह भी परेशान हैं यह बैठे हैं इनके विधायकों की चल नहीं पा रही है। सच्चाई कहने पर भी कोई सुन नहीं रहा है। दरोगा तक नहीं सुन रहा है। बहुत से विधायक बैठे हैं। फिर हम लोगों की क्या सुनवाई है। एक-एक सत्तापक्ष में बैठे बी0एस0पी0 के विधायकों की, मिनिस्टर तक की डी0एम0 तक परवाह नहीं कर रहा है। एस0एस0पी0 परवाह नहीं कर रहा है। पुलिस की आवश्यकता जानते हैं क्या कर सकती है पुलिस। आज मैं कहना चाहता हूं मैं चार दिन रहा हूं मेरठ में, हुकुम सिंह जी भी जानते होंगे, मैंने जब कहा कि 10-15 लाख लेकर रपट नहीं लिखी जा रही है। चुपचाप सब हो रहा है तो कहा आपको पता कैसे चला, मुझे कि बताया कि 55 नाम दिए हैं एक वर्ग के। एक जाति के नाम के लिए 15 लाख दिए हैं। आज यह हालत है आज जितना व्यापारी है पूरे प्रदेश के अन्दर, रपट न लिखी जाए इसके लिए पैसा ले रही है पुलिस, दरोगा से लेकर डिप्टी एस0पी0, आई0जी0, डी0आई0जी0 सबने रुपया लिया है। यह हालत है। यह कानून ला रहे हैं। यह कानून कितना खतरनाक कानून है इसमें आम जनता सुरक्षित नहीं है। आपने शिवपाल को सिक्योरिटी नहीं दी वापस कर दी। अध्यक्ष जी आप दिखवा लें कभी हमने आपसे कहा कि शिवपाल को सुरक्षा दे दो। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की खबर थी कि शिवपाल की जान को खतरा है वह खबर सत्य थी, किसी तरह से पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को खबर मिली इंटैलीजेंस की खबर थी। आई0जी0 की खबर थी, जबानी खबर थी कि शिवपाल को खतरा है। शिवपाल भी दौरे पर थे हम भी दौरे पर थे हम दौरे से पहले आ गए शिवपाल बाद में आए। जब यह आए तो सिक्योरिटी इनके यहां लगी हुई थी। शिवपाल को बाद में पता चला

कि हमें खतरा है। इसलिए सिक्योरिटी लगी है। अखिलेश के पास भी सिक्योरिटी नहीं है। यहां से सिपाही दिया जाता है वह भी नहीं दिया हैं शिवपाल को कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब अगर निजी सिक्योरिटी रख लें तो आजीवन कारावास। यह संगठन नियंत्रण अपराध अधिनियम कानून बना है इसमें फांसी की सजा है। यह है क्या यह तो तानाशाही मार्शल लाबी भी नहीं कर रहा है दुनिया में कहीं ऐसा सख्त कानून नहीं है। अफसोस है दुर्भाग्य है किस तरह से गुलामी की जा रही है। मैं सही कह रहा हूं हम सब लोगों के लिए खतरा है उसमें समर्थन कर रहे हैं। संसदीय कार्यमंत्री जी, अध्यक्ष का काम होता है सदन को संतुष्ट करें। आपने देखा होगा इधर बैठकर, संतुष्ट किया जाता है। आप ऐसा बोलते हैं भले विपक्ष में हैं, लेकिन विपक्ष का अधिकार है और विपक्ष की बात सुनने के लिए, आलोचना सुनने के लिए जो गम्भीर होता है वही अच्छा मंत्री होता है। आलोचना सही हो तो मान लेना चाहिए। गलत हो तो परवाह नहीं करनी चाहिए। क्या जो कहा सही नहीं कहा। आपने और मौर्या जी ने दो-तीन सवाल उठाए मिलकर, क्या हमने उसी वक्त सही लगा तो घोषणा क्या नहीं की ? आपकी भावनाओं का आदर नहीं किया। आज हमारा दुर्भाग्य है आप सुबह से बैठे हैं मैंने कहा भी, आप 11.00 बजे से बैठे हुए हैं, हम तो एक बार जा चुके हैं, मजबूरी है, बैठे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं, आपको लेकिन क्या इतने महत्वपूर्ण सवालों का नेता सदन, अभी जो चर्चा हुई थी, पेरियार हों, राम हों, इतना महत्वपूर्ण सवाल था, इतना महत्वपूर्ण कानून बनने जा रहा है, नेता सदन, सदन में नहीं आ सकता ? किसी ने कह दिया कि मानव बम लगा दिया जायेगा, मैंने सुना है, कितना सही है, कितना गलत है। आप निकलिए अन्दर से, निकलेंगे तो पता चल जाएगा।

मा0 अध्यक्ष महोदय, जो बता दिया गया, इसलिए घर से, बंगला के सामने से हेलीकाप्टर से रैली ? अगर कहीं मानव बम मिल जाए, तो सोंच लो। आज मैं कहना चाहता हूं कि जो अपने जीवन की परवाह करता है वह कभी सच्ची सेवा समाज की नहीं करता। इसलिए मैं आज अध्यक्ष जी, कहना चाहते हैं कि इससे ज्यादा खतरनाक, इससे ज्यादा जंगली और इससे ज्यादा परेशान करने वाला कानून हो नहीं सकता। मुझे कहना है, अभी सदन स्थगित कर दें, कभी और सदन बुला लीजिए, नेता सदन को समझाइए कि यह आप हमेशा के लिए बना रही है, जिस को दरोगा चाहेगा, उसके खिलाफ मुकदमा लिख देगा, फर्जी मुकदमें लिखे भी गए हैं, आपने फर्जी मुकदमें मान भी लिए हैं, कोर्ट ने स्टे भी दे दिया है, लेकिन उन बेचारों को जेल में जाना पड़ा है, कुछ फरार है, भाग रहे हैं। यदि मिनिस्टर भी डी0एम0, एस0पी0 से कहेगा तो वह भी कहीं से लिखवा देगा। जो जन प्रतिनिधि है, आपने कभी सोचा है कि यह जो कानून है, क्या वह केवल समाजवादी पार्टी, बी0जे0पी0 और कांग्रेस के लिए है, जब इस कानून की तलवार लटकेगी, अभी तो इनके खिलाफ लिखवा दोगे और यदि नहीं लिखेगा तो कहोगे कि लिखो। यह कानून क्या इन्हीं के लिए है, हमारे लिए है, हमारे विधायकों या कार्यकर्ताओं के लिए है ? यह सब के लिए है, इसलिए आप जनहित में इस पर गम्भीरता से विचार कीजिए। हम कह रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, आप भी पढ़िए, समझाइये, ये जो पुलिस के और कुछ चापलूस हैं। जो खुशामद करने वाले, चापलूसी करने वाले लोग यदि मंत्री के भी साथ हैं, कहावत है कि किसी मुख्य मंत्री का मंत्री या किसी बीमार का वैद्य चापलूस मिल जाए तो वह खतरे में है। आप क्यों नहीं समझाते हैं ? मा0 अध्यक्ष महोदय, आज मैं कहना चाहता हूं, आप इसको गम्भीरता से पढ़िए, यह सत्य मैं बता रहा हूं, इसके गम्भीर परिणाम होंगे, दोनों तरफ से। ऐसी गम्भीर स्थिति पैदा हो जायेगी कि जनता में जब

ये सारी बातें पहुंचेंगी तो आप स्वयं महसूस करेंगे कि अब क्या करें, चुनाव लड़ें या न लड़ें, ऐसी बातें पैदा होंगी।

हमारे लोगों ने कहा कि क्यों विरोध कर रहे हैं। भगवान ने बड़ी बुद्धि दे दी है। इसका नतीजा तो 6-8 महीने में ही आ जाएगा। जब भी प्रमोद तिवारी जी आप चुनाव करायेंगे तो इसके परिणाम आ जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कह रहा हूं कि अभी इसको स्थगित कर दें या वापस कर दें। मुझसे तो उनको बड़ी नफरत है, वह मुझे देखना नहीं चाहती तभी तो नहीं आती। हम तो उन्हें देखना चाहते हैं। श्री ओम प्रकाश सिंह जी, श्री प्रमोद तिवारी जी को बुला लेंगे। अच्छा होगा कि हमारे अम्बिका चौधरी जी या अग्रवाल जी को भी बुला लेंगे। अध्यक्ष जी, आप इसमें पीछे पड़कर इसको पास मत कराइये। हम राय दे रहे हैं, संसदीय कार्य मंत्री जी मत पास कराइये। जनता को परेशान मत कीजिए। सरकार आती है, जनता के लिए, जनता को सुविधा देने के लिए। कष्ट देने के लिए, दहशत देने के लिए नहीं। इससे पूरी जनता में दहशत होगी। हमें जेल भेजना हो तो भेजो, हमें परवाह नहीं। हमें तो जनता को बचाना पड़ेगा। हम तो सरकार को उखाड़ फेंकने का जनता से आह्वान करेंगे। सड़कों पर जनता आएगी। कितनों को फांसी लगायेंगे। लेकिन हम इस समय कायरता नहीं दिखाना चाहेंगे। इसलिए मेरी अपील है कि आप पीछे पड़कर इस गम्भीर और खतरनाक कानून को मत पास करने दीजिए। यह सबके लिए है। हमारे और आपके लिए सबके लिए है। आप हिम्मत करके इसको अभी मत पास करायें या वापस ले लीजिए। यह मैं आपसे, संसदीय कार्य मंत्री जी से और नेता सदन से अपील करता हूं।

* श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, आज बहुत महत्वपूर्ण विषय है। श्री हुकुम सिंह जी द्वारा लाये गये इस प्रस्ताव पर कि इसे इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये, मैं इसका समर्थन करता हूं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने इसको पढ़ा होगा। लेकिन जिस तरीके से मैंनें इसको पढ़ा है अगर वह इस तरीके से इसको पढ़ लेंगे तो खुद इस विचार से सहमत होंगे कि यह जिस स्वरूप में आया है इस स्वरूप में इसे पास नहीं किया जाना चाहिए। मान्यवर, मैं सिर्फ एक उदाहरण दे रहा हूं। अपराध रोकने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और राजनीतिक संकल्प की आवश्यकता होती है। अगर राजनीतिक इच्छाशक्ति और संकल्प हो तो कोई भी कानून से इसे रोका जा सकता है। समय-समय पर कानून बदले हैं। लेकिन कानून ऐसा नहीं बदलना चाहिए कि इसे लागू करने वाली एजेन्सियों को ऐसे अधिकार दे दें कि जो इसे बना रहे हैं वही इसका शिकार हो जाएं। मान्यवर, 1989 में जनता दल की सरकार थी, 1991 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, 1993 में श्री मुलायम सिंह यादव और बसपा की सरकार आयी, 1996 में 6-6 महीने वाली और फिर भाजपा की सरकार आयी और 2002 में फिर सत्ता परिवर्तन हुआ। मान्यवर, 1989 के बाद दो बार कोई सरकार लगातार नहीं रही। तो यह मानकर चलिए कि यह जो आप कर रहे हैं तो यह इधर के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि उधर के लिए भी कर रहे हैं। मान्यवर, क्या करने जा रहे हैं इसे देख तो लीजिए। डेथ सेन्टेन्स की जो बात है,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सी0आर0पी0सी0 का जो प्राविजन था, रेयरेस्ट आफ द रेयर, 1973 के पहले जो सी0आर0पी0सी0 थी उसमें कारण बताना पड़ता था कि क्यों आप मृत्यु दण्ड नहीं दे रहे हैं। अब सी0आर0पी0सी0 बदल गयी है। 1973 के संशोधन के बाद, अब न्यायाधीशों को बताना पड़ेगा कि मृत्यु दण्ड क्यों दिया जाय ? अब आप सबके लिए मृत्यु दण्ड का प्राविधान कर रहे हैं। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ ऐसे प्राविधान है कि अगर यह किसी न्यायालय में चुनौती के लिए चला जाये तो यह अल्ट्रा वायरस हो जायेगा, संविधान के दायरे में खड़ा नहीं रह पायेगा। दूसरा मैं यह कहना चाहता हूं कि सूचना का अधिकार पार्लियामेन्ट ने बनाया है इसको आप रोक रहे हैं, तो कैसे पार्लियामेन्ट के अधिकार को असेम्बली से इसको करेंगे। मैं केवल आपको सुझाव दे रहा हूं, मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि कैसे इसको आप रोक लेंगे। एक उदाहरण मैं देता हूं सब लोग अपने हिसाब से देखें। इसमें यह है कि किसी को सरकारी सुरक्षा गार्ड मिला हो और उसके साथ अगर निजी सुरक्षा गार्ड हो तो उसका लाइसेन्स जब्त हो जायेगा, सुरक्षा गार्ड भी वापस हो जायेगा और जो सजा है वह अपनी जगह है। जितने विधायक यहां पर बैठे हैं वह बता दें कि जब वह चलते हैं तो क्या अपने समर्थकों की तलाशी देते हैं। दूसरी गाड़ी में कौन बैठा है यह आपको मालूम हो पायेगा ? किसकी गाड़ी में कौन बैठा है यह तो मुझे भी नहीं मालूम होता है। वह लाइसेन्स शुदा होगा। मैं बगैर लाइसेन्स वालों की बात नहीं कर रहा हूं अगर कोई नाजायज लोग बैठे हैं तो समझ में आता है। आप कह रहे हैं कि निजी सुरक्षा गार्ड सरकारी सुरक्षा गार्ड के साथ नहीं बैठा होना चाहिए। मैं दृश्य बता रहा हूं-दूसरी गाड़ी में जो बैठा है वह आपका भाई हो सकता है, चचेरा भाई हो सकता है, आपका निजी समर्थक भी हो सकता है। आपको सरकारी सुरक्षा गार्ड एक पिस्टल वाला मिलता है। आजकल के जमाने में सुरक्षा कर्मी हैं आपके पास और दूसरा जो सुरक्षा के लिए गलत नीयत से नहीं, बैठा है तो आप कानून के दायरे में आ गये। शासकीय सुरक्षा कर्मी के साथ निजी सुरक्षा कर्मी चल रहा है तो आप कानून के दायरे में आ गये हैं कि नहीं आ गये हैं और अगर दायरे में आ गये तो पांच साल के लिए हो गये आप अन्दर। यह किसी के साथ हो जायेगा। मैं एक दूसरा उदाहरण देना चाहूंगा। अब यह देखें कि अगर किसी विधायक को शादी में जाना है तो आप अपने भाई से, चचेरे भाई से कहें कि आप इस रास्ते से जा रहे हैं वह दूसरे रास्ते से जायें। गांव से परिवार से लोग निकलेंगे, दूसरी गाड़ी में रिश्तेदार या समर्थक होगा तो आप क्या करेंगे। आप यह कहेंगे कि मैं दस बजकर बीस मिनट पर चल रहा हूं तुम ग्यारह बजकर चालीस मिनट पर आना। मैं वाया अमीनाबाद से निकल रहा हूं तो तुम वाया हजरतगंज से जाना। आप किसी की बारात में जायेंगे। द्वारचार में जायेंगे तो सब साथ ही तो जायेंगे। लेकिन इस तरह से तो आप कानून के दायरे में आ गये। इसको आप समझने का प्रयास करें। यह किसी के साथ भी हो सकता है। यह हो सकता है कि जो विपक्ष में बैठे हों उन पर लागू हो, कल कौन विपक्ष में बैठेगा यह भी नहीं मालूम है। आज आपका हृदय साफ है आप इसका मिसयूज नहीं करेंगे लेकिन दूसरा जो बैठे हो सकता है वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा इसका प्रमाण दें।

मान्यवर, एक उदाहरण देना चाहता हूं, सुबह से शाम तक आप जब निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, इस दरोगा की शिकायत, उस इन्सपेक्टर की शिकायत सबकी आती है आपके पास और आप अगर जो शिकायत लेकर आया है उसके लिए आप न कहें उस थाने में, तब आप कटघरे में खड़े होते हैं

जनता की अदालत में और कह दें तो आपने उसकी स्वेच्छाचारिता पर रोक लगा दी। मान्यवर, मैं पहला यह कानून देख रहा हूं जिसमें इन्सपेक्टर को, और इन्सपेक्टर कौन होता है, कोतवाली का इन्चार्ज तो इन्सपेक्टर ही होता है मेरे भाई, उसी को जांच का अधिकार दे दिया, बहुत से ऐक्ट ऐसे हैं अभी पोटा ऐक्ट बना था उसमें डी0एस0पी0 को रखा गया था और पोटा का विरोध बहुत लोगों ने किया था कांग्रेस ने उसे वापस लिया भारत की पार्लियामेन्ट में, आपने समर्थन दिया, आपका बनाया हुआ कानून था, मान्यवर, मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैं कुछ स्थितियां बता रहा हूं कि अगर इसका दुरुपयोग करने पर कोई उतारू हो गया तो कितना दुरुपयोग इसका होगा मान्यवर, अब एक और उदाहरण बता दूं, दारुलशफा है मान्यवर, पार्क रोड कालोनी है, विधायक निवास है, अब आप सुबह इकट्टा हुआ कीजिए और देखा कीजिए कि जब आप चले जायें तो आपकी अनुपस्थिति में कोई क्षेत्र का आदमी न आकर रुकने पाये, बहुत से लोग करते हैं और बहुत से लोग जो कम फ्री होते हैं तो कहते हैं कि भई अगर कोई क्षेत्र का व्यक्ति आया है किसी काम से लखनऊ गया है, चाबी दे दो, उसको पकड़ा दो। मान्यवर, अगर उसके साथ कहीं कोई ऐसा आदमी हुआ जो किसी इन्सपेक्टर द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है, आपके पास वही आता है जो दुखी होता है मान्यवर, हो सकता है सही फंसाया गया हो, हो सकता है गलत फंसाया गया हो, मैं मानता हूं कि सही फंसाया जाने वाला व्यक्ति आपके परिसर में हो गया, आपको मालूम नहीं है, आपको इल्म ही नहीं है लेकिन यह कानून मान्यवर, कहता है कि अगर आपके आवास पर आपके परिसर में कोई ऐसा व्यक्ति मिला तो आप भी गये। हमारा क्या दोष होगा भाई। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी हमें तो मालूम ही नहीं, अक्सर रात में निर्वाचन क्षेत्र से लोग आकर रुक जाते हैं, जिनसे रात में 12 बजे उठकर नहीं मिलते हैं, सुबह मिलते हैं, आठ बजे मिलते हैं, नौ बजे मिलते हैं, रात भर कौन रुका रहा, कौन चेक करेगा। अब आप कह सकते हो कि नहीं यह तो ठीक है, कानून ठीक है, मैंने कुछ दिनों तक वकालत की है थोड़ा बहुत मेरा अनुभव है। मान्यवर, बहुत से ऐसे लोग होते हैं ज्यादातर मुकदमों में कुछ सही लोग फंसाये जाते हैं कुछ गलत लोग दुश्मनी के कारण फंसाये जाते हैं। मान्यवर, वह आपके पास न्याय, इन्साफ के लिए आता है, आप सी0आई0डी0 जांच करवाते हो, आप उसके लिए कहते हो कि किसी और एजेन्सी से जांच करा ली जाये, किसी और जिले से जांच करा ली जाये, किसी और जोन से जांच करा ली जाये, मान्यवर, जिस समय वह आया आपके पास, अभी जांच हुई कि नहीं हुई, आप तो मुल्जिम हो गये। क्योंकि आपने तो उसकी सहायता कर दी, क्योंकि वह वांछित व्यक्ति है एक केस में और वह अपनी जांच ट्रांसफर कराना चाहता है आपने उसकी सहायता कर दी तो सम्मानित विधायक जी आप तो आ गये उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक के अन्तर्गत। इतिहास साक्षी रहे, यह विधान सभा की प्रोसीडिंग साक्षी रहे कि मैंने यह बातें कह दी थी मान्यवर, कल अगर इसका दुरुपयोग होने लगे मान्यवर, तो कम से कम यह कहा जा सके मान्यवर, कि हां यह बातें मैं आपके संज्ञान में लाया था, मैं उन लोगों में हूं, जिन अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही हुई उसमें मेरा किसी के साथ कोई समर्थन नहीं हो सकता, मेरा मतभेद है मैं चाहता हूं कि दोषियों के खिलाफ जिनको दण्डित किया जाये कड़ी से कड़ी सजा दी जाये लेकिन मेहरबानी करके पूरी विधायिका को एक इन्सपेक्टर के रहमोकरम पर मत छोड़िये, वरना आने वाला इतिहास इस बात से वंचित नहीं कर पायेगा कि इसका

दुरुपयोग आप पर भी हो सकता है। मेरा आग्रह आपसे है, मेरी विनती आपसे है कि इस पर आप विचार कर लें। डेथ सेंटेन्स की जहां तक बात है सारी दुनिया में आज एक मूवमेन्ट चल रहा है कि डेथ सेटेन्स समाप्त किया जाय, आन्दोलन हो रहे हैं और आप डेथ सेन्टेंस लेकर आ रहे हैं, ले आइये ठीक है, बात समझ में आती है, लेकिन मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि इसको मत लाइये। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं, ठेकेदारी प्रथा, जिस तरीके से ठेकेदारी प्रथा पर गुण्डा तत्व हावी है उन पर रोक लगनी चाहिए, जिस तरीके से गवाह, गवाही नहीं देता है, गवाही डर के मारे नहीं देता, उसको संरक्षण मिलना चाहिए मैं इसके बहुत से प्रयोजनों का पक्षधर हूं, लेकिन इसमें जो दुरुपयोग के कालम हैं, दुरुपयोग की जो धारायें हैं उनका विरोधी हूं और इसीलिए आपसे एक अनुरोध कर रहा हूं कि इसे आज न पारित कीजिए न आज इसे रिजेक्ट करिये बल्कि एक महीने के लिए आइये एक समिति बना लें हम आप बैठकर विचार कर लें, विचार करने के बाद जो इसमें उचित लगे उसको स्वीकार कर लें और जो अनुचित लगे उसे अस्वीकार कर दें और आज जिस स्वरूप में यह आया है मैं इसका विरोध करता हूं।

(श्री नरेश अग्रवाल के अपनी सीट पर बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय अग्रवाल साहब, अब आप रहने दीजिए।

* श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, आपका जो आदेश हो।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष जी तथा तिवारी जी बोल दिये इस विधेयक पर, अभी चार-छः और विधेयक हैं, जिसमें संशोधन और प्रस्ताव भी है।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह विधेयक ऐसा है कि इस पर सुझाव रखना है, अगर नहीं रखेंगे तो हम अपने क्षेत्र के साथ अन्याय करेंगे और पूरे सदन के साथ भी मान्यवर, अन्याय होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, इतनी जल्दी जल्दी में इस विधेयक को लाने की क्या जरूरत पड़ गयी है ? पांच साल के लिये आपकी सरकार चुनी गयी है अभी आपको छह महीने ही हुये हैं। आप चीजों को पहले समझ लेते, अपने विधायकों से विचार विमर्श कर लेते, मंत्रि-परिषद् में इस पर विचार विमर्श कर लेते। आप विधेयक के साथ 56 संशोधन भी लाये हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यह विधेयक है या संशोधन विधेयक है या विधेयक का संशोधन है। अभी तक किसी विधेयक के साथ इतने संशोधन कभी लाये नहीं गये हैं। इससे यह लगता है कि केवल विपक्ष को दबाने के लिए यह लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में अपराध को रोकने के लिये यह नहीं लाया जा रहा है। अभी माननीय प्रमोद जी माननीय

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हुकुम सिंह जी ने और माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा कि इसमें कोई भी विधायक बचेगा नहीं। दस साल में अगर किसी के विरुद्ध दो एफ0आई0आर0 हुई और उनकी चार्जशीट कोर्ट में चली गयी और कोर्ट ने उसका संज्ञान ले लिया तो आप फिर इसमें अपने आप से आ जायेंगे। 1997 से 2007 के बीच में अगर दो शिकायतें हुई हैं तो फिर यह लागू हो जायेगा। मान्यवर, एन0सी0आर0 के जितने आफेंस हैं, काग्नीजेबिल मान लिये गये, 323, 504, 506 में लिख दिया गया तो काग्नीजेबिल हो गया और आप इस ऐक्ट के अन्तर्गत मुलजिम हो गये। हम लोग मान्यवर, विधायक हैं शादी बारात में जाते हैं तीन चार गाड़ियों से कम लेकर नहीं चल सकते हैं, गनर से सुरक्षा नहीं हो पाती है। निजी सुरक्षा गार्ड आप रख नहीं पायेंगे। आप तो सत्ता पक्ष के लोग हैं आपके पास तो ज्यादा भीड़ रहती है। हम जायेंगे तो हमारे साथ प्रमुख भी जायेगा जिला परिषद् का सदस्य भी जायेगा और समर्थकगण भी जायेंगे। एक गाड़ी और साथ में चली गयी तो हम मुलजिम हो गये। इस तरह से तो हमारा क्षेत्र में जाना भी रोक दिया जायेगा। ऐसा लगता है कि डी0आई0आर0, मीसा, टाडा, पोटा सब कानूनों का मिश्रण करके एक कानून बना दिया गया है जल्दी जल्दी में।

मान्यवर, आज पूरी दुनिया में मानवाधिकारों के संरक्षण की बात चल रही है। यह बातें चल रही हैं कि कानून से फांसी की सजा को समाप्त किया जाये। वहीं दूसरी ओर आज फांसी की सजा का प्राविधान जानबूझकर किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत यह भी है कि अगर आप फरारी है तो फरारी की हालत में इवीडेंस कर दिया जायेगा और सजा दे दी जायेगी। अगर आप फरारी हैं तो इवीडेंस हो जायेगा और अदालत से सजा हो जायेगी। पहले फरारी के बाद 82-83 की कार्यवाही होती थी, उसके बाद वह लगायी जाती थी। अब इसमें फरारी के बाद कार्यवाही हो जायेगी। यह आर्टिकल 21 है इसमें लिखा है संविधान के आर्टिकल 21 में कि "प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण-किसी व्यक्ति को, उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जायेगा, अन्यथा नहीं।" इसी तरह से आर्टिकल 19 में स्पष्ट कहा गया है कि कौन-कौन से क्लाज होने चाहिये। अगर आर्टिकल 21 की आप अवहेलना करना चाहते हैं तो बताना पड़ेगा कि उनके कौन से अधिकारों का हनन हो रहा है। बंदिश का आशय क्या है ? आप इसके माध्यम से जिस बुराई को रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसकी दशा क्या होगी ? हमारे यहां जो आई0पी0सी0 है सी0आर0पी0सी0 है, इवीडेंस ऐक्ट है वे इतने मजबूत है और बहुत जगहों पर इसका अच्छी तरह से पालन किया जा रहा है। बहुत जगह कन्वीक्शन का रेट बढ़ा है किन्हीं जिलों में तो वह पचास परसेंट से ऊपर चला गया है। उन्हीं कानूनों में सब कुछ व्यवस्थायें हैं। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या जरूरत है इसमें इन विशिष्ट प्रावधानों के करने की। श्रीमन् अभी तक एक कानून था कि मुलजिम को यह सिद्ध नहीं करना पड़ता था कि वह मुलजिम है या नहीं। अब तो उसे सिद्ध करना पड़ेगा कि हम मुलजिम नहीं है।

बर्डेन आफ प्रूफ जो है एक्यूज्ड के ऊपर होगा आपको बताना पड़ेगा कि आप इसमें गलत क्यों फांसे जा रहे हैं आप इवीडेंस दीजिए सरकार इवीडेंन्स नहीं देगी। पता नहीं कौन सा नया कानून बन गया यह आप सोच लीजिए अगर आप यहां से पास भी कर देंगे संख्या बल के आधार पर तो अदालत के सामने आप खड़े नहीं हो सकेंगे, अदालत में यह कानून आपका रुकने वाला नहीं है।

श्रीमन्, पुलिस के सामने जो बयान दिया जायेगा वह इसमें है कि नहीं मान रहे हैं। आपने जो कमेटी और एथारिटी बनाई, सारे सरकारी अधिकारी एक रिटायर जज के अलावा सारे सरकारी अधिकारी यानि जिससे सरकार नाराज उसको न एथारिटी में कोई छूट मिलेगी न कमेटी में होगी क्योंकि सब सरकारी अधिकारी है। क्यों नहीं आपने ह्यूमन राईट कमीशन को इनवाल्व किया आज इतने कमीशन बनाये गये, महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अल्पसंख्यक आयोग इतने आयोग बनाये गये, इनको क्यों नहीं इनवाल्व किया गया ? आप कमेटी बनाइए इन आयोगों को मिलाकर कमेटी बना दीजिए उनके सामने अपील जाये, लेकिन नहीं। रासुका में भी मान्यवर, 7 दिन के अन्दर राज्य सरकार को केन्द्र सरकार को सूचना देनी पड़ती है और केन्द्र सरकार 10 दिन में निर्णय नहीं लेता है तो मुल्जिम को राइट होता है। इसमें केन्द्र को कहीं इनवाल्व ही नहीं किया गया है सारा अधिकार राज्य सरकार को है। अभी आप जो रासुका लगाते हैं तो 7 दिन के अन्दर केन्द्र सरकार को सूचना देनी पड़ती है और केन्द्र को 10 दिन में उस पर निर्णय लेना होता है लेकिन इसमें वह भी अधिकार केन्द्र का खत्म कर दिया आपने। यानि कि एकतरफा जस्टिस के लिए आदमी को समय दिया जाता है लेकिन इसमें तो सब एकतरफा। अपील में फीस का प्राविधान मान्यवर, सिविल अपील में फीस का प्राविधान था क्रिमिनल में फीस का कहां प्राविधान था ? इसमें लिखा है कि अपील में फीस का प्राविधान सरकार बाद में करेगी। अगर लोअर कोर्ट, स्पेशल कोर्ट में कन्विक्ट हो जायें और हम हाईकोर्ट में अपील करने जायेंगे तो फीस का प्राविधान और फीस भी वही लाख दो लाख रुपये कर देंगे तो जो छोटा आदमी है वह अपील भी नहीं कर सकेगा, आप पढ़ लीजिए संसदीय कार्य मंत्री जी, बहुत स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि अपील में फीस का प्राविधान किया गया है। मैं नहीं समझ पाया अभी तक था बेनीफिट्स आफ डाउट गोज टू एक्यूज लेकिन इसमें तो बेनीफिट आफ डाउट गोज टू गवर्नमेन्ट इसमें तो राज्य सरकार के पक्ष में जायेगा। तो इसमें सीधा-सीधा क्यों नहीं यह कह देते कि हम एक कानून ला रहे हैं पाकिस्तान में आ गया है और उत्तर प्रदेश में वह कानून ला रहे हैं कि सीधा-सीधा हम आपको बस गोली नहीं मारेंगे और आपको सब कुछ ऐसा कर देंगे, आपको कोई अधिकार नहीं रहेगा। आप कहते हैं कि 10 राज्यों में यह और है, महाराष्ट्र में मकोका है मकोका लगने के बाद कौन क्राइम रुक गये महाराष्ट्र में। यही कहा जाता है कि देश के 10 राज्यों में लगा है यह कानून तो उत्तर प्रदेश में लग जायेगा तो कौन सी बुराई होगी। सुप्रीमकोर्ट ने अपहेल्ड किया है लेकिन जो चीज अपहेल्ड की है उसके विपरीत आपने इसको बनाया है। आप यह कह देते कि सुप्रीमकोर्ट ने इस कानून को अपहेल्ड कर दिया इसलिए यह कानून लागू हो जायेगा। मैं तो कहता हूं कि जितने सत्ता में बैठे हुए लोग हैं मैं इनसे कहूंगा आप पढ़ लीजिए इसको इसके बाद देख लीजिएगा कि आपका क्या हाल होगा कोई ऐसा नहीं है कि हम विपक्ष में बैठे हैं हमारे लिये यह बड़ा कानून बन रहा है। यह कानून तो ऐसा कानून है कि दरोगा तक अब हमारा बास हो जायेगा। वैसे तो जो सब लोग कहते हैं हम कहना नहीं चाहते हैं।

* श्री विवेक कुमार सिंह-

मान्यवर, दद्दू प्रसाद जी बैठे हैं, मंत्री नहीं रहेंगे तो कैसे जायेंगे चित्रकूट में ?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हम तो श्रीमन्, जिस जिले में गये वहां लोगों ने मुझसे कहा कि मंत्री जी खुद डी0एम0 और एस0पी0 के यहां जाते हैं डी0एम0, एस0पी0 उनसे नहीं मिलने आते हैं।

यह कोई दर्जा प्राप्त वाले मंत्री नहीं हैं, बल्कि महामहिम राज्यपाल ने जिन्हें ओथ दिलाई है , वह मंत्री हैं, आप अगर कहें तो मैं नाम भी बतला सकता हूं। जब मुझसे यह कहा गया तो मैं तो सरप्राइज में रह गया कि डेमोक्रेसी में अगर मंत्री डी0एम0, एस0पी0 के घर जाने लगेगा तो क्या हालत हो जायेगी ? लेकिन यह वास्तविकता है, बहुत से एम0एल0ए0 कहते हैं कि हमारी सुनी नहीं जाती आज तो थानों में जिस तरह काम हो रहा है, सब जानते हैं, यह किसी से छिपा नहीं है, श्रीमन् इसी मारे जितने स्पेशल ऐक्ट बने उसमें सी0ओ0 स्तर से नीचे जांच अधिकारी बनाया ही नहीं गया, लेकिन इसमें तो इंस्पेक्टर और उसको सम्मन काटने का अधिकार भी दे दिया गया, वह सम्मन भी काट देगा। हुकुम सिंह जी ने बहुत विस्तार से सब बता दिया। मैं तो इसे पढ़कर विस्मृत रह गया। कल ही मैं आया बाहर से अधिवेशन से और जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो मुझे लगा कि यह कानून है, किसने इसको छाप दिया, यह कहां से बना। मैंने कल अपने दो मित्रों को बुलाया जो प्रैक्टिस कर रहे हैं क्योंकि हमको तो प्रैक्टिस छोड़े बहुत दिन हो गया। सन् 80 में मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी थी। लेकिन उनको मैंने रात को बैठाया, मैंने कहा बताओ कि यह क्या कानून है, कम से कम समझा तो दो। पूरी रात में बैठकर मैंने इसे समझा तो श्रीमन् मैंने देखा कि इससे बड़ा काला कानून और क्या होगा ? आप जेल में तो डी0एम0 की बिना परमीशन के मिलाई नहीं कर सकते। जब डी0एम0 परमीशन देगा, तब ही आप मिलाई कर सकते हैं। वह भी हफ्ते में दो बार और अगर इसी तरह दवाई आपको चाहिये तो सी0एम0ओ0 जब तक आपको नहीं लिखेगा, तब तक आपको दवाई भी नहीं मिलेगी। इलाज आपका नहीं होगा, यह इस एक्ट में है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप एक-एक चीज को पढ़ लीजिएगा, यह सब इसमें है, जो मैं बोल रहा हूं। यदि मैं गलत कह रहा हूं तो आप जवाब दे दीजिएगा कि यहां आपने गलत कहा। मैं आपको दिखा दूंगा जहां पर यह लिखा है कि डी0एम0 परमीशन देगा मिलाई करने के लिये और सी0एम0ओ0 परमीशन देगा दवाई के लिये तो फिर हमारा होगा क्या ? इससे तो आम आदमी का जीना दुश्वार हो जायेगा जो ऐसा कानून आ रहा है। हार्ट अटैक हो जाये तो जेल का डाक्टर कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ इंटरफेरेंस नहीं होगा, सी0एम0ओ0 साहब बुलाये जायेंगे और पता नहीं अंतू भाई का उन पर कितना कमांड है। वह आयेंगे, पता नहीं कितने दिन बाद आयेंगे। पता लगा कि लखनऊ मीटिंग में गये हैं दो दिन बाद लौटेंगे। तब तक तो काम भी हो गया आपका। यह लिखा है इसमें। जब तक सी0एम0ओ0 नहीं आयेंगे तब तक आपको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। हम हास्पिटल रिफर नहीं हो सकते। तो ऐसा कानून बनाने से मैं नहीं समझ पाया। अब राइट आफ इन्फारमेशन कानून सस्पेंड कर दिया गया। आप केन्द्रीय कानून को कैसे सस्पेंड कर देंगे, उत्तर प्रदेश की असेम्बली कैसे इसको सस्पेंड कर देगी। जैसा प्रमोद जी ने कहा, सूचना का अधिकार हम मांग ही नहीं सकते। इवीडेंस को बंद कमरे में कर दिया, यह भी पता नहीं कि क्या कहा। बंद कमरे में जो इवीडेंस कह दी, वह हो गया। सीधे-सीधे कन्विक्शन और उसके बाद इतना अधिक जुर्माने का प्राविधान कर दिया एक लाख से तो कम है ही नहीं। छोटे से छोटे मामले में और 5 साल और 3 साल की कैद। मिनिमम 3 साल और मैक्जीमम आजीवन कारावास या फांसी। माननीय अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर विषय है और ऐसा नहीं है आज यह संदेश जायेगा, जो

हम लोग कह रहे हैं यह इन पन्नों पर लिखा रहेगा, प्रोसीडिंग में भी लिखा रहेगा और ऐसा नहीं है कि हम लोग हरदम के लिये हैं, लेकिन यही चीजें इतिहास बनाती है और यहीं चीजें आने वाली पीढ़ी पढ़ती है। इसी तरह इतिहास लिखा जाता है। आज का संदेश आज पूरे प्रदेश की जनता में जायेगा कि यह कानून पास हुआ है तो कोई उसके बहुत पक्ष का संदेश नहीं जायेगा। आप यह न सोच लें कि कानून व्यवस्था के सम्बन्ध में बहुत पक्ष का संदेश जायेगा। वैसे भी जो हालत है, गांव-गांव में जिस तरह से दुश्मनी बढ़ी है, जिस तरह पुलिस का इंटरफेरेंस बढ़ा है, एम0एल0एज की जितनी डेमोक्रेसी कमजोर होगी उतना ब्यूरोक्रेसी हावी होगी। दिल पर हाथ रखकर सोचिये कि कितना किसको अधिकार है। आपको सब मालूम है, हम उसको कहना नहीं चाहते हैं। लेकिन मैं कहूंगा कि कम से कम ऐसा अपने हाथों से फांसी का फंदा न बुनिये कि वह फंदा अपने ही गले में आ पड़े, क्योंकि सरकार कभी भी बदल सकती है। किसी के साथ कुछ भी हो सकता है और जब अधिकारियों के हाथ में सब चला जाएगा तो हम और आप किस बात के लिए रह जायेंगे, डेमोक्रेसी किस बात के लिए रह जाएगी। मेरा यह अनुरोध है कि इसको इतनी जल्दी न पास करें, जैसा माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इस पर फिर से विचार कर लें, दिसम्बर में सदन बुला लें, आप एक-एक बिन्दु पर अपने कानून-विशेषज्ञ को बैठा दीजिए और कानून-विशेषज्ञ देख लें कि इसमें क्या मोडीफाई करना है। अगर आप अपराधियों पर कार्यवाही करना चाहते हैं तो हम भी इसी पक्ष के हैं कि अपराधियों पर खूब कार्यवाही हो। हम इस पक्ष में नहीं है कि अपराधी छूटें लेकिन कहीं अपराधियों के नाम पर राजनीतिक लोगों पर कार्यवाही न हो, इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि इस अपराध नियंत्रण वाले विधेयक पर मुझे बोलने का अवसर आपने दिया। मैं मा0 हुकुम सिंह द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं कि इस कानून को एक महीने के लिए एक प्रवर समिति बनाकर उसके सुपुर्द किया जाए ताकि एक-एक बिन्दु पर मान्यवर, गम्भीरता से विचार हो सके। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो बातें आ चुकी हैं। मान्यवर, अगर उधर बैठी हुई सरकार को इमरजेन्सी लगाने का अधिकार होता तो शायद इसको देख करके यह कहा जा सकता था कि यह कानून एक अघोषित इमरजेंसी के रूप में हमारे बीच में आया है। पृष्ठ सं0-3 पर देख लें (5) संगठित अपराध और संगठित अपराध सिण्डीकेट इसका ख का (5) है कि भवनों या भूमि या उसके किसी भाग को उसके विधिक अध्यासियों से अवैध रूप से हटाने के आशय से क्रय करना। मान्यवर, अगर हमारा मकान किराये पर उठा हुआ है और उसको अगर हम बेचना चाहे तो मान्यवर, जो व्यक्ति उसको खरीदेगा वह व्यक्ति इस कानून की परिभाषा में आ जाएगा और सीधे-सीधे पुलिस जब चाहे तो उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर सकती है और उसका अपराध सिर्फ यह होगा कि उसके लिए किसी भी विधिक रूप से किराये पर ली हुई प्रापर्टी को उसने खरीद लिया। यह मान्यवर, क्या हमारे फण्डामेंटल राइट को वायलेट नहीं करता, यह हमारे सम्पत्ति के रखने के अधिकार को तथा सम्पत्ति के खरीदने के अधिकार को वायलेट नहीं करता ? इस कानून में ऐसी बहुत सी धाराएं हैं, जिसके लिए संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता कि उनको इस कानून में रखा जाए लेकिन पता नहीं किस प्रकार से कानून विशेषज्ञों ने इसका परीक्षण किया है जो इस प्रकार की धाराएं इसमें शामिल कर दी हैं। जो किसी भी हालत में अगर कोई भी हाईकोर्ट में इनको ले करके खड़ा हो जाएगा तो यह अल्ट्रा-वायलेट घोषित हो जाएगा। मान्यवर, सूचना का अधिकार इससे

प्रतिबन्धित है, आखिर कौन सी मजबूरी होगी कि सूचना के अधिकार से आप लोगों को वंचित कर देंगे। मान्यवर, यह कानून पुलिस की जेब भरने वाला कानून है इससे पुलिस को इतनी पॉवर मिल जाएगी कि पुलिस की जेब आटोमैटिकली भर जाएगी। सबसे बड़ी बात, जैसा कि अभी कहा गया कि अभी तक जितने भी स्पेशल ऐक्ट बने उसमें गजटेड आफीसर को यह पावर होती है कि वह इन्वेस्टीगेशन करे और इसमें मान्यवर गजटेड आफीसर से नीचे इंस्पेक्टर से नीचे यह पावर दे दी गई है। मैं इसका विरोध करता हूं और पुनः इस बात पर बल देता हूं कि जब तक एक-एक धारा को अलग-अलग तरीके से थ्रेसआउट न कर लिया जाए तब तक इस काले कानून को इस प्रदेश पर न थोपा जाए, इन्हें शब्दों के साथ मैं मा0 हुकुम सिंह द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मैं संक्षेप में ही कहूंगा। एक वकील होने के नाते और इस माननीय सदन में वर्षों से जो भी कानून पास किये गये हैं उनके साक्ष्यदर्शी के रूप में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे तो हमारे बहुत से माननीय सदस्यगण, वरिष्ठ साथियों ने और दलों के नेताओं ने बहुत कुछ कहा है और नेता प्रतिपक्ष ने बहुत कुछ चीजों की ओर इशारा भी किया है। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता लेकिन इतने लम्बे राजनीतिक जीवन में इस तरह की गम्भीरता पैदा करने वाला कोई भी विधेयक हमने नहीं देखा जिसमें भले ही सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष में बैठे जो भी माननीय सदस्यगण हैं हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन यह विधेयक किसी को पच नहीं रहा है। यह इतिहास जब कभी बनेगा तो निश्चित रूप से यह काला कानून होगा और यह क्षण भी याद किया जायेगा, जिन्दगी में याद रखने की बात है क्योंकि

"इतिहास के पन्नों ने वे दौर भी देखे हैं,
कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पायी।"

यह लम्हा जो खता कर रहा है इस कानून को बनाकर जो हमारा संविधान है, उसके अनुच्छेद है उनकी अनदेखी की जा रही है। हमारे जो फण्डामेण्टल राइट्स हैं उनकी अनदेखी है, जो राइट आफ इन्फार्मेशन है उसकी अनदेखी है, मानवाधिकार की अनदेखी की जा रही है। दुनिया में इस बात का शोर मच रहा है कि फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए वहीं आप इसका प्राविधान कर रहे हैं। जब चारों तरफ से हाहाकार मचा है कि आजीवन कारावास को बहुत बड़ी सजा मानी जाती है, राष्ट्रपति जी बीच में आते हैं तो उस आजीवन कारावास की अवधि को कम कर दी जाती है। फांसी की सजा खत्म करने के लिए दुनिया में माहौल बन रहा है मैं पुनरावृत्ति नहीं करना चाहता हूं लेकिन एक तरफ जहां विश्व में यह माहौल बन रहा है कि फांसी की सजा को खत्म किया जाए वहां आप इस तरह का कानून बना रहे हैं यह उचित नहीं है। मेरा अनुरोध है कि इन सब चीजों का ध्यान रखिये। एक बात और ध्यान रखें हमारे साथी कि यहां और वहां हम भी बैठे हैं, आप भी बैठे हैं कि यह वक्त जो होता है वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता "टाइम एण्ड टाइड वेट फार नन" "घड़ी की टिक-टिक और समुद्र का ज्वार यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है। इसको बहुत जल्दबाजी में पास कराने से कोई बड़ी भारी तीरन्दाजी नहीं हो जायेगी और न किसी की नौकरी खतरे में पड़ जायेगी। मा0 नेता सदन है, उनको गम्भीरतापूर्वक वह जहां भी हों, आप विचार कराईये नहीं तो जो यह काला इतिहास लिखा जायेगा तो सबसे ऊपर उन्हीं का नाम अंकित होगा और जैसा कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा

हम सब लोगों के लिए जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं यह तो भूमिका बन जायेगी। ठीक है जो कुछ होगा सह लिया जायेगा लेकिन एक बात याद रखियेगा आज हमारी आवाज दबा रहे हैं, हमारी आवाज दब सकती है और दबाने में माहिर आप हैं लेकिन-

'हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा।
और फसीले आनसोआहन बहुत बुलन्द सही।
इस बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा।
औ नये ख्याल की परवाज रोकने वालों
उस नये आवाम की तलवार कौन रोकेगा।'

यह तलवार सबकी गर्दन साफ कर देगी तब पता चलेगा कि यहां पर साथियों ने कुछ कहा था इसलिए जल्दबाजी मत करिये और इस पर विचार करिये। मैं भी एक हाईकोर्ट का वकील हूं और पढ़ा लिखा आप सबके बीच में बैठा हूं। बहुत सारे कानून देखते आये हैं और बाद में उनको बाकायदा पब्लिक द्वारा फाड़ते हुए देखा है। क्यों इस तरह का माहौल बना रहे हैं ? पाकिस्तान में जो हो रहा है अभी दो दिन हुए वहां जो माहौल बन रहा है, लोग सड़क पर आ रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि इस कानून के बनने के बाद जनता सड़क पर नहीं आयेगी। क्या हम कभी किन्हीं फंक्शन्स पर नहीं जा पायेंगे कौन से ऐसे राजनीतिक साथी है जो अपने मित्रों के बर्थ-डे से लेकर शादी-व्याह तक न जाते हों बल्कि अब तो यह हो गया है कि जो जितना अपने साथियों के साथ चलता है उसको बाकायदा स्टेट्स माना जाता है। आप सुरक्षा में देंगे एक गनर। बहुत से लोग इसलिए जलते हैं कि कोई बहुत लोकप्रिय है और कब किसको धमाका कर दे कोई नहीं जानता। यह गारण्टी किसी की नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

गौरी शंकर जी, आपकी बात आ गयी।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

अध्यक्ष जी मैं, समाप्त कर रहा हूं। मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जैसे मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा है आप भी बीच में पड़िये, मध्यस्थता करिये क्योंकि वह पीट ऐसी है जो इतिहास बनाती है आप एक इतिहास बना देंगे तो आपका नाम भी याद किया जायेगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एक नौजवान साथी हैं इस बात को समझिये, ऐसा नहीं कि जो हुकुम मिला है आज ही पास करा लीजिए और यह जितने साथी बैठे हैं सब स्तब्ध हैं और यह कानून बनने के बाद जो माहौल बनेगा वह तो देखेंगे। मैं आपके लिए खास तौर पर अनुरोध कर रहा हूं कि वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। चाहे जितनी ही बड़ी हो चाहे जितनी ही कड़ी हो। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। इस तरह की जितनी भी धाराएं हैं जितने भी कानून होते हैं वह आम जनता के लिए कष्टदायक हैं इनको वापस लीजिए। इसलिए मेरा अर्ज है कि इस पर पुनर्विचार कर लें।

* श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से एक प्रश्न रख देता हूं बाकी संसदीय कार्य मंत्री जी अभी इसके कारण और उद्देश्य को जरूर बताना चाहेंगे वह जब उत्तर देंगे तो इसके कारण और उद्देश्य बतायेंगे। मैं अलग से कोई बात प्वाइंट आउट नहीं करूंगा जो अपील नेता प्रतिपक्ष ने की है या अन्य सदस्यों ने कही है उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है। मैं अलग से किसी प्राविधान का उल्लेख नहीं करूंगा। मुखबिरों का अच्छा इंतजाम आपने रखा है। अगर कोई वायदा माफ गवाह बन जाए तो मुख्य अभियुक्त भी होगा उसकी पूरी माफी दी जाएगी यह प्राविधान आपने रखा है। लेकिन आपने यह वजह नहीं बताई कि किन चीजों की पूर्ति हमारी आई0पी0सी0 या अन्य दूसरे स्थापित कानूनी धाराओं या प्राविधानों से नहीं हो रही थी जिसके कारण यह ऐक्ट लाना पड़ा। मैंने पचासों बार पढ़ा लेकिन उद्देश्य और कारण समझ में नहीं आया। ले आने की मुख्य वजह यह है कि अब तक कानून में जो प्राविधान थे उनसे यह संगठित अपराध हम रोक नहीं पा रहे हैं आपकी मंशा संगठित अपराध को रोकने की होती तो अपने बगल में बैठे हुए लोगों पर जरूर विचार कर लेते और देखते कि उन बेचारों पर कोई अनायास आंच तो नहीं आ रही है उनको आपने मंत्रि-परिषद में स्थान तो नहीं दे दिया है उसकी पड़ताल कर लेते उसके बिना इस संगठित अपराध को रोक[illegible] की आप बात करेंगे तो यह अलावे मजाक के कुछ नहीं है। मैं यह जरूर स्पष्ट करूंगा कि किसी [illegible]पराध को रोकने के लिए कानून में प्राविधान नहीं है तो आप पूछिए मैं बता दूंगा पूछिये तो अभी बता दूंगा कि फला सेक्शन में यह प्राविधान है। अगर उसका प्राविधान है तो ऐक्ट लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो आशंकाएं नेता प्रतिपक्ष ने नेता कांग्रेस ने नेता भाजपा ने व सारे नेताओं ने व्यक्त की है उनके अलावा कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता है। अध्यक्ष जी इस ऐक्ट को ले आने की कोई जल्दबाजी करने के बदले इन सारी बातों पर विचार करके अपना मन बनाकर ले आना चाहिए था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। समाजवादी पार्टी ने हमेशा सिर्फ आपके कानून का नहीं इस स्तर पर ही नहीं टाडा जैसे कानून का मान्यवर, टाडा कितना कामयाब हुआ है यह पूरे देश से छिपा नहीं है। पोटा जैसा कानून जो अपने चिन्हित राजनैतिक विरोधियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए आया उसका अपराधियों पर कितना प्रभाव पड़ा। इसका भी इस्तेमाल अपने राजनैतिक विरोधियों के लिए दरोगा से इशारा कर किया जायेगा इससे न कोई संगठित अपराध पर रोक लगेगी न कोई उस पर आपका नियंत्रण बनेगा। अन्ततः जैसे भस्मासुर को आर्शीवाद प्राप्त हो गया था वह भस्मासुर घूम-घूम कर आपको ही जला देगा। इसे सशक्त बनाकर अपने सिर पर हाथ रखने का का[illegible]। यही मेरा कहना है।

*चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस विषय पर लोक दल के सदस्यों ने अपनी बात नहीं रखी है। कृपया मुझे भी आधा मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। आधा मिनट में अपनी बात रख दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चौ0 सत्येन्द्र सोलंकी-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश में संगठित अपराध नियंत्रण के लिए जो विधेयक लाया गया है इसके लागू होने के बाद पहला व्यक्ति मैं हूं। जिसको इसका शिकार होना पड़े। लेकिन मैं इसी के साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि मैंने सरकार से सुरक्षा के लिये अतिरिक्त 25 परसेन्ट के गनर की मांग की है लेकिन सरकार मुझे 25 परसेन्ट के साथ भी गनर नहीं दे रही है। मैं अपने साथ अपनी सुरक्षा के लिये अपने लाइसेन्सी हथियारों से लैस होकर चलता हूं क्योंकि मेरी जान को खतरा है। मेरी जान को ही खतरा नहीं है। इस सदन के दो तिहाई सदस्य चाहे वे इधर के सदस्य हों या उधर के सदस्य हों, को अपनी सुरक्षा के लिये दर्जनों रायफल और लाइसेन्सी हथियार से लैस होकर चलना पड़ता है क्योंकि सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम नहीं कर रही है। मैं तमाम चेहरे ऐसे देख रहा हूं जो कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के हैं जो मेरे साथी हैं जिनको इस कानून के तहत जेल जाना पड़ेगा। अगर ईमानदारी के साथ इस कानून का पालन किया जायेगा तो हमारे बहुत से साथी जो इस सम्मानित सदन के सदस्य हैं को जेल जाना पड़ेगा। काले कानून का शिकार होना पड़ेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो इस पर विचार किया जाय उसके बाद ही इसको लागू करने का काम किया जाय नहीं तो हमारे तमाम साथी ऐसे हैं जिनको कि आने वाले समय में इस कानून के चलते जेल जाना पड़ेगा। आपने मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया, इसके लिये आपका धन्यवाद।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह अधिनियम प्रदेश में अपराध मुक्त, भयमुक्त, अन्यायमुक्त एवं विकास युक्त वातावरण स्थापित करने के लिये लाया जा रहा है। मान्यवर, आज प्रदेश में अपराधी और माफिया जिनसे प्रदेश की आम जनता को जान माल का खतरा होता है उनके ऊपर कार्यवाही करने के लिये यह कानून लाया जा रहा है। मान्यवर, जहां तक इस कानून का सवाल है यह अकेला उत्तर प्रदेश ही नहीं है जहां यह कानून लाया जा रहा है। मान्यवर, 1999 में मकोका के नाम से महाराष्ट्र में सबसे पहले यह कानून लागू किया गया था उसके बाद दूसरे राज्यों आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली में भी ऐसा अधिनियम लागू है। आज भी जो हमारी जानकारी में है कि मध्य प्रदेश तथा गुजरात में भी इस कानून को लागू किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इससे पहले जो कानून लागू था मकोका जो है उससे हमने बहुत कुछ इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इसका दुरुपयोग न होने पाये। इस बात के लिये इस अधिनियम में प्राविधान किया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत एफ0आई0आर0 तब ही दर्ज की जायेगी जब मण्डल के कमिश्नर और डी0आई0जी0 की अनुमति प्राप्त हो जायेगी। हमारे सभी साथी इस तरह की चर्चा कर रहे थे कि यह तो इन्सपेक्टर राज हो जायेगा। राज्य के डी0आई0जी0 और कमिश्नर की अनुमति के बाद ही एफ0आई0आर0 दर्ज होगा। दूसरा मान्यवर, यह प्राविजन किया गया है कि चार्जशीट आई0जी0 की अनुमति के बाद ही होगी। इन्सपेक्टर जांच करेगा लेकिन चार्जशीट आई0जी0 की अनुमति के उपरान्त ही दाखिल होगी। इसी के साथ साथ राज्य स्तरीय संगठित अपराध नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण की भी व्यवस्था की गई है। जिसके अध्यक्ष माननीय उच्च न्यायालय के सेवा निवृत्त जज होंगे तथा पुलिस महानिदेशक के अलावा एक प्रमुख सचिव स्तर के अधिकारी इसके सदस्य होंगे। इस तरह से इसमें काफी कुछ इसका दुरुपयोग न होने पावे इस बात को ध्यान में रखकर प्राविधान किया गया है। मकोका के अन्तर्गत प्राविधान है कि टेलीफोन/मोबाइल को टेप करने के बाद टेप की गई आवाज को साक्ष्य के रूप में माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करने की शक्ति प्रदान थी। हमने

प्रदेश के इस अधिनियम से इस प्राविधान को हटा दिया। मकोका में पुलिस अधिकारी के समक्ष इकबालिया बयान को कोर्ट में मान्य था और उसे कोर्ट ने गवाही के रूप में स्वीकार किया जाना था। उत्तर प्रदेश के इस अधिनियम में हमने इसे नहीं रखा है। इसी तरह से मकोका में दो अपराधों के बीच में 10 वर्ष का अंतराल था इसको घटाकर 3 वर्ष किया गया है इसी तरह से इसमें सभी उस सावधानी को रखने का प्रावीजन किया है जिससे इसका दुरुपयोग न होने पावे। मान्यवर, हमारे सभी काबिल साथी और विशेषकर प्रमोद तिवारी जी आए दिन प्रतापगढ़ की चर्चा करते रहते हैं और सारे जिला पंचायत से लेकर और सारे जगहों पर जो ठेके या इस तरह के कार्य होते हैं जैसे आर्थिक अपराध का कार्य है उसका जिक्र करते हैं प्रदेश की आम जनता की आवश्यकता है कि वह सामान्य जीवन बसर कर सके और अपने कार्यों का सम्पादन कर सके। उसको किसी तरह के अपराधियों से दिक्कत महसूस न होने पावे। इस बात की व्यवस्था मान्यवर, इस बात की चाहत है और हमारी सरकार का यह लक्ष्य है कि प्रदेश में अपराधविहीन प्रदेश हो। कोई भी व्यक्ति को किसी भी समय कहीं से कहीं भी निर्बाध गति से जाने आने का अवसर प्राप्त हो। उसको किसी तरह का भय न हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो प्राथमिकता हमने निर्धारित किया था उसके अनुसार यह अधिनियम लाने का काम किया गया है। मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमें विपक्ष को नहीं बल्कि अपराधी को सजा दिलाने के लिए, उसके अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए इस कानून को लाने की आवश्यकता पड़ी है और वह अपराधी अगर, अपराधी को ही विपक्ष अपना साथी मान ले अपना प्रतिनिधि मान ले तो अपराधी चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, अगर वह जनता को भयभीत करने का काम करता है अपराध करता है तो निश्चित रूप से उसे दण्ड मिलना चाहिए इस बात को सभी स्वीकार करेंगे और उसी नियत से इसको लाने का काम किया गया है। इसका उदाहरण मा0 ओम प्रकाश सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं इनका अखबार में बयान पढ़ा स्वागत किया था इसी के कारण उपस्थित नहीं है हुकुम सिंह जी को यह जिम्मेदारी दे दिया। मान्यवर, मैंने देखा प्रदेश की आम जनता ने इस कानून का स्वागत करने का काम किया है। इसमे इस तरह का कोई प्रावीजन अब अगर कमिश्नर या डी0आई0जी0 की अनुमति से एफ0आई0आर0 दर्ज होगी तो दुरुपयोग की सम्भावनायें कम होगी। इससे ज्यादा क्या किया जा सकता था। इसके साथ-साथ राज्य के स्तर पर राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण होगा, जिला संगठित अधिनियंत्रण समिति है जिसमें जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति में पुलिस अधीक्षक व अन्य सदस्य होंगे यह समिति संगठित आपराधिक मामलों के सम्बन्ध में जांच कर सकेगी तथा जनपद स्तर पर कार्यवाही का समन्वय भी करेगी। इस तरह की स्थिति है और साथ ही साथ दस वर्ष की जगह तीन वर्ष किया गया है इसमें भी वह अपराध केवल पंजीकृत होना नहीं वह अपराध जिसमें चार्ज फ्रेम हो चुके हों उसको मानने का इसमें प्रावीजन किया गया है तो इसके आधार पर दुरुपयोग की संभावनायें आम जनता के लिए बिल्कुल नहीं है। हमारी सरकार आम जनता की भावनाओं का आदर करती हैं, सम्मान करती है और लोकतंत्र में पूर्ण आस्था रखती है। बाबा अम्बेदकर साहब की लोकतंत्र में पूर्ण निष्ठा थी। उनके आदर्शों पर चलते हुए हम लोकतंत्र में पूर्ण निष्ठा करते हैं। हमारी यह चाहत है कि जनता को अपने अभिमत का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए और इसलिए मान्यवर, चुनाव में जनता की आवाज दबने न पावे। अपराधी उसे भयभीत न कर सके इसके लिए भी इस अधिनियम की आवश्यकता है मान्यवर, जनता की इच्छा कुछ होती है और इस तरह के लोग जनता को धमका कर इस सदन में या दूसरे सदनों में जनता को डरा धमका कर आने का प्रयास करते हैं।

ऐसे लोगों के खिलाफ भी इस तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। साथ ही साथ माननीय हमारे खन्ना जी चर्चा कर रहे थे कि हम किसी जमीन को खरीदने का काम करें, मान्यवर, अगर हम जबर्दस्ती,कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, प्रापर्टी का डिसप्यूट चल रहा है, एक पक्ष से जमीन लिखा ली और बाहुबल के आधार पर दूसरे को धमकाकर जमीन छुड़वा दिया तो निश्चित रूप से आपकी भी आत्मा ऐसा करने के लिए नहीं कहेगी। फिर चाहे आम जनता के साथ हो या आम लोगों के साथ, ऐसा अन्याय नहीं ोना चाहिए। इसलिए इस अधिनियम की आवश्यकता है। मान्यवर, कुछ लोग ख्याली पोलाव पकाने के आदी होते हैं और वह अपेक्षा करते रहते हैं। मान्यवर, अभी प्रदेश में उप चुनाव हुआ है, तीन उपचुनाव की जनता ने इस बात को साबित करने का काम किया है कि वह किस अभिमत के साथ हैं। उसने यह बात साबित कर दिया कि प्रदेश की मुख्य मंत्री बहिन कुमारी मायावती जी ने इन दिनों में प्रदेश के विकास के कार्य किए हैं, उस पर अपनी मुहर लगाने का काम किया है। इस बात को साबित करने का काम हुआ है। मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि आने वाले लोक सभा के चुनाव में भी इस बात को उत्तर प्रदेश की जनता साबित कर देगी कि वह किसके साथ है और निश्चित तौर पर हमारा यह मानना है कि इसमें कहीं भी इसके दुरुपयोग की सम्भावना नहीं है। आम जनता को, किसी भी साधारण व्यक्ति को, किसी भी प्रतिनिधि को, किसी भी राजनेता को, किसी भी सामाजिक कार्यों में लगने वाले व्यक्ति को इससे भयभीत होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अपराधियों को इससे भयभीत होना जरूर पड़ेगा और इसके लिए हमारी यह सरकार कृतसंकल्पित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूंगा कि इसको पास करने का काम करें और मैं मा0 हुकुम सिंह जी से भी चाहूंगा कि जो संशोधन का जिक्र उन्होंने किया है, जो लिपिकीय त्रुटि थी, उसके आधार पर जो गलतियां थीं, उनको दूर कर लिया गया है, किसी मूल भावना के साथ नहीं। मैं अपेक्षा करूंगा कि जो उन्होंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है, उसको वापस लेने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री मुलायम सिंह यादव-

अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा है, यह लिखा-धरा रह जायेगा। जब भी इस तरह के कानून बने हैं, आप उठा कर पढ़ लीजिए, हमेशा दुरुपयोग हुआ है। एक महीने पहले की ही बात है, अध्यक्ष महोदय, छात्र संघ पर प्रतिबन्ध का कुछ छात्रों ने विरोध किया था, कोई अशान्ति नहीं, कहीं भी हिंसा नहीं, 16 लड़कों को, पढ़ने वालों पर गैंगस्टर लगाया गया, जिसमें अभी 2-3 फरार हैं। वह केवल छात्र संघ प्रतिबन्ध का विरोध कर रहे थे। आप तो मेजें थपथपा देते हैं। एक उदाहरण दूंगा, दो मिनट में। एक बार पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब सिनेमा में गये, अपना भेष बदल कर और पीछे सीट पर बैठ गये। कभी ट्रेलर आता है, कभी जिन्ना आता है, सभी ताली पीट रहे हैं। पीछे दो दोस्त बैठे थे और तीसरा जो बीच में बैठा था तो इधर और उधर के दोनों ने ताली बजाई लेकिन तीसरे ने ताली नहीं बजाई, दोनों दोस्तों ने तीसरे से कहा कि ताली बजा नहीं तो अयूब देख लेगा। इसी तरह का हाल आप लोगों का भी हैं, मेजें तो आपको थपथपाना ही है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि इसका दुरुपयोग होगा, यह काला कानून है और काला दिन है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

(नेता विरोधी दल समाजवादी पार्टी के सदस्यों सहित सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

हुकुम सिंह जी, आप संशोधन प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

मान्यवर, मैंने यह प्रस्ताव इस आशय से रखा था कि इस पर गम्भीरता से पुनर्विचार करने की आवश्यकता थी। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि दृष्टिकोण का अंतर है और दृष्टिकोण का अंतर यह है कि संसदीय कार्यमंत्री जी को तो यह विश्वास हो गया है कि यह बहुमत में आ गये तो इनको सब कुछ करने का अधिकार मिल गया। बार-बार यह धौंस देते हैं कि जनता ने इधर के लोगों को नकार दिया। लेकिन सरकार बनने के बाद यह अहंकार पालना कि यह वहां बैठे हैं इसलिए उन्हें हर कानून बनाने का अधिकार है। तो यह अधिकार उनको नहीं है। हम अल्पमत में हैं और अपनी जिम्मेदारी निभा रहे है। आपने अगर यह सोच लिया कि सारा समाज बेईमान है और बेईमान समाज के लिए कठोर से कठोर कानून बनाने की आवश्यकता है। यह सही है कि समाज में गलत आदमी हैं लेकिन समाज के अच्छे आदमियों में से इन गलत आदमियों को चिन्हित करिए और गलत लोगों के विरुद्ध कार्यवाही करें और इसके लिए हमारे पास पहले के कानून है। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आपका सारा काम ठेकेदार करते हैं चाहे निर्माण का काम हो, चाहे सिंचाई का काम हो वह सारा काम ठेकेदार करते है और ठेकेदारों में आपके मेरे भाई और बच्चे भी होंगे। इस तरह से हम ठेकेदारों पर मोहर लगाकर सोचेंगे कि यह सब अपराधी है। तो यह ठीक नहीं है। प्रयास यह होना चाहिए कि इस प्रकार के दुष्ट अपराधियों को इस क्षेत्र से कैसे बाहर निकाला जाये। अगर इस तरह का कानून बनाकर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो वह ईमानदारी से काम नहीं कर पाएंगे। आपने चरित्र प्रमाण-पत्र की बात कही। आप समीक्षा कर लीजिए कि किसी ठेकेदार को चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए पुलिस अधिकारी के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। सामान्य विधायक के सामने, सामान्य जनप्रतिनिधि के सामने यह समस्या आती है कि 3 महीने से पत्रावली पड़ी है आप कह दें। दारोगा से एस0पी0 तक पहुंचने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है। लेकिन आपने तो कम्पलसरी कर दिया। आपके मन में धारणा बैठी है कि जो भी निर्माण कार्य में ठेकेदार लगा हुआ है वह बेईमान है। अगर आपके मन में यह धारणा बैठी है तो रखिये यह धारणा अपने मन में। क्यों नहीं आप मशीनरी के द्वारा इस बात की व्यवस्था करते कि जो चिन्हित अपराधी किस्म के लोग हैं वह इसमें न आने पायें। आज नेताओं पर, जनप्रतिधियों पर उंगली उठती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुश्किल से 5 प्रतिशत जनप्रतिनिधि ऐसे होंगे जो अपराधों में लिप्त होंगे। नेता तो सुभाष चन्द्र बोस थे। आप उनके नाम को घसीटकर सड़कों पर ला रहे हैं। मैं संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि मेरा इरादा अवरोध पैदा करने का नहीं है बल्कि इस कानून के शुद्धिकरण करने का है। अगर आपने इसे प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है कि इसे करना ही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र का हमारे देश में आए हुए बहुत दिन हो चुके हैं। सरकारें बहुत बन चुकी हैं। बहुत लोग यहां और वहां बैठ चुके हैं। लोकतंत्र किसी की मुट्ठी में नहीं रहा। लेकिन कानून के आने के बाद निश्चित रूप से जो पुलिस के अधिकारी है, जो जिले स्तर के अधिकारी है उनको निरंकुशता का अवसर मिल गया है। जितने जनप्रतिनिधि है या सामान्य नागरिक है उनका उत्पीड़न का अधिकार इससे उनको मिल गया है इसलिए अपने इस प्रस्ताव पर मैं बल देता हूं और अनुरोध करता हूं कि इसे स्वीकार कर लिया जाय।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं हुकुम सिंह जी की बात से सहमत हूं कि जो बड़े अपराधी हैं या माफिया है उनकी संख्या बढ़ी नहीं है लेकिन वह इतने प्रभावशाली हैं कि वह तमाम दूसरे पर दबाव बनाकर इस तरह से संगठित अपराध कर लेते हैं उस संगठित अपराध को रोकने के लिए प्रदेश की आम जनता की भावनाओं का पालन करने के लिए, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए इस कानून को लाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिल से चाह रहे है कि इसका स्वागत किया जाय लेकिन राजनीतिक मजबूरी के तहत इसको वापस करने का काम नही कर रहे हैं। आप भी ऐसे लोगों से पीड़ित रहते हैं और आप भी यह चाहते हैं कि ऐसे अपराधी समाप्त हों, तो अगर चाहते हैं तो इसका भरपूर समर्थन करें और अपने प्रस्ताव को वापस लेने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 हुकुम सिंह जी आप इसको वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, जन विरोधी कानून है हम इसका विरोध करते हैं और इसको नकारते हैं। हम इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री हुकुम सिंह, भाजपा के सदस्यों सहित सदन का बहिर्गमन कर गये)

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, हमारी पार्टी ने कहा है कि इसको प्रवर समिति को दे दीजिये और इस पर विचार कर लेना चाहिए लेकिन सरकार इसको नकारती है। हम और हमारा दल इसके विरोध में सदन का बहिर्गमन करते हैं।

(श्री कौकब हमीद अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का बहिर्गमन कर गये)

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खण्ड-2 से खण्ड-36 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007

संगठित अपराध की रोकथाम और नियंत्रण और उनका मुकाबला करने के लिए और उससे जुड़े या आनुषंगिक विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार सरकारी गजट में अधिसूचित करे।

परिभाषाएं

2-(1) इस अधिनियम में, जब तक सन्दर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "दुष्प्रेरण" का वही अर्थ है जो इसके लिए भारतीय दण्ड संहिता,1860 में समनुदेशित है और वैयाकरणिक विभेदों और सजातीय पदों के साथ निम्नलिखित सम्मिलित हैं :-

(एक) किसी व्यक्ति को संसूचित करना या उसके साथ सहयोजन करना जो किसी अवैध कार्य में वास्तविक जानकारी के साथ सहायता करता है या ऐसा विश्वास करने का कारण हो कि ऐसा व्यक्ति संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है या किसी प्रकार से सहायता करने में लगा है ;

(दो) किसी सूचना को किसी विधिक प्राधिकार के बिना, देना या प्रकाशित करना जिससे संगठित अपराध सिंडीकेट की सहायता सम्भावित हो और संगठित अपराध सिंडीकेट से प्राप्त किसी दस्तावेज या सामग्री को आगे भेजना या उसका प्रकाशन या वितरण ; और

(तीन) संगठित अपराध सिंडीकेट को कोई सहायता प्रदान करना, चाहे वित्तीय या अन्य प्रकार की हो ;

(ख) "संहिता" का तात्पर्य दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 से है

(ग) "कन्ट्रोल्ड डिलीवरी" का तात्पर्य किसी अपराध के अन्वेषण और अपराध के करने में लिप्त व्यक्तियों की पहचान की दृष्टि से सक्षम

प्राधिकारी की जानकारी और पर्यवेक्षण के अधीन एक या अधिक राज्यों की सीमा के बाहर, से या में अवैध या संदेहास्पद पारेषण को भेजने की अनुमति देने की तकनीक से है ;

(घ) "अवैध क्रिया-कलाप की अनवरतता" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा निषिद्ध क्रिया-कलाप से है, जो तीन वर्ष या अधिक के कारावास के साथ दण्डनीय संज्ञेय अपराध है, जिसे संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में चाहे अकेले या संयुक्त रूप से किया गया हो या ऐसी सिंडीकेट के निमित्त जिसके सम्बन्ध में एक से अधिक आरोप-पत्र तीन वर्ष की पूर्ववर्ती अवधि के भीतर सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये गये हैं और न्यायालय ने ऐसे अपराध के सम्बन्ध में आरोप निर्मित कर दिये हैं ;

(ङ) "जिला संगठित अपराध नियन्त्रण समिति" का तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 16 के अधीन गठित समिति से है ;

(च) "उच्च न्यायालय" का तात्पर्य उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से है ;

(छ) "सुरक्षा धन" का तात्पर्य दबाव के अधीन या धमकी के अधीन या व्यक्ति के व्यवसाय या जीवन या अंग को खतरे में डालने के लिये भुगतान किये गये प्रतिफल से है ;

(ज) "राज्य संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण" का तात्पर्य धारा 15 के अधीन गठित राज्य संगठित अपराध प्राधिकरण से है ;

(झ) "विशेष न्यायालय का तात्पर्य" धारा 7 के अधीन गठित विशेष न्यायालय से है।

(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित और संहिता में परिभाषित शब्दों और पदों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो संहिता में उनके लिये समनुदेशित हैं।

संगठित अपराध और संगठित अपराध सिंडीकेट

3-(1) "संगठित अपराध" का तात्पर्य,-

(क) किसी व्यक्ति द्वारा अकेले या संयुक्त रूप से, या तो संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के रूप में या ऐसी सिंडीकेट के निमित्त, हिंसा का प्रयोग करके या हिंसा, अभित्रास, दबाव की धमकी या उत्कोच, प्रलोभन या लालच के साधन द्वारा या आर्थिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या अदेय आर्थिक प्राप्ति या स्वयं के लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये अन्य लाभ या बगावत को बढ़ावा देने के लिये अन्य अवैध साधनों से किसी अवैध क्रिया-कलाप को जारी रखना ;

(ख) आतंक फैलाने या बलपूर्वक या हिंसा द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने के लिये विस्फोटकों या अग्नि या आग्नेयास्त्र या अन्य हिंसात्मक साधनों का प्रयोग करके जीवन या सम्पत्ति को नष्ट करना या राष्ट्र विरोधी या विध्वंसात्मक गतिविधियों में लिप्त होना या सरकारी या अन्य लोक प्राधिकारी को मृत्यु या बर्बादी की धमकी देकर फिरौती लेने के लिए बाध्य करना।

और इसमें निम्नलिखित गतिविधियाँ भी हैं :-

(एक) फिरौती के लिये किसी को अगवा करना या अपहरण करना ;

(दो) किसी सरकारी, जिसमें केन्द्र सरकार भी है, ठेके में या स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम या सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी या सहकारी निकाय या अन्य प्राधिकरण या निजी कम्पनी, फर्म या संगठन के ठेके में बोली लगाने से या हिस्सा लेने से किसी अवैध साधनों द्वारा शक्ति से या शक्ति प्रदर्शन से किसी को रोकना ;

(तीन) धन लेकर किसी व्यक्ति को जान से मारना या मरवाना ;

(चार) रिक्त सरकारी या निजी भूमि या विवादित भूमि या भवन पर शक्तिपूर्वक या जाली दस्तावेजों के द्वारा कब्जा करना ;

(पांच) भवनों या भूमि या उसके किसी भाग को उसके विधिक अध्यासियों से अवैध रूप से हटाने के आशय से क्रय करना या जाली दस्तावेज बनाना ;

(छः) बाजारों, फुटपाथ विक्रेताओं, मण्डियों, ठेकेदारों और व्यवसाय करने वालों से अवैध रूप से सुरक्षा धन का संग्रह करना ;

(सात) शक्ति का प्रयोग या शक्ति के प्रयोग की धमकी या अन्य अवैध साधनों से अवैध खनन-कार्य में लिप्त होना या वन उपज का अवैध दोहन करना या वन्य जीवन में व्यापार करना ;

(आठ) मनी लेन्ड्रिंग का अपराध करना जैसा कि प्रीवेन्शन आफ मनी लेन्ड्रिंग ऐक्ट, 2002 (अधिनियम संख्या 15 सन्, 2003) में परिभाषित है ;

(नौ) मानव दुर्व्यापार में लिप्त होना ;

(दस) नकली/जाली दवाओं, अवैध मदिरा का विक्रय करना या निर्माण करना या निर्माण में सहायता करना ;

(ग्यारह) स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) में यथापरिभाषित स्वापक औषधियों और मनः प्रभावी पदार्थों के अनैतिक दुर्व्यापार में लिप्त होना।

(2) ''संगठित अपराध सिंडीकेट का तात्पर्य'' दो या अधिक व्यक्तियों के समूह से है जो या तो अकेले या सामूहिक रूप से सिंडीकेट या गिरोह के रूप में कार्य करते हुए संगठित अपराध के क्रिया-कलाप में लिप्त होते हैं, और जिनके विरुद्ध एक से अधिक आरोप-पत्र पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान सक्षम न्यायालय में दाखिल किये गये हैं और न्यायालय ने उनके सम्बन्ध में आरोप निर्मित कर दिये हैं।

संगठित अपराध के लिये दण्ड

4-(1) जो कोई संगठित अपराध करता है, वह

(क) यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है, मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास से दण्डित होगा और दस लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा ;

(ख) किसी अन्य मामले में, इतनी अवधि के लिए कारावास से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पांच लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(2) जो कोई संगठित अपराध के करने का या संगठित अपराध का भूमिकात्मक कोई कार्य करने का षडयंत्र करता है या करने का प्रयास करता है या समर्थन करता है, दुष्प्रेरित करता है या जानबूझ कर सुविधा देता है, वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पांच लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(3) जो कोई संगठित अपराध सिंडीकेट के किसी सदस्य को आश्रय देता है या गुप्त रखता या आश्रय देने या गुप्त रखने का प्रयास करता है, वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पांच लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(4) कोई व्यक्ति, जो संगठित अपराध सिंडीकेट का सदस्य है, वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय होगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और पांच लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(5) जो कोई संगठित अपराध के करने से प्राप्त या अर्जित किसी संपत्ति को रखता है या जिसका अर्जन संगठित अपराध सिंडीकेट निधि के माध्यम से किया गया है, वह ऐसी अवधि के लिये कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो आजीवन कारावास तक हो सकती है और दो लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के निमित्त अगणनीय संपत्ति रखने पर दण्ड

5-यदि कोई व्यक्ति संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्य के निमित्त चल या अचल सम्पत्ति पर कब्जा रखता है या किसी समय कब्जा रहा है जिसका वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता, तो वह ऐसी अवधि के कारावास से दण्डित होगा जो तीन वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो दस वर्ष तक हो सकती है और एक लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के अधीन रहते हुए, अर्थदण्ड का भी दायी होगा और ऐसी सम्पत्ति धारा 23 के अधीन कुर्की और समपहृत किये जाने योग्य होगी।

पूर्व दोष सिद्धि के पश्चात् कतिपय अपराधों के लिए संवृद्ध दण्ड

6-जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष ठहरा दिया गया हो और उसके अधीन किसी अपराध के लिये बाद में सिद्ध दोष ठहराया जाय तो निम्न प्रकार दण्डित किया जायेगा :-

(क) यदि पहले आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है तो दूसरे अपराध के लिये मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास और न्यूनतम दस लाख रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा;

(ख) यदि पहले पांच वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिये लेकिन दस वर्ष से कम के कारावास के लिये दण्डित किया गया है तो आजीवन कारावास के लिये दण्डित किया जायेगा और दस लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के अधीन अर्थदण्ड का भी दायी होगा।

(ग) यदि पहले पांच वर्ष से कम की अवधि के लिये दण्डित किया गया है तो कारावास की ऐसी अवधि से दण्डित किया जायेगा जो पांच वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो दस वर्ष तक हो सकती है और वह पांच लाख रुपये के न्यूनतम अर्थदण्ड के अधीन रहते हुए, अर्थदण्ड का भी भागी होगा।

विशेष न्यायालय

7-(1) राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात, गजट में अधिसूचना द्वारा ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों के लिये या ऐसे वाद या वादों के वर्ग या समूह के लिये एक या अधिक विशेष न्यायालयों का गठन कर सकती है जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह कि राज्य सरकार के अनुरोध पर या स्वप्रेरणा से उच्च न्यायालय एक या अधिक सत्र न्यायालयों को इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय के रूप में पदाभिहित कर सकती है।

(2) जहाँ किसी विशेष न्यायालय की अधिकारिता के सम्बन्ध में कोई प्रश्न उत्पन्न हो तो उसे उच्च न्यायालय को निर्दिष्ट किया जायेगा जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) विशेष न्यायालय की अध्यक्षता एक न्यायाधीश द्वारा की जायेगी जिसकी नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा की जायेगी। उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायालय में अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए बहुत से अपर न्यायाधीशों की भी नियुक्ति कर सकता है।

(4) कोई व्यक्ति किसी विशेष न्यायालय का न्यायाधीश या अपर न्यायाधीश नियुक्त किये जाने के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह ऐसी नियुक्ति के ठीक पूर्व सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश न हो।

(5) जहाँ किसी विशेष न्यायालय में किसी अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, वहाँ विशेष न्यायालय का न्यायाधीश समय-समय पर, सामान्य या विशेष लिखित आदेश द्वारा विशेष न्यायालय के कार्य का विवरण स्वयं अपने और अपर न्यायाधीश या अपर न्यायाधीशों के बीच करने के लिए और अपनी अनुपस्थिति या किसी अपर न्यायाधीश की अनुपस्थिति की दशा में तात्कालिक कार्य के निपटारे के लिये भी व्यवस्था कर सकता है।

विशेष न्यायालय की अधिकारिता

8-संहिता में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध पर विचारण यथास्थिति, केवल उस विशेष न्यायालय द्वारा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर ऐसा अपराध किया गया या धारा-7 की उप धारा (1) के अधीन ऐसे अपराध के विचारण के लिए गठित विशेष न्यायालय द्वारा किया जायेगा।

अन्य अपराधों के सम्बन्ध में विशेष न्यायालय की शक्ति

9-(1) इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण करते समय कोई विशेष न्यायालय किसी अन्य अपराध पर, जिसका अभियुक्त पर उसी विचारण में आरोप लगाया जा सकता है, विचारण कर सकता है, यदि अपराध ऐसे अन्य अपराध से सम्बद्ध हो।

(2) यदि इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण के दौरान यह पाया जाये कि अभियुक्त ने इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्य अपराध किया है तो विशेष न्यायालय ऐसे व्यक्ति को ऐसे अन्य अपराध का सिद्ध दोष ठहरा सकता है और उसके दण्ड के लिये यथा स्थिति, इस अधिनियम या ऐसी अन्य विधि द्वारा प्राधिकृत कोई दण्डादेश दे सकता है।

लोक अभियोजक

10-(1) राज्य सरकार प्रत्येक विशेष न्यायालय के लिए किसी व्यक्ति को लोक अभियोजक नियुक्त करेगी और एक या अधिक व्यक्तियों को अपर लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजकों के रूप में नियुक्त कर सकती है :

परन्तु राज्य सरकार किसी मामले या मामलों के समूह के लिये विशेष लोक अभियोजक भी नियुक्त कर सकती है।

(2) कोई व्यक्ति लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह तब तक नहीं होगा जब तक कि उसने कम से कम दस वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य न किया हो या वह कम से कम सात वर्ष तक उत्तर प्रदेश अभियोजन सेवा का सदस्य न रहा हो।

(3) इस धारा के अधीन लोक अभियोजक या अपर लोक अभियोजक या विशेष लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति संहिता की धारा 2 के खण्ड (प) के अर्थान्तर्गत लोक अभियोजक समझा जायेगा और संहिता के उपबन्ध तदनुसार प्रभावी होंगे।

विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियां

11-(1) विशेष न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान विचारण के लिए अभियुक्त को उसे सुपुर्द किये बिना उन तथ्यों के, जिनसे ऐसा अपराध बनता है, परिवाद की प्राप्ति पर या ऐसे तथ्यों की पुलिस रिपोर्ट की प्राप्ति पर कर सकता है।

(2) जहाँ विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय कोई अपराध तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास के या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय है, वहां विशेष न्यायालय, संहिता की धारा 260 की उप धारा (1) या धारा 262 में किसी बात के होते हुए भी, उस अपराध का विचारण संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार संक्षेपतः कर सकता है और संहिता की धारा 263 से 265 तक के उपबन्ध, यथासाध्य, ऐसे विचारण पर लागू होंगे :

परन्तु जब तक इस उप धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण के दौरान विशेष न्यायालय को यह प्रतीत हो कि मामले का स्वरूप ऐसा है कि उसका संक्षेपतः विचारण करना अवांछनीय है, तब विशेष न्यायालय किन्हीं साक्षियों को जिनकी परीक्षा की जा चुकी है, पुनः बुलायेगा और ऐसे अपराध के विचारण के लिये संहिता के उपबन्धों द्वारा उपबन्धित रीति से मामले की पुनः सुनवाई प्रारम्भ करेगा और उक्त उपबन्ध विशेष न्यायालय को उसके सम्बन्ध में, उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे किसी मजिस्ट्रेट को और उसके सम्बन्ध में लागू होते हैं :

परन्तु यह और कि इस धारा के अधीन संक्षिप्त विचारण में दोष सिद्धि के मामले में दो वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास का दण्डादेश देना विशेष न्यायालय के लिए विधिपूर्ण होगा।

(3) विशेष न्यायालय किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से जिसके बारे में किसी अपराध से प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः संयुक्त या संसर्गित होने का अनुमान है, ऐसे व्यक्ति को इस शर्त पर क्षमा प्रदान कर सकता है कि वह उस अपराध के और उससे संयुक्त अन्य प्रत्येक व्यक्ति के सम्बन्ध में चाहे वह उसके करने में मुख्य कर्ता रहा हो या दुष्प्रेरक, अपने ज्ञान से सभी परिस्थितियों को पूर्व और सही रूप में प्रकट करे और इस प्रकार प्रदान की गयी कोई क्षमा संहिता की धारा 308 के प्रयोजनार्थ, संहिता की धारा के अधीन प्रदान की गयी समझी जायेगी।

(4) इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, विशेष न्यायालय को किसी अपराध के विचारण के प्रयोजन के लिए सत्र न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे अपराध का विचारण जहां तक हो सके सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के लिए संहिता में विहित प्रक्रिया के अनुसार करेगा, मानो वह सत्र न्यायालय हो।

विशेष न्यायालयों द्वारा विचारण को प्राथमिकता दिया जाना

12-(1) किसी अन्य न्यायालय में (जो विशेष न्यायालय न हो) अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को प्राथमिकता दी जायेगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जायेगा।

(2) विशेष न्यायालय अन्वेषण, पहचान या विचारण को सुगम बनाने के लिए अभियुक्त को पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड हेतु या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष उसको प्रस्तुत करने या हाजिर करने के लिए उचित प्रक्रिया जारी करेगा और कारागार प्राधिकारी जिसकी अभिरक्षा में अभियुक्त हो, तदनुसार अनुपालन करेगा।

नियमित न्यायालयों को मामले अन्तरित करने की शक्ति

13-जहां इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान करने के पश्चात् विशेष न्यायालय की यह राय हो कि अपराध उसके द्वारा विचारणीय नहीं है, वहां वह इस बात के होते हुए भी कि उसे ऐसे अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं है, ऐसे अपराध का विचारण करने के लिए मामले को किसी ऐसे न्यायालय को अन्तरित करेगा जिसे संहिता के अधीन अधिकारिता है और वह न्यायालय जिसे मामला अन्तरित किया जाय अपराध के विचारण के सम्बन्ध में कार्यवाही करेगा मानो उसने अपराध का संज्ञान किया हो।

विशेष न्यायालय के निर्णय आदि के विरूद्ध अपील

14-(1) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी विशेष न्यायालय के किसी निर्णय, दण्डादेश या आदेश, जो अन्तर्वर्ती आदेश न हो, के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जायेगी।

(2) इस धारा के अधीन प्रत्येक अपील निर्णय, दण्डादेश या आदेश के दिनांक से तीस दिन के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण

15-(1) राज्य सरकार एक प्राधिकरण का गठन करेगी जिसे राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण कहा जायेगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(क)	प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	अध्यक्ष
(ख)	अपर पुलिस महानिदेशक, (कानून-व्यवस्था), उत्तर प्रदेश।	सदस्य
(ग)	अपर पुलिस महानिदेशक, (अपराध), उत्तर प्रदेश।	सदस्य
(घ)	राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट एक अधिकारी जो राज्य सरकार (न्याय विभाग) के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न हो।	सदस्य

(2) राज्य सरकार, सरकार के विशेष सचिव से अनिम्न स्तर के किसी अधिकारी को राज्य संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण के सचिव के रूप में नाम-निर्दिष्ट करेगी, जो प्राधिकरण के सभी आदेशों और निर्णयों को प्राधिकृत करेगा।

(3) राज्य सरकार प्राधिकरण के समुचित कार्य-संचालन के लिए यथावश्यक अन्य स्टाफ की व्यवस्था करेगा।

(4) राज्य संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या संगठित अपराध गतिविधियों या संगठित अपराध सिण्डीकेट से संबंधित किसी शिकायत की प्राप्ति पर जिसमें सरकारी विभागों, सरकारी प्राधिकरणों, सहकारी समितियों, निगमों, बोर्डो, कम्पनियों, समितियों, संघों या स्थानीय निकायों द्वारा संविदा, पट्टा या करार से संबंधित ऐसे कार्य या गतिविधियां भी हैं जिनमें संगठित अपराध सिण्डीकेट की संलिप्तता या कदाचार संदिग्ध हो, शिकायत की जांच स्वयं कर सकता है या पुलिस महानिदेशक को उचित कार्यवाही के लिये निर्दिष्ट कर सकता है और कृत कार्यवाही की रिपोर्ट मंगा सकता है और उचित आदेश पारित कर सकता है।

(5) राज्य संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण को संगठित अपराध क्रिया कलापों के निवारण और नियंत्रण के कार्य को समन्वित करने के लिये किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी उपक्रम, सरकारी निगम या स्थानीय निकाय आदि या किसी अन्य व्यक्ति से आवश्यक सूचना की मांग करने की शक्ति प्राप्त होगी और प्रत्येक ऐसा अधिकारी, निकाय, उपक्रम, निगम या व्यक्ति ऐसी सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य होगा :

परन्तु यह कि विशेष कार्य बल के किसी पुलिस अधिकारी या विशेष पुलिस अधिकारी ऐसे कारणों से जो राज्य संगठित अपराध नियन्त्रण प्राधिकरण को लिखित रूप में संसूचित किये जायेंगे, उक्त सूचना को रोक सकता है, यदि ऐसे कार्य के प्रकटीकरण या किसी विशेष समय पर प्रकटीकरण का कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है :

परन्तु यह और कि यदि कोई ऐसा प्रश्न उठता है कि सूचना को रोक रखना या इसे तत्समय रोक रखना उचित है अथवा नहीं है तो राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(6) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण उसके द्वारा प्राप्त किसी सूचना को प्रकट करने से विधि अनुसार अस्वीकार कर सकता है।

(7) पूर्वगामी उपधारा के उपबंध के अध्यधीन राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण, ऐसी पुलिस या अन्य अधिकारियों या प्राधिकारियों को इस अधिनियम के अधीन कोई मामला रजिस्ट्रीकृत करने और उसकी जांच करने या इस अधिनियम के अधीन अपराध की जांच करने वाले अधिकारी द्वारा अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने के निदेश सहित ऐसे निदेश दे सकता है जैसाकि वे संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडीकेट क्रिया-कलापों के समुचित रोकथाम या नियंत्रण के प्रयोजनार्थ उचित समझें और समस्त पुलिस और अन्य अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

(8) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकारी के पास जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति पर पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी और जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति, राज्य संगठित अपराध, राज्य संगठित अपराध प्राधिकरण द्वारा दिये गये निदेशों का अनुसरण करने के लिए बाध्य होगी।

(9) (एक) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण स्वप्रेरणा से या किसी शिकायत की प्राप्ति पर सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सरकारी उपक्रमों या सरकारी कम्पनियों द्वारा संविदा, पट्टा या करार को निरस्त करने के लिए आवंटन, निरस्तीकरण या अस्वीकृति के आदेश की समीक्षा कर सकता है, जहां संगठित अपराध सिण्डीकेट की अन्तर्ग्रस्तता या कदाचार अभिकथित हो या उसका संदेह हो, और संविदा, पट्टा या करार को निरस्त करने वाले आदेश सहित ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसाकि उचित समझा जाय।

(दो) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण ऐसा अनन्तिम आदेश पारित कर सकता है जैसाकि मामले की परिस्थितियों में उचित समझा जाय।

(तीन) इस धारा के अधीन शिकायत, संबंधित प्राधिकारी के आदेश के दिनांक के 30 दिन के भीतर ऐसी रीति से, ऐसे प्रारूप में और ऐसी फीस के साथ दाखिल की जाएगी जैसाकि विहित किया जाय :

परन्तु राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण लिखित रूप में पर्याप्त कारण अभिलिखित करते हुए उक्त 30 दिन की अवधि के पश्चात शिकायत स्वीकार कर सकता है।

(10) राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को ऐसी अन्य शक्तियां या उत्तरदायित्व होंगे जैसी विहित की जाय।

जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति

16-(1) प्रत्येक जिला में, एक जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति होगी, जिसमें, निम्नलिखित होंगे:-

(एक) जिला मजिस्ट्रेट - अध्यक्ष

(दो) जिला पुलिस अधीक्षक - सदस्य

(तीन) जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाने वाला अपर पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक - सदस्य

(चार) जिला मजिस्ट्रेट कार्यपालक मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को, जो समिति के सभी आदेशों और निर्णयों को प्राधिकृत करेगा, जिला संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण का सचिव नाम-निर्दिष्ट करेगा और ऐसे अन्य कर्मचारीवर्ग की व्यवस्था करेगा जैसाकि उचित समझा जाय।

(2) जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति, संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडीकेट से सम्बन्धित किसी मामले की जांच कर सकती है और अपना रिपोर्ट राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को प्रस्तुत कर सकती है और राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण धारा 15 के अधीन समुचित कार्यवाही करेगा या इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही करने के लिए जिला पुलिस अधीक्षक को अपना रिपोर्ट भेज सकता है।

(3) जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति के पास ऐसी अन्य शक्तियां और उत्तरदायित्व होंगे जैसाकि विहित किया जाय।

धारा 15(9) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील

17-(1) राज्य सरकार एक अपीलीय प्राधिकरण का गठन करेगी, जिसे राज्य संगठित अपराध नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण कहा जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(एक) उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश - अध्यक्ष

(दो) राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव की श्रेणी से अनिम्न कोई अधिकारी - सदस्य

(तीन) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश की श्रेणी से अनिम्न एक अधिकारी। सदस्य

(2) अध्यक्ष के रूप में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अर्हताएं एवं नियुक्ति की रीति ऐसी होगी जैसी विहित की जाय।

(3) राज्य सरकार उत्तर प्रदेश शासन के विशेष सचिव की श्रेणी से अनिम्न किसी अधिकारी को अपीलीय प्राधिकरण का सचिव नाम-निर्दिष्ट करेगी।

(4) राज्य सरकार ऐसे अन्य कर्मचारी वर्ग की व्यवस्था करेगी जैसाकि अपीलीय प्राधिकरण के समुचित रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक हो।

(5) धारा 15 के अधीन पारित किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति आदेश के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकरण से ऐसी रीति, ऐसे प्रपत्र और ऐसी फीस के साथ जैसाकि विहित किया जाय, अपील कर सकता है :

परन्तु अपीलीय प्राधिकारी लिखित रूप में अभिलिखित किये जाने वाले पर्याप्त कारणों से 30 दिन की अवधि के पश्चात् अपील स्वीकार कर सकता है।

(6) अपीलीय प्राधिकरण के पास ऐसे अन्तरिम आदेश पारित करने की शक्ति होगी जैसाकि वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे।

जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति और राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को शिकायतें

18-(1) संविदाओं, पट्टा या करार या किसी अन्य मामले के संबंध में शिकायतें, जहां संगठित अपराध या संगठित अपराध सिंडीकेट की अन्तर्ग्रस्तता और कदाचार संदेहास्पद हो, यथास्थिति जिला संगठित अपराध नियंत्रण समिति या राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण को लिखित रूप से की जा सकती है।

(2) शिकायत में निम्नलिखित विवरण होंगे :-

(एक) ई-मेल पता और फैक्स नम्बर यदि कोई हो, सहित शिकायतकर्ता का नाम और पता,

(दो) उस व्यक्ति, जिसके विरुद्ध शिकायत की जा रही है, का समस्त संभव विवरण और पता सहित विवरण,

(तीन) तथ्य जो संविदा को प्रदान करने या अभिकथित संगठित अपराध क्रियाकलाप में संगठित अपराध सिंडीकेट की अन्तर्ग्रस्तता को इंगित करते हों,

(चार) ऐसे अन्य विषय जो विहित किये जायं।

निविदा आदि से संबंधित अन्य विशेष उपबन्ध

(19)-(1) सरकार, स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम, सरकारी कम्पनी या निगम के एक लाख या उससे अधिक मूल्य की सभी निविदाओं को मुद्रण करने योग्य एवं भरी जाने योग्य निविदा या बोली प्रपत्र, फैक्स नम्बर, ई-मेल पता और निविदाओं से संबंधित शर्तों के साथ, यथास्थिति, राज्य सरकार के संबंधित विभाग या संबंधित स्थानीय निकाय, सरकारी उपक्रम, कम्पनी या निगम के कार्यालयों के वेबसाइट में रखी जायेंगी।

(2) यथास्थिति, निविदा आमंत्रित करने वाले व्यक्ति या कार्यालय की वेबसाइट में दिये गये पते पर निविदा दस्तावेज इस संबंध में विभिन्न विभागों/कार्यालयों के लिये सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले दिनांक से भरे और प्रस्तुत किये जा सकते हैं।

(3) उप धारा (1) में निर्दिष्ट सभी निविदाओं या बोलियों के साथ, अन्य आवश्यक दस्तावेजों में, निम्नलिखित सम्मिलित होगें :-

(क) ऋणशोधन क्षमता प्रमाण-पत्र;

(ख) संबंधित जिले के जिला मजिस्ट्रेट से प्राप्त चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्र;

(ग) निविदाकर्ता का शपथ-पत्र जिसमें अन्य विवरण के साथ निम्नलिखित होंगे:-

(एक) निविदाकर्ता के यथास्थिति निदेशकों, साझीदार, प्रतिनिधि का नाम और अन्य विवरण;

(दो) उप खण्ड (एक) में उल्लिखित व्यक्ति के विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत आपराधिक मामलों का विवरण और उनका प्रक्रम;

(घ) ऐसा अन्य प्रमाण-पत्र या दस्तावेज जिसे विहित किया जाय :

परन्तु यह कि चरित्र और पूर्ववृत्त प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित से अपेक्षा नहीं की जाएगी,

(एक) उपस्करों जिनकी आपूर्ति की जानी है, के रजिस्टर्ड विनिर्माता ;

(दो) ऐसे अन्य स्थान अधिष्ठान जिन्हें विहित किया जाये ;

(तीन) उपरोक्त (एक) और (दो) के प्राधिकृत व्यवहारी।

(4) मिथ्या या असत्य सत्यापन करने वाले या मिथ्या प्रमाण-पत्र जारी करने वाले किसी व्यक्ति को संगठित अपराध कार्य या संगठित अपराध सिंडीकेट क्रियाकलाप को दुस्प्रेरित करने वाला समझा जायेगा और वह तदनुसार दण्ड का भागी होगा।

(5) संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की लिप्तता के अज्ञान में दिये गये किसी ठेके पट्टा या करार या किसी अन्य ऐसे लिखत को संबंधित अधिकारी/विभाग या प्राधिकारी द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति की शिकायत पर निरस्त कर दिया जायेगा और इस प्रयोजन के लिये यह समझा जायगा कि ठेका, पट्टा, अनुबन्ध में ऐसा एक खण्ड है :

परन्तु यह कि ठेका, पट्टा या करार संबंधित व्यक्ति को कारण बताने का अवसर दिये बिना निरस्त नहीं किया जायेगा।

(6) संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की लिप्तता के आधार पर सरकारी विभागों, स्थानीय निकायों, सरकारी उपक्रम या सरकार कम्पनियों द्वारा ठेकों, पट्टा और अनुबन्ध को निरस्त या निरस्त करने से मना करने का आदेश धारा-15 के अधीन राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा पुनरावलोकन के अधीन होगा।

(7) काली सूची में दर्ज ठेकेदारों के नामों को संबंधित विभागों की वेबसाइट पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा और सम्बन्धित सरकारी विभागों और उनके कार्यालयों के सूचना पट्टों पर भी प्रदर्शित किया जायेगा।

(8) ठेकेदारों की केन्द्रीय अधिसूची और वित्तीय साख का अनुरक्षण इलेक्ट्रानिक रूप में किया जायेगा और उसका प्रदर्शन सरकार, सरकारी कम्पनियों या सरकारी उपक्रमों और स्थानीय निकायों और उनके विभिन्न विभागों की वेबसाइट में किया जायेगा।

संगठित अपराध सिंडीकेट के सदस्यों की सूची पुलिस थाने में रखी जायेगी

20-संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्यों की सूची पुलिस थाने में रखी जायेगी और सरकारी और पुलिस थानों की वेबसाइट में पुलिस महानिदेशक द्वारा विहित रीति में वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी और पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम के क्रियान्वयन के हित में समुचित कार्यवाही के लिये ऐसी सूची को अन्य सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध करा सकते हैं।

साक्ष्य के विशेष नियम

21-(1) संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में निहित प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन अपराधों या इससे जुड़े हुए अपराधों के विचारण और दण्ड के प्रयोजन के लिए इस तथ्य को सम्प्रमाणक मूल्य के रूप में विचार कर सकता है, कि अभियुक्त,-

(क) संहिता की धारा 110 के अधीन किसी पूर्व अवसर पर आबद्ध था ;

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाहर किया गया था और बाहर किये जाने के आदेश की समाप्ति के पश्चात कम से कम दो वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है,

(ग) निरोधात्मक निरोध से सम्बन्धित किसी विधि के अधीन रोका गया है, या

(घ) इस अधिनियम के अधीन विशेष न्यायालय में किसी पूर्व अवसर पर अभियोजित किया गया था।

(2) जहाँ यह सिद्ध हो जाय कि संगठित अपराध में लिप्त कोई व्यक्ति या उसके निमित्त कोई व्यक्ति चल या अचल सम्पत्ति कब्जे में रखता है या किसी समय उसके कब्जे में रही है जिसका वह संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकता तो विशेष न्यायालय, जब तक उसके विपरीत सिद्ध न हो जाय यह मान लेगा कि ऐसी सम्पत्ति या आर्थिक संसाधन संगठित अपराध सिंडिकेट के सदस्य के रूप में या संगठित अपराध के माध्यम से उसके क्रिया-कलापों द्वारा अर्जित या प्राप्त की गई है।

(3) जहाँ यह सिद्ध हो जाय कि किसी अभियुक्त ने किसी व्यक्ति का अपहरण या व्यवहरण किया है तो विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि यह फिरौती या मानव दुर्व्यापार के लिए था।

साक्षी का संरक्षण

22-(1) संहिता में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन कार्यवाही बन्द कमरे में की जा सकती है, यदि विशेष न्यायालय ऐसा चाहे।

(2) विशेष न्यायालय अपने समक्ष किसी कार्यवाही में साक्षी द्वारा या ऐसे साक्षी के सम्बन्ध में लोक अभियोजक द्वारा आवेदन करने पर या स्वप्रेरणा से साक्षी का परिचय और पता गोपनीय रखने के लिए ऐसे उपाय कर सकता है, जो वह उचित समझे।

(3) विशिष्टतया और उपधारा (2) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना वे उपाय, जो विशेष न्यायालय उस उपधारा के अधीन कर सकता है, उसके अन्तर्गत निम्नलिखित भी है :-

(क) अपने आदेशों या निर्णय में या मामले के किसी अभिलेख में जो जनता की पहुँच में हो, साक्षियों के नाम और पते का उल्लेख न करना ;

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि साक्षियों का परिचय और पता प्रकट न हो जाय, कोई निदेश जारी करना ;

(ग) यह कि यह आदेश देना लोक हित में है कि ऐसे किसी न्यायालय के समक्ष लम्बित समस्त या किसी कार्यवाही को किसी भी रीति से प्रकाशित नहीं किया जायेगा।

(घ) साक्षी द्वारा अभियुक्त व्यक्तियों की सांकेतिक पहचान, यदि अपेक्षित हो, इस प्रकार की जाएगी कि साक्षीगण तो सांकेतिक पहचान परेड हेतु प्रस्तुत किये गये व्यक्तियों को देख सकते हैं लेकिन अभियुक्त व्यक्ति साक्षियों को नहीं पहचान सकते हैं,

(ङ) यदि अभियुक्त, संहिता की धारा 82 और 83 के अधीन कार्यवाही के पश्चात भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होता है और उसे पहचान हेतु साक्षियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना हो तो न्यायालय आदेश दे सकता है कि फोटोग्राफ या डिजिटल या वीडियो चित्रों के आधार पर पहचान की जा सकती है।

(4) ऐसे व्यक्ति से जो संगठित अपराध सिंडिकेट या उसके सदस्य के संबंध में सूचना देता है किसी स्थान पर उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी या उसकी पहचान नहीं बतायी जायगी यदि वह ऐसी इच्छा व्यक्त करे।

(5) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन जारी किये गये किसी निदेश का उल्लंघन करता है, कारावास से जिसकी अवधि एक वर्ष तक की हो सकती है और जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

सम्पत्ति का समपहरण और उसकी कुर्की

23-(1) जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो वहाँ विशेष न्यायालय, कोई दण्ड अधिनिर्णीत करने के अतिरिक्त, लिखित आदेश द्वारा घोषणा कर सकता है कि अभियुक्त से सम्बन्धित और आदेश में विनिर्दिष्ट चल या अचल या दोनों सम्पत्ति समस्त विल्लगमों से मुक्त राज्य सरकार को समपहृत रहेगी।

(2) जहाँ कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त हो वहाँ उसका विचारण करते समय विशेष न्यायालय के लिए यह खुला रहेगा कि वह ऐसा आदेश पारित करे कि अभियुक्त व्यक्ति से सम्बन्धित चल या अचल या दोनों सम्पत्तियों की कुर्की, ऐसी विचारण की अवधि के दौरान कर दी जाएगी और उनका अन्तरण नहीं किया जायगा और जहाँ ऐसे विचारण की समाप्ति दोषसिद्धि में हो वहाँ इस प्रकार कुर्क की गयी सम्पत्तियां समस्त विल्लगमों से मुक्त राज्य सरकार को समपहृत रहेंगी।

(3) किसी सम्पत्ति जो इस अधिनियम के अधीन कुर्की, लम्बित अन्वेषण या विचारण के अधीन हो, का अन्तरण किसी भी रीति से नहीं किया जाएगा और ऐसी सम्पत्ति के अन्तरण द्वारा हित अन्तरण या अर्जन करने वाले, किसी व्यक्ति को कारावास, जो अन्यून तीन वर्ष होगा और जो बढ़कर पांच वर्ष तक हो सकता है, के साथ दण्डित किया जाएगा और ऐसा कोई संव्यवहार अकृत और शून्य होगा।

न्याय प्रक्रिया से बचना

24-किसी व्यक्ति को जो उद्घोषित अपराधी घोषित किये जाने के पश्चात न्यायालय या अन्वेषण अधिकारी के समक्ष तीस दिन के भीतर उपस्थित होने में विफल रहता है, ऐसे अपराध के लिए, जिसका वह अभियुक्त है, प्राविधानित अधिकतम दण्ड के कम से कम आधे दण्ड से इस तथ्य के होते हुए भी कि अभियुक्त को विचारण के पश्चात ऐसे अपराध से दोषमुक्त कर दिया गया हो दण्डित किया जायगा और जो सात वर्ष तक की हो सकती है।

संहिता की कतिपय उपबन्धों का उपान्तरित रूप में लागू किया जाना

25-(1) संहिता या किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संहिता की धारा 2 के खण्ड (ग) के अर्थान्तर्गत संज्ञेय अपराध समझा जायेगा और उस खण्ड में यथा परिभाषित "संज्ञेय मामला" का तदनुसार अर्थ लगाया जायगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी दण्डनीय अपराध से अंतर्वलित मामले के संबंध में संहिता की धारा 167 इस उपान्तर के अध्यधीन लागू होगी कि उपधारा (2) में "पन्द्रह दिन", "साठ दिन" और "नब्बे दिन" जहाँ-जहाँ भी वे आये हों के प्रति निर्देशों का अर्थ क्रमशः "साठ दिन", "छह मास" और "एक वर्ष" के प्रति निर्देश के रूप में लगाया जायगा।

(3) पुलिस अभिरक्षा में रिमाण्ड-

(क) जहाँ पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त को भेजने के लिए विशेष न्यायालय के समक्ष आवेदन किया गया हो वहाँ पुलिस अभिरक्षा में ऐसे निरोध को किसी एक मामले में एक बार में अधिकतम 15 दिनों के लिए और कुल मिलाकर अधिकतम साठ दिनों के लिए न्यायालय प्राधिकृत कर सकता है :

परन्तु यह कि इस प्रकार की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड की स्वीकृति अन्वेषण क्रम के दौरान किसी भी समय दी जा सकती है;

(ख) पुलिस अभिरक्षा में इस प्रकार से निरोध परिप्रश्न, किसी सारवान सामग्री की बरामदगी या किसी अन्य अभियुक्त या अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले संभावित प्रकटीकरणों का अभियुक्त से सामना कराने के प्रयोजनों या अन्वेषण के किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा;

(ग) यदि पुलिस किसी अभियुक्त की अभिरक्षा के लिए इस आधार पर आवेदन प्रस्तुत करती है कि उसका पुलिस की अभिरक्षा में किसी अन्य व्यक्ति से या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ परिप्रश्न किया जा सकता है, तो न्यायालय, जब तक कि अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उसकी यह राय हो कि इस प्रकार का रिमाण्ड स्वीकृत नहीं करना चाहिए, इस प्रकार के रिमाण्ड की स्वीकृति प्रदान करेगी;

(घ) अन्वेषण अधिकारी किसी व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध में संदिग्ध हो या अभियुक्त हो या जो उसकी राय में अन्वेषण में साक्षी या अन्यथा रूप से सहायता दे सकता हो, को सम्मन जारी कर सकता है।

(4) संहिता की धारा 438 की कोई बात जिसमें किसी व्यक्ति की इस अधिनियम के अधीन किये गये किसी अपराध के लिए दण्डनीय अभियोग पर गिरफ्तारी अन्तर्ग्रस्त हो, से संबंधित मामले में लागू नहीं होगी।

(5) संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध से आरोपित किसी व्यक्ति को, यदि वह अभिरक्षा में है, जमानत पर या उसके अपने बंधपत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जायगा, जब तक कि :-

(क) लोक अभियोजन को इस प्रकार छोड़े जाने के आवेदन के विरोध का कोई अवसर नहीं दिया गया हो; और

(ख) जहाँ लोक अभियोजन आवेदन का विरोध करता है वहाँ न्यायालय का समाधान न हो जाय कि यह विश्वास करने का युक्तियुक्त आधार है कि वह ऐसे अपराध का दोषी नहीं है और यह कि जमानत पर रहते समय उसके द्वारा कोई अपराध करने की संभावना नहीं है।

(6) इस संहिता में किसी बात के होते हुए भी, अभियुक्त को जमानत स्वीकृत नहीं की जाएगी यदि वह प्रश्नगत अपराध के दिनांक को इस अधिनियम के अधीन या किसी अन्य अधिनियम के अधीन किसी अपराध में जमानत पर था।

(7) जमानत स्वीकृत करने की उपधारा (4) में विनिर्दिष्ट परिसीमा, संहिता के अधीन या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जमानत स्वीकृत करने की परिसीमा के अतिरिक्त हैं।

(8) किसी व्यक्ति को अभ्यारोपण पूर्व या विचारण पूर्व परिप्रश्न के लिए न्यायिक अभिरक्षा से अपनी अभिरक्षा में लेने वाला कोई पुलिस अधिकारी ऐसी अभिरक्षा में लेने के कारण और पुलिस अभिरक्षा में लेने में विलम्ब, यदि कोई, हो, को भी स्पष्ट करते हुए लिखित कथन दाखिल करेगा।

(9) संहिता में किसी बात के होते हुए भी, यदि अभियुक्तों में से एक या अधिक व्यक्ति विचारण की अवधि के किसी भाग में या पूरे समय अनुपस्थित रहते हैं तो इस प्रकार की अनुपस्थिति की, जब तक कि यह अपरिहार्य न साबित हो जाय, साक्ष्य को अभिलिखित करने या विचारण की अन्य कार्यवाही में अड़चन डालने के लिए अनुमति नहीं दी जायगी :

परन्तु यह कि यदि कोई या सभी अभियुक्त संहिता की धारा 82 के अधीन उद्घोषणा के पश्चात भी फरार रहते हैं तो पूरा विचारण उनकी अनुपस्थिति में पूरा किया जा सकेगा और निर्णय सुनाया जा सकेगा।

(10) इस अधिनियम के अधीन किसी मामले की सुनवाई दिन. प्रतिदिन के आधार पर होगी और न्यायालय किसी स्थगन की अनुमति नहीं देगी सिवाय तब जब यह अपरिहार्य आधार, जिसे यदि नहीं माना जाता है तो यह न्याय की हत्या होगी, पर हो :

परन्तु यह कि अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष प्रत्येक को विचारण की पूरी अवधि में पाँच बार के स्थगन से अधिक की अनुमति दी जायगी।

(11) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी पुलिस अधीक्षक से अनिम्न श्रेणी के, किसी पुलिस अधिकारी के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन किसी संगठित अपराध के अन्वेषण का पर्यवेक्षण कर रहा हो या जो राज्य की संगठित अपराध नियंत्रण इकाई का प्रभारी हो, यह विधिसम्मत होगा कि किसी अपराध के बारे में सूचना एकत्रित करने या किसी अपराध के अन्वेषण और अपराध करने में लगे व्यक्तियों की पहचान की दृष्टि से संहिता की धारा 2 में यथा परिभाषित "कन्ट्रोल्ड डिलीवरी" की तकनीक अपनाये :

परन्तु यह कि "कन्ट्रोल्ड डिलीवरी" संचालित करने के लिए उपरिउल्लिखित पुलिस अधिकारी पुलिस महानिरीक्षक से अनिम्न श्रेणी के अधिकारी की लिखित पूर्वानुमति प्राप्त करेगा :

परन्तु यह और कि पुलिस अधिकारी ऊपर निर्दिष्ट अभिव्यक्त स्वीकृति के अधीन "कन्ट्रोल्ड डिलीवरी" संचालित करने के लिए किसी विधिक या सिविल कार्रवाई के लिए दायी नहीं होगा।

(12) संहिता में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय सभी अपराध संज्ञेय और अजमानतीय होंगे।

अभियुक्त या संदिग्ध का साक्षात्कार लेना

26-(1) साक्षात्कार, जिसका आशय अन्वेषण अधिकारी और उसकी टीम तथा अभियुक्त व्यक्ति या संदिग्ध के बीच बातचीत से है, को श्रृव्य या श्रृव्य दृश्य प्रणाली में अंकित किया जा सकेगा।

(2) पुलिस अधीक्षक यह अवधारित करेगा कि उपधारा (1) में यथा उपबन्धित अभियुक्त या संदिग्ध से साक्षात्कार क्या उसके विधिक सलाहकार की उपस्थिति में किया जा सकता है।

(3) यदि उपधारा (2) के अधीन संदिग्ध या अभियुक्त का साक्षात्कार करने का विनिश्चय किया जाता है तो अभियुक्त या संदिग्ध को, अन्वेषण अधिकारी के समक्ष बयान देने और, या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कहने से पूर्व, इस बात की सूचना दी जायेगी और चौबीस घण्टे का समय दिया जायेगा।

(4) जब उपधारा (3) के अधीन साक्षात्कार रिकार्ड किया जा रहा हो तो अभियुक्त या संदिग्ध को परिशिष्ट में (1) पर दी गयी चेतावनी दी जायगी।

(5) जब अभियुक्त से किसी विशेष स्थान पर उसकी उपस्थिति या उसके पास कतिपय सामग्री पाये जाने या उसके किसी विशिष्ट आचरण के बारे में प्रश्न पूछा जाय तो परिशिष्ट (2) पर दी गयी विशेष चेतावनी दी जायगी।

(6) बातचीत के अंकन की एक प्रतिलिपि बनायी जायगी और वह प्रणाली, जिस पर बातचीत अंकित की गयी है, सील कर दी जायगी और उस पर अन्वेषण अधिकारी, यथास्थिति अभियुक्त या संदिग्ध व्यक्ति और उसके विधिक सलाहकार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा और उसे तत्काल न्यायालय को भेज दिया जायगा।

(7) उपधारा (6) के अधीन मूल से बनायी गयी बातचीत की प्रतिलिपि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अन्वेषण और न्यायालय के समक्ष अभिलेख के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयोजन से उपयोग में लायी जायगी।

(8) न्यायालय, स्वप्रेरणा से या यदि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किये गये अभिलेख की अन्तर्वस्तु बचाव पक्ष द्वारा विवादित कर दी जाय तो, सील को तोड़ सकता है और बचाव पक्ष या अभियोजन पक्ष द्वारा किये गये प्राख्यान के मिलान के उद्देश्य से दोनों पक्षों की उपस्थिति में देख या सुन सकता है।

(9) यदि अभियुक्त या संदिग्ध साक्षात्कार के समय किसी विद्यमान तथ्य को जानबूझकर छिपाता है तो न्यायालय यह मान लेगी कि या तो ऐसा तथ्य या परिस्थिति थी ही नहीं या यदि यह थी तो बचाव में अग्राह्य होंगी।

अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष द्वारा साक्ष्य का प्रकटीकरण

27-संहिता में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी अभियोजन पक्ष अपना साक्ष्य समाप्त करने के चार दिन के पश्चात अभियुक्त साक्षियों की सूची और अन्य साक्ष्य जिसे वह अपने बचाव में निर्भर रहने के लिए, यह उल्लिखित करते हुए कि कोई साक्षी या अन्य साक्ष्य क्या सिद्ध करेगा या सिद्ध करने की संभावना हो, प्रस्तावित करे, के साथ अपने बचाव के कथन को न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।

धारा 4 के अधीन अपराधों के संबंध में उपधारणा

28-(1) धारा 4 के अधीन दण्डनीय संगठित अपराध के लिये किसी अभियोजन में यदि यह सिद्ध हो जाय :-

(क) कि अवैध हथियार और अन्य सामग्री, जिसमें दस्तावेज और कागज सम्मिलित हैं, अभियुक्त से प्राप्त हुये थे और यह विश्वास करने का कारण है कि दस्तावेज और कागजों सहित ऐसे अवैध हथियार और अन्य सामग्री ऐसे अपराध के समय मौजूद हो, या

(ख) किसी विशेषज्ञ के साक्ष्य से सिद्ध हो जाये कि अभियुक्त की अंगुलियों के निशान अपराध के स्थल पर या किसी ऐसी वस्तु जिसमें ऐसे अपराध के करने में प्रयुक्त अवैध हथियार और अन्य सामग्री जिसमें दस्तावेज या कागज और वाहन पर पाये गये थे, भी सम्मिलित है।

तो जब तक कि प्रतिकूल न सिद्ध हो जाए विशेष न्यायालय यह मान लेगा कि अभियुक्त ने ऐसा अपराध किया है।

(2) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन यथा परिभाषित संगठित अपराध के करने के अभियोजन में यदि यह सिद्ध हो जाये कि अभियुक्त ने किसी व्यक्ति की कोई आर्थिक सहायता की थी जो संगठित अपराध का अभियुक्त या युक्तियुक्त पूर्वक उसमें संदिग्ध हो तो यदि वित्तीय सहायता का दस्तावेजी प्रमाण उपस्थित हो तो जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध न हो जाए विशेष न्यायालय यह मान लेगा, कि ऐसे व्यक्ति ने उक्त उपखण्ड के अधीन यथा परिभाषित अपराध किया है।

किसी अपराध का संज्ञान और उसका अन्वेषण

29-(1) संहिता में किसी बात के होते हुये भी -

(क) इस अधिनियम के अधीन संगठित अपराध के होने की कोई सूचना मण्डलीय आयुक्त और पुलिस उप महानिरीक्षक वाली समिति के पूर्वानुमोदन के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा अभिलिखित नहीं की जाएगी जो उसके प्रस्ताव की प्राप्ति से सात दिन की अधिकतम अवधि के भीतर अपना अनुमोदन या निरस्तीकरण देगी और ऐसा करने के लिये अपने कारणों का उल्लेख करेगी :

परन्तु यह कि ऐसे मामलों में, जहाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा दिया गया हो, ऐसा अनुमोदन आवश्यक नहीं होगा।

(ख) इस अधिनियम के उपबंधो के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण पुलिस महानिरीक्षक की श्रेणी से अनिम्न पुलिस अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

(2) अपर पुलिस महानिरीक्षक जोन की श्रेणी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई विशेष न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

जेल में निरुद्ध संगठित अपराध सिण्डीकेट के सदस्यों के उपचार के लिये विशेष उपबंध

30-इस अधिनियम के अधीन जेल में निरुद्ध किसी व्यक्ति को -

(1) जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की लिखित में दी गयी संस्तुति पर जिला मजिस्ट्रेट से अनिम्न श्रेणी के किसी अधिकारी की पूर्व अनुमति के सिवाय किसी विशेष उपचार के लिये जेल से बाहर नहीं ले जाया जायेगा।

(2) यदि निरुद्ध व्यक्ति को 36 घण्टे से अधिक की अवधि के लिये चिकित्सालय में रखे जाने की अपेक्षा होती है तो जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय के मुख्य अधीक्षक और सरकारी चिकित्सालय में कार्यरत संबंधित विशेषज्ञ में बने चिकित्सा बोर्ड की राय प्राप्त की जायेगी।

(3) किसी मुलाकाती से मिलने की अनुमति नहीं दी जायेगी सिवाय जिला मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति के और जहाँ ऐसी अनुमति दी जाती है तो मुलाकातियों की संख्या एक सप्ताह में दो से अधिक नहीं होगी।

पुलिस सुरक्षा शस्त्र लेकर चलने आदि के संबंध में विशेष उपबंध

31-(1) राज्य सरकार संगठित अपराध सिण्डीकेट के किसी सदस्य को पुलिस सुरक्षा नहीं प्रदान करेगी।

(2) कोई भी व्यक्ति, जिसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की गयी है, जनता के बीच में भ्रमण के समय मोटर काफिले में या अन्यथा रूप से निजी सुरक्षा गार्ड अपने साथ नहीं ले चलेगा।

(3) उपधारा(2) का उल्लंघन करने वाले किसी व्यक्ति की पुलिस सुरक्षा तत्काल वापस ले ली जायेगी और उसका शस्त्र लाइसेंस यदि कोई हो, निरस्त करने योग्य हो जायेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा शस्त्र लाइसेंस जारी किया गया हो, तीन या अधिक सशस्त्र व्यक्तियों के समूह में किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान पर ऐसे शस्त्रों के साथ नहीं जायेगा या शस्त्रों का प्रदर्शन करते हुये मोटर काफिले के साथ नहीं जायेगा या विचरण करेगा या धरना देगा जहाँ निविदा, या बोली या ऐसी अन्य गतिविधि होनी हो या हो रही हो।

(5) धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन करने वाला कोई व्यक्ति इस अधिनियम की धारा 33 के अधीन दण्डनीय होगा और उसका शस्त्र लाइसेंस निरस्त करने योग्य हो जायेगा।

सदभावना से किये गये कार्य का संरक्षण

(6) इस धारा के किसी उल्लंघन के संबंध में कोई पुलिस अधिकारी शस्त्रों को जब्त कर सकता है।

32-राज्य सरकार या राज्य सरकार के राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण के किसी अधिकारी के विरुद्ध, किसी ऐसे कार्य के लिये जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये किसी नियम या ऐसे नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के अनुसरण में सदभावपूर्वक किया गया हो, या किये जाने के लिये आशयित हो, कोई वाद, अभियोजन या विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

इस अधिनियम में अन्यथा अनुबंधित अपराध के लिये दण्ड

33-किसी भी व्यक्ति को जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किन्हीं ऐसे उपबंधों का उल्लंघन करता है जिनके लिये इस अधिनियम में कोई विशिष्ट दण्ड नहीं दिया गया है, कारावास जो तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माना जो एक लाख रुपये तक हो सकता है से दण्डित किया जायेगा :

प्रतिबंध यह है कि यह उपबंध सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किये गये कार्यों के संबंध में किसी लोक सेवक पर लागू नहीं होंगे।

राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति

34-(1) राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

(2) विशिष्ट रूप से और पूर्ववर्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम में निम्नलिखित सभी या कोई मामले हो सकते हैं, अर्थात् :-

(क) धारा 15 की उपधारा (9) के खण्ड (3) के अधीन शिकायत का प्रपत्र ;

(ख) धारा 15 की उपधारा (9) के खण्ड (3) के अधीन देय शुल्क ;

(ग) धारा 15 की उपधारा (9) के खण्ड (3) के अधीन शिकायत प्रस्तुत करने की रीति ;

(घ) शिकायत का निस्तारण करने में राज्य संगठित अपराध नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ;

(ङ) धारा 15 की उपधारा (9) के खण्ड (तीन) के अधीन पारित किसी आदेश के विरुद्ध की गयी अपील को राज्य संगठित अपराध नियंत्रण अपीलीय प्राधिकरण द्वारा निस्तारित करने में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया ;

(च) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन अपील करने का प्रपत्र ;

(छ) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन देय शुल्क ;

(ज) धारा 17 की उपधारा (5) के अधीन अपील प्रस्तुत करने की रीति ;

(झ) अन्य कोई मामला जो अपेक्षित हो, विहित किया जा सकेगा।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये प्रत्येक नियम को उसे बनाये जाने के यथाशीघ्र बाद, राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह कुल तीस दिन की ऐसी अवधि के लिये सत्र में हो, जो एक सत्र, दो सत्र या उससे अधिक लगातार सत्रों की हो सकती है, रखा जायेगा और यदि उपर्युक्त सत्र या लगातार सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उक्त नियम में कोई उपान्तर करने के लिये सहमत हों या दोनों सदन इस बात के लिये सहमत हों

कि नियम न बनाया जाये और उक्त विनिश्चय को गजट में अधिसूचित कर दें तो उक्त नियम ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन के दिनांक से, यथास्थिति, प्रभावी या निष्प्रभावी हो जायेगा किन्तु ऐसे उपान्तर या निष्प्रभावीकरण का उक्त नियम के अधीन पहले से कृत किसी कार्य की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पुलिस महानिदेशक की विनियम बनाने की शक्ति

35-पुलिस महानिदेशक इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध की रोकथाम पता लगाने, अन्वेषण और समुचित अभियोजन के प्रयोजन से मानक संचालन प्रक्रियाओं या संगठित अपराध सिण्डीकेट की गतिविधियों के लिये विनियम बना सकता है।

कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति

36-(1) राज्य सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिये आदेश द्वारा निर्देश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध ऐसी अवधि में जैसा आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ऐसे अनुकूलनों चाहे वे उपान्तरों, परिवर्धनों या लोपन के रूप में हो, के अधीन रहते हुये जिन्हें वह आवश्यक या समीचीन समझे, के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ के दिनाँक से दो वर्ष की समाप्ति के पश्चात् कोई ऐसा आदेश नहीं दिया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखा जायेगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश पर किसी विधि न्यायालय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी कि कोई कठिनाई जो उस उपधारा में निर्दिष्ट है विद्यमान नहीं थी या उसे दूर करना अपेक्षित नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-36, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा के जेल से रिहाई की सूचना

श्री अध्यक्ष-

अब मैं सदन को एक सूचना दे रहा हूं। माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी इत्यादि के सम्बन्ध में सदन में दिनांक 31 अक्टूबर, 2007 को दी गयी सूचना के पश्चात् निम्नलिखित सूचना प्राप्त हुयी है :--

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी ने अपने फैक्स दिनांक 02 नवम्बर, 2007 में यह सूचित किया है कि श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा को अपेक्षित बेल बाण्ड और निजी मुचलका प्रस्तुत करने के उपरान्त जमानत स्वीकार करते हुए दिनांक 01 नवम्बर, 2007 को रिहा कर दिया गया है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपको अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 02 नवम्बर, 2007 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 150 (2) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2007 जो उत्तर प्रदेश सभा द्वारा दिनांक 17 जुलाई, 2007 को पारित किया गया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित दिनांक 02 नवम्बर, 2007 को इस सचिवालय में वापस प्राप्त हुआ है, को विधान परिषद् द्वारा किये गये संशोधनों सहित, सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, ये प्रस्ताव पेश कर दें, दोनों पर इकट्ठा ही बोल दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह बहुत छोटा सा विधेयक है और इसमें कोई बहुत-कुछ नहीं है मान्यवर, इस बात को महसूस किया गया कि मान्यवर, जो कुलपति नियुक्त होते हैं वह 70 वर्ष के ऊपर या 68 वर्ष के ऊपर भी बने रहते हैं। मान्यवर, जब कि केन्द्र में जो व्यवस्था थी उसके अनुसार केन्द्रीय विश्वविद्यालय में 70 वर्ष की सीमा निर्धारित थी कि 70 वर्ष से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकता है। वहां पर मान्यवर, केन्द्रीय नौकरियों में 65 साल रिटायरमेन्ट की उम्र है और फिर वहां पर 70 वर्ष की सीमा निर्धारित की गई थी। उत्तर प्रदेश में इसी बात को ध्यान में रखते हुये कि ऊर्जावान लोग मिले, इस बात को ध्यान में रखते हुये, यह निर्धारित किया गया कि एक कुलपति केवल दो कार्यकाल से ज्यादा नहीं रह सकता औ साथ ही साथ 68वर्ष की उम्र के ऊपर नहीं रह सकता। केवल इतना ही इसमें संशोधन लाया गया है और मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है इसलिये मैं पहले से ही अपील करता हूं माननीय श्री हुकुम सिंह से कि वह अपना संशोधन न रखें और इसको पारित होने दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सदन की कार्यवाही बिल्कुल डल हो जायेगी, अगर मैं संशोधन नहीं रखूंगा तो थोड़ा बहुत यह भी होना चाहिये वरना कोई फायदा नहीं होने का यदि आप हां, हां करके चले जाओगे।

यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, मैं साथ-साथ संशोधन प्रस्ताव भी रख रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

हां रखिये, ठीक है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

अभी मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी कह रहे थे कि ऊर्जावान वाइस चान्सलर/कुलपति वहां पर जायें और दो कार्यकाल से ज्यादा उनका कार्यकाल न हो। सम्भवतः इनकी इच्छा यही थी कि विश्वविद्यालयों में अच्छा काम हो और उनका कुछ परिणाम इनको मिले, मैं इस संशोधन के माध्यम से केवल इस तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपके पास में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं, कभी-कभी तो बैठ करके, मुझे पता नहीं कि इसके मंत्री कौन हैं ? यहां है क्या ?

श्री लालजी वर्मा-

इसके राज्य मंत्री श्री योगराज सिंह जी हैं और कैबिनेट माननीया मुख्यमंत्री जी के पास है।

श्री हुकुम सिंह-

चलिये योगराज सिंह जी ही सही। कभी बैठक करके यह समीक्षा जरूर कर लें कि कृषि विश्वविद्यालय का कोई परिणाम किसानों तक पहुंच पा रहा है या नहीं पहुंच पा रहा है। नहीं तो कृषि विश्वविद्यालय का रोल क्या है ? कृषि विश्वविद्यालय का रोल तो यही है न कि कृषि से सम्बन्धित वह अपने काम करे, नये-नये बीजों की खोज करें, नये-नये यंत्रों की खोज करें और अपनी खोजों को कृषकों तक पहुंचायें। मुझे कष्ट जब होता है, मान्यवर, बहुत प्रयास के बाद में और अथक प्रयास के बाद में मेरठ के पास में मोदीपुरम् में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अपेक्षा यह थी कि पश्चिम में आलू का क्षेत्र है, गन्ने का क्षेत्र है, गेहूं का क्षेत्र है, कही न कहीं परिणाम मिलेंगे लेकिन अगर हम उन विश्वविद्यालयों को केवल अपनी नियुक्ति का अखाड़ा बना लेंगे, हमारी पहुंच केवल यहीं तक रहेगी कि कैसे हम अपने आदमियों को वहां प्रोफेसर के पद पर लगवा दूं, कैसे वहां पर उनको नौकरी दिलवा दूं, मान्यवर, आज मैं इस सरकार की अकेले बात नहीं करना चाह रहा हूं, मुझको दुःख इस बात का होता है कि चाहे सरकार किसी की भी रही हो, प्राथमिकता जो होनी चाहिये, वह प्राथमिकता नहीं रही। मान्यवर, जो प्राथमिकता होनी चाहिये थी वह नहीं है। आपने देखा होगा कि जो कृषि विश्वविद्यालय है उसमें उनकी अपेक्षानुसार काम करने के लिये वित्तीय संसाधन नहीं हैं। संभवतः आपके कार्यकाल में कभी इसकी समीक्षा नहीं की गयी होगी। मुझे कृषि मंत्री के रूप में यहां पर काम करने का सौभाग्य रहा है। मैंने हर विश्वविद्यालय में जाकर समझने का प्रयास किया था कि उनकी दिक्कतें क्या हैं और अपने स्तर से उनका समाधान कराने का प्रयास किया था। मोदीपुरम् की बात मैं कर रहा हूं। वह विश्वविद्यालय कुछ अध्यापकों की नियुक्ति मात्र के निमित्त बनकर रह गया है। वह आज एक स्केलटन मात्र बन कर रह गया है। कुछ जान उसमें नहीं डाल पाये हैं कि तीन चार साल में उसने कुछ काम किया हो और उससे किसानों को फायदा मिला हो। आपने बताया कि यह संशोधन औपचारिक है। लेकिन उस औपचारिकता के पीछे आशय यह होना चाहिए कि इनकी गतिविधियों में सुधार हो। मंत्री लोग क्यों नहीं वहां के बारे में बैठक करते हैं समीक्षा करते हैं कि आप बतायें कि तीन साल में आपने क्या किया है। किस वी0सी0 ने जाकर खेत का निरीक्षण किया और जो कमी पायी गयी उसके अनुसार किसानों की सहायता की। अरबों रुपये सरकार का उसमें लगा है बड़ी भारी जनशक्ति लगी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ जितनी राजनीतिक जिज्ञासा होनी चाहिये थी राजनीतिक नियंत्रण होना चाहिये था, उसका नितान्त अभाव है। आपने एक छोटा सा प्रस्ताव रखा है लेकिन आग्रह यह है कि इनके पीछे जो शब्द हैं उनका आशय बहुत बड़ा है। उससे आप एक बहुत बड़े समाज का सुधार कर सकते हैं। आप प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को समकक्ष करें जो विदेशों में है, किसानों और उनका समन्वय सबसे ज्यादा है। यह क्यों नहीं हो पा रहा है। केवल शाब्दिक संशोधन तक इसको सीमित न रखें उसके पीछे जो आशय है उसकी पूर्ति भी करें।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह प्रयास किया गया है कि जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं वह किसानों के अनुरूप, प्रदेश की जनता की इच्छा के अनुरूप कृषि की पैदावार बढ़ाने के लिये, गुणवत्ता में सुधार करने के लिये और शोध कार्य करके अच्छा कार्य करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मान्यवर इस संशोधन को लाने का प्रयास किया गया है जिससे ऊर्जावान व्यक्ति जो कुलपति बनें और अच्छा कार्य करें। माननीय हुकुम सिंह जी ने जो चाहत रखी है उसी के अनुसार कृषि विकास की दिशा में एक सराहनीय

कार्य कर सकें। मान्यवर, उन्होंने जो बात कही है उससे यह विदित होता है कि वह हमारी भावनाओं का पूरी तरह से आदर करते हैं और जो हमार चाहत है उसका स्वागत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वे कृपया अपने संशोधन के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, आप अपना संशोधन का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, नहीं, आप इस पर वोटिंग करा लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड 3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा। संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 31 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धरा 11 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 11 का संशोधन

(क) उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :--

"(2) (क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ख) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष को अवधि तक अथवा अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हों, पद धारण करेगा ;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है,

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

(ख) उपधारा (3) निकाल दी जायेगी।

निरसन एवं अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 33 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्रवाई समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौधोगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, मैं इसको बता दूं हुकुम सिंह जी से, हो सकता है कि हमारी बात सुनने के बाद अपनी बात वापिस ले लें। इसमें नाम मात्र का संशोधन है और जिलायोजना समितियों को क्रियाशील किये जाने के लिए आवश्यक था। इसमें पहले यह था कि 20 से कम और 40 से अधिक सदस्य इसके नहीं होंगे। उसके स्थान पर शब्द 40 से अधिक नहीं होंगे रखा जाने की व्यवस्था की गयी। मान्यवर, इसका कारण यह है कि तमाम जिले ऐसे थे जिन जिलों में जो निर्वाचित सदस्य होने थे उनकी संख्या 20 से सब को मिलाकर भी 20 से बहुत कम होती है और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह क्रियाशील किया जा सके उन जिलों में जो छोटे जनपद हैं, जहां इनकी संख्या 20 रहने के कारण क्रियाशील करने में कठिनाई उत्पन्न हो रही है उस कठिनाई के निराकरण करने के उद्देश्य से यह संशोधन लाने का काम किया जा रहा है। मेरी भी चाहत है और सभी सदस्यों की चाहत होगी कि जिला योजना समितियां क्रियाशील हों इसलिए इस संशोधन को लाया गया है। चूंकि उसकी संख्या सीमित है और वह सब मिलाकर 3/5 सदस्य निर्वाचित होने चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए सबको मिलाकर भी अगर संख्या अगर एक प्रभारी मंत्री उसका अध्यक्ष बना रहे उस बात को ध्यान में रखते हुए कि उसमें जो संख्या थी, सीमित संख्या होने के कारण उसको हटाने का उसका प्राविजन करने का काम किया गया है और मैं समझता हूं कि सर्वसम्मति से इसको पास करावें। यह मेरी अपील है।

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

बड़ा मासूम सा तर्क आपने दिया और ऐसा दिखाया कि इसका कोई आशय नहीं। इसके पीछे जो आपकी दुर्भावना है वह साफ नजर आती है देख लीजिए दुबारा। हमें भी इतने लम्बे समय से जिला योजना की अध्यक्षता करते हो गये प्रभारी मंत्री के रूप में और इसमें कोई कठिनाई आई नहीं और आपने इसमें सदस्यता समाप्त की किसकी, नगर पालिका के अध्यक्ष की, क्यों समाप्त की ? अगर मैं यह कहूं कि चूंकि नगरपालिका के ज्यादातर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उनके सिम्बल से चुनकर के आये हैं उनको आपने जिला योजना की समिति से हटाने के लिए यह जो आपने लिखा है उपधारा 4 में से खण्ड ग निकाल दिया जाय उसको निकालने का आशय यही चेयरमैन था। आपने जो उद्देश्य और कारण लिखे हैं-मुख्यालय पर स्थिति समिति से नगर पालिका के नगर प्रमुख या अध्यक्ष की सदस्यता को समाप्त करने की व्यवस्था की जाये। क्या बिगाड़ दिया उसने आपका। सीधे-सीधे चुनाव में चुनकर वह जनप्रतिनिधि आया है अगर वह जिला योजना समिति का सदस्य रह जाता कौन बड़ा भारी जिला योजना में फर्क पड़ जाता उसको भी अपनी बात कहने का मौका मिल

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता लेकिन पता नहीं क्या सोच इस बात की आई कि उसको समाप्त कर दिया जाय। संख्या आप घटा रहे हैं आपने यह मानक रख दिया 20 वाली घटा दिया आपने इससे कम नहीं होगी। ऐसी स्थिति में मंत्री जी अगर आप मेरी भावना से सहमत हों कि जनप्रतिनिधियों की उपेक्षा करना अच्छी बात नहीं किसी भी दल से वह आये हों। जिले स्तर की वह समिति है और उस जिला समिति को कोई पावर नहीं है वह तो खाली फारवर्डिंग बाडी है, सिफारिश भेजती है स्वीकार कर ना तो आपका काम है। अगर सिफारिश करने में उसकी भागीदारी बन जाती अपने क्षेत्र के बारे में, नगर निकाय के बारे में वह भी कुछ सुझाव दे देता तो कौन फर्क पड़ जाता। जिस अधिकारी ने आपको सलाह देकर, एक निर्वाचित जन-प्रतिनिधि को उसके अधिकारों से वंचित कराया है वह कहीं न कहीं पात्रता से ग्रस्त है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि पहले वाला हिस्सा आपका पास, इसको आप संशोधित कर दीजिये और हमारी भावना के अनुरूप सदस्यता उसकी बहाल कर दीजिये।

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, संविधान में संशोधन के परिणामस्वरूप एक मजबूरी थी कि संख्या उसकी घटाई-बढ़ाई जाये जो 30-40 के बीच हो। उसमें कोई आपत्ति नहीं है, वह संख्या आप चाहे जैसी कर लें। लेकिन मान्यवर, दूसरे खण्ड पर हमारा प्रबल विरोध है कि उत्तर प्रदेश में 70 नगरपालिकाओं के अध्यक्ष या महापालिकाओं के मेयर उसके सदस्य होते थे, उनके सुझाव आते थे, उनके क्षेत्र के भी। उसमें चूंकि जिले में पूरा जिला शामिल है, उसमें नगरीय क्षेत्र भी शामिल है और ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल है। कांस्टीट्यूशन में जो प्राविजन है, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का हो सकता है स्लिप आफ टंग हो कि आपने 3/5 कहा, लेकिन उसमें मान्यवर, 4/5 सदस्य हैं जिन्हें आबादी के अनुसार चुने हुये होना चाहिये। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी और शहरी क्षेत्र की आबादी 4/5 अर्थात् 100 में से 80 सदस्य, जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं आबादी के अनुरूप जिला योजना में शामिल किये जायेंगे। तो अगर उसमें अध्यक्ष हो जाता तो उसमें कोई आसमान नहीं फट जाता। उसके क्षेत्रों की भी संस्तुति उसमें आ जाती। यह मान्यवर, उसमें नहीं होना चाहिये, यह पूरी तरीके से दुर्भावनापूर्ण तरीके से उसको बाहर किया जा रहा है। जब आप संख्या से प्रतिबंध हटा रहे है। उद्देश्य और कारण में यह है कि कहीं-कहीं पर ऐसा हो जायेगा कि 40 से ज्यादा हों जब उसके ऊपर से प्रतिबंध हटा रे हैं तो नगरपालिका के अध्यक्ष को हटाने का, महापालिका के मेयर को हटाने का मान्यवर, कोई मतलब नहीं है। कांस्टीट्यूशन की मंशा के अनुरूप हम इसमें संशोधन लायें, पिछले सात-आठ साल से कोई नई जिलायोजना बन नहीं पायी और यह एक अच्छा कदम है कि आपने जिला योजना के बारे में सोच लिया, लेकिन दूसरे कदम में अपनी भावना दर्शा दी और तीसरी बात कि 2007-2008 का बजट पास हो गया, जिला योजना का प्रावधान हो गया लेकिन कहीं पर किसी भी जिले में मीटिंग नहीं हुयी तो मान्यवर, यदि हम इसको लागू करेंगे अभी लागू करने की प्रक्रिया में महीना, डेढ़ महीना, दो महीना हो सकता है, निकल जाय, तब तक हो सकता है कि नया बजट आने की सम्भावना बढ़ जाय। तो मान्यवर, 2007-2008 का पैसा जो क्वान्टीफाई किया गया है उसको हम किसी प्रकार खर्च करेंगे, यह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

भी माननीय मंत्री जी अपने जवाब में जरूर बतायें कि आखिरकार वर्ष 2007-2008 का पैसा हम किस प्रकार खर्च करेंगे। क्या पुरानी व्यवस्था जो चली आ रही है क्या उसी के अनुरूप उसको खर्च करेगें या फिर जो नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, इसके अनुरूप खर्च करेगें। मान्यवर, मेरी यह आशंका है कि नई व्यवस्था जब तक लागू होगी, तब तक समय ज्यादा बीत जायेगा इसलिये उसको जिस प्रकार से व्यवस्था चली आ रही है, उसी प्रकार खर्च कर लेना चाहिये। तीसरी और अंतिम बात, अभी तक जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद को इसमें मतदान में वोट देने का अधिकार था, वैसे तो यह एक रिकमेन्डेटरी बाडी है जो प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में फंक्शन करती है, जिले के विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव आ जाते हैं, उस पर विचार करती है, यहां शासन से उसमें पैसा देना या न देना शासन का काम है। तो उसमें किसी भी प्रकार, जो विधायकों के राइट्स थे, जो विधायकों की पुरानी परिस्थिति चली आ रही थी, उसको मान्यवर, करटेल नहीं किया जाना चाहिये। इतनी बात को कहते हुए, मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं। धन्यवाद मान्यवर, आपने मुझे जो बोलने का मौका दिया।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चर्चा की, 4/5 सदस्य निर्वाचित होगें, नगर पालिका और जिला पंचायत के सदस्यों में से। मान्यवर, इसमें कोई दुर्भावना नहीं हैं बहुत से जिले इतने छोटे हैं कि उसकी जो 4/5 के बाद 1/5 की संख्या बची उसमें समावेश करने के लिए जिलाधिकारी को प्रभारी मंत्री को और जिला पंचायत अध्यक्ष को, इस तरह की जो संख्या होती है। उस तीन की संख्या भी पूरी नहीं हो पायेगी और इस बात को ध्यान में रखते हुए उसकी अनिवार्यता को समाप्त किया गया है। लेकिन आप 243 घ के ख में देखें-परन्तु ऐसी समिति की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 4/5 सदस्य जिला स्तर पर पंचायत के और जिले के और नगर पालिकाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अपने में से जिले में ग्रामीण क्षेत्रों की और नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या के अनुसार निर्वाचित किये जायेंगे। तो जनसंख्या के अनुसार निर्वाचित होने में जो 4/5 सदस्य होंगे उसमे अवसर रहेगा। अगर उस निर्वाचन में जैसा मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा कि उनकी पार्टी को कुछ उसमें ज्यादा अवसर है तो निश्चित रूप से जहां जिसका ज्यादा प्रतिनिधित्व होगा, उसी में से उसी में उसी जनसंख्या के अनुसार चुने जाने हैं, उसी में वह भी चुनकर आ जाएगा। इसलिए कोई दुर्भावना से नहीं, चूंकि जो संविधान की व्यवस्था है इस जिला योजना समिति को क्रियाशील करने के लिए यह संशोधन लाना आवश्यक था इसलिए इसको लाया गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्ष 2007-2008 के लिए क्या व्यवस्था करेगें और विधायकों के राइट्स के बारे में माननीय मंत्री ने न तो हां कहा और न तो नहीं कहा है ?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, दो दिन यहां पर चर्चा हुई थी इसी बात पर कि विधायकों को वोट का प्राविजन मिले लेकिन जो संविधान के तहत् हमारी अनिवार्यता है, उसके अनुसार उनको उस तरह का मेम्बर नहीं रखा जा सका था। मा0 हुकुम सिंह जी के द्वारा ही प्रस्ताव यहां पर रखा गया था और उनको

आमन्त्रित सदस्य बनाया गया था। और आमन्त्रित सदस्य को किसी भी सदन में वोट देने का अधिकार नहीं होता है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वर्ष 2007-2008 में क्या व्यवस्था लागू होगी ? यह नयी व्यवस्था लागू करेंगे या पुरानी व्यवस्था ही चलायेंगे। उसमें बजट क्वान्टीफाई है, हमने देखा है।

श्री अध्यक्ष-

इस साल की जिला योजना तो बन गई है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको क्रियाशील किया जा रहा है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्रियाशील तो किया जा रहा है लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अप्रैल से लेकर अब तक छः महीने से ज्यादा हो गया है लेकिन अभी भी यह पता नहीं है कि जिला योजना पुरानी व्यवस्था से चलायेंगे या नयी व्यवस्था लागू करेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी ने कहा कि क्रियाशील करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, क्रियाशील करने में तो दो महीने लग जायेंगे तब बजट जो क्वान्टीफाई हुआ तो कैसे खर्च करेंगे। आखिर में तो मान्यवर जल्दी-जल्दी होता है इसलिए अगर अभी निर्णय ले लें, इस पर विचार कर लें, कोई भी व्यवस्था लागू कर दें चाहें तो नयी व्यवस्था चलायें या पुरानी ही चलने दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आपने सरकार के संज्ञान में ला दिया है। अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाए जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम 1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

2-उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम, 1999 की धारा 4 में,- उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 32 सन् 1999 की धारा 4 का संशोधन

(क) उपधारा (1) के परन्तुक में शब्द "बीस से कम और चालीस से अधिक नहीं होगी" के स्थान पर शब्द "चालीस से अधिक नहीं होगी" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (4) में, खण्ड (ग) निकाल दिया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एवं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

(1) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

(2) मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन छत्रपति शाहूजी महराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आज ही मेरा एक प्रश्न था और आपके ही हस्ताक्षर से था। जहां तक जो संशोधन आप लाये हैं उसमें यह कहा है कि किसी राजकीय या निजी चिकित्सा या दंत महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो पराचिकित्सीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो, को सम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देने और किसी ऐसे विशेषाधिकार को वापस लेने, या उनमें कटौती करने और ऐसे महाविद्यालय या संस्था का मार्गदर्शन और उस पर नियंत्रण करने के लिए विश्वविद्यालय को शक्ति प्रदान करना है। सारे अधिकार आपके पास हैं, विश्वविद्यालय को गाइड करना और मार्गदर्शन करना भी है। मैंने आज करीब-करीब यही सवाल किया था जो आज की कार्यसूची में तारांकित प्रश्न संख्या-5 पर था। उसमें मैंने पूछा था कि क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगें कि प्रदेश में निजी मेडिकल एवं डेंटल कालेजों में शिक्षा के उच्च स्तर को स्थापित करने हेतु सरकार द्वारा कोई मानक निर्धारित किये गये हैं ? आपने कहा है कि मानक निर्धारित करना हमारा काम नहीं है। मानक निर्धारित करने का काम मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का है। मान लेते हैं कि काम उनका है लेकिन क्या आपकी इतनी जिम्मेदारी नहीं होती कि आप यह देखें कि जो बच्चे मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज में जाते हैं उनकी शिक्षा ठीक तरह से हो रही है या नहीं हो रही है ? दूसरे आज बच्चे डिग्री लेने के लिए 20 से 25 लाख रुपये डोनेशन देकर के एडमीशन लेते हैं ऐसे मेडिकल/डेंटल कालेजों में उपकरण है या नहीं हैं यह आपको देखना चाहिए। मेडिकल काउंसिल ऑफ इण्डिया का कोई अधिकारी वहां जाता है तो उसकी जानकारी दो-तीन दिन पहले उनको हो जाती है और भीख मांगने वाले लोगों को बुलाकर चारपाईयों पर लिटा दिया जाता है और उनमें किसी को आक्सीजन लगा दिया गया किसी को डिप लगा दी गयी और दिखा दिया गया। .....

(श्री प्रमोद तिवारी द्वारा टोका-टाकी की गयी।)

*श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, कांग्रेस विधान मण्डल दल के नेता प्रमोद तिवारी जी आज बड़े अरमान से नीला जैकेट पहनकर आये थे लेकिन इनके सपनों को आज चोट पहुंची है।

श्री हुकुम सिंह-

मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी, इस विभाग के मंत्री भी हैं। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि खासतौर से निजी मेडिकल कालेज के बारे में जो अधिकार है और जो अधिकार विश्वविद्यालयों को दिये हैं सुपरविजन और मार्गदर्शन करने का, कम से कम उन अधिकारों के तहत देख लिया जाए कि मान्यता प्राप्त करने के लायक हैं या नहीं हैं। जो परिषद् बनी हुई है उनका टेक्निकल सुपरवीजन है लेकिन प्रदेश के छात्रों की पढ़ाई ठीक से हो रही है यह देखना आपका काम है। कैसे देखेंगे आप कि मानकों के अनुरूप यह विद्यालय चल रहे हैं कि नहीं। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और राज्य सरकार दोनों की आवश्यकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि निजी क्षेत्र में जितने भी मेडिकल कालेज और डेंटल कालेज बने हुए हैं एक टीम बनाकर कम से कम उनकी चेकिंग करा लें आप देख लें कि वहां के हालात क्या हैं। अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो कैसे पता चलेगा कि वहां के क्या हालात हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सर्वोच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में बार-बार निर्देश दिए हैं। लेकिन राज्य सरकार का भी यह दायित्व बनता है दोनों बातों को आप देखें। मैं केवल औपचारिकता के नाते संकल्प पर अपनी बात नहीं कह रहा हूँ बल्कि मेरी जानकारी में यह बातें आई हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप चेकिंग करके देखें कि जितनी सुविधाएं वहां होनी चाहिए वह हैं कि नहीं। जहां तक नेता कांग्रेस की परेशानी की बात है यह भी देख लें कि वह उपकरण वहां उपलब्ध हैं कि नहीं। इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत किया है।

श्री लालजी वर्मा-

जो चाहत श्री हुकुम सिंह जी ने रखी है कि वहां उसके अनुरूप उपकरण हैं कि नहीं तो मैं निश्चित रूप से उनको आश्वस्त करता हूं।....

श्री प्रमोद तिवारी-

मेडिकल कालेज के कुछ उपकरण अगर श्री हुकुम सिंह जी के पार्टी कार्यालय भेज दि जाएं तो इनको आसानी रहेगी।

श्री लालजी वर्मा-

एम0सी0आई0 और डी0सी0आई0 ने जो मानक निर्धारित कर रखे हैं तो प्रत्येक वर्ष मान्यता देने से पहले एम0सी0आई0 और डी0सी0आई0 का सर्वेक्षण होता है और हमने भी प्रदेश की तरफ से सुनिश्चित किया है कि जो मानक हैं उसके हिसाब से निरीक्षण किया जाय और जहां भी मानक में कमी पाई जाएगी तो उसके अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। इस संशोधन में दो मुख्य बाते हैं दो संशोधन हैं एक तो किसी भी निजी मेडिकल कालेज, डेंटल मेडिकल कालेज को चिकित्सा विश्वविद्यालय जो छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्विद्यालय है उसके अन्तर्गत एफिलिएट सम्बद्धीकरण कर दिया जाय चिकित्सा विश्वविद्यालय को शक्ति दी जा रही है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि अगर चिकित्सा विश्वविद्यालय से निजी क्षेत्र के मेडिकल कालेज और डेंटल मेडिकल कालेज सम्बद्ध किये जायेंगे तो अच्छा सुपरवाइज हो जाएगा और मानकों को सुनिश्चित कराने में आसानी रहेगी। इसी कारण यह व्यवस्था की गई है। दूसरा संशोधन है जो मैंने पहले बताया कि प्राविधिक शिक्षा में एकरूपता लाने के लिये सभी टेक्निकल एजुकेशन चाहे कृषि शिक्षा हो या अन्य चारों जगहों पर कुलपतियों की उम्र सीमा 68 वर्ष की गई है। दूसरा संशोधन इस सम्बन्ध में किया गया है। इसलिये मैं चाहूंगा कि श्री हुकुम सिंह ने जो अननुमोदन का प्रस्ताव रखा है उसको वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

श्री हुकुम सिंह जी आप अपना संकल्प वापस ले रहे हैं ?

श्री हुकुम सिंह-

नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, यह तो रखा जा चुका है प्रश्न प्रस्तुत करें। प्रवर समिति का प्रस्ताव माता प्रसाद पाण्डेय जी का था वे आये नहीं इसलिये उस पर मत विभाजन कराये जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं चाहूंगा कि विचार किये जाने का प्रश्न प्रस्तुत कर दें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन छत्रपति शाहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 का पर विचार किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड 4 तक, खण्ड 1, प्रस्तावना व शीर्षक

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007

छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 11 का संशोधन

2-छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश अधिनियम, 2002 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 11 में खण्ड (अठारह) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

"(अटारह) किसी राजकीय या निजी चिकित्सा या दन्त महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो पराचिकित्सीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो, को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों और शर्तों

परसम्बद्धता या मान्यता के विशेषाधिकार देना, जैसे विहित किये जायें और किसीऐसे विशेषाधिकार को वापस लेना या उसमें कटौती करना और ऐसे महाविद्यालय या संस्था का मार्गदर्शन और नियंत्रण करना।"

धारा 16 का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 16 में उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"(7) (क) केवल ऐसे व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जिन्होंने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो ;

(ख) कुलपति अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक जो भी पहले हो, पद धारण करेगा ;

(ग) कुलपति, जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है ;

परन्तु कुलाधिपति को सम्बोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 27 सन् 2007 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 32 सन् 2007

4-(1) छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एवं छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन और अपवाद के होते हुये भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथासंशोधित मूल अधनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जोयगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्ष विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

*उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मान्यवर मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) बिधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

जो उपाध्यक्षों के पद सृजित किये गये वो जो पार्टी के बेरोजगार रह गये थे दो पद सृजित करके उन्हें रोजगार दे दिया गया है। आपकी इसमें खता कोई नहीं है।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह उच्च शिक्षा परिषद् जो है अब तक इसमें कुलपति रहा करते थे। कुछ महाविद्यालयों के जो सीनियर गर्वनमेंट कालेज के प्रिंसिपल थे वो रहा करने थे, विशेष आमंत्रिती में कभी-कभी लोगों को बुलाया जाता था। इसमें जन प्रतिनिधियों का अब तक जनप्रतिनिधित्व नहीं रहा। इसलिये मान्यवर, इसकी संभावना भी थी और आवश्यकता भी थी कि जनप्रतिनिधि आये। चूंकि समय की कमी है नहीं तो विस्तार से बताते। इसमें फीस का परीक्षण होगा, पाठ्यक्रम का परीक्षण होगा। तमाम ऐसे विषयों का परीक्षण होगा जिनमें जब तक जन प्रतिनिधि न रहकर बतायेगा कुलपतियों के द्वारा उनका निर्धारण किया जाना उचित नहीं था। समय की मांग थी कि उच्च शिक्षा परिषद् में कुछ जनप्रतिनिधियों को रखा जाय। इसलिए यह विधेयक लाया जाय। आपसे आग्रह है हुकुम सिंह जी कि इसको पारित कराने का कष्ट करें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री हुकुम सिंह-

पास तो होगा ही। हम इसको रोक नहीं पायेंगे। राकेश जी आपसे यह उम्मीद नहीं थी। जनप्रतिनिधि पहले से ही इसमें हैं कानून के द्वारा। मान्यवर, आपको भी स्मरण होगा। हर बार प्रस्ताव यहां पर आता है आप विधायकों को नामित करते है इसमें जिनका चुनाव होना चाहिए। चुनाव न करके हम आपको अधिकृत करते हैं और आप क्षेत्र के दो विधायकों को इसमें शिक्षा परिषद् में भेजते हैं। मान्यवर, जनप्रतिनिधियों का तो है इसमें पहले से। आपने जनप्रतिनिधियों की संख्या नहीं बढ़ाई। आपने तो दो व्यक्तियों को इसमें उपाध्यक्ष के पद दिये हैं। उपाध्यक्ष के पद देकर उनको सुविधाएं दी हैं। गाड़ी की सुविधा महीने वाली सुविधा है। जनप्रतिनिधि की संख्या नहीं बढ़ाई है। आपने अपनी पार्टी के दो व्यक्ति जिन्होंने बहुत काम किया है उनको घर से खोलने का काम किया है। क्योंकि अब घर तो काम करेंगे नहीं। जिम्मेदारी आपने दे ही दी है आगे चलकर राजनीतिक रूप से वह जीरो हो जाएंगे मुझे इसमें एतराज की बात नहीं है लेकिन शिक्षा परिषद् का आप इस तरह से दुरुपयोग करना चाहें यह अच्छी बात नहीं है। यह शिक्षा परिषद् का दुरुपयोग है कि जनप्रतिनिधियों की संख्या न बढ़कर दो व्यक्तियों को उपाध्यक्ष केवल इसलिए बनाया गया कि आप उनको सरकारी सुविधा दे सकें।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय हुकुम सिंह जी को निश्चित रूप से आश्वस्त करना चाहेंगे कि उच्च शिक्षा परिषद् का कोई दुरुपयोग नहीं है उसका सदुपयोग होगा। इससे आगे जो हमने कहा, कोर्स का, फीस का, पाठ्यक्रम का सबका निर्धारण किया जाएगा। एक दिन आपको भी बुला लेंगे आप भी सलाह दे दीजिएगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर बहुत से प्रदेश में विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं वहां पूर्णकालिक प्रिंसिपल नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं जहां पूर्णकालिक प्रिंसिपल नहीं हैं क्या वहां पूर्ण कालिक प्रिंसिपल की एडहाक के स्थान पर व्यवस्था करेंगे।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

यह विषय कहां से आ गया ?

श्री अध्यक्ष-

मैं इनको प्रिफर करता हूं।

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

माननीय हुकुम सिंह जी से अपील करते हैं कि इसका सदुपयोग होगा और अपील करते हैं इसको वापस ले लें।

श्री हुकुम सिंह-

भेदभाव पूर्ण रवैया है इसलिए मेरा घोर विरोध है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं-प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) यह 7 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22 सन् 1995 की धारा 4 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 की धारा 4 में, खण्ड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(क) जनप्रतिनिधियों के मुद्दों के समाधान हेतु राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जाने वाले दो उपाध्यक्ष।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 22 सन् 2007

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी आएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 3 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2007 को पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-56 पर भी रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर प्रस्तुत करे। दो शब्द मैं इसमें अभी कहे देता हूं। संशोधन तो केवल औपचारिक है आपने आयु सीमा बढ़ाई है घटाई हैं। मेरा आग्रह है कि संशोधन के माध्यम से विश्वविद्यालयों की हालत जो प्रदेश में है उस पर विचार करने की आवश्यकता है। आखिर यह सत्र रेगुलर क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आज नवम्बर का महीना है जो परीक्षा जुलाई में हो जानी चाहिए थीं अप्रैल, मई, जून में हो जानी चाहिए थीं वह परीक्षायें आज चल रही हैं नवम्बर के महीने में परीक्षायें चल रही हैं तो छात्रों का क्या होगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप मेहनत कर लीजिए कि किस तरह से रूकावटें आ रही हैं, क्यों विश्वविद्यालयों में आपस में समन्वय नहीं है ? जिम्मेदारियां सभी को बटी हैं, रजिस्ट्रार हैं, कुलपति हैं, सब लोग हैं, वह क्यों अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे हैं ? क्या सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ? मान्यवर, पूर्व में यह हो चुका है और सत्र रेगुलर हो चुके हैं, समय पर परीक्षाएं हुई हैं। जहां

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाकी देश के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में हो गयी हैं, हम आठ महीने पीछे चल रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप इस बारे में गम्भीरता से विचार करें।

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी प्रस्ताव रखें।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री राकेश धर त्रिपाठी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से एक मिनट में अपनी बात कहना चाहता हूं। मा0 हुकुम सिंह जी की चिन्ता बिल्कुल सही है और यह हजारों छात्रों के भविष्य का सवाल है। कुछ विश्वविद्यालयों में इस तरह की अनियमितता रही है। हम आपके माध्यम से मा0 हुकुम सिंह जी को अवगत कराना चाहते है कि वर्ष 2007-2008 के लिए 30 सितम्बर की प्रवेश की तिथि रखी गयी थी, एक भी दिन पूरे विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में हमने तारीख नहीं बढ़ाई, दूसरे सम्बद्धता के बारे में 20 अक्टूबर के बाद एक दिन की तारीख भी इसलिए नहीं बढ़ाई क्योंकि जब हम ही देर कर देंगे तब कब कक्षाएं चलायेंगे, कब परीक्षा लेंगे ? जो 180 दिन का कलेण्डर है, वह पूरा हो और सत्र नियमित हो जाए, इसलिए दोनों को हमने रोक दिया कि तारीख नहीं बढ़ायेंगे। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि दिसम्बर के अन्त तक हमारे कुलपति, कुछ बदल रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं, दिसम्बर, 2008 की परीक्षा की तिथि 3 महीने पहले, ढाई महीने पहले घोषित करना है। मैं अभी मेरठ विश्वविद्यालय गया था, वहां परीक्षाएं चल रही थी। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि इसमें लम्बी चर्चा की आवश्यकता नहीं है, जैसा मा0 हुकुम सिंह जी ने कहा है कि कुछ आयु सीमा की बाध्यता रही है, उस पर पहले भी चर्चा हुई है, इसलिए इस संशोधन को लाने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है, हुकुम सिंह जी से कि उनका जो संशोधन है, उसे वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए :—

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 12 में, उपधारा (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाएगी, अर्थात् :--

"(7) (क) केवल ऐसा व्यक्ति कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न कर ली हो,

(ख) कुलपति अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, पद धारण करेगा,

(ग) कुलपति जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है, को इस रूप में द्वितीय कार्यकाल के लिये नियुक्त किया जा सकता है :

परन्तु कुलाधिपति को संबोधित और स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा कुलपति अपना पद त्याग सकेगा और कुलाधिपति द्वारा ऐसा त्याग-पत्र मंजूर कर लिये जाने पर वह अपना पद धारण करने से विरत हो जायेगा।"

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29 सन् 1974 द्वारा यथासंशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 12 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30 सन् 2007

3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। — निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जांय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

श्री राकेश धर त्रिपाठी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित हुआ और स्वीकृत हुआ।)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एवं उत्तर प्रदेश जमीदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकूम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाये जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करे।

मान्यवर, मैं समझ नहीं पाया कि इसका उद्देश्य क्या है। सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इससे पहले जो पूर्व सैनिक या जो शहादत प्राप्त कर लेते थे तो उनको भी भूमि के आवंटन में प्राथमिकता थी। तो इस वर्ग को प्राथमिकता से क्यों निकाला जा रहा है। जिन लोगों ने वतन के लिए कुर्बानी दी हो उन्हें क्यों निकाल दिया। दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति का जो वर्ग है उनको प्राथमिकता के आधार पर जमीन आवंटन करने की बात होनी भी चाहिए। जो उनके कब्जे की जमीन चली आ रही थी उनको रेगुलराइज करने की बात थी लेकिन जिन लोगों को बीच में एक कानून आया था कि जो उनको पट्टा था उन्हें अवैध करके कब्जा ले लिया। तो क्या उन्हें आप कब्जा दे पाएंगे। आप वहीं लौट आए कि नहीं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें कोई बहुत बड़ा संशोधन नहीं है। पहले जो व्यवस्था थी, बीच में उस व्यवस्था को बदला गया था तो हमने वहीं पहले वाली व्यवस्था को किया है। मान्यवर, कहा गया कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए व्यवस्था को निकाल दिया गया। मान्यवर, पहले जो व्यवस्था थी उसमें केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग के व्यक्ति और पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को शामिल किया गया है।

श्री हुकुम सिंह-

आपने जो उद्देश्य और कारण दिए हैं उसमें क्रम संख-2 में दिया है कि धारा 122-ख की उपधारा (4-च) में यह व्यवस्था है कि जहां अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के किसी खेतीहर मजदूर के पास गांव सभा में निहित किसी ऐसे भूमि का अधिभोग हो जिसे उसने 1 मई, 2002 के पूर्व प्राप्त किया हो और उक्त दिनांक से पूर्व भूमिधर, सीरदार या असामी के रूप में उसके द्वारा धारित भूमि, यदि कोई हो, सहित इस प्रकार अधिमुक्त भूमि 1.26 हेक्टेयर से अधिक न हो वहां उक्त धारा के अधीन भूमि प्रबंध समिति या कलेक्टर द्वारा ऐसे मजदूर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और उसे भूमि के असंक्रमणीय अधिकारों सहित भूमिधर के रूप में स्वीकार किया जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 123 में भू-स्वामी सहित ऐसे किसी भवन स्थल के व्यवस्थापन की व्यवस्था है जिसे धारा 122-ग की उपधारा (3) में उल्लिखित किसी व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो और 1 मई, 2002 को विद्यमान हो। मान्यवर, इसमें मेरा कहना है कि इसमें एक कमी आयी है। जब आसामी पट्टों को अवैध घोषित करा गया है और कहा गया कि जब इनकी अवधि समाप्त होगी तो कब्जा ले लिया जायेगा, आपने अच्छा किया कि रेग्यूलराइज कर दिया, यह तो अवधि समाप्त हो जाने के बाद रेग्यूलराइज हो जाना चाहिए था, लेकिन इसमें कठिनाई यह है कि बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, एक अभियान चला और अभियान चलाकर आसामी पट्टे को बेदखल किया गया और जमीन सरकारी कब्जे में आ गयी। जिनके नहीं आयी उन्हें तो फायदा होगा लेकिन जिनकी आपने जमीन ले ली वह रह गये इस तरीके से। तो दोनों में एकरूपता हो। इसका लाभ उस वर्ग को भी हो जो पहले ही किसी न किसी कारण से वंचित रह गये थे। मेरे कहने का आशय यह था, अब न करना चाहें तो न करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, हमने इसमें कट आफ डेट परिवर्तित कर दी है। यह 13 मई, 2007 कर दी है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, वही मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बीच की अवधि थी उन लोगों का क्या होगा। जिन लोगों से जमीन ली गयी उनका क्या होगा, क्या वह उनकी वापस कर दी जायेगी ?

श्री लाल जी वर्मा-

अगर उसमें उनका आसामी है, कब्जा है तभी मिलेगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, दो बात हो गयी, जो किसी कारण से अपना कब्जा कायम रखे हैं उनको तो मिल गया लेकिन जहां सरकार ने दबाव बनाकर उनसे कब्जा ले लिया है वह लोग तो वंचित रह गये हैं। कानून तो आपने बनाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो 2002 से 2007 तक की अवधि रही है, जो यह पांच वर्ष की अवधि है, उस अवधि में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जिनका कब्जा ले लिया गया है उनका फायदा नहीं पहुंच रहा है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय हुकुम सिंह जी, 2002 से 2007 तक कट आफ डेट दे रहे हैं लेकिन इस पीरियड का, यदि वास्तव में मानक के अनुसार 1.26 से ज्यादा जमीन नही है और आलरेडी वह कब्जे में हैं, तो 2007 तक का उन्होंने आइडेन्टीफाई किया है तो इतना तो वह इनटाइटिल रहेगा कि वह उसमें क्लेम करे।

श्री हुकुम सिंह-

शासन का आदेश आ गया उसी आदेश को निष्प्रभावी करने के लिये यह संशोधन लाये हैं। आदेश यह हो गया था कि जिन लोगों को आसामी पट्टे के माध्यम से जमीन मिली थी उस आसामी पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद उनका कब्जा गलत मान लिया गया। और गलत मानकर उनसे कब्जा ले लिये गया। काट आफ डेट भी 2002 की बजाये 2007 कर दी कि अब तक कब्जा अगर किसी का है, भले ही वह अवैध हो, लेकिन वह भूमि उसकी मान ली जायेगी अधिकार उसको मिल जायेंगे। मेरा कहना यह है कि जिन लोगों की जमीन ली गयी आसामी होने की वजह से इस बीच में क्या उनको भी इसका फायदा पहुंचेगा।

श्री अध्यक्ष-

यह रहा कि 2002 से 2007 तक जिन लोगों की आसामी या जिन लोगों के कब्जे रहे हों, किन्हीं परिस्थितियों में वह बेदखल हो गये या जिनके वापस कर दिये गये, लेकिन उसके राइट को लेने की कहीं पाबन्दी तो लगी नहीं है। 2007 तक का और डेट बढ़ा दिया कि इनके भी कब्जे होंगे तो लाभ लेंगे।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अगर मान लिया कि 2005 में कब्जा ले लिया गया तो वह तो वंचित रह जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

वह बेदखल किसी कारण से हुए हों या लिया गया था।

श्री हुकुम सिंह-

बेदखल इसी कारण से हुये थे, आसामी पट्टे थे और सरकार का एक आदेश बीच में गया था, उसी को निष्प्रभावी करने के लिये आप यह संशोधन लाये हैं वरना पहले तो यह कानून यह था ही था। जो आपने कहा वह कानून था ही था इसके पक्षधर थे। इसको आप देख लें।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको दिखवा लें। आप इसको वापस ले रहे हैं।

श्री हुकुम सिंह-

नहीं, मान्यवर,

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड 2 से खण्ड-6 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।

(2) धारा 3 और 5, 31 जुलाई, 2007 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे, धारा 2 और 4, 25 अगस्त, 2007 को प्रवृत्त हुए समझे जायंगे और शेष उपबंध तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 1951 की धारा 122-ख का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 122-ख में उपधारा (4-च) में, शब्द और अंक "01 मई, 2002" के स्थान पर शब्द और अंक "13 मई, 2007" रख दिए जायेंगे।

धारा 122-ग का संशोधन

3-मूल अधिनियम की धारा 122-ग में, उपधारा (3) में,--

(क) खण्ड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

(1) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार;

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ;

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;"

(ख) खण्ड (3) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जाएगा, अर्थात् :--

"(3) ग्राम सभा में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में किसी भी श्रेणी से सम्बन्धित कोई अन्य व्यक्ति :--

(क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति,

(ख) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति,

(ग) गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति,

धारा 123 का संशोधन

4-मूल अधिनियम की धारा 123 में शब्द और अंक "1 मई, 2002" के स्थान पर शब्द और अंक "13 मई, 2007" रख दिये जायेंगे।

धारा 198 का संशोधन

5-मूल अधिनियम की धारा 198 में, उपधारा (1) में,--

(क) खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ग) मण्डल में निवास करने वाला और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी श्रेणी का भूमिहीन खेतिहर मजदूर :--

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति;

(दो) अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्ति;

(तीन) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति;"

(ख) खण्ड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा; अर्थात् :--

"(ज) कोई अन्य भूमि हीन खेतिहर मजदूर, जो मण्डल में न रहता हो किन्तु संयुक्त प्रान्त पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 42

में, निर्दिष्ट न्याय पंचायत सर्किल में रहता हो और अधिमान क्रम में निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी भी श्रेणी का हो :--

(एक) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति ;

(दो) अन्य पिछड़े वर्गों के व्यक्ति ;

(तीन) गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्ति।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 18 सन् 2007 और उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 31 सन् 2007

निरसन और अपवाद

6-(1) उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 2007 और उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेशों द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधो के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-62 भी आप रख दें।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री आप अपना प्रस्ताव भी प्रस्तुत कर दें।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, अच्छा तो यह होता कि विचार क्या है, यह स्पष्ट कर देते। चूंकि जो सहकारी समिति का संशोधन लाया गया है मान्यवर, यह उन चीनी मिलों के बारे में है जो सहकारिता क्षेत्र में हैं और निर्णय चूंकि सरकार द्वारा विचार-विमर्श करने के बाद में ही लिया जा चुका है कि जितनी भी नुकसान में चल रही है चीनी मिलें उनके स्थानान्तरण को, उनके बेचने को, ट्रान्सफर करने की व्यवस्था क्या की जाय। यह बात सही है कि अभी तक जो व्यवस्था थी वह थोड़ा जटिल थी, कठिन थी और उसके बाद में उसको कभी भी अदालत में चुनौती दी जा सकती है और उसके लिए भी आपने एक व्यवस्था बनाई कि जहां 50 प्रतिशत से ज्यादा सरकार के शेयर हैं वहां क्या व्यवस्था होगी ? उससे कम के शेयर हैं वहां क्या व्यवस्था होगी ? लेकिन मूल बिन्दु तो मान्यवर यह है, खासतौर से इस प्रश्न को देखते हुए, आप इसमें तो उलझ गये उनके ट्रान्सफर करने की बात में उलझ गये, आप उनको चलवाने की बात क्यों नहीं करते ? आज सारी सरकार का बल मजबूती के साथ में इस बात पर होना चाहिए था कि हम गन्ना मिलों को चलवायें। नवम्बर का महीना चल रहा है मान्यवर, आज 5 तारीख हो गई है और आपने जवाब भी दिया है यहां पर खड़े हो करके। यह तो औपचारिकता है कभी भी आप कर सकते हैं, अध्यादेश के माध्यम से भी कर सकते हैं, बिल लाकर के भी कर सकते हैं, आज हो भी जायेगा यह, लेकिन दुःख इस बात का है कि अभी तक जो प्रभावी कार्यवाही होनी चाहिए थी, सरकार की तरफ से, चाहे वह सहकारी चीनी मिलों के बारे में ही हो, मैं निजी चीनी मिलों का चूंकि विषय आज नहीं है, उसके बारे में नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को चलवाने में आपको क्या दिक्कत थी ? वह तो आपके अपने नियंत्रण में हैं। निगम की मिलें भी आपके नियंत्रण में हैं, सहकारी मिलें भी आपके नियंत्रण में हैं जिनके बारे में आप संशोधन प्रस्ताव ले करके आये हैं आखिर उनको न चलवाने का क्या कारण है ? मान्यवर, इसके बारे में मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं। जो सरकार की अपनी मिल हैं वह क्यों नहीं चल रही हैं ? आप दबाव निजी मिलों पर तब बनायेंगे जब अपनी मिलें चला देंगे। हमारी निजी मिल मालिकों से बात होती है, हम पूछते हैं उनसे, वह बार-बार हमसे कहते हैं कि आप हम पर दबाव बनवा रहे हो, अपनी मिलें आप क्यों नहीं चला रहे हैं आप। एक स्थिति आती सामने बन करके, उनको कहने का हमें एक मौका मिलता, देखो सरकारी मिल चल रही हैं नुकसान में भली चल रही हों, और आप लोग नहीं चला रहे हो। मान्यवर, आज किसान त्राहि-त्राहि मचाये हुए है, बार-बार इसको कह रहा हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है और वास्तव में खून के आंसू उसके आंखों से आ रहे हैं इतनी दिक्कत में वह है। आज नवम्बर के महीने में इस स्थिति में सरकार न हो कि अपनी सहकारी और निगम की चीनी मिलों को भी चलवा सके तो संशोधन लाते रहें, अधिकार लेते रहे ट्रांसफर करने का। अरे आप सारी बेंच दीजिए हमें क्या जाना है इस बात का लेकिन जब तक वह नहीं बिकती हैं तब तक चलवाइये तो सही उनको।

लोक निर्माण, आबकारी, सिंचाई, आवास, गन्ना एवं चीनी उद्योग मंत्री (श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी)-

मान्यवर, अब जो भी सरकार फैसला लेगी, किसानों के हितों को ध्यान में रख करके ही लेगी और उनमें भी अधिकांश चीनी मिलों को चलाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री हुकुम सिंह-

जो निर्देश दिये गये हैं, उन निर्देशों में यह भी कहा होगा आपने कि वह कब से चलेंगी ?

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मैंने तो पूरी सूची आप लोगों को भिजवा दी है।

*श्री हुकुम सिंह-

कहां सूची आई ? मैं तो इन्तजार कर रहा हूं सूची का।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

माननीय अध्यक्ष जी के यहां सूची भिजवा दी कि कौन सी मिल कब चलना है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, सूची की जानकारी हमको भी हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

सूची उपलब्ध करा दी जाय।

श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी-

मान्यवर, आज ही हमने सूची भिजवाई है और माननीय सदस्यों को मिल भी गई है, देखिये माननीय सदस्यगण वह सूची दिखा भी रहे हैं।

लीजिये आपको सूची भी मिल गई। अब आप इसको वापस ले रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह-

सूची तो मिल गई, लेकिन हम इसको वापस नहीं ले रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह एक जुलाई, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 125 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 125-क के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-

"125क-(1) (क) इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्ध या उसके अधीन बनाये गये नियम या सम्बन्धित समिति की उप विधि या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुये भी जहां ऐसी सहकारी चीनी मिल, जिसमें अधिकांश अंशपूंजी राज्य सरकार द्वारा धृत है और राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि न तो चीनी मिल सुव्यवस्थित व्यवसाय (साउण्ड बिजनेस) कर पा रही है और न ही ऐसा करने की सम्भावना है, वहां वह ऐसी सहकारी चीनी मिल को किसी अन्य समिति, कम्पनी, फर्म या निकाय को अंतरित करने के लिये निबंधक को संस्तुत कर सकती है और राज्य सरकार की संस्तुति प्राप्त होने पर निबंधक, वित्त पोषक बैंक या वित्त पोषक संस्था, यदि कोई हो, जिसकी वह चीनी मिल ऋणी हो, से परामर्श करने के पश्चात् सम्बन्धित समिति को लिखित नोटिस द्वारा जिसमें ऐसे विवरण उल्लिखित होंगे, जैसे विहित किये जायें और ऐसी अवधि के भीतर जैसा नोटिस में विनिर्दिष्ट हो, उसकी आस्तियों या उसकी आस्तियों और दायित्वों का पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य समिति या कम्पनी या फर्म या निकाय, चाहे नियमित हो या न हो, ऐसे निबंधन और शर्तों, जैसी विहित रीति से निर्धारित की जाय, को अन्तरण की अपेक्षा करेगा और ऐसे अन्तरण पर, ऐसी चीनी मिल के लिये इस अधिनियम के अधीन बनाई गई समिति भंग हो जायेगी।"

(ख) यदि खण्ड (क) में विनिर्दष्ट नोटिस में विनिर्दिष्ट समय के भीतर समिति, निबन्धक द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन करने में असफल रहती है तो वह ऐसी समिति की कमेटी तथा उसके ऋणदाताओं को गजट में अधिसूचित आदेश द्वारा प्रत्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिये विहित रीति से अवसर प्रदान करने के पश्चात् खण्ड (क) में निर्दिष्ट रीति से समिति के पूर्णयः या अंशतः आस्तियों या आस्तियों और दायित्वों के अंतरण के लिये निदेश जारी करने सहित मामले में ऐसी कार्यवाही कर सकता है, जेसी वह उचित समझे :

प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी मिल समितियों के मामले में, जहां राज्य सरकार की 50 प्रतिशत से अधिक अंशपूंजी है वहां निबन्धक के लिए, उक्त खण्ड (क) एवं (ख) के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही हेतु समिति के सामान्य निकाय से प्रस्ताव पारित कराना अनिवार्य नहीं होगा।

(2) इस धारा के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार नियम बनाने, और निबन्धक को ऐसे निर्देश, जैसे वह उचित समझे, देने के लिए सक्षम होगी।

स्पष्टीकरण :—इस धारा के प्रयोजन के लिए 'कम्पनी' का तात्पर्य, कम्पनी अधिनियम, 1956 में यथापरिभाषित कम्पनी से है।

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 21 सन् 2007	3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।	निरसन और अपवाद
	(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जाएगी मानो इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।	

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंश माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाये ?

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

*श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है।

मान्यवर, आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, केवल इतनी बात कहना चाहता हूं कि हम लोग एक विधायक के रूप में यहां चुनकर आते हैं। मान्यवर, यहां बैठकर हम लोग अपना कार्यकाल जानते हैं कि संविधान की व्यवस्था के अनुसार वह पांच साल का है। उसी तरह का कार्यकाल इन्हीं समितियों का था, उन सबको इसके द्वारा खंडित करने का एक कार्य किया गया है। हो क्या रहा है कि चुनाव एक पार्टी की सरकार में होता है और जब कोई दूसरी पार्टी के लोग सरकार बनाते हैं तो यह शिकायत उत्पन्न होती है कि उन्हें खंडित किया जाये। यह सभी पार्टियों में होता है। मान्यवर, सहकारी समितियों का चुनाव हो गया उसमें लोग चुनकर आ गये वह समितियां गठित हो गयीं। अब इस कारण से कि नई सरकार आ गयी है वह फलां व्यक्ति रहेंगे वह नहीं रहेंगे तो उसके लिये कार्यकाल घटा दिया गया है। अब आप वहां पर इसके द्वारा प्रशासक बिठायेंगे। प्रशासक बिठाने के बाद अपने बेरोजगारों को उसमें रोजगार देंगे। यह स्थिति अच्छी नहीं है। हमारा लोकतंत्र में विश्वास है। सहकारिता भी लोकतंत्र की नींव है। उसको खंडित करने में क्यों लगे हुए हैं। माननीय लालजी वर्मा जी अपनी कुशलता के साथ बातें कहेंगे कि हम अंकुश लगायेंगे। आज माननीय सहकारिता मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं उनके दर्शन करके आज अच्छा लगा है, बहुत दिनों के बाद यहां पर आये हैं। उनका कुछ व्यक्तित्व भी निखरा है इधर। क्यों इस तरह के प्रस्ताव लाये जाते हैं क्यों आप अविश्वास की भावना से ग्रसित हैं ?

मान्यवर, जब तक इन संस्थाओं में विश्वास नहीं बढ़ेगा, विश्वास करके नहीं चलोगे, कभी लोकतंत्र की बात नहीं सोच सकते। आपका क्या बिगड़ जाता अगर वह 5 साल पूरा कर लेते कार्यकाल अपना, कर लेने देते। यह हमें यह विचार हो गया कि कोई दूसरा नहीं होना चाहिए हमसे अलग विचार करने वाला कोई प्रदेश रहेगा ही नहीं केवल एक ही विचार के लोग रहेंगे। ऐसी स्थिति में मैं इसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसका अनुमोदन का प्रस्ताव मैंने किया है इसके संशोधन का प्रस्ताव मैंने दिया है। यह सारी की सारी दुर्भावना से ग्रसित बाते हैं जो हमारे लोकतंत्र की नींव हैं उसको खंडित करने का प्रयास है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। हलांकि आप इसको पहले ही समाप्त कर चुके यह तो खाली एकेडमिक डिस्कशन की बात रह गयी। अध्यादेश का दुरुपयोग जो होता है यह, संस्थाओं को समाप्त करने के लिए अध्यादेश का जो दुरुपयोग होता है उसका हम विरोध करते हैं, यह सरासर दुरुपयोग है इस शक्ति का। यह शक्ति इसलिए दी गयी थी कि आपातकाल में यह काम आये। कोई कानून बनाना हो तब काम आये। यह शक्ति इसलिए नहीं दी गयी थी जब मन आये तब संस्थाएं समाप्त। अब कर दिया आपने समाप्त।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इसमें बहुत थोड़ा सा संशोधन है। अभी माननीय हुकुम सिंह जी ने कहा तो इसको जन आकांक्षाओं के अनुरूप ही किया गया है। 5 साल के टर्म को 2 साल किया गया है। माननीय हुकुम सिंह जी को भी मालूम है कि जो चुनाव हुए थे किस तरह से हुए थे। मान्यवर, यह भी उचित होगा कि जब समय कम रहेगा तो जनता की इच्छा का पता सही लगेगा और जन अनुरूप ही इसका कार्यकाल 2 साल किया गया है। मैं चाहूंगा कि अपना संशोधन वापस ले लें।

श्री अध्यक्ष-

आप संशोधन वापस ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं तो मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2007 का अननुमोदन करता है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

अध्यक्ष-

प्रश्न यह है उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करे ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड-2 से खण्ड-3 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा। — संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

(2) यह 5 सितम्बर, 2007 को प्रवृत्त हुआ समझा जाए।

2-उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की जिसे एतद्पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,- — उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

(क) उपधारा (2) में,-

(एक) खण्ड (क) में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

(दो) खण्ड (ख) में शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2002" के स्थान पर शब्द और अंक "उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007" रख दिये जायेंगे।

(तीन) खण्ड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :--

"(ग) किसी प्रबन्ध कमेटी का कार्यकाल, जिसने खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ के दिनांक को या उसके पूर्व अपने गठन के दिनांक से दो वर्ष की अवधि पूरी कर ली है, और उसके निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल ऐसे प्रारम्भ पर समाप्त हो जायेगा।"

(ख) उपधारा (3), (4), (5), (6) और (7) के स्थान पर निम्नलिखित उपधाराएं रख दी जाएंगी, अर्थात् :--

"(3) किसी सहकारी समिति की प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने के लिये निर्वाचन, निबन्धक के अधीक्षण, नियंत्रण और निदेशों के अधीन विहित रीति से प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व कर लिया जायेगा और इस प्रकार निर्वाचित सदस्य उस प्रबन्ध कमेटी के स्थान पर जिसका कार्यकाल उपधारा (2) के अधीन समाप्त हो रहा है, स्थान ग्रहण करेंगे :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां निबन्धक का यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उसे नियत किये गये दिनांक को निर्वाचन कराया जाना कठिन है, वहां वह निर्वाचन को स्थगित कर सकता है और निर्वाचन के संदर्भ में समस्त कार्यवाहियां सभी प्रकार से नये सिरे से प्रारम्भ की जाएंगी।

(4) सहकारी समिति के, यथास्थिति, सचिव या प्रबन्ध निदेशक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्रबन्ध कमेटी के कार्यकाल की समाप्ति के चार मास पूर्व निबन्धक को निर्वाचन कराने के लिये अधियाचन और ऐसी समस्त सूचना जिसकी, उसके द्वारा अपेक्षा की जाय, ऐसी अवधि के भीतर जो उसके द्वारा नियत की जाय, भेजे।

(5) (क) जहां किसी कारण से, चाहे वह जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व नहीं हुआ है या नहीं हो सका है, वहां प्रबन्ध कमेटी, इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये नियमों या समिति की उपविधियों के किन्हीं अन्य उपबन्धों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसे कार्यकाल के समाप्त होने पर अस्तित्व में नहीं रह जायेगी।

(ख) निबन्धक ऐसे कार्यकाल की समाप्ति पर या समाप्ति के पश्चात्, यथाशीघ्र, अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और समिति की उपविधि के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन होने तक, समिति के कार्य-कलापों का प्रबन्ध करने के लिये प्रशासक या प्रशासक कमेटी (जिसे आगे इस धारा में कमेटी कहा गया है) नियुक्त करेगा, और निबन्धक को समय-समय पर यथास्थिति प्रशासक या कमेटी के किसी सदस्य को बदलने या प्रशासक के स्थान पर कोई कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक नियुक्त करने की शक्ति होगी।

(ग) जहां खण्ड (ख) के अधीन कोई कमेटी नियुक्त की जाय, वहां उसके एक सभापति और आठ से अनधिक ऐसे अन्य सदस्य होंगे जिन्हें निबन्धक द्वारा नाम-निर्दिष्ट किया जायेगा और जिनमें कम से कम दो सदस्य सरकारी सेवक होंगे।

(घ) कमेटी की बैठक बुलाने और उसका आयोजन करने की प्रक्रिया, ऐसी बैठकों का आयोजन करने का समय और स्थान, ऐसी बैठकों में कार्य-संचालन और उसकी गणपूर्ति के लिये आवश्यक सदस्यों की संख्या ऐसी होगी जैसी नियत की जायं।

(ङ) जब तक खण्ड (ख) के अधीन यथास्थिति, किसी प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति न की जाय तब तक यथास्थिति, समिति का सचिव या प्रबन्ध निदेशक, प्रबन्ध कमेटी के केवल चालू कर्तव्यों का प्रभारी होगा।

स्पष्टीकरण :-जहां पदावरोही प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसी कारण से, चाहे जो भी हो, प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों के निर्वाचन के परिणाम घोषित न किये गये हों, या घोषित न किये जा सके हों वहां यह समझा जायेगा कि प्रबन्ध कमेटी के निर्वाचित सदस्यों का निर्वाचन इस उपधारा के अर्थान्तर्गत नहीं हुआ है।

(6) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त प्रशासक या कमेटी को, ऐसे किसी निदेश के अधीन रहते हुये, जिसे निबन्धक द्वारा समय-समय पर दिया जाय, प्रबन्ध कमेटी के या समिति के किसी अधिकारी के समस्त या किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करने की शक्ति होगी और इस अधिनियम, नियमों और समिति की उपविधि के अधीन समस्त प्रयोजनों के लिये उसे प्रबन्ध कमेटी समझा जायेगा और ऐसी कमेटी का सभापति प्रबन्ध कमेटी के सभापति की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन करेगा।

(7) उपधारा (5) के अधीन नियुक्त, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी, यथाशीघ्र किन्तु नियुक्ति के दिनांक से छः माह की समाप्ति के पूर्व, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी से समिति का प्रबन्ध लेने के लिये इस अधिनियम के उपबन्धों, नियमों और समिति की उपविधि के अनुसार प्रबन्ध कमेटी का पुनर्गठन करने की व्यवस्था करेगी :

प्रतिबन्ध यह है कि जहां किसी प्रशासक के स्थान पर कमेटी या कमेटी के स्थान पर प्रशासक रखा जाय, जैसा कि उपधारा (5) के खण्ड (ख) में उपबन्धित है, वहां छः माह की अवधि की गणना, यथास्थिति, प्रशासक या कमेटी की मूल नियुक्ति के दिनांक से की जायेगी।

स्पष्टीकरण :-उपधारा (5) के अधीन प्रशासक या कमेटी की नियुक्ति के पूर्व निर्वाचन की प्रक्रिया के प्रारम्भ हो जाने पर भी, ऐसी नियुक्ति के पश्चात् निर्वाचन की नई प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 34 सन् 2007

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, उत्तर प्रदेश 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्ताव व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007

*समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री इन्द्रजीत सरोज)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव विधान परिषद् की दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक, 2007, जो इस सदन द्वारा दिनांक 12 जुलाई, 2007 को पारित होने के उपरान्त उत्तर प्रदेश विधान परिषद् के विचारार्थ भेजा गया था और जिसे पारित किये जाने का प्रस्ताव विधान परिषद् की दिनांक 24 जुलाई, 2007 की बैठक में अस्वीकार हो गया है, जैसा कि वह इस सदन द्वारा मूलतः पारित किया गया था, पुनः पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य के गठन किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' आदि द्वारा नियम 103 के अन्तर्गत किये गये प्रस्ताव पर आधे घण्टे की चर्चा

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैन साहब अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करिये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन केन्द्र सरकार से यह सिफारिश करता है कि उत्तर प्रदेश राज्य के बुन्देलखण्ड क्षेत्र (जनपद झांसी, ललितपुर, बांदा, जालौन, हमीरपुर, महोबा एवं चित्रकूट) को उत्तर प्रदेश राज्य से अलग करके एक पृथक राज्य का गठन किया जाय।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, चर्चा जारी रखें और दूसरा आइटम ले लें।

श्री अध्यक्ष-

माननीय जैन साहब ने प्रस्ताव रख दिया है, अब यह चर्चा जारी रहेगी, फिर इस पर बहस करियेगा।

*श्री प्रमोद तिवारी-

जिस दिन यह विषय आयेगा, उस दिन और लोग भी बोल लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, आप प्रश्न भी करते हैं और खुद ही उत्तर भी दे देते हैं।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 05 नवम्बर, 2007 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुईं, स्वीकृत सूचनाओं का विवरण निम्न प्रकार है :- पहली सूचना श्री प्रदीप जैन आदित्य की झांसी शहर अन्तर्गत बेसिक प्राइमरी पाठशाला, गुरूद्वारा, प्रेमनगर की दीवारें एवं छत क्षतिग्रस्त होने एवं आवश्यक मूलभूत सुविधायें न होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दूसरी सूचना श्री दीपक कुमार की जनपद कानपुर स्थित एयरफोर्स स्टेशन, चकेरी के निर्माण हेतु किसानों की अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर नगर में विसरात घाट पर निर्माणाधीन अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना डा0 पी0 के0 राय की जनपद कुशीनगर के सेवरही विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2006-2007 के लिये ग्रामीण विद्युतीकरण एवं ट्रांसफर्मर बदलने हेतु जारी विधायक निधि के बाद भी कार्य सम्पादित न कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवीं सूचना श्री प्रमोद तिवारी की जनपद प्रतापगढ़ अन्तर्गत लालगंज, सांगीपुर एवं संग्रामगढ़ में शासन की घोषणा के अनुरूप विद्युत आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री धनन्जय सिंह की प्रदेश में चकबन्दी विभाग द्वारा मानक के अनुरूप जनपदों में फील्डस्टाफ की नियुक्ति न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना श्री अंगद यादव की जनपद आजमगढ़

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्थित मोहम्मदपुर खरिहा होते हुये निजामबाद की गढ्ढायुक्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री राम प्रसाद कुशवाहा की कानपुर नगर के घाटमपुर विधान सभा क्षेत्र स्थित रामगंगा नहर में जल अवरोधक की पुनर्स्थापना न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। नवीं सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी नगर में फुटकर आतिशबाजी बेचने पर रोक लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। दसवीं सूचना चौधरी सत्येन्द्र सोलंकी की जनपद लखनऊ के थाना कैसरबाग की पुलिस द्वारा प्रदेश के बाहर का 25,000 रुपये का ईनामी अपराधी को मार गिराने वाले पुलिसकर्मियों को आउट आफ-टर्न प्रोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकृत हुई, श्री प्रमोद सिंह, श्री शेर बहादुर सिंह, डा0 अजय तोमर, श्री मदन चौहान, श्री यशपाल सिंह चौहान, श्री उदयभान करवरिया, श्री जमीरउल्ला खां, श्री अनिल कुमार सिंह यादव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री सर्वेश सिंह, श्री दीप नारायण सिंह, श्री शिव शंकर चौहान, श्री राम किशुन, श्री विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री पंकज मलिक, श्री सुन्दर सिंह, श्री राम बिशुन आजाद, डा0 अनिल चौधरी, डा0 आर0ए0 उस्मानी, श्री लल्लू सिंह।

जनपद झांसी स्थित उत्तर प्रदेश राज्य वस्त्र निगम की कताई मिल की बन्दी तथा कर्मचारियों के भविष्य निधि एवं वेतन आदि अन्य बकायों का भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री प्रदीप जैन 'आदित्य' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर वस्त्रोद्योग मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लाल जी वर्मा)-

श्री प्रदीप जैन आदित्य, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी नोटिस दिनांक 28-6-2007 के अन्तर्गत बताया गया है कि...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना गया।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 की झांसी स्थित कताई मिल में कच्चा माल उपलब्ध होने के बावजूद दिनांक 27-11-1997 में उत्पादन निलम्बित कर दिया गया, तत्पश्चात् 1998 तक कच्चा माल बेचकर वहां के कर्मचारियों को वेतन दिया गया एवं वेतन से भविष्य निधि की राशि भी काटी गयी, परन्तु उसे उनके खाते में जमा नहीं किया गया तथा दिनांक 31-1-2001 तक कर्मियों को कोई वेतन नहीं दिया गया। यह भी बताया गया कि दिनांक 31-1-2001 को मिल की बन्दी घोषित कर सभी कर्मियों को वी0आर0एस0 का लाभ देकर सेवामुक्त करते हुए यह आश्वासन दिया गया कि 29 माह के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जायेगा, परन्तु अभी तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया गया है और न ही भविष्य निधि की राशि ही दी गयी है, जिससे समस्त कर्मियों के परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं तथा उनके समक्ष अपने बच्चों की शिक्षा और पुत्रियों की शादी की समस्या खड़ी हो गयी है इससे समस्त कर्मचारी आन्दोलनरत हैं। अतएव इस पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उल्लेखनीय है कि झांसी स्थित कताई मिल सार्वजनिक क्षेत्र की उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 कानपुर की एक इकाई है। इसके अलावा इस कम्पनी की 02 और कताई मिले हैं जो परतापुर (मेरट) एवं सण्डीला (हरदोई) में स्थित हैं।

इस कम्पनी की सभी मिलों में निरन्तर हानि होने और नेटवर्थ ऋणात्मक हो जाने पर यह कम्पनी औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी0आई0एफ0आर0) में पंजीकृत है और बी0आई0एफ0आर0 द्वारा दिनांक 2-2-1995 को रूग्ण घोषित है।

कम्पनी की झांसी स्थित कताई मिल में उत्पादन नवम्बर, 1997 से तथा परतापुर (मेरठ) एवं सण्डीला (हरदोई) स्थित कताई मिलों में उत्पादन क्रमशः जून, 1999 एवं दिसम्बर, 1998 से बन्द होने के अनन्तर ये तीनों कताई मिलें उ0 प्र0 औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के प्राविधानों के अन्तर्गत दिनांक 14-3-2001 से विधिक रूप से बन्द हैं।

झांसी स्थित कताई मिल के कर्मियों की संख्या 2341 रही है। इस मिल के पात्र कर्मियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी0आर0एस0) के अन्तर्गत रु0 1984.51 लाख का भुगतान कर सेवामुक्त कर दिया गया है। इसी प्रकार इस योजना के अन्तर्गत इस कम्पनी के मुख्यालय तथा दोनों अन्य मिलों के पात्र कर्मियों को भी कुल रु0 4258.21 लाख का भुगतान कर सेवामुक्त किया जा चुका है।

झांसी स्थित कताई मिल के श्रमिकों एवं कार्मिकों का माह सितम्बर, 1998 से माह जनवरी, 2001 तक की अवधि (29 माह) का वेतन के मद में रु0 409.75 लाख बकाया है तथा माह नवम्बर, 1997 से पी0एफ0 (भविष्य निधि) के मद में रु0 8.41 लाख बकाया है। परतापुर (मेरठ) एवं सण्डीला (हरदोई) स्थित मिलों के श्रमिकों एवं कर्मियों के भी इन मदों में धनराशि बकाया है। कम्पनी पर बकाया देनदारियों का भुगतान मिलों की परिसम्पत्तियों की विक्रय राशि से ही किया जा सकेगा।

3-यह भी उल्लेखनीय है कि उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0 की इन तीनों मिलों सहित दो अन्य कम्पनियों यथा-उ0प्र0 स्टेट यार्न कम्पनी लि0 को मेजा (इलाहाबाद), बांदा एवं रसड़ा (बलिया) स्थित कताई मिलों तथा उ0 प्र0 स्टेट स्पिनिंग कम्पनी लि0 की रायबरेली, बाराबंकी एवं मऊनाथभंजन की कताई मिलों का शासन की वर्तमान नीति के अन्तर्गत निजीकरण किया जाना श्रेयष्कर समझा गया है।

4-उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि झांसी स्थित कताई मिल सहित अन्य बन्द मिलों के श्रमिकों एवं कर्मियों के बकाया देयों का भुगतान मिलों की परिसम्पत्तियों के विक्रय के उपरान्त बिक्री से प्राप्त धनराशि से ही किया जा सकेगा।]

* श्री प्रदीप जैन आदित्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि झांसी स्थित उ0 प्र0 राज्य वस्त्र निगम लि0, की जो सूती मिल है, उसके कर्मचारी बरबादी की कगार पर पहुंच गये हैं तमाम कर्मचारियों के परिवार भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं, इसी कारण कई लोगों ने आत्महत्या कर ली। मेरा आपसे कहना यह है कि उनका जो बकाया है उसे लम्बित न किया जाय। क्योंकि लगातार पांच-सात साल से वह लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, मान्यवर, अनुरोध है कि इसमें कुछ व्यवस्था दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे दिखवा लिया जाएगा।

जनपद आजमगढ़ के फूलपुर स्थित रजवहा माइनर में पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में श्री अंगद यादव द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, विधान सभा क्षेत्र, 196, निजामबाद, जनपद आजमगढ़ में ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[फूलपुर रजवाहा नहर में आज तक कभी पानी नहीं आया है। जिसके कारण सही रूप से सिंचाई नहीं हो पा रही है। किसानों को सिंचाई के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण आम जनमानस में अत्यधिक रोष व्याप्त है।

जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र निजामबाद क्षेत्र के अन्तर्गत फूलपुर रजवाहा जिसकी कुल लम्बाई 79.40 कि0मी0, डिस्चार्ज 260 क्यूसेक है। यह राजवाहा सुल्तानपुर बायी शाखा के बांये बैंक के कि0मी0 136.00 से निकलता है। खरीफ 1415 फसली में फूलपुर राजवाहा में दिनांक 19-6-2007 से 4-7-07 तक, 20-07-07 से 04-08-07 तक तथा दिनांक 30-8-07 से 5-09-2007 तक रोस्टर के अनुसार टेल तक पानी पहुंचाया गया है।

शारदा सहायक प्रणाली में पानी की कमी के कारण माह सितम्बर, 2007 के द्वितीय सप्ताह एवं माह अक्टूबर, 2007 में पानी की मांग अधिक होने के कारण फूलपुर रजवाहा के कि0मी0 72.00 तक पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाया गया और कि0मी0 72.00 तक ही जहां कृषकों को पर्याप्त पानी मिला है वहीं तक सींच दर्ज की गयी है। इसके नीचे पानी नहीं पहुंचाया जा सका है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

फूलपुर रजवाहा में पानी की मांग अधिक होने पर टेल भाग में पानी न पहुंचने का मुख्य कारण शारदा सहायक प्रणाली की नहरों के सेक्शन संकुचित हो जाने के कारण इनकी जल प्रवाह क्षमता कम हो गयी है फलस्वरूप पानी कम मिल पाने के कारण सामान्यतया टेल भाग में पानी कम पहुंच पाता है।

शारदा सहायक नहर प्रणाली की आन्तरिक सेक्शन संकुचित होने की समस्या के निदान हेतु मुख्य नहर एवं शाखा नहर की क्षमता पुनर्स्थापना की परियोजना भारत सरकार स्तर पर परीक्षणाधीन है। परियोजना स्वीकृत हो जाने के उपरान्त उक्त राजवाहा के टेल पर पानी पहुंचाकर मांग के अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है।]

जनपद गाजीपुर की तहसील सैदपुर निवासी दुर्गा कुमारी श्रीवास्तव द्वारा अनुसूचित जाति के नाम पर जमीन का बैनामा कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगेलू राम द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री भगेलूराम, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचना ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[दिनांकित 31-10-2007 में उल्लिखित है कि श्रीमती दुर्गा कुमारी श्रीवास्तव पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार जो वर्तमान में सहायक अध्यापक के पद पर प्राइमरी पाठशाला शादीभाटी ब्लाक सैदपुर जनपद गाजीपुर में तैनात हैं, द्वारा दिनांक 16 अगस्त, 2001 को छविनाथ पुत्र श्री गणेश निवासी ग्राम देवचन्द्रपुर तहसील सैदपुर, गाजीपुर से जमीन का बैनामा अपने को अनुसूचित जाति दर्शाते हुए जालसाजी करके कराया है, जबकि यह सामान्य जाति की हैं। पुनः दुर्गा कुमारी ने दिनांक 12-12-2005 को गणेश पुत्र छविनाथ से मकान का बैनामा जिसमें दुर्गा कुमारी पत्नी छविनाथ दर्शाकर फर्जी तरीके से करा लिया। एक तरफ दुर्गा कुमारी पत्नी राजेन्द्र कुमार के नाम तथा दूसरी जाति अनुसूचित जाति बनकर सरकार को धोखा देने तथा अपने शासकीय दायित्य का निर्वहन जालसाजी के रूप में कर रही हैं। अपनी सूचना के माध्यम से मा0 सदस्य द्वारा इस प्रकरण की जांच कराकर दोषी के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने की मांग की गयी है।

2-प्रकरण की जांच जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी से करायी गयी है। जांचोपरान्त स्थिति निम्नवत् पायी गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

(क) श्री छविनाथ राम पुत्र स्व0 गनेश निवासी देवचन्द्रपुर चकबन्दी के चक जोत चकबन्दी आकार पत्र 23 भाग-1 में 2 क्रमांक क्रमशः 111 व 112 बने हैं। चक क्रमांक-111 छनिवाथ पुत्र गनेश के नाम एकल खाते के रूप में अंकित है। चक क्रमांक-112 छविनाथ पुत्र गनेश अन्य सह-खातेदारों के साथ संयुक्त रूप से अंकित है। छविनाथ पुत्र गनेश ने अपने संक्रमणीय अधिकारों वाली भूमिधरी के भूखण्ड सं0-230 मि0/1-0-15, 230 मि0/1-4-14, 450 मि0/0-7-6 व 496/0-5-11/3 में से अपना अंश 0-12-107/12 धूर का प्रथम विक्रय विलेख श्रीमती दुर्गा कुमारी पुत्री शिवकुमार निवासिनी नारी पंचदेवरा परगना व तहसील सैदपुर को विक्रय विलेख संख्या-1174 द्वारा दिनांक 10-8-2001 को निष्पादित कर दिया। छविनाथ पुत्र श्री गनेश ने ही दूसरा विक्रय विलेख भू-खण्ड संख्या-372 मि0/0-2-0 का इन्हें दुर्गा कुमारी के पक्ष में विक्रय विलेख संख्या-2252 के माध्यम से दिनांक 21-12-2005 को निष्पादित किया। भू-खण्ड संख्या-372 आकार पत्र 23 भाग-1 के क्रमांक 281 में निहित भूमि है जो बीजूपटनायक पुत्र हीरा, रामराज पुत्र अलगू छविनाथ पुत्र गनेश, शीला देवी पत्नी जवाहिर के नाम अंकित है। यह भूमि संयुक्त खाते की इसमें छविनाथ पुत्र गनेश ने अपने अंश का 2 विस्वा भूमि विक्रय किया है जिसमें उन्होंने क्रेती दुर्गा कुमारी को अपनी पत्नी निरूपित करते हुए विक्रय विलेख निष्पादित किया है।

(ख) श्रीमती दुर्गा कुमारी ने उक्त दोनों विक्रय विलेखों के आधार पर अपना नाम अंकित कराने हेतु प्रार्थना-पत्र दिनांक 25-6-2007 को सहायक चकबन्दी अधिकारी, नन्दगंज के न्यायालय में प्रस्तुत किया। सहायक चकबन्दी अधिकारी, नन्दगंज ने दुर्गा कुमारी को सवर्ण जाति की महिला उल्लिखित करते हुए प्रकरण को संदिग्ध मानते हुए वाद का निस्तारण पक्षों को सुनने एवं साक्ष्योपरान्त गुण-दोष के आधार पर करने हेतु चकबन्दी अधिकारी नन्दगंज के न्यायालय में दिनांक 06-08-07 को संदर्भित कर दिया। सम्प्रति नामान्तरण का वाद चकबन्दी अधिकारी, नन्दगंज, जनपद-गाजीपुर के न्यायालय में विचाराधीन है।]

जनपद चन्दौली स्थित स्पंज आयरन के फैक्ट्री से हो रहे प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राम किशुन द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, औद्योगिक क्षेत्र रामनगर में स्पंज आयरन के दो कारखाने हैं ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

[जिनके द्वारा भारी मात्रा में प्रदूषण फैलाया जा रहा है साथ में आस-पास में जो फैक्ट्रियां कारखाने लगे हैं उनके खाली पड़ी परती जमीन पर भी अवैध ढंग से कच्चा कोयला जलाकर ओडा बनाने का काम भी बेरोकटोक हो रहा है जिससे आस-पास क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जन-जीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं, पर्यावरण दूषित हो रहा है, तत्काल रोक नहीं लगायी तो जन-जीवन के स्वास्थ्य को खतरा बढ़ता जा रहा है।

उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा उक्त सूचना के सम्बन्ध में दी गई आख्या के अनुसार स्थिति निम्नवत् है :--

जनपद चन्दौली के औद्योगिक क्षेत्र रामनगर के अन्तर्गत दो स्पन्ज आयरन की फैक्ट्रियां वर्तमान में संचालित हैं। इनमें से मै0 बाबा विश्वनाथ आयरन प्रा0 लि0 एवं मै0 एस0 ए0 आयरन एण्ड एलाइज प्रा0 लि0 हैं। इन उद्योगों का निरीक्षण राज्य बोर्ड द्वारा गठित समिति के माध्यम से दिनांक 07 एवं 08 अप्रैल, 2006 को कराया गया था। इन उद्योगों में स्पन्ज आयरन का उत्पादन किया जाता है तथा दोनों उद्योगों में प्रक्रिया उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की गई है। प्रश्नगत उद्योगों का बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय, वाराणसी द्वारा नवीनतम निरीक्षण किया गया एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के सुचारु व नियमित संचालन हेतु उद्योगों को दिनांक 01-11-07 को निर्देशित किया गया।

जहां तक क्षेत्र में अवैध रूप से कच्चा कोयला जलाये जाने से बड़े पैमाने पर प्रदूषण सम्बन्धी प्रश्न है, के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में वर्तमान में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।]

जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बी0पी0एल0 सर्वे सूची में की गयी व्यापक धांधली के सम्बन्ध में श्री शिव शंकर चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री शिव शंकर चौहान, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि उनके विधान सभा क्षेत्र के तीन विकास खण्डों में रेवती, बांसडीह व वेशम्भारवारी में पूर्ववर्ती सरकार में बिना आम पंचायतों की खुली बैठक कराये ही बी0पी0एल0 की अपात्रों की सर्वे सूची तैयार कर समाज के दलित शोषित पीड़ितों को लाभ से वंचित करने की साजिश की गई है, जिससे आये दिन इन गरीबों द्वारा धरना प्रदर्शन किये जा रहे हैं, जिससे इन गरीबों में अत्यन्त रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि निर्धारित मानदण्डों के अनुसार वांछित प्रक्रियाओं यथा सर्वेक्षण कार्य करना ग्रामवार सूचना का संकलन, ग्राम पंचायतों में सूची का प्रदर्शन, सूची पर आपत्तियों का आमंत्रण, आपत्तियों का निराकरण, ग्राम सभाओं द्वारा सूची का अनुमोदन जनपद स्तर पर संकलन

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एवं कम्प्यूटर में अंकन आदि को पूर्ण कराते हुए आयुक्त, ग्राम विकास विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को बी0पी0एल0 सूची का वेबसाइट पर प्रकाशन किया गया तथा अन्तिम बी0पी0एल0 सूची ग्राम पंचायतों में सार्वजनिक स्थलों पर वाल पेन्टिंग भी करा दिया गया है।

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा किसी ग्राम विशेष की कोई विशिष्ट शिकायत नहीं की गयी है। जनपद के जिन-जिन ग्राम पंचायतों में बी0पी0एल0/अन्त्योदय के कार्ड अपात्रों के पक्ष में जारी किये जाने की शिकायतें संज्ञान में आयी हैं, के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा जनपद के सभी उप जिलाधिकारियों/खण्ड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर से तत्काल खुली बैठकें आयोजित कराकर अपात्रों के नाम जारी बी0पी0एल0/अन्त्योदय राशन कार्डों को निरस्त कराते हुए उनके स्थान पर छूटे हुए पात्र लाभार्थियों को राशन कार्ड निर्गत करा दिये जायें। इसमें विधान सभा क्षेत्र बांसडीह भी सम्मिलित है।]

जनपद प्रतापगढ़ के आसपुर देवसरा एवं मगरौरा विकास खण्डों में नियुक्त आवश्यक वस्तुओं के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं आवश्यक वस्तुओं का समुचित वितरण न किये जाने तथा विभाग द्वारा वितरण की स्थिति का सत्यापन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह मा0 सदस्य.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना दी गयी है कि जनपद-प्रतापगढ़ के विकास खण्ड-आसपुर देवसरा एवं मंगरौरा की बहुत सी ग्राम सभाओं में नियुक्त आवश्यक वस्तुओं के कोटेदारों द्वारा खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुओं बी0पी0एल0, अन्त्योदय कार्ड धारकों को उपलब्ध नहीं कराया जाता। मा0 सदस्य ने अभिलेखों एवं वितरण की जांच तथा सत्यापन कराने में रुचि न लेने के कारण जनहित प्रभावित होने की बात कही है एवं वक्तव्य की मांग की है।

कार्ड धारकों को आवश्यक वस्तुओं का समुचित ढंग से वितरण सुनिश्चत करने की दृष्टि से त्रिस्तरीय सत्यापन की व्यवस्था की गयी है। उपरोक्त शासनादेश/व्यवस्थानुसार प्रत्येक माह में प्रथम स्तर पर नामित राजपत्रित अधिकारी द्वारा स्टाक का सत्यापन किया जाता है। द्वितीय स्तर पर नामित आपूर्ति कर्मी द्वारा उचित दर विक्रेताओं को सामग्री की आपूर्ति अपनी उपस्थिति में दिलायी जाती है। दुकान पर सामग्री पहुंचने पर सामग्री का सत्यापन पंचायत विकास अधिकारी या लेखपाल द्वारा किया

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जाता है। सत्यापन के बाद ग्राम प्रधान द्वारा वितरण का प्रमाण-पत्र दिया जाता है जो कि क्षेत्रीय लेखपाल ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होता है। आपूर्ति एजेन्सी को निर्देश है कि वह विवरण सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होने पर ही कोटेदार को आगामी कोटा निर्गत करें। सत्यापन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत होने पर ही विक्रेता को आगामी कोटे की आपूर्ति की जाती है। इस सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, पट्टी से जांच कराई गई है। उनकी आख्या के अनुसार उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वि0 खं0 आसपुर देवसरा एवं मंगरौरा की सभी ग्राम सभाओं में कोटेदारों द्वारा आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित हो रहा है तथा समुचित वितरण सत्यापन भी किया जा रहा है। सम्प्रति शासनादेश संख्या-2540/29-6-2007-121सा/98, दिनांक 10 अगस्त, 2007 के अनुपालन में प्रत्येक दुकान पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में लाभार्थियों को सामग्री का वितरण कराया जा रहा है।]

जनपद उन्नाव में कार्यरत कार्यदायी संस्था जल निगम के अनैतिक कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुन्दर लाल लोधी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री सुन्दर लाल लोधी, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा.....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि माह जून, 2007 में विधान सभा क्षेत्र हड़हा, उन्नाव के विभिन्न ग्रामों में पेयजल समस्या को देखते हुए विधायक निधि से दिनांक 11-06-2007 को 10 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प अविलम्ब लगाने हेतु जल निगम उन्नाव को मुख्य विकास अधिकारी, उन्नाव द्वारा धन आवंटित हुआ, परन्तु पांच माह व्यतीत हो जाने पर भी चयनित कुछ जगहों पर हैण्डपम्प नहीं लग सके और जो लगे भी उनके अभी तक प्लेटफार्म नहीं बने और न ही उनका परीक्षण ही किये गए। इस तरह जल निगम की कमाऊ खाऊ नीति से जनता में रोष व्याप्त है और भविष्य की कार्य विधि के लिए जनता सशंकित है। ऐसी दशा में इस जन उपयोगी महत्वपूर्ण कार्यदायी संस्था जल निगम, उन्नाव को काली सूची में डालकर जन आक्रोश से बचायें। मा0 सदस्य द्वारा इस विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि विधान सभा क्षेत्र हड़हा के विकास खण्ड नवाबगंज विछिया एवं सिकन्दरपुरकर्ण के अन्तर्गत विभिन्न चयनित स्थलों पर 10 नग इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्पों के अधिष्ठापन हेतु विधायक निधि से रुपये 2.08 लाख की धनराशि दी गयी थी जो परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 उन्नाव के पत्र दिनांक 27-7-2007 द्वारा उ0 प्र0 जल निगम, उन्नाव को प्राप्त करायी गयी थी। उक्त

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

धनराशि जल निगम के बैंक खाते में दिनांक 03-08-2007 को समायोजित हुई। उक्त विकास खण्डों के अन्तर्गत मा0 विधायक जी द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची के अनुसार 09 नग हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन करा दिया गया है। शेष 01 नग हैण्डपम्प का अधिष्ठापन कार्य प्रगति पर है।

3-अधिष्ठापित हैण्डपम्पों के प्लेटफार्म निर्माण के सम्बन्ध में प्रबन्ध निदेशक, उ0 प्र0 जल निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि सीमेंट के अभाव के कारण प्लेटफार्म निर्माण कार्य विलम्ब से प्रारम्भ हुआ है जो यथाशीघ्र पूर्ण करा दिया जायेगा। उक्त अधिष्ठापित हैण्डपम्पों में से 08 नग हैण्डपम्पों का जल परीक्षण करा लिया गया है। शेष 02 नग हैण्डपम्पों का जल परीक्षण इसी माह में करा दिया जायेगा।]

जनपद मुजफ्फरनगर के थाना भौंरा कलां स्थित स्व0 कृष्णपाल के परिवार को सुरक्षा प्रदान कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हुकुम सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 विधायक द्वारा दी गयी सूचना में मुख्यतः भारतीय ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[जनता पार्टी के जनपद मुजफ्फरनगर के नेता स्व0 कृष्णपाल सिंह की हत्या के अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण अभियुक्त द्वारा उनके परिवार को दी जा रही धमकी के कारण स्व0 कृष्णपाल के परिवार को जान का खतरा बना होने का उल्लेख करते हुए अविलम्ब सुरक्षा उपलब्ध कराये जाने का उल्लेख किया गया है।

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 19-9-2006 को ग्राम आदमपुर थाना भौराकलां के पूर्व प्रधान कृष्णपाल की हत्या के सम्बन्ध में थाना भौराकलां पर पंजीकृत मु0अ0सं0 117/2006 धारा 302 भा0दं0वि0 की विवेचना शासन द्वारा अपराध शाखा अपराध अनुसंधान विभाग को दिनांक 13-10-2006 को अभिदिष्ट की गयी। प्रकरण की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा की जा रही है। मृतक स्व0 कृष्णपाल के परिवारजन को उक्त नोटिस में अभियुक्तगण द्वारा दी जा रही जान माल की धमकी के दृष्टिगत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर को दिनांक 05-11-2007 को निर्देश दे दिये गये हैं कि स्व0 कृष्णपाल के परिवारजन को स्थानीय पुलिस स्तर पर पर्याप्त सुरक्षा तत्काल उपलब्ध करा दी जाये।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शाहजहांपुर नगर में गरीबों व असेवित बस्तियों में विद्युतीकरण का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, शाहजहांपुर नगर हेतु एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत ....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[पांच नये 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र, अब्दुल्लागंज, रोजा, निगोही, हथौड़ा व ककरा में प्रस्तावित थे। तीन विद्युत उपकेन्द्रों के कार्य लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष पर कार्य प्रगति पर है। अब्दुल्लागंज व रोजा 33/11 केवी उपकेन्द्रों को पोषित करने हेतु 33 केवी लाइन का निर्माण कार्य भी रेलवे क्रासिंग को छोड़कर पूर्ण हो चुका है। रेलवे क्रासिंग की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव डी0आर0एम0, मुरादाबाद को दिनांक 8-3-07 को किया गया था, जिस पर उनके द्वारा माह सितम्बर, 07 में कुछ आपत्तियां लगायी गयीं, जिसको दूर करके प्रस्ताव पुनः दिनांक 10-9-07 को प्रस्तुत किया जा चुका है। अभी तक डी0आर0एम0, मुरादाबाद से रेलवे क्रासिंग की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है, जिस कारण इन उपकेन्द्रों का चालू किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

मा0 सदस्य द्वारा उल्लिखित मोहल्लों जैसे बिजलीपुरा, मस्जिदगंज आदि की विद्युत आपूर्ति 66/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र, रोजा से निकलने वाले 11 केवी बिजलीपुरा पोषक तथा 132/66/11 केवी शाहजहांपुर उपकेन्द्र से निकलने वाले सिटी-1 पोषक से की जाती है। यह दोनों पोषक अति भारित होने के कारण स्थानीय स्तर पर रोस्टरिंग करनी पड़ती है, जिससे इन क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति कभी-कभी कम की जाती है। एपीडीआरपी योजना के अन्तर्गत उपरोक्त प्रस्तावित उपकेन्द्रों के चालू हो जाने पर इस समस्या का निदान हो जायेगा।

मा0 सदस्य द्वारा मोहल्ला गदियाना, महबूद हट्टफ, पक्का तालाब वाला तिराहा इत्यादि अधिकांश मोहल्ले शहरी क्षेत्र के बाहरी भाग में बसे हुए हैं और वहां पर गलियों में खम्बे व तार इत्यादि नहीं लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र के बाहरी भाग में बसे हुए उपरोक्त सन्दर्भित मोहल्लों में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराये जाने हेतु विद्युत ढांचा विकसित करने हेतु विभाग में कोई योजना नहीं है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लखनऊ के कालीदास मार्ग पर स्थित राजीव चौक में स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति को केन्द्र में स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद तिवारी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, श्री प्रमोद तिवारी, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा.....

*श्री कौकब हमीद-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

*श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाय। लेकिन इसको मैं पिछले दिनों से आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। मान्यवर, राजीव चौक में भारत रत्न स्व0 श्री राजीव गांधी की प्रतिमा पहले बीचोंबीच में थी लेकिन पिछली सरकारों के कार्यकाल में तीन तरफ सड़कें बढ़ गई हैं, इसलिये वह प्रतिमा किनारे आ गई है। मेरा अनुरोध है कि आप नगर निगम से कह दें कि वह प्रतिमा सेन्ट्रल में आ जाए।

श्री लालजी वर्मा-

जवाब तो आपको पूरा मिल गया है।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, मैंने पूरे जवाब को ठीक से पढ़ा है और मेरा अनुरोध है कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आप केवल नगर निगम को कह दें, बस हो जायेगा।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इसको दिखवा लिया जाएगा।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि भारत रत्न से सम्मानित भारत के पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 राजीव गांधी जी की प्रतिमा तत्कालीन नगर प्रमुख डा0 अखिलेश दास जी द्वारा कालीदास मार्ग के पश्चिमी छोर पर स्थित चौराहे पर वर्ष 1995 में की गयी थी, और एक चौक बनाकर, उसका सौन्दर्यीकरण करके चौक के केन्द्र में इस मूर्ति की स्थापना की गयी थी। इस चौक पर स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने के कारण इसका नाम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

''राजीव चौक'' पड़ा था। पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में हैदर कैनाल के बगल के मार्ग को चौड़ा करके ''लोहिया पथ' बनाया गया और राजीव चौक के चौराहे को भी चौड़ा किया गया किन्तु स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति चौक के केन्द्र में स्थापित थी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राजीव गांधी चौक के चौराहे को तीन तरफ से इस तरह से बढ़ाया गया कि स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति पार्क के एक कोने में हो गयी, और चौक के बीच में एक फौव्वारा बना दिया गया। इस तरह से राजीव गांधी जी की मूर्ति स्थापित होने के कारण राजीव चौक के नाम से जाना जाने वाले चौराहे पर स्थित स्व0 राजीव गांधी जी की मूर्ति चौक के एक किनारे चली गयी जो अत्यन्त अशोभनीय लगती है, और देश की एकता और अखण्डता के लिये जीवन अर्पित करने वाले स्व0 राजीव गांधी जी के करोड़ों प्रशंसकों की भावनायें आहत हुई हैं और उनकी भावनाओं को चोट लगती है। मा0 सदस्य द्वारा इस विषय पर वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-उपर्युक्त सूचना के सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि कालीदास मार्ग के पूर्ववर्ती चौराहे में पूर्व प्रधान मंत्री एवं भारत रत्न स्व0 राजीव गांधी जी की प्रतिमा दिनांक 20-08-1995 को स्थापित की गयी। लखनऊ नगर निगम की सदन की बैठक दिनांक 12-07-1993 में पारित प्रस्ताव संख्या-7(घ) द्वारा उ0 प्र0 कांग्रेस कमेटी के पास चौराहे का नाम राजीव चौक रखने तथा वहीं राजीव गांधी की मूर्ति लगाने का निर्णय लिया गया था। भारत रत्न स्व0 राजीव गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण कैप्टन सतीश शर्मा, मा0 पेट्रोलियम मंत्री, भारत सरकार के कर कमलों द्वारा दिनांक 20-08-1995 को अखिलेश दास, महापौर, लखनऊ की अध्यक्षता में किया गया।

3-पूर्व समाजवादी पार्टी सरकार के कार्यकाल में हैदर कैनाल के बगल के मार्ग को चौड़ा करते हुए लोहिया पथ का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा वर्ष 2006 व 2007 की अवधि में किया गया है और लोक निर्माण विभाग द्वारा इस चौराहे के समस्त मार्गों, हैदर कैनाल के पुल के आकार को चौड़ा किया गया एवं मार्ग संगम के बीच में वृहद रोटरी का निर्माण किया गया है, जिसके कारण मा0 पूर्व प्रधान मंत्री स्व0 राजीव गांधी जी की प्रतिमा चौराहे के दक्षिण परिधि के समीप आ गई। रोटरी के अन्दर पड़ी खाली भूमि के सुन्दरीकरण को दृष्टिगत रखते हुए इस वृहदाकार चौराहे के मध्य झरने का निर्माण नगर निगम, लखनऊ द्वारा दो माह पूर्व किया गया जिससे स्थल की शोभा गढ़ गयी है। प्रतिमा का रखरखाव नगर निगम लखनऊ द्वारा भली-भांति किया जाता है।]

जनपद संत कबीरनगर अन्तर्गत परिषदीय माध्यमिक विद्यालय, बभनौली में बुनियादी सुविधायें एवं इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर बेसिक शिक्षा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा श्री दशरथ प्रसाद चौहान द्वारा ....

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उल्लेख किया गया है कि विधान सभा क्षेत्र 162-हैसरबाजार जनपद संतकबीरनगर के अन्तर्गत परिषदीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बभनवली, विकास खण्ड हैसर में कुल 1166 बच्चे अध्यनरत हैं, जिनमें 586 बालिकायें हैं। विद्यालय की छात्र संख्या को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में प्रसाधन, पेयजल सुविधा, चहारदीवारी की कमी है। उक्त के दृष्टिगत विद्यालय में 18 सीट का शौचालय, ओवर हेड टैंक सहित, 5 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प तथा विद्यालय की चहारदीवारी बनवाने की मांग की गयी है।

उपर्युक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में वर्तमान में स्थिति निम्नवत् है :-

1-विद्यालय प्रांगण में शिक्षा विभाग द्वारा 04 शौचालय तथा जिला पंचायत राज विभाग द्वारा 01 महिला कॉम्पलेक्स बनाया गया है जिसमें 02 शौचालय एवं ओवर हेड टैंक भी है जो चालू हालत में है।

2-विद्यालय में 01 इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्प है जो पूर्णतः अच्छी हालत में है।

3-विद्यालय में पश्चिम दिशा में मुख्य द्वार के पास लगभग 50 मीटर की चहारदीवारी बनी हुई है।

यह भी अवगत कराना है कि विद्यालय प्रांगण में अन्य दिशाओं में चहारदीवारी नहीं है, किन्तु वृक्ष एवं मेड़ के द्वारा विद्यालय की सीमा निर्धारित है। विद्यालय में छात्राओं के लिए मूत्रालय की आवश्यकता है जिसमें पीछे चहारदीवारी का होना आवश्यक है। विद्यालय में छात्राओं के उपयोगार्थ पृथक से मूत्रालय बनवाने के लिए जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज विभाग से तथा पेयजल की सुविधा के लिए एक अतिरिक्त हैण्डपम्प लगवाने हेतु उ0 प्र0 जल निगम से अनुरोध किया जा चुका है। चहारदीवारी के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि जिला स्तर पर उपलब्ध निर्माण मद की धनराशि से विद्यालय में 70 मीटर लम्बी चहारदीवारी के निर्माण की स्वीकृति के बारे में कार्यवाही गतिमान है।]

गोरखपुर नगर निगम में निर्माण कार्यों में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच मा0 मुख्य मंत्री के निर्देशों के बावजूद भी न कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 राधामोहन दास अग्रवाल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, डा0 राधामोहन दास अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा ...

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया है कि नगर निगम, गोरखपुर के निर्माण कार्यों की उच्च स्तरीय जांच कराये जाने से सम्बन्धित उनका शिकायती-पत्र मा0 मुख्य मंत्री सचिवालय विधायक कोष्ठ के पत्र संख्या-सी0एम0विको0/एम/167872/2007, दिनांक 22 अगस्त, 2007 को प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया, परन्तु अत्यन्त दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मुख्य मंत्री सचिवालय की इतनी त्वरित कार्यवाही की अनदेखी करते हुए प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग के कार्यालय में करीब ढाई माह बीतने के उपरान्त भी कोई प्रमाणित कार्यवाही नहीं की। नगर निगम सूचना अधिकारी के द्वारा स्वयं लिखित रूप से दी गयी सूचना के अनुसार सिर्फ एक वार्ड के 7 निर्माण कार्यों में 2-3 बार फर्जी फाइलें बनाकर धन अवमुक्त कर लिया गया। पूरे महानगर के 70 वार्डों में सिर्फ निर्माण कार्यों में यह आर्थिक धांधली करोड़ों से अधिक की धांधली होगी। पथ प्रकाश एवं सफाई व्यवस्था का भ्रष्टाचार अभी अलग है।

2-इस सम्बन्ध में यह सूच्य है कि मा0 सदस्य का उक्त शिकायती-पत्र दिनांक 13 अगस्त, 2007 नगर विकास विभाग में दिनांक 27-08-2007 को प्राप्त हुआ जिसे शासन के पत्र दिनांक 12 सितम्बर, 2007 द्वारा मण्डलायुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित किया गया था कि शिकायती-पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराकर जांच आख्या अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें।

3-उक्त के सम्बन्ध में आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर के माध्यम से नगर आयुक्त, नगर निगम, गोरखपुर की आख्या दिनांक 03-11-2007 शासन में प्राप्त हुई है, जिसका परीक्षण किया जा रहा है, परीक्षणोपरान्त मामले में शीघ्र समुचित कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के निकट तरबगंज पर टेढ़ी नदी पर 10 करोड़ रुपये का अनियमित टेण्डर किये जाने की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में डा0 वकार अहमद शाह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई एवं लोक निर्माण मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, मा0 सदस्य द्वारा सूचना दी गई है कि जनपद बहराइच के रसूलपुर गांव के... ...

श्री प्रमोद तिवारी-

मान्यवर, पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पढ़ा हुआ माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री लालजी वर्मा-

[निकट तरबगंज शाखा नहर के किमी0 9.200 पर टेढ़ी नदी पर 10.00 करोड़ रुपये का टेण्डर गुप-चुप तरीके से किये जाने का प्रयास किया गया जबकि इस कार्य के लिये तीन मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी पूर्व में मना कर चुकी है। उसके बाद मुख्य अभियन्ता, सरयू नहर, फैजाबाद ने इस पर साइफन बनाने की अनुमति नहीं दी थी, परन्तु शासन से जुड़े कुछ लोग लगभग 10.00 करोड़ का अपव्यय करना चाहते हैं। गोपनीय तरीके से टेण्डर करके शासकीय धन का दुरुपयोग करने की फिराक में हैं, इस पर तुरन्त रोक लगायी जाय। अगर गलत तरीके से निविदायें की गई हैं तो निरस्त किया जाय, नहीं तो सरकारी राजस्व की हानि होगी।

2-उपर्युक्त के सम्बन्ध में जांच सक्षम स्तर से कराया जाना आवश्यक है। अतः शासन के पत्र संख्या-3839/07-27-सिं-3-11ए0क्यू0/07, दिनांक 02-11-07 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ को जांच अधिकारी नामित करते हुए जांच कर जांच आख्या उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उ0 प्र0 लखनऊ एवं मुख्य अभियन्ता, सरयू नहर, फैजाबाद को यह भी निर्देश दे दिये गये हैं कि प्रश्नगत टेण्डर के निष्पादन के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही शासन के अग्रिम आदेशों तक स्थगित कर दी जाय। जांच आख्या प्राप्त होने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद कुशीनगर के मुख्यालय पडरौना में परिवहन निगम के बस डिपो की स्थापना किये जाने के सम्बन्ध में कुं0 आर0 पी0 एन0 सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर परिवहन मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

संसदीय कार्य मंत्री (श्री लालजी वर्मा)-

मान्यवर, यह मद स्थगित है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे स्थगित किया जाता है।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 39 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

दिनांक 5 नवम्बर, 2007

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-1 का उत्तर पीछे पृष्ट 17-18 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री प्रदीप जैन "आदित्य", मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-01 का संलग्नक

क्र0 सं0	नगर निगम का नाम	वित्तीय वर्ष 2005-06			वित्तीय वर्ष 2006-07		
		नवनिर्मित सड़क	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	पत्थरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि	नवनिर्मित सड़क	व्यय धनराशि (लाख रु0 में)	पत्थरों की बिक्री से प्राप्त धनराशि
1	नगर निगम, लखनऊ	28 सड़कें	103.81	शून्य	56 सड़कें	110.48	शून्य
2	नगर निगम, कानपुर	336 सड़कों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण	1184.00	शून्य	33 सड़कों की मरम्मत/ पुनर्निर्माण	117.00	शून्य
3	नगर निगम, गोरखपुर	24.30 किमी0	291.60	शून्य	11.46 किमी0	149.35	शून्य
4	नगर निगम, झांसी	124 सड़कों/ गलियों	478.355	शून्य	207 सड़कों/ गलियों	871.94	शून्य
5	नगर निगम, आगरा	195 सड़कों/ गलियों	571.00	शून्य	141 सड़कों/ गलियों	558.00	शून्य
6	नगर निगम, अलीगढ़	123 सड़कों/ गलियों	290.00	शून्य	70 सड़कों/ गलियों	220.00	शून्य
7	नगर निगम, मुरादाबाद	276 सड़कों	243.217	शून्य	160 सड़कों	579.856	शून्य
8	नगर निगम, इलाहाबाद	17 सड़कों	39.644	शून्य	07 सड़कों	22.958	शून्य
9	नगर निगम, वाराणसी	30 सड़कों	160.58	शून्य	20 सड़कों	81.65	शून्य
10	नगर निगम, बरेली	466 सड़कों/ गलियों	909.36	शून्य	272 सड़कों	301.87	शून्य
11	नगर निगम, मेरठ	64.44 किमी0	374.00	शून्य	23.889 किमी0	95.48	शून्य
12	नगर निगम, गाजियाबाद	05 सड़कों	60.54	शून्य	62 सड़कों	1642.44	शून्य

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-15 का उत्तर पीछे पृष्ठ 21-22 पर)

विधान सभा के तृतीय सत्र 2007 के प्रथम सोमवार के लिये निर्धारित श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-15 का संलग्नक

क्र0सं0	मार्ग का नाम	लम्बाई (कि0मी0)	लागत (लाख रु0 में)
	वर्ष 2003-04 (फेज-3 विश्व बैंक)		
1.	छतौना नरवारी मार्ग	2.90	86.75
2.	अमरगढ़ राजाबाजार से उमापुर मार्ग	1.30	27.56
3.	पट्टी बन्धवा से बेसार मार्ग	1.85	42.31
4.	धरौली मरधूपुर कैनालपुर से रामगढ़ा	0.58	11.97
5.	पट्टी कोहडौर से दारीखुर्द मार्ग	1.25	26.07
6.	अमापुर से धानीपुर	1.45	26.59
7.	अमरगढ़ टेलियानी नहर से चिलावां मार्ग	1.08	23.19
	वर्ष 2004-05 (फेज-4 विश्व बैंक)		
1.	अकबरपुर कादीपुर चांदा पट्टी से जौनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी से मरियमपुर	1.10	25.71
2.	डी0आर0पी0के0 मार्ग से बसौली	1.35	27.61
3.	बेल्हा पट्टी ढकवा मार्ग से रामगंज से बरछौली सम्पर्क मार्ग	1.35	28.10
4.	बेल्हा पट्टी ढकवा से मौहानी	1.35	28.26
5.	ढकवा हिम्मत पट्टी से बनवीरपुर मार्ग	1.30	26.16
6.	बेल्हा पट्टी ढकवा से उमरडिहा मार्ग	1.25	28.60
7.	बेल्हा पट्टी ढकवा से धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से भीखमपुर सम्पर्क मार्ग	1.25	22.96
8.	कोहडौर चंदौका से लौलीपुख्त मार्ग	1.15	22.71
9.	डी0आर0पी0के0 मार्ग से इटहला मार्ग	2.95	57.45
10.	डी0आर0पी0के0 से नरायणपुर गंगेहटी से सागर सराय मार्ग	1.35	25.85
11.	बेल्हा पट्टी ढकवा से ढेडुवा मार्ग	0.90	17.38

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वर्ष 2005-06 (फेज-5)

1.	डी0आर0पी0के0 से मिसरौली मार्ग	1.20	23.83
2.	डी0 एम0 मार्ग से कम्पाहारी मार्ग	0.65	16.67
3.	डी0आर0पी0के0 मार्ग से रघुरामपुर मार्ग	0.85	18.88
4.	आर0 के0 मार्ग से इशानपुर कुंजरौटी मार्ग	1.60	29.58
5.	एन0 एस0-96 छोलाहा से परसरामपुर मार्ग	1.10	22.51
6.	एन0एस0-96 कोंधरपुर से सूर्यगढ़ जगन्नाथ मार्ग	0.70	15.90
7.	पट्टी से राजाबाजार मार्ग	10.25	187.87
8.	बियानगंज मंगरौरा मार्ग	9.00	170.45
9.	कोहडौर से चन्दौका मार्ग	9.50	178.96
10.	पट्टी से पटखौली मार्ग	19.00	462.86

वर्ष 2005-06 (फेज-5 विश्व बैंक)

1.	बी0 पी0डी0 मार्ग से रामगंज नहर पटरी से देवरखा अहिरान मार्ग	1.00	27.68
2.	ए0के0सी0पी0 मार्ग धरौली डिस्ट्रीब्यूटरी से	1.95	40.64
3.	नरायणपुर मुजाही बाजार से रानीपुर	1.60	36.05
4.	ए0के0सी0पी0 से लबेदा ठकुरान मार्ग	2.00	51.96
5.	बी0पी0डी0 मार्ग से उदयशाहपुर मार्ग	1.15	30.87
6.	बी0पी0डी0 मार्ग से पारा सम्पर्क मार्ग	3.00	74.96

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-एल0 417 विधान सभा (810)-12-2-08-813 (कम्प्यूटर)